



उत्तर प्रदेश शासन

—(०)—

1987-88 के व्यय

के

व्योरेवार अनुमान



(कृषि तथा सम्बद्ध विभाग)

NIEPA DC



D04353

( जैसे कि विधान मण्डल के सचिव प्रकृत स्थानों पर )

Sub. National Systems Unit,  
National Institute of Educational  
Planning and Administration  
17-B, Sector A, Connaught Place, New Delhi-110016  
DOC. No..... D-11-353  
Date..... 12/7/88

## प्रास्ताविक टिप्पणी

आय-व्ययक में व्यय के अनुमानों के लिये यथासम्भव विभागवार अनुदान की व्यवस्था की गई है। इन अनुदानों को आय-व्ययक के खण्ड-5 में निम्नलिखित भागों में प्रदर्शित किया गया है:—

|                 |                          |  |
|-----------------|--------------------------|--|
| खण्ड-5 (भाग-1)  | अनुदान संख्या 1 से 10    | आबकारी, आवास तथा नगर विकास, उद्योग तथा ऊर्जा विभाग।  |
| खण्ड-5 (भाग-2)  | अनुदान संख्या 11 से 19   | कृषि तथा सम्बद्ध विभाग।  |
| खण्ड-5 (भाग-3)  | अनुदान संख्या 20 से 31   | कामिक, खाद्य तथा रसद, उद्योग, गन्ना विकास, गृह तथा गोपब विभाग।   |
| खण्ड-5 (भाग-4)  | अनुदान संख्या 32 से 37   | चिकित्सा विभाग।  |
| खण्ड-5 (भाग-5)  | अनुदान संख्या 38 से 46   | नागरिक उद्बुधन, निपुणित नियोजन, निर्वाचन, श्याय, परिवहन, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग।   |
| खण्ड-5 (भाग-6)  | अनुदान संख्या 47         | पर्वतीय विकास विभाग।   |
| खण्ड-5 (भाग-7)  | अनुदान संख्या 48 से 62   | मुस्लिम बचक, राजस्व, राष्ट्रीय एकीकरण, वन, वित्त तथा विधान मंडल से सम्बन्धित विभाग।  |
| खण्ड-5 (भाग-8)  | अनुदान संख्या 63 से 70   | विज्ञान एवं पर्यावरण, शिक्षा तथा भ्रम विभाग।   |
| खण्ड-5 (भाग-9)  | अनुदान संख्या 71 से 75-क | सार्वजनिक निर्माण विभाग।   |
| खण्ड-5 (भाग-10) | अनुदान संख्या 76 तथा 77  | सिंचाई विभाग।  |
| खण्ड-5 (भाग-11) | अनुदान संख्या 78 से 92   | संस्थागत वित्त, सचिवालय प्रशासन, सत्कंता, सहायता एवं पुनर्वासन, सांस्कृतिक कार्य, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक उद्यम, सूचना, सैनिक कल्याण तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग। |

सुविधा हेतु विषय-सूची के बाह्य इस भाग में प्रदर्शित अनुदानों के नियंत्रक अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों की सूची भी दी गई है।

खण्ड-5 के इस भाग में केवल अनुदान संख्या 11 से 19 छापी गई है।

भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 1987-88 से संघ और राज्यों के आय-व्ययक में प्रदर्शित होने वाले मुख्य, उप मुख्य और लघु शीर्षकों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, तदनुसार राज्य सरकार द्वारा भी परिवर्तित लेखा वर्गीकरण को अपनाते हुए बजट साहित्य को परिवर्तित लेखा शीर्षकों के आधार पर ही तैयार किया गया है। भारत सरकार द्वारा सूचित परिवर्तनों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से उप शीर्षक, विस्तृत शीर्षक तथा व्यय की मानक मदों के लिए कोड संख्याएँ निर्धारित करके उनको भी बजट साहित्य में समावेश कर लिया गया है।

विवरण-सूची

| अनुदान/क्रम-<br>संख्या | विवरण   | प्रभारी मंत्री                       | पृष्ठ-संख्या |
|------------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| 11                     | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भौद्यानिक विकास) | कृषि मंत्री                          | 1-31         |
| 12                     | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)            | कृषि मंत्री                          | 33-101       |
| 13                     | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)   | ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री | 103-134      |
| 14                     | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)     | ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री | 135-146      |
| 15                     | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)           | मुख्य मंत्री                         | 147-216      |
| 16                     | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) | मुख्य मंत्री                         | 217-226      |
| 17                     | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)          | मुख्य मंत्री                         | 227-233      |
| 18                     | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)        | सहकारिता मंत्री                      | 235-259      |
| 19                     | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) | ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री | 261-265      |



वर्ष 1987-88 के आय-व्यय में प्रदर्शित अनुदानों के नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्षों की सूची

| अनुदान/क्रम संख्या तथा उसका नाम                    | लेखा शीर्षक                                    | नियंत्रक अधिकारी का पदनाम   | विभागाध्यक्ष का पदनाम   |
|--|--|---|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   |
| 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (श्रोतानिक विकास)   | 2245— दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत        | निदेशक, उद्यान एवं कृषि उपयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ                                 | निदेशक, उद्यान एवं कृषि उपयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।   |
|  | 2401— कृषि कार्य                               | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 2406—त्रानिकी और वन्य जीवन                     | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा                   | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 2435—अन्य कृषि कार्यक्रम                       | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग                 | तद्वैव  | तद्वैव  |
| 12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)              | 2013—मंत्रि परिषद्                             | सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन   | सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन   |
|  | 2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें                    | निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  | निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ   |
|  | 2245—दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत       | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 2401—कृषि कार्य                                | निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ, एवं निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।                                    |
|  | 2402—भू और जल संरक्षण                          | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 2408—खाद्य, भंडारण और भंडारण                   | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा                   | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 2435—अन्य कृषि कार्यक्रम                       | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 4401—कृषिकार्य पर पूंजी परिव्यय                | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 4408—खाद्य, भण्ड और भंडारण पर पूंजी परिव्यय    | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 4415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजी परिव्यय  | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 6401—कृषि कार्य के लिये कर्ज                   | तद्वैव  | तद्वैव  |
|  | 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 2013—मंत्रि परिषद्  | सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन  |
| 2245—दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत           |  | तद्वैव  | तद्वैव  |
| 2501—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम              |  | तद्वैव  | प्रायुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।  |
| 2505—ग्रामीण रोजगार                                |  | तद्वैव  | तद्वैव  |
| 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम                  |  | तद्वैव  | (1) तद्वैव  |
| 2702—लघु सिंचाई                                    |  | सचिव, क्षेत्रीय विकास, उत्तर प्रदेश शासन  | (2)—मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।<br>मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । |
| 3451—सचिवालय-आर्थिक सेवायें                        |  | सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन  | प्रायुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।   |
| 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजी परिव्यय | सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ   | प्रायुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।                    |   |
| 4702—लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय                   | सचिव, क्षेत्रीय विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ | मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश, लखनऊ।                                    |   |

| अनुदान/क्रम संख्या तथा उसका नाम                  | लेखा शीर्षक   | नियंत्रक अधिकारी का पदनाम   | विभागाध्यक्ष का पदनाम   |
|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   |
| 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)     | 2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें   | प्रशासकीय समादेष्टा, प्रादेशिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ   | प्रशासकीय समादेष्टा, प्रादेशिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  |
|  | 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण  | विशेष सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन  | विशेष सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।   |
|  | 2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत                                  | सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन  | निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ   |
|  | 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम                                       | (1) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ<br>(2) निदेशक, निर्वाचन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ<br>(3) मुख्य वित्त अधिकारी (जिला परिषदें), उत्तर प्रदेश, लखनऊ | (1) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।<br>(2) निदेशक, निर्वाचन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।<br>(3) मुख्य वित्त अधिकारी (जिला परिषदें) उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
|  | 3054—सड़कें और पुल  | सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन  | निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ   |
|  | 3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन | तदैव  | तदैव  |
|  | 5465—सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश                    | तदैव  | तदैव  |
| 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)           | 2013—मंत्रि परिषद्  | सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन  | निदेशक, पशुपालन विभाग; उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।   |
|  | 2049—ब्याज संदाय  | तदैव  | तदैव  |
|  | 2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत                                  | निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ   | तदैव  |
|  | 2403—पशुपालन  | तदैव  | तदैव  |
|  | 4403—पशुपालन पर पूंजी परिव्यय   | तदैव  | तदैव  |
| 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) | 2049—ब्याज संदाय  | दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  | दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश; लखनऊ।   |
|  | 2404—डेरी विकास   | तदैव  | तदैव  |
|  | 4404—डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय  | तदैव  | तदैव  |
|  | 6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण  | तदैव  | तदैव  |
| 17—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)          | 2405—मीन उद्योग   | सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन   | निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।   |
|  | 4405—मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय  | तदैव  | तदैव  |

| अनुदान क्रम संख्या तथा उन्नयन नाम                 | क्षेत्रा शीर्षक                                | नियंत्रण अधिकारी का पदनाम  | विभागाध्यक्ष का पदनाम  |
|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| 18--कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (सहकारिता)        | 2013-मंत्रि परिषद्                             | सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन<br>*<br>निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । | सचिव, सहकारिता विभाग; उत्तर प्रदेश शासन ।  |
|   | 2049-ब्याज सदाय                                |  |  |
|   | 2230-श्रम और रोजगार                            |  |  |
|   | 2401-कृषि कार्य                                |  |  |
|   | 2425-सहकारिता                                  |  |  |
|   | 4425-सहकारिता पर पूंजी परिव्यय                 |  |  |
|   | 6003-राज्य सरकार का अन्तरिक ऋण                 |  |  |
| 6401-कृषि कार्य के लिये उधार                      | निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । | निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।   |  |
| 6425-सहकारिता के लिये उधार                        |  |  |  |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार               | तद्व   | तद्व   |  |
| 19--कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) | 223-पामात्रिक सुरक्षा और कल्याण                | सचिव, क्षेत्रीय विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन   | सम्बन्धित जिलाधिकारी; उत्तर प्रदेश शासन  |
|   | 2501-ग्रामीण विकास के लिये कार्यक्रम           | तद्व   | तद्व   |
|   | 2705-कमान क्षेत्र विकास                        | तद्व   | प्रशासक, शारदा सहायक समादेश प्राधिकारी, लखनऊ/प्रशासक, रामगंगा समादेश प्राधिकारी; कानपुर/प्रशासक गण्डक समादेश प्राधिकारी; गोरखपुर । |
|   | 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजी परिव्यय       | तद्व   | तद्व   |
|   | 6705-कमान क्षेत्र विकास के लिये उधार           | तद्व   | तद्व   |

# अनुदान संख्या 11

## कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (औद्योगिक विकास)

1—उस धनराशि का अनुमान जिसकी वित्तीय वर्ष 1987-88 में व्यय के लिये आवश्यकता है:—

|       | राजस्थ              | पंजी              | योग                |
|-------|---------------------|-------------------|--------------------|
| मतदेय | 16,55,85,000 रुपये, | 4,76,63,000 रुपये | 21,32,48,000 रुपये |
| भारित | 6,99,000 रुपये,     | ..                | 6,99,000 रुपये     |

2—अनुदान का मुख्य शीर्षक के अनुसार विभाजन:—

(हजार रुपये में)

|  | वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |                   | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षण अनुमान<br>1986-87 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|
|  | आयोजनागत                   | आयोजनेतर          | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                    | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
| <b>राजस्थ लेखा—</b>                      |                            |                   |                            |          |                             |          |                            |          |
| 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण           | ..                         | ..                | ..                         | ..       | ..                          | ..       | ..                         | 1        |
| 2245—देवी छिपत्तियों के सम्बन्ध में राहत | ..                         | 19,98             | ..                         | ..       | ..                          | ..       | ..                         | ..       |
| 2401—कृषि कार्य                          | मतदेय<br>2,29,42           | भारित<br>7,77,30  | 2,63,12                    | 7,71,64  | 2,63,07                     | 8,53,52  | 4,02,13                    | 9,87,15  |
|  | ..                         | 6,49              | ..                         | 6,30     | ..                          | 6,60     | ..                         | 6,99     |
| 2406—धानिकी और वन्य जीवन                 | ..                         | 1,19,25           | ..                         | 1,09,34  | ..                          | 1,25,29  | ..                         | 1,45,56  |
| 2415—कृषि अनुसन्धान और शिक्षा            | 1,01,65                    | 74,57             | 2,00                       | 75,68    | 1,84                        | 80,95    | 2,00                       | 99,09    |
| 2435—अन्य कृषि कार्यक्रम                 | ..                         | 1,62              | ..                         | 1,84     | ..                          | 1,90     | ..                         | 3,41     |
| 2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग           | 4,03                       | 9,90              | 3,00                       | 10,75    | 5,87                        | 11,27    | 3,70                       | 12,80    |
| योग, राजस्थ लेखा                         | मतदेय<br>3,35,10           | भारित<br>10,02,62 | 2,68,12                    | 8,69,25  | 2,70,78                     | 10,72,93 | 4,07,83                    | 12,48,02 |
|  | ..                         | 6,09              | ..                         | 6,30     | ..                          | 6,60     | ..                         | 6,99     |
| <b>पंजी लेखा—</b>                        |                            |                   |                            |          |                             |          |                            |          |
| 4401—कृषि कार्य पर पंजी परिव्यय          | 83,35                      | 5,00,79           | 51,88                      | 3,44,55  | 1,15,00                     | 3,44,55  | 1,26,88                    | 3,49,75  |
| 6401—कृषि कार्य के लिए उधार              | 40,00                      | ..                | ..                         | ..       | 47,98                       | ..       | ..                         | ..       |
| योग, पंजी लेखा                           | 1,23,35                    | 5,00,79           | 51,88                      | 3,44,55  | 1,62,98                     | 3,44,55  | 1,26,88                    | 3,49,75  |
| कुल योग                                  | मतदेय<br>4,58,45           | भारित<br>15,03,41 | 3,20,00                    | 13,13,80 | 4,33,76                     | 14,17,48 | 5,34,71                    | 15,97,77 |
|  | ..                         | 6,09              | ..                         | 6,30     | ..                          | 6,60     | ..                         | 6,99     |



|         |          |         |         |         |          |
|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| ..      | 1,6८     | ..      | 1,84    | ..      | 1,90     |
| 4,03    | 9,90     | 3,00    | 10,75   | 5,87    | 11;27    |
| 3,35,10 | 10,02,62 | 2,68,12 | 9,69;25 | 2,70,78 | 10,72,93 |
| ..      | 6,09     | ..      | 6,30    | ..      | 6,60     |

|       |         |       |         |         |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 26,56 | 1,36,05 | 9,14  | 1,49,80 | 9,14    | 1,49,80 |
| 33,84 | ..      | 25,22 | ..      | 31,34   | ..      |
| 14,81 | ..      | 7,82  | ..      | 7,82    | ..      |
| ..    | ..      | ..    | ..      | 50      | ..      |
| 8,41  | 3,64,74 | 9,70  | 1,94,75 | 66,20   | 1,94,75 |
| 83,35 | 5,00,79 | 51,88 | 3,44,55 | 1,15,00 | 3,44,55 |

|         |         |       |         |         |         |
|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 40,00   | ..      | ..    | ..      | 47,98   | ..      |
| 1,23,35 | 5,00,79 | 51,88 | 3,44,55 | 1,62,98 | 3,44,55 |

|    |         |    |         |    |         |
|----|---------|----|---------|----|---------|
| .. | 99,62   | .. | 1,49,80 | .. | 1,49,80 |
| .. | 2,51,84 | .. | 1,94,75 | .. | 1,94,75 |
| .. | 3,51,46 | .. | 3,44,55 | .. | 3,44,75 |

2433 अन्य कृषि कार्यालय  
01—विपणन और किस्म नियन्त्रण—

|                                 |        |         |          |            |
|---------------------------------|--------|---------|----------|------------|
| 101—विपणन सुविधायें             | ..     | ..      | ..       | 3,41       |
| 2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग— | ..     | ..      | ..       | ..         |
| 200—अन्य ग्रामोद्योग—           | ..     | ..      | ..       | 3,70 12,80 |
| योग, राजस्व व्यय                | मितदेय | 4,07,83 | 12,48,02 | .. 6,99    |
|                                 | मारित  | ..      | 6,99     | ..         |

पूजी लेखा—

4401—कृषि कार्य पर पूजी परिव्यय—

|                                  |    |    |       |         |
|----------------------------------|----|----|-------|---------|
| 103—बीज                          | .. | .. | 25,37 | 1,55,00 |
| 107—बीघा संरक्षण                 | .. | .. | 34,73 | ..      |
| 108—वाणिज्यिक फसलें              | .. | .. | 21,77 | ..      |
| 109—विस्तार और प्रशिक्षण         | .. | .. | 2,20  | ..      |
| 119—बागवानी और सब्जियों की फसलें | .. | .. | 42,81 | 1,94,75 |

योग, 4401 .. 1,26,88 3,49,75

6401—कृषि कार्य के लिये उधार—

|   |    |    |         |         |
|---|----|----|---------|---------|
| 190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार | .. | .. | ..      | ..      |
| योग, पूजी लेखा  | .. | .. | 1,26,88 | 3,49,75 |

भाग-4—टिप्पणी—उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दी हुई वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें लेखे में व्यय में से घटा दिया गया है:—

4401—कृषि कार्य पर पूजी परिव्यय—

|                                  |    |    |    |         |
|----------------------------------|----|----|----|---------|
| 103—बीज                          | .. | .. | .. | 1,55,00 |
| 119—बागवानी और सब्जियों की फसलें | .. | .. | .. | 1,94,75 |

योग, 4401 .. 3,49,75

अनुदान संख्या 11; 1987-88  
 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (गोधानिर. विकास)

(हजार रुपया में)

| राजस्व लेखा | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1985-86 | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | शीर्षक | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|
| प्रायोजनागत | प्रायोजनेतर                   | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर                  |        | प्रायोजनागत                   |
|             |                               |                               |                              |        | प्रायोजनेतर                   |

राजस्व लेखा—

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—

60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और

कल्याण कार्यक्रम—

104—जमा से सम्बद्ध बीमा योजना—

सरकारी भविष्य निधि

01—उच्चान विभाग—

33—अन्य व्यय

2245—द्वैती विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत—

02—बाढ, चक्रवात आदि—

800—अन्य व्यय

01—औद्योगिकी निवेशों हेतु सहायता

14—सहायक अनुदान/अंगदान/राज सहायता

2401—कृषि कार्य—

001—निर्देशन और प्रशासन—

01—केंद्रीय निदेशालय—

01—वेतन

03—महंगाई भत्ता

04—यात्रा व्यय

05—ग्रन्थ खर्च

06—कार्यालय व्यय

07—टेलीफोन पर व्यय

08—मोटर गाड़ियों का क्रय

09—मोटरगाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल

की खरीद

11—किराया, उपयुक्त तथा कर स्वीकृति

12—प्रकाशन

13—विज्ञापन विज्ञापन और विख्यापन व्यय

19—लघु निर्माण-कार्य

19,98

13,27

8,65

1,70

1,85

1,75

74

1,01

1,15

12

9

20

14

13,41

8,67

1,89

1,65

1,80

72

..

1,00

12

10

20

45

16,46

13,17

1,90

1,70

2,20

75

1;10

1;20

12

10

20

45





ग्रन्थान संख्या 11, 1987-88  
 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास)

(इंजार कार्यों में)

| वास्तविक प्राकड़े<br>1985-86 | प्राथमिक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 | शीर्षक                                   | प्राथमिक अनुमान<br>1987-88 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| प्रयोजनागत                   | प्रयोजनागत                 | प्रयोजनागत                 |  | प्रयोजनागत                 |
| प्रयोजनेतर                   | प्रयोजनेतर                 | प्रयोजनेतर                 |  | प्रयोजनेतर                 |
| 38,64                        | 7,43                       | 7,43                       | <b>2401—कृषि कार्य—</b>                  |                            |
| 15,61                        | 16,00                      | 16,00                      | 108—वाणिज्यिक फसलें—                     |                            |
| 26,62                        | 26,24                      | 26,24                      | 01—अलू विकास—अलू विकास                   |                            |
| 6,04                         | 6,00                       | 6,00                       | सीधतर करने की योजना—                     |                            |
| 2,43                         | 2,50                       | 2,50                       | 01—वेतन                                  | 42,28                      |
| 2,08                         | 2,40                       | 2,40                       | 02—मजदूरी                                | 16,00                      |
| 19                           | 26                         | 26                         | 03—महंगाई भत्ता                          | 33,82                      |
| 2,45                         | 1,00                       | 1,00                       | 04—यात्रा व्यय                           | 6,50                       |
| 1,97                         | 2,50                       | 2,50                       | 05—ग्रन्थ भत्ते                          | 2,65                       |
| 1,56                         | 80                         | 80                         | 06—कार्यालय व्यय                         | 2,45                       |
| 1                            | 2                          | 2                          | 07—टेलीफोन पर व्यय                       | 26                         |
| 55                           | 50                         | 50                         | 08—मोटर गाड़ियों की खरीद                 | 2,50                       |
| 2,98                         | 499                        | 499                        | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल |                            |
| 1,19                         | 1,00                       | 1,00                       | की खरीद                                  | 2,55                       |
| 1,15                         | 94                         | 94                         | 11—किराया, उपभुक्त और कर स्वामित्व       | 1,48                       |
| 33,26                        | 00                         | 00                         | 13—विज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन व्यय     | 2                          |
| 14,53                        | 12,00                      | 12,00                      | 14—सहायक अनुदान/अनुदान / राज सहायता      | 55                         |
| 1,51,26                      | 1,44,63                    | 1,44,63                    | 19—सू निर्माण कार्य                      | 4,00                       |
|                              |                            |                            | 20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र    | 1,00                       |
|                              |                            |                            | 23—अनुरक्षण                              | 94                         |
|                              |                            |                            | 25—सामग्री और सम्पूति                    | 37,50                      |
|                              |                            |                            | 32—प्रतिरम सहायता                        | 8,45                       |
|                              |                            |                            | 33—अन्य व्यय                             | 15,00                      |
|                              |                            |                            | योग, 01                                  | 1,77,95                    |

02—अलू विकास कार्यक्रम का  
 तदनुकरण (जिला योजना) —

|           |      |  |
|-----------|------|--|
| 01—वेतन   | 2,67 |  |
| 02—मजदूरी | 1,10 |  |

|      |      |  |
|------|------|--|
| 1,68 | 2,46 |  |
| 97   | 1,80 |  |



पुनःदान संख्या 11; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मौखानिक विभाग)

हजार रुपयों में

| वार्षिक धाकड़े<br>1985-86 | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | शेष     | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|----------------------------|
| आयोजनागत आयोजनेतर         | आयोजनागत आयोजनेतर          | आयोजनागत आयोजनेतर            |         | आयोजनागत आयोजनेतर          |
| 37                        | 2,00                       | ..                           |         | 1,08                       |
| 52                        | 60                         | ..                           |         | 55                         |
| 25                        | 1,40                       | ..                           |         | 90                         |
| 5                         | 20                         | ..                           |         | 22                         |
| ..                        | 15                         | ..                           |         | 7                          |
| 22                        | 20                         | ..                           |         | 18                         |
| 4                         | ..                         | ..                           |         | ..                         |
| 10                        | 40                         | ..                           |         | 15                         |
| 43                        | 80                         | ..                           |         | 86                         |
| 3,01                      | 45                         | ..                           |         | 30                         |
| 4,99                      | 6,20                       | 0,20                         |         | 4,49                       |
| 15,90                     | 1,51,26                    | 21,80                        | 1,44,63 | 26,41                      |
|                           |                            |                              |         | 1,68,94                    |

2401—कृषि कार्य—

108—वाणिज्यिक फसलें (समाप्त)—

05—पान विकास हेतु प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र  
की स्थापना (जिला योजना)—

|                                    |    |    |      |    |
|------------------------------------|----|----|------|----|
| 01—वेतन                            | .. | .. | 1,08 | .. |
| 02—मजदूरी                          | .. | .. | 55   | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                    | .. | .. | 90   | .. |
| 04—यात्रा व्यय                     | .. | .. | 22   | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                    | .. | .. | 7    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                   | .. | .. | 18   | .. |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व | .. | .. | ..   | .. |
| 20—मशीनें और उपकरण और संबंध        | .. | .. | 15   | .. |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति             | .. | .. | 86   | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                  | .. | .. | 18   | .. |
| 33—अन्य व्यय                       | .. | .. | 30   | .. |

योग, 05

4,49

योग, 108

29,15 1,77,95

109—विस्तार और प्रशिक्षण—

01—सेलेक्शन प्रदर्शनियां—

33—अन्य व्यय ..

.. 3,00

2,98

2,50

3,50

02—प्रदेश में औद्योगिक कार्यकर्तों के प्रसार  
एवं प्रचार की योजना—

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | 21 | .. | 22 |    |    |
| .. | 5  | .. | 4  |    |    |
| .. | 16 | .. | 14 |    |    |
| .. | 4  | .. | 5  |    |    |
| .. | 5  | .. | 8  |    |    |
| .. | 3  | .. | 5  |    |    |
| .. | 15 | .. | 20 |    |    |
| .. | .. | .. | 2  |    |    |
| .. | 1  | .. | 6  |    |    |
| .. | .. | .. | .. |    |    |
| .. | 2  | .. | 2  |    |    |
| .. | 72 | .. | 85 | .. | 89 |

|                                      |    |    |    |    |
|--------------------------------------|----|----|----|----|
| 01—वेतन                              | .. | .. | .. | 24 |
| 02—मजूदूरी                           | .. | .. | .. | 5  |
| 03—महंगाई भत्ता                      | .. | .. | .. | 91 |
| 04—यात्रा व्यय                       | .. | .. | .. | 5  |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                      | .. | .. | .. | 5  |
| 06—कार्यालय व्यय                     | .. | .. | .. | 5  |
| 13—विज्ञापन, विक्री और विख्यापन व्यय | .. | .. | .. | 20 |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र    | .. | .. | .. | 2  |
| 25—सामग्री और सम्पूति                | .. | .. | .. | 6  |
| 32—अन्तरिम सहायता                    | .. | .. | .. | 5  |
| 33—अन्य व्यय                         | .. | .. | .. | 2  |
| योग, 02                              | .. | .. | .. | 98 |

03—प्रदेश क रूद्यान विकास कर्मचारियों को  
सेवागत (इमसर्विस) तथा निजी  
व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना—

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 53   | .. | 72   |    |      |
| .. | 35   | .. | 85   |    |      |
| .. | 14   | .. | 15   |    |      |
| .. | 5    | .. | 5    |    |      |
| .. | 5    | .. | 7    |    |      |
| .. | 20   | .. | 20   |    |      |
| .. | 4    | .. | 3    |    |      |
| .. | ..   | .. | ..   |    |      |
| .. | 2    | .. | 3    |    |      |
| .. | 1,38 | .. | 1,60 | .. | 1,66 |

|                                  |    |    |    |      |
|----------------------------------|----|----|----|------|
| 01—वेतन                          | .. | .. | .. | 79   |
| 03—महंगाई भत्ता                  | .. | .. | .. | 63   |
| 04—यात्रा व्यय                   | .. | .. | .. | 15   |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                  | .. | .. | .. | 6    |
| 06—कार्यालय व्यय                 | .. | .. | .. | 7    |
| 15—छात्र वृत्तियां और छात्र वेतन | .. | .. | .. | 20   |
| 25—सामग्री और सम्पूति            | .. | .. | .. | 5    |
| 32—अन्तरिम सहायता                | .. | .. | .. | 16   |
| 33—अन्य व्यय                     | .. | .. | .. | 3    |
| योग, 03                          | .. | .. | .. | 2,14 |

अनुदान संख्या 11; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (मौसमिक विभाग)

(हजार रुपये में)

| वर्ष    | प्रयोजनागत | आयोजनेतर | प्रयोजनागत | आयोजनेतर | प्रयोजनागत | आयोजनेतर | वर्ष  | प्रयोजनागत | आयोजनेतर |
|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|------------|----------|
| 1985-86 |            |          | 1986-87    |          | 1986-87    |          | 1987-88   |            |          |
| ..      | 27,59      | ..       | 29,41      | ..       | ..         | ..       | 2401—कृषि कार्य   | ..         | ..       |
| ..      | 1,07       | ..       | 1,47       | ..       | ..         | ..       | 109 - विस्तार और प्रशिक्षण - (समाप्त)                           | ..         | ..       |
| ..      | 19,77      | ..       | 20,14      | ..       | ..         | ..       | 04—फल संरक्षण तथा खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना-- | ..         | ..       |
| ..      | 2,46       | ..       | 2,70       | ..       | ..         | ..       | 01—बेतन   | ..         | 34,96    |
| ..      | 3,13       | ..       | 2,65       | ..       | ..         | ..       | 02—मजदूरी   | ..         | 1,50     |
| ..      | 2,11       | ..       | 2,00       | ..       | ..         | ..       | 03—महंगाई भत्ता   | ..         | 27,97    |
| ..      | 7          | ..       | 20         | ..       | ..         | ..       | 04—यात्रा व्यय  | ..         | 2,70     |
| ..      | 35         | ..       | 35         | ..       | ..         | ..       | 05—ग्रन्थ भत्ते   | ..         | 2,70     |
| ..      | 2,83       | ..       | 2,86       | ..       | ..         | ..       | 06—कार्यालय व्यय  | ..         | 2,10     |
| ..      | ..         | ..       | 5          | ..       | ..         | ..       | 07—टेलीफोन पर व्यय  | ..         | 20       |
| ..      | 10         | ..       | 10         | ..       | ..         | ..       | 09—मोटर गाड़ियों की प्रभुत्व और पेट्रोल को कूरी                 | ..         | 35       |
| ..      | 19         | ..       | 10         | ..       | ..         | ..       | 11—किराया, उपभूक्त और कर स्वामित्व                              | ..         | 2,90     |
| ..      | 1,68       | ..       | 1,70       | ..       | ..         | ..       | 12—प्रकाशन  | ..         | 5        |
| ..      | 20         | ..       | 10         | ..       | ..         | ..       | 13—विक्रय, बिक्री और विज्ञापन व्यय                              | ..         | 10       |
| ..      | 9,13       | ..       | 11,00      | ..       | ..         | ..       | 19—लघु निर्माण कार्य  | ..         | 10       |
| ..      | ..         | ..       | ..         | ..       | ..         | ..       | 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और सयं                                   | ..         | 1,50     |
| ..      | 1,06       | ..       | 1,20       | ..       | ..         | ..       | 23—पत्ररक्षण  | ..         | 10       |
| ..      | 71,74      | ..       | 76,03      | ..       | ..         | ..       | 25—सामग्री और सम्पत्ति  | ..         | 11,00    |
| ..      | ..         | ..       | ..         | ..       | ..         | ..       | 32—अन्तरिम सहायता   | ..         | 6,99     |
| ..      | ..         | ..       | ..         | ..       | ..         | ..       | 33—अन्य व्यय  | ..         | 1,20     |
| ..      | ..         | ..       | ..         | ..       | ..         | ..       | योग, 04   | ..         | 96,42    |

1,72 .. 1,65 ..  
36 .. 36 ..

05--शाक-भाजी प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की

स्थापना--

01—बेतन .. 1,80 ..  
02—मजदूरी .. 10 ..



प्रदान संख्या 11; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (औद्योगिक विकास)

(हजार रुपये में)

| वर्ष 1985-86 | आय-व्यय अनुमान 1986-87 | पुनरांकित अनुमान 1986-87 | विवेक | आय-व्यय अनुमान 1987-88 |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| आय-व्यय      | आय-व्यय                | आय-व्यय                  |       | आय-व्यय                |

2401—कृषि कार्य—

119—बायवानी और सचिवों की कमल—

01—नर्सरी—

0101—बीघशालाएँ--

|                                   |    |    |       |
|-----------------------------------|----|----|-------|
| 01—वेतन                           | .. | .. | 16;00 |
| 02—मजदूरी                         | .. | .. | 13,70 |
| 03—महंगाई भत्ता                   | .. | .. | 12,80 |
| 04—यात्रा व्यय                    | .. | .. | 1,60  |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                   | .. | .. | 64    |
| 06—कार्यालय व्यय                  | .. | .. | 65    |
| 11—किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व | .. | .. | 10    |
| 19—नग निर्माण-कार्य               | .. | .. | 20    |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | .. | 35    |
| 23—प्रभुरक्षण                     | .. | .. | 45    |
| 25—सामग्री और सज्जा               | .. | .. | 21;00 |
| 32—अतिरिक्त सहायता                | .. | .. | 3,20  |
| 33—ग्रन्थ व्यय                    | .. | .. | 3,42  |

12

योग, 0101 .. 74,11

0102—औद्योगिक विकास--

|                    |    |    |       |
|--------------------|----|----|-------|
| 01—वेतन            | .. | .. | 68;46 |
| 02—मजदूरी          | .. | .. | 11;00 |
| 03—महंगाई भत्ता    | .. | .. | 54;77 |
| 04—यात्रा व्यय     | .. | .. | 10;50 |
| 05—ग्रन्थ भत्ते    | .. | .. | 4;10  |
| 06—कार्यालय व्यय   | .. | .. | 3 00  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय | .. | .. | 38    |

|    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| .. | 14,74 | .. | 14,60 | .. | 66,07 | .. | 66,08 | .. | 69,33 |
| .. | 13,60 | .. | 14,00 | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | 10,82 | .. | 10,22 | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | 1,50  | .. | 1,50  | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | 58    | .. | 64    | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | 60    | .. | 65    | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | 17    | .. | 10    | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | ..    | .. | 20    | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | 5     | .. | 35    | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | 38    | .. | 40    | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | 20,65 | .. | 20,00 | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | ..    | .. | ..    | .. |       | .. |       | .. |       |
| .. | 2,98  | .. | 3 142 | .. |       | .. |       | .. |       |

|    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| .. | 56,48 | .. | 55,83 |
| .. | 10,34 | .. | 10,00 |
| .. | 39,91 | .. | 38,92 |
| .. | 9,55  | .. | 9,52  |
| .. | 3,86  | .. | 4,10  |
| .. | 3,13  | .. | 2; 80 |
| .. | 32    | .. | 38    |

|    |         |    |         |
|----|---------|----|---------|
| .. | 1,04    | .. | ..      |
| .. | 6,28    | .. | 5,65    |
| .. | 1,50    | .. | 1,69    |
| .. | 4       | .. | 5       |
| .. | 2,85    | .. | 40      |
| .. | 52      | .. | 1,00    |
| .. | 76      | .. | 60      |
| .. | 9,65    | .. | 55      |
| .. | ..      | .. | 10,20   |
| .. | ..      | .. | ..      |
| .. | 3,61    | .. | 3,00    |
| .. | 1,49,84 | .. | 1,44,39 |
| .. | ..      | .. | 1,66 11 |

|    |      |    |      |
|----|------|----|------|
| .. | 1,59 | .. | 1,72 |
| .. | 1,52 | .. | 1,50 |
| .. | 1,16 | .. | 1,21 |
| .. | 7    | .. | 6    |
| .. | 12   | .. | 14   |
| .. | 8    | .. | 4    |
| .. | 1,04 | .. | 1,21 |
| .. | ..   | .. | ..   |
| .. | 51   | .. | 40   |
| .. | 6,09 | .. | 6,28 |
| .. | ..   | .. | 6,58 |

|      |    |       |      |
|------|----|-------|------|
| 83   | .. | 1,50  | ..   |
| 1,09 | .. | 2,24  | ..   |
| 57   | .. | 1,10  | ..   |
| 12   | .. | 30    | ..   |
| 7    | .. | 20    | ..   |
| 15   | .. | 50    | ..   |
| 43   | .. | 1,00  | ..   |
| 6    | .. | ..    | ..   |
| 85   | .. | 4,16  | ..   |
| ..   | .. | ..    | ..   |
| 2,48 | .. | 1,00  | ..   |
| 6,65 | .. | 12,00 | ..   |
| ..   | .. | ..    | 6,88 |

|  |    |         |
|--|----|---------|
| 08—पोर गाड़ियों का क्रय                          | .. | 4,00    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | 6,00    |
| 11—किराया, उपभूक्त और कर स्वामित्व               | .. | 1,80    |
| 13—विकासन विक्री और विस्थापन व्यय                | .. | 5       |
| 18—वृद्ध निर्माण कार्य                           | .. | 10,00   |
| 19—नष्ट निर्माण-कार्य                            | .. | 1,50    |
| 20—मशीनें तथा सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र            | .. | 60      |
| 23—प्रनुरक्षण                                    | .. | 60      |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति                           | .. | 10,20   |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | 13,69   |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | 3,50    |
| योग, 0102  | .. | 2,04,15 |

|  |    |      |
|--|----|------|
| 0103—यत्र भवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारत) — | .. | ..   |
| 01—वेतन  | .. | 1,72 |
| 02—मजदूरी                                      | .. | 1,55 |
| 03—महंगाई भत्ता                                | .. | 1,38 |
| 04—यात्रा व्यय                                 | .. | 6    |
| 05—अन्य भत्ते                                  | .. | 13   |
| 08—कार्यालय व्यय                               | .. | 4    |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति                         | .. | 1,35 |
| 32—अन्तरिम सहायता                              | .. | 34   |
| 33—अन्य व्यय                                   | .. | 40   |
| योग 0103 (भारत)                                | .. | 6,97 |

|  |    |       |
|--|----|-------|
| 0104—वर्तमान उद्यानों के सुधार की योजना (जिला योजना) — | .. | ..    |
| 01—वेतन  | .. | 1,50  |
| 02—मजदूरी  | .. | 2,50  |
| 03—महंगाई भत्ता  | .. | 1,28  |
| 04—यात्रा व्यय   | .. | 46    |
| 05—अन्य भत्ते  | .. | 20    |
| 06—कार्यालय व्यय                                       | .. | 50    |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र                    | .. | 1,50  |
| 23—प्रनुरक्षण  | .. | 3     |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति                                 | .. | 3,00  |
| 23—अन्तरिम सहायता                                      | .. | 34    |
| 33—अन्य व्यय   | .. | 2,00  |
| योग, 0104  | .. | 13,31 |



**प्रबन्धन संख्या 11, 1987-88**  
**कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पौधबिक विकास)**

(हजार रुपयों में)

| 1985-86      |              | 1986-87   |              | 1987-88   |           | वर्षिक | 1987-88 |         |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| प्रयोजन      | प्रयोजन      | प्रयोजन   | प्रयोजन      | प्रयोजन   | प्रयोजन   |        | प्रयोजन | प्रयोजन |
| 30           | 45           | 20        | 45           | 9         | 15        |        |         |         |
| 4            | 8            | 5         | 18           | ..        | ..        |        |         |         |
| ..           | ..           | ..        | ..           | ..        | ..        |        |         |         |
| ..           | 9            | ..        | ..           | ..        | ..        |        |         |         |
| <b>68</b>    | <b>1,40</b>  | <b>..</b> | <b>1,88</b>  | <b>..</b> | <b>..</b> |        |         |         |
| 8,36         | 10,50        | 2,11      | 4,00         | 6,13      | 7,00      |        |         |         |
| 2,02         | 2,00         | 41        | 35           | 71        | 2,00      |        |         |         |
| 1,23         | 1,00         | 30        | 1,00         | ..        | 66        |        |         |         |
| 34           | 50           | 6         | ..           | 6,15      | 6,00      |        |         |         |
| ..           | ..           | ..        | ..           | ..        | ..        |        |         |         |
| <b>11,61</b> | <b>5,35</b>  | <b>..</b> | <b>..</b>    | <b>..</b> | <b>..</b> |        |         |         |
| <b>39,43</b> | <b>40,36</b> | <b>..</b> | <b>37,76</b> | <b>..</b> | <b>..</b> |        |         |         |

  

| 2401—कृषि कार्य—   |    | 119—बागवानी और सवित्रयों की कसलें—   |              |
|--|----|--|--------------|
| 01—नर्सरी (क्रमशा)   |    | 01—नर्सरी (क्रमशा)   |              |
| 0105—प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों व अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजना (राज्य सेक्टर)— |    | 0105—प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों व अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजना (जिला योजना)— |              |
| 01—वेतन  | 76 | 01—वेतन  | 10,55        |
| 03—हार्ड मत्ता   | 61 | 02—मजदूरी  | 2,06         |
| 04—यात्रा व्यय   | 20 | 03—महंगाई मत्ता  | 8,44         |
| 06—अन्य मत्ते  | 6  | 04—यात्रा व्यय   | 2,20         |
| 06—कार्यालय व्यय   | 10 | 05—अन्य मत्ते  | 40           |
| 25—सामग्री और संपूर्ति   | .. | 06—कार्यालय व्यय   | 75           |
| 32—अन्तरिम सहायता  | 15 | 09—गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल आदि की खर्च  | 40           |
| 33—अन्य व्यय   | 7  | 11—किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व  | 1,00         |
|  |    | 13—विज्ञापन, बिक्री विज्ञापन पर व्यय   | 66           |
|  |    | 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संपन्न   | 30           |
|  |    | 23—अनुरक्षण  | ..           |
|  |    | 25—सामग्री और संपूर्ति   | 4,30         |
|  |    | 32—अन्तरिम सहायता  | 2,11         |
|  |    | 33—अन्य व्यय   | 2,78         |
|  |    | <b>योग, 0105</b>   | <b>2,00</b>  |
|  |    | <b>योग, 0106</b>   | <b>35,95</b> |

0107—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पौनेन्ड प्लान—  
प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिकी  
विकास की योजना (जिला योजना) —

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 4,30 | .. | 3,15 | .. |
| 59   | .. | 80   | .. |
| 3,22 | .. | 2,20 | .. |
| 1,00 | .. | 1,00 | .. |
| 8    | .. | 20   | .. |
| 42   | .. | 20   | .. |
| 5    | .. | ..   | .. |
| 3,47 | .. | 7,60 | .. |
| 28   | .. | ..   | .. |
| 33   | .. | ..   | .. |
| 60   | .. | 1,00 | .. |
| ..   | .. | ..   | .. |
| 1,40 | .. | 3,08 | .. |

15,74 .. 19,23 .. 19,23 ..

|       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|
| 10,88 | .. | 12,00 | .. |
| 8,72  | .. | 10,00 | .. |
| 8,23  | .. | 9,44  | .. |
| 1,32  | .. | 2,00  | .. |
| 22    | .. | 45    | .. |
| 69    | .. | 1,00  | .. |
| ..    | .. | ..    | .. |
| ..    | .. | ..    | .. |
| 1     | .. | ..    | .. |
| 3,01  | .. | 1,00  | .. |
| 22    | .. | 2,80  | .. |
| 12,19 | .. | 12,00 | .. |
| ..    | .. | ..    | .. |
| 17,95 | .. | 9,95  | .. |

63,44 .. 60,62 .. 61,12 ..

|  |    |    |    |      |    |
|--|----|----|----|------|----|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | 5,28 | .. |
| 02—नजबूरी  | .. | .. | .. | 45   | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | 4,22 | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | 1,20 | .. |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | 20   | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | 32   | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | ..   | .. |
| 14—सहायक अनुदान/अंगदान राज सहायता                | .. | .. | .. | 6,55 | .. |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र                | .. | .. | .. | 1    | .. |
| 23—अनुरक्षण                                      | .. | .. | .. | ..   | .. |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति                           | .. | .. | .. | 55   | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | 1,05 | .. |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | 1,30 | .. |

योग 0107 .. 21,13 .. 15

0108—प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन के समीकरण तथा शोध  
प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना ( जिला योजना ) —

|  |    |    |    |       |    |
|--|----|----|----|-------|----|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | 16,72 | .. |
| 02—नजबूरी  | .. | .. | .. | 12,00 | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | 14,19 | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | 2,54  | .. |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | 58    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | 1,88  | .. |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय                         | .. | .. | .. | 1,20  | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 5     | .. |
| 11—किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व                | .. | .. | .. | ..    | .. |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र               | .. | .. | .. | 5,43  | .. |
| 23—अनुरक्षण                                      | .. | .. | .. | 2,63  | .. |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति                           | .. | .. | .. | 18,40 | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | 2,62  | .. |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | 8,68  | .. |

योग, 0108 .. 86,90 ..

अनुदान संख्या 11; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (प्राथमिक विकास)

(हजार रुपयों में)

| वित्तीयक धाकड़े<br>1985-86 |          | प्राथमिक अनुमान<br>1986-87 |          | दुन्दरीकृत अनुमान<br>1986-87 |          | शेषक |          | प्राथमिक अनुमान<br>1987-88 |      |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|------|----------|----------------------------|------|
| प्राथमिक                   | अप्रीकृत | प्राथमिक                   | अप्रीकृत | प्राथमिक                     | अप्रीकृत | शेषक | प्राथमिक | अप्रीकृत                   | शेषक |
| 3                          | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| 4,00                       | ..       | 6,00                       | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| 2                          | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| 3,04                       | ..       | 3,50                       | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| 1,32                       | ..       | 3,50                       | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| 8,41                       | ..       | 13,00                      | ..       | 13,00                        | ..       |      |          |                            |      |
| 64                         | ..       | 56                         | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| 46                         | ..       | 50                         | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| 10                         | ..       | 20                         | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| 6                          | ..       | 5                          | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| 4                          | ..       | 10                         | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| ..                         | ..       | 9                          | ..       | ..                           | ..       |      |          |                            |      |
| 1,30                       | ..       | 1,50                       | ..       | 1,37                         | ..       |      |          |                            |      |

  

|   |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
|---|----|----|----|------|----|--|--|-----------|-------|----|
| 2401—कृषि कार्य—  |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| 119—बापबानी और सविनयों की कसबों—  |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| 01—नर्सरी —(क्रमस)  |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| 0109—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेट प्लान—  |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| अक्षेत्र में प्राथमिक उत्पादन के समीकरण तथा बीज प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना (जिला योजना)— |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| 01—वेतन   |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| 02—मजदूरी   | .. | .. | .. | 6,10 | .. |  |  |           |       |    |
| 03—महंगाई भत्ता   |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| 25—लाभप्री और सञ्चालित  | .. | .. | .. | 7,83 | .. |  |  |           |       |    |
| 33—अन्य व्यय  | .. | .. | .. | 3,27 | .. |  |  |           |       |    |
|   |    |    |    |      |    |  |  | योग; 0109 | 17,20 | .. |
| 0110—वर्तमान उद्योगों के विकास की योजना—  |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| 01—वेतन   |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | 51   | .. |  |  |           |       |    |
| 04—बाधा व्यय  |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| 05—अन्य भत्ते   | .. | .. | .. | 20   | .. |  |  |           |       |    |
| 06—कार्यालय व्यय  |    |    |    |      |    |  |  |           |       |    |
| 32—अन्तरिम सहायता   | .. | .. | .. | 5    | .. |  |  |           |       |    |
| 33—अन्य व्यय  | .. | .. | .. | 4    | .. |  |  |           |       |    |
|   |    |    |    |      |    |  |  | योग; 0110 | 1,50  | .. |

0111--प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजना (जिला योजना)---

|      |    |      |    |  |  |
|------|----|------|----|--|--|
| 36   | .. | 1,00 | .. |  |  |
| 95   | .. | 2,00 | .. |  |  |
| 32   | .. | 1,00 | .. |  |  |
| 1,63 | .. | 4,00 | .. |  |  |

|                         |    |    |    |           |      |
|-------------------------|----|----|----|-----------|------|
| 02--मजदूरी              | .. | .. | .. | 90        | ..   |
| 25--सामग्री और सम्पत्ति | .. | .. | .. | 2,85      | ..   |
| 33--अन्य व्यय           | .. | .. | .. | 1,25      | ..   |
|                         |    |    |    | योग, 0111 | 5,00 |

0112--राजकीय उद्यान (स्ट्रिप्ट पार्क) इलाहाबाद के परिवर्द्धन एवं रख रखाव की योजना---

|    |    |    |    |      |    |
|----|----|----|----|------|----|
| .. | .. | .. | .. |      |    |
| .. | .. | .. | .. |      |    |
| .. | .. | .. | .. |      |    |
| .. | .. | .. | .. | 1,71 | .. |

|                         |    |    |    |           |      |
|-------------------------|----|----|----|-----------|------|
| 02--मजदूरी              | .. | .. | .. | 30        | ..   |
| 25--सामग्री और सम्पत्ति | .. | .. | .. | 20        | ..   |
| 33--अन्य व्यय           | .. | .. | .. | 50        | ..   |
|                         |    |    |    | योग, 0112 | 1,00 |

0113--प्रदेश में अल्पसङ्ख्यक जातियों के विकास की योजना (जिला योजना)---

|      |    |      |    |      |    |
|------|----|------|----|------|----|
| 24   | .. | 70   | .. |      |    |
| 2    | .. | 50   | .. |      |    |
| 17   | .. | 34   | .. |      |    |
| 16   | .. | 10   | .. |      |    |
| 1    | .. | 5    | .. |      |    |
| 10   | .. | 20   | .. |      |    |
| ..   | .. | ..   | .. |      |    |
| ..   | .. | ..   | .. |      |    |
| 1    | .. | ..   | .. |      |    |
| ..   | .. | ..   | .. |      |    |
| 19   | .. | 20   | .. |      |    |
| ..   | .. | ..   | .. |      |    |
| 20   | .. | 80   | .. |      |    |
| ..   | .. | ..   | .. |      |    |
| 1,57 | .. | 16   | .. |      |    |
| 2,66 | .. | 3,25 | .. | 3,64 | .. |

|                                     |    |    |    |           |       |
|-------------------------------------|----|----|----|-----------|-------|
| 01--वैतन                            | .. | .. | .. | 1,73      | ..    |
| 02--मजदूरी                          | .. | .. | .. | 1,80      | ..    |
| 03--संरक्षण मत्ता                   | .. | .. | .. | 1,41      | ..    |
| 04--बाधा व्यय                       | .. | .. | .. | 50        | ..    |
| 05--अन्य मत्ता                      | .. | .. | .. | 7         | ..    |
| 06--कार्यालय व्यय                   | .. | .. | .. | 50        | ..    |
| 08--मोटर गाड़ियों का व्यय           | .. | .. | .. | 110       | ..    |
| 09--अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद    | .. | .. | .. | 15        | ..    |
| 11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व | .. | .. | .. | ..        | ..    |
| 14--सहायक अनुदान/भंडारण/राज सहायता  | .. | .. | .. | 1,00      | ..    |
| 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संबंध  | .. | .. | .. | 2,00      | ..    |
| 23--अनुरक्षण                        | .. | .. | .. | 10        | ..    |
| 25--सामग्री और सम्पत्ति             | .. | .. | .. | 2,93      | ..    |
| 32--अन्तरिम सहायता                  | .. | .. | .. | 14        | ..    |
| 33--अन्य व्यय                       | .. | .. | .. | 1,65      | ..    |
|                                     |    |    |    | योग, 0113 | 15,08 |

**अनुदान संख्या 11 1987-88**  
**कृषि तथा अन्य सम्बंध विभाग (शैक्षणिक विकास)**

(हजार रुपयों में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|--------|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |        | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |

**2401—कृषि कार्य—**

119—बागवानी और शहियों की फसलें—

01—नर्सरी (समाप्त)---

0114—प्रदेश के प्रमुख एवं पिछड़े हुये क्षेत्र में शैक्षणिक  
विकास (जिला योजना)---

|  |      |    |
|--|------|----|
| 01—वेतन .. .. .  | 2,19 | .. |
| 02—मजदूरी .. .. .  | 25   | 25 |
| 03—महंगाई भत्ता .. .. .                                  | 1,80 | .. |
| 04—यात्रा व्यय .. .. .                                   | 20   | :  |
| 06—कार्यालय व्यय .. .. .                                 | 30   | .. |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय .. .. .                         | 1,40 | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद .. .. . | 10   | .. |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व .. .. .               | 6    | .. |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. .. .              | 80   | .. |
| 25—सामग्री और सम्पूति .. .. .                            | 20   | .. |
| 33—अन्य व्यय .. .. .                                     | 10   | .. |
| योग, 0114 .. .. .  | 7,40 | .. |

0115—प्रदेश में हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास  
की योजना (जिला योजना)---

|                         |    |    |
|-------------------------|----|----|
| 01—वेतन .. .. .         | 18 | .. |
| 03—महंगाई भत्ता .. .. . | 14 | .. |
| 04—यात्रा व्यय .. .. .  | 10 | .. |



अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा ग्रामीण सव्यवस्था विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक प्राप्ति<br>1985-86  | आय-अथक अनुमान<br>1986-87     | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | शेष  | आय-अथक अनुमान<br>1987-88     |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------------------------|
| प्रायोक्तानागत प्रायोक्तनेतर | प्रायोक्तानागत प्रायोक्तनेतर | प्रायोक्तानागत प्रायोक्तनेतर |      | प्रायोक्तानागत प्रायोक्तनेतर |
| ..                           | 1,08                         | ..                           | 1,40 | ..                           |
| ..                           | 78                           | ..                           | 80   | ..                           |
| ..                           | 27                           | ..                           | 30   | ..                           |
| ..                           | 10                           | ..                           | 9    | ..                           |
| ..                           | 11                           | ..                           | 10   | ..                           |
| ..                           | 19                           | ..                           | 22   | ..                           |
| ..                           | ..                           | ..                           | ..   | ..                           |
| ..                           | ..                           | ..                           | 6    | ..                           |
| ..                           | ..                           | ..                           | 5    | ..                           |
| ..                           | ..                           | ..                           | ..   | ..                           |
| ..                           | 8                            | ..                           | 10   | ..                           |
| ..                           | 2,61                         | ..                           | 3,12 | ..                           |
| ..                           | ..                           | ..                           | 3,32 | ..                           |

2401—कृषि कार्य—

119—जागबानी और सांख्यिकी की फसले—

02—फल-क्रमर्षा—

0202—प्रदेश में पाम विकास के लक्ष्यीकरण की योजना (जिला योजना) —

|  |    |    |    |      |
|--|----|----|----|------|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | 1,54 |
| 03—महंगाई भत्ता                                | .. | .. | .. | 1,23 |
| 04—यात्रा व्यय                                 | .. | .. | .. | 35   |
| 05—ग्राम्य भत्ते                               | .. | .. | .. | 10   |
| 06—कार्यालय व्यय                               | .. | .. | .. | 12   |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुदान तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 25   |
| 14—उहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता          | .. | .. | .. | ..   |
| 20—मजदूर और उर्जा/उत्तरण और पं पत्र            | .. | .. | .. | ..   |
| 25—सामग्री और संपूर्ति                         | .. | .. | .. | 5    |
| 32—अन्तरिम सहायता                              | .. | .. | .. | 31   |
| 33—ग्राम्य व्यय                                | .. | .. | .. | 10   |

योग: 0202 .. .. 4,11

0203 सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढीकरण की योजना— (जिला योजना)

|       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|
| 12,09 | .. | 19,25 | .. |
| 78    | .. | 2,50  | .. |
| 8,80  | .. | 14,26 | .. |
| 86    | .. | 3,09  | .. |

|                 |    |    |       |    |
|-----------------|----|----|-------|----|
| 01—वेतन         | .. | .. | 21,50 | .. |
| 02—मजदूरी       | .. | .. | 1,40  | .. |
| 03—महंगाई भत्ता | .. | .. | 14,80 | .. |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | .. | 2,15  | .. |

|       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|
| 79    | .. | 1,20  | .. |
| 2,26  | .. | 1,50  | .. |
| 2.68  | .. | 3,20  | .. |
| 34    | .. | 1,00  | .. |
| 4,90  | .. | 1,00  | .. |
| 5,98  | .. | 5,00  | .. |
| ..    | .. | ..    | .. |
| 5,41  | .. | 3,00  | .. |
| <hr/> |    |       |    |
| 44,89 | .. | 55,00 | .. |
| <hr/> |    |       |    |
|       |    | 55,00 | .. |

|                                      |    |           |       |    |
|--------------------------------------|----|-----------|-------|----|
| 05—अन्य भत्ते                        | .. | ..        | 1,05  | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                     | .. | ..        | 1,30  | .. |
| 11—किराया, उप शूल्क और कर स्वामिस्व  | .. | ..        | 3,40  | .. |
| 13—विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | .. | ..        | 57    | .. |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र  | .. | ..        | 3,20  | .. |
| 25—सामग्री और संपूर्ति               | .. | ..        | 2,30  | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                    | .. | ..        | ..    | .. |
| 33—अन्य व्यय                         | .. | ..        | 1,55  | .. |
| <hr/>                                |    |           |       |    |
|                                      |    | योग, 0203 | 57,37 | .. |

0204—पवतीय जिलों में बागवानी विकास का प्रसार कार्य तथा प्रक्षेत्र फलोद्यान—

|       |         |    |         |
|-------|---------|----|---------|
| ..    | 1,02,20 | .. | 1,01,91 |
| ..    | 472     | .. | 6,80    |
| ..    | 72,63   | .. | 71,34   |
| ..    | 14,58   | .. | 15,00   |
| ..    | 10,26   | .. | 9,00    |
| ..    | 3,98    | .. | 4,00    |
| ..    | 28      | .. | 17      |
| ..    | 90      | .. | ..      |
| ..    | 1,87    | .. | 2,00    |
| ..    | 2,96    | .. | 1,78    |
| ..    | 3       | .. | 6       |
| ..    | 11      | .. | 10      |
| ..    | 18      | .. | ..      |
| ..    | 87      | .. | 2,40    |
| ..    | 83      | .. | 55      |
| ..    | 23      | .. | 60      |
| ..    | 5,35    | .. | 8,35    |
| ..    | ..      | .. | ..      |
| ..    | 1,14    | .. | 40      |
| <hr/> |         |    |         |
|       | 2,23,12 | .. | 2,24,46 |
| <hr/> |         |    |         |
|       |         | .. | 2,37,83 |

|  |    |           |         |
|--|----|-----------|---------|
| 01—वेतन  | .. | ..        | 1,15,92 |
| 02—मजदूरी                                      | .. | ..        | 6,00    |
| 03—महंगाई भत्ता                                | .. | ..        | 92,74   |
| 04—यात्रा व्यय                                 | .. | ..        | 16,00   |
| 05—अन्य भत्ते                                  | .. | ..        | 9,30    |
| 06—कार्यालय व्यय                               | .. | ..        | 4,00    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                             | .. | ..        | 20      |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय                       | .. | ..        | 1,20    |
| 09—मोटर गाड़ियों का बन्दुरक्षण पेट्रोल की खरीद | .. | ..        | 2,10    |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व             | .. | ..        | 2,90    |
| 12—प्रकाशन                                     | .. | ..        | 6       |
| 13—विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन पर व्यय        | .. | ..        | 13      |
| 15—छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन                   | .. | ..        | 30      |
| 19—लघु निर्माण कार्य                           | .. | ..        | 60      |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र            | .. | ..        | 55      |
| 23—बन्दुरक्षण                                  | .. | ..        | 15      |
| 25—सामग्री और संपूर्ति                         | .. | ..        | 8,00    |
| 32—अन्तरिम सहायता                              | .. | ..        | 23,18   |
| 33—अन्य व्यय                                   | .. | ..        | 2,40    |
| <hr/>  |    |           |         |
|  |    | योग, 0204 | 2,85,73 |



अनुदान संख्या 11, 1987-88  
कृषि तथा ग्रन्थ सम्बन्ध विभाग (श्रीमानिक विकास)

(हजार रुपयों में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीकित अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक  | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|---|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |   | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
| ..                         | 30,12    | ..                         | 30,11    |                            |          | 2401—कृषिकार्य—                                     |                            |          |
| ..                         | 90       | ..                         | 80       |                            |          | 119—वागबानी और सब्जी फसलें—                         |                            |          |
| ..                         | 21,90    | ..                         | 21,10    |                            |          | 02—फल-(त्रमशः)—                                     |                            |          |
| ..                         | 3,67     | ..                         | 3,00     |                            |          | 0205—सीमान्त क्षेत्र में श्रीमानिक एवं फल संरक्षण   |                            |          |
| ..                         | 37       | ..                         | 37       |                            |          | विकास की योजना—                                     |                            |          |
| ..                         | 87       | ..                         | 70       |                            |          | 01—बेतन .. .. .                                     | ..                         | 33,53    |
| ..                         | 45       | ..                         | 35       |                            |          | 02—मजदूरी .. .. .                                   | ..                         | 80       |
| ..                         | 49       | ..                         | 38       |                            |          | 03—महंगाई भत्ता .. .. .                             | ..                         | 26,82    |
| ..                         | 6        | ..                         | 5        |                            |          | 04—यात्रा व्यय .. .. .                              | ..                         | 3,30     |
| ..                         | 2        | ..                         | 4        |                            |          | 05—अन्य भत्ते .. .. .                               | ..                         | 37       |
| ..                         | 52       | ..                         | 60       |                            |          | 06—कार्यालय व्यय .. .. .                            | ..                         | 70       |
| ..                         | 10       | ..                         | 15       |                            |          | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद .. | ..                         | 40       |
| ..                         | 3        | ..                         | 4        |                            |          | 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व ..               | ..                         | 45       |
| ..                         | 1,33     | ..                         | 1,20     |                            |          | 12—प्रकाशन .. .. .                                  | ..                         | 5        |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       |                            |          | 13—विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय ..            | ..                         | 4        |
| ..                         | 24       | ..                         | 17       |                            |          | 19—लघु निर्माण कार्य .. .. .                        | ..                         | 60       |
| ..                         | 61,07    | ..                         | 59,06    | ..                         | 62,53    | 20—मशानों और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र ..             | ..                         | 20       |
|                            |          |                            |          |                            |          | 23—अनुरक्षण .. .. .                                 | ..                         | 10       |
|                            |          |                            |          |                            |          | 25—सामग्री और सम्पत्ति .. .. .                      | ..                         | 1,30     |
|                            |          |                            |          |                            |          | 32—अन्तरिम सहायता .. .. .                           | ..                         | 6,71     |
|                            |          |                            |          |                            |          | 33—अन्य व्यय .. .. .                                | ..                         | 17       |
|                            |          |                            |          |                            |          | योग, 0205 .. .. .                                   | ..                         | 75,54    |

22

0206—राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी संस्थान  
फसल के सुबूहीकरण की योजना—

|    |    |    |    |                          |    |      |    |
|----|----|----|----|--------------------------|----|------|----|
| 65 | .. | 70 | .. | 01—बेतन .. .. .          | .. | 1,05 | .. |
| 12 | .. | 10 | .. | 02—मजदूरी .. .. .        | .. | 10   | .. |
| 42 | .. | 55 | .. | 03—महंगाई भत्ता .. .. .  | .. | 80   | .. |
| 12 | .. | 10 | .. | 04—यात्रा व्यय .. .. .   | .. | 10   | .. |
| 8  | .. | 11 | .. | 05—अन्य भत्ते .. .. .    | .. | 10   | .. |
| 32 | .. | 10 | .. | 06—कार्यालय व्यय .. .. . | .. | 8    | .. |



अनुदान सख्या 11, 1967-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (प्रौद्योगिक विकास)

(हज़ार रुपये में)

| वार्षिक अंक<br>1965-86 | माय-व्यय अनुदान<br>1986-87 | पुनराखित अनुदान<br>1986-87 | कीर्षक  |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| प्रयोजनागत प्रायोजनेतर | प्रयोजनागत प्रायोजनेतर     | प्रयोजनागत प्रायोजनेतर     |         |
| ..                     | 3,55                       | ..                         | 3,39    |
| ..                     | 2,58                       | ..                         | 3,15    |
| ..                     | 2,54                       | ..                         | 2,37    |
| ..                     | 73                         | ..                         | 75      |
| ..                     | 19                         | ..                         | 20      |
| ..                     | 21                         | ..                         | 25      |
| ..                     | 15                         | ..                         | 15      |
| ..                     | ..                         | ..                         | ..      |
| ..                     | ..                         | ..                         | ..      |
| ..                     | 26                         | ..                         | 45      |
| ..                     | 2                          | ..                         | 1,50    |
| ..                     | 31                         | ..                         | 25      |
| ..                     | 4,12                       | ..                         | 4,85    |
| ..                     | ..                         | ..                         | ..      |
| ..                     | 76                         | ..                         | 1,02    |
| ..                     | 15,42                      | ..                         | 18,33   |
| 1,86,90                | 5,18,21                    | 2,12,86                    | 5,15,52 |
| ..                     | 6,09                       | ..                         | 6,28    |
| ..                     | ..                         | ..                         | 2,07,08 |
| ..                     | ..                         | ..                         | 5,58,10 |
| ..                     | ..                         | ..                         | 6,58    |

2400--कृषि कार्य--

119--बाग बानी और सखियों की फसलें--

03--सब्जियां--

0301--प्रदेश में शाक-भाजी की खेती का प्रचार तथा मसाला उत्पादन की योजना--

|   |      |    |      |
|---|------|----|------|
| 01--वेतन  | ..   | .. | 3,81 |
| 02--मजदूरी  | ..   | .. | 3,15 |
| 03--महंगाई भत्ता                                  | ..   | .. | 3,05 |
| 04--यात्रा व्यय                                   | ..   | .. | 75   |
| 05--अन्य भत्ते                                    | ..   | .. | 20   |
| 06--कार्यालय व्यय                                 | ..   | .. | 25   |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | ..   | .. | 15   |
| 12--प्रकाशन                                       | ..   | 75 | ..   |
| 15--छात्रवृत्ति/छात्रवेतन                         | ..   | 55 | ..   |
| 19--नष्ट भिमाई कार्य                              | ..   | .. | 45   |
| 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र              | 4,00 | .. | 1,00 |
| 23--अनुरक्षण                                      | ..   | .. | 25   |
| 25--सामग्री और सम्पत्ति                           | ..   | .. | 4,85 |
| 32--अन्तरिम सहायता                                | ..   | .. | 76   |
| 33--अन्य व्यय                                     | ..   | 25 | 1,00 |

योग, 0301

5,55 19,67

योग, 119

{ मत देय  
भारित

3,19,83 6,63,39  
6,97

796--प्रारंभिक जल और उच्च योजना--

01--सघन प्रौद्योगिक विकास की योजना--

|                                    |    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|----|
| 01--वेतन                           | .. | .. | 64 | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                   | .. | .. | 51 | .. |
| 04--यात्रा व्यय                    | .. | .. | 5  | .. |
| 05--अन्य भत्ते                     | .. | .. | 1  | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                  | .. | .. | 2  | .. |
| 14--सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता | .. | .. | 15 | .. |
| 25--सामग्री और सम्पत्ति            | .. | .. | 5  | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता                 | .. | .. | 13 | .. |
| 33--अन्य व्यय                      | .. | .. | 2  | .. |

योग, 796

158 ..

|      |    |      |    |      |
|------|----|------|----|------|
| 54   | .. | 60   | .. | ..   |
| 41   | .. | 40   | .. | ..   |
| 10   | .. | 6    | .. | ..   |
| 1    | .. | 4    | .. | ..   |
| ..   | .. | 2    | .. | ..   |
| 5    | .. | 15   | .. | ..   |
| ..   | .. | 13   | .. | ..   |
| ..   | .. | ..   | .. | ..   |
| 65   | .. | 2    | .. | ..   |
| 1,76 | .. | 1,41 | .. | 1,41 |

## 01—शास्त्र विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना—

(जिला योजना)—

|      |    |       |          |
|------|----|-------|----------|
| 2,60 | .. | 3,10  | ..       |
| 39   | .. | 20    | ..       |
| 1,80 | .. | 2,20  | ..       |
| 26   | .. | 60    | ..       |
| 26   | .. | 25    | ..       |
| 1;04 | .. | 60    | ..       |
| 58   | .. | 1,20  | ..       |
| 18   | .. | 20    | ..       |
| 1,43 | .. | 50    | ..       |
| 77   | .. | 2,50  | ..       |
| ..   | .. | ..    | ..       |
| 51   | .. | 1,10  | ..       |
| 9,82 | .. | 12,45 | ..       |
|      |    |       | 10,95 .. |

|                                      |    |    |       |    |
|--------------------------------------|----|----|-------|----|
| 01—बेतन                              | .. | .. | 3,30  | .. |
| 02—मजदूरी                            | .. | .. | 35    | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                      | .. | .. | 2,64  | .. |
| 04—यात्रा भत्ता                      | .. | .. | 50    | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                      | .. | .. | 44    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                     | .. | .. | 60    | .. |
| 11—किराया, उपभूक्त और कर स्वामिस्व   | .. | .. | 1,58  | .. |
| 13—विज्ञापन, विक्री और विस्थापन व्यय | .. | .. | 30    | .. |
| 20—मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र  | .. | .. | 50    | .. |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति               | .. | .. | 1,43  | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                    | .. | .. | 66    | .. |
| 33—ग्रन्थ व्यय                       | .. | .. | 33    | .. |
| योग, 800                             | .. | .. | 12 63 | .. |

## 2406—बानिकी और वन्य जीवन—

## 02—पर्यावरण, बानिकी और वन्य जीवन—

## 112—सार्वजनिक उद्यान

## 01—उद्यान—

|         |       |         |         |
|---------|-------|---------|---------|
| ..      | 39,26 | ..      | 37,98   |
| ..      | 16,05 | ..      | 17,00   |
| ..      | 28,72 | ..      | 28,44   |
| ..      | 1,21  | ..      | 1,30    |
| ..      | 3,42  | ..      | 3,70    |
| ..      | 74    | ..      | 90      |
| ..      | 20    | ..      | 20      |
| ..      | 12    | ..      | 16      |
| ..      | 1     | ..      | 3       |
| ..      | 2     | ..      | 2       |
| ..      | ..    | ..      | ..      |
| ..      | 2,75  | ..      | 77      |
| ..      | 57    | ..      | 43      |
| ..      | 147   | ..      | 61      |
| ..      | 4,75  | ..      | 12;00   |
| ..      | 996   | ..      | 5,80    |
| 1,19,26 | ..    | 1,09,34 | ..      |
|         |       |         | 1;25 29 |

|                                     |    |    |       |
|-------------------------------------|----|----|-------|
| 01—बेतन                             | .. | .. | 44,60 |
| 02—मजदूरी                           | .. | .. | 17,00 |
| 03—महंगाई भत्ता                     | .. | .. | 35 70 |
| 04—यात्रा व्यय                      | .. | .. | 1;35  |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                     | .. | .. | 3,74  |
| 06—कार्यालय व्यय                    | .. | .. | 90    |
| 07—टेलीफोन पर भाय                   | .. | .. | 20    |
| 11—किराया, उपभूक्त और कर स्वामिस्व  | .. | .. | 16    |
| 12—प्रकाशन                          | .. | .. | 2     |
| 13—विज्ञापन विक्री और विस्थापन व्यय | .. | .. | 2     |
| 18—वृहत् निर्माण कार्य              | .. | .. | 10,00 |
| 19—वन्य निर्माण—काठ                 | .. | .. | 80    |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | .. | 45    |
| 23—प्रकरण                           | .. | .. | 70    |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति              | .. | .. | 15 00 |
| 32—अन्तरिम सहायता                   | .. | .. | 8 92  |
| 33—ग्रन्थ व्यय                      | .. | .. | 6,00  |

योग, 112

.. 1,45,56

अनुदान संख्या 11:1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बंधित विभाग (औद्योगिक विकास)

(हजार रुपयों में)

| वास्तविक मांक<br>1985-86 |          | आवश्यक अनुमान<br>1986-87 |          | पुन रीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| आयोजनागत                 | आयोजनेतर | आयोजनागत                 | आयोजनेतर | आयोजनागत                      | आयोजनेतर |
| ..                       | 2,65     | ..                       | 3,10     | ..                            | ..       |
| ..                       | 14       | ..                       | 10       | ..                            | ..       |
| ..                       | 1,70     | ..                       | 2,06     | ..                            | ..       |
| ..                       | 18       | ..                       | 20       | ..                            | ..       |
| ..                       | 28       | ..                       | 43       | ..                            | ..       |
| ..                       | 37       | ..                       | 30       | ..                            | ..       |
| ..                       | 50       | ..                       | 50       | ..                            | ..       |
| ..                       | 1        | ..                       | 2        | ..                            | ..       |
| ..                       | 19       | ..                       | 35       | ..                            | ..       |
| ..                       | ..       | ..                       | ..       | ..                            | ..       |
| ..                       | ..       | ..                       | ..       | ..                            | ..       |
| ..                       | 6,02     | ..                       | 7,06     | ..                            | 7,21     |

|    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| .. | 18,86 | .. | 19,00 |
| .. | 65    | .. | 95    |
| .. | 12,76 | .. | 13,00 |
| .. | 1,44  | .. | 1,45  |
| .. | 55    | .. | 65    |
| .. | 66    | .. | 81    |
| .. | 4     | .. | 5     |
| .. | 18    | .. | 20    |
| .. | ..    | .. | 1     |
| .. | ..    | .. | ..    |
| .. | 1,80  | .. | 1,00  |
| .. | 12    | .. | 20    |
| .. | 75    | .. | 30    |

शीर्षक

आवश्यक अनुमान  
1987-88

आयोजनागत आयोजनेतर

2415—कृषि अनुसन्धान और शिक्षा—

80—सामान्य—

004—अनुसन्धान—

01—फल संरक्षण एवं डिम्बा बन्दी संस्थान लखनऊ

में शोध कार्य को सुविधाओं का सुदृष्टीकरण—

|                                     |    |      |
|-------------------------------------|----|------|
| 01—बेतन                             | .. | 3,41 |
| 02—मजदूरी                           | .. | 10   |
| 03—महंगाई भत्ता                     | .. | 2,73 |
| 04—यात्रा व्यय                      | .. | 35   |
| 05—अन्य भत्ते                       | .. | 45   |
| 06—कार्यालय व्यय                    | .. | 30   |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | 4    |
| 23—अनुरक्षण                         | .. | 2    |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति              | .. | 35   |
| 32—अन्तरिम सहायता                   | .. | 68   |
| 43—अन्य व्यय                        | .. | ..   |

योग 01

8,79

02—मैंगनी फलों, सब्जियों तथा आम की विकृत  
बनावट व मसाला पर शोध करने की योजना—

|   |    |       |
|---|----|-------|
| 01—बेतन   | .. | 21,00 |
| 02—मजदूरी   | .. | 90    |
| 03—महंगाई भत्ता                                     | .. | 16,80 |
| 04—यात्रा व्यय                                      | .. | 1,50  |
| 05—अन्य भत्ते                                       | .. | 65    |
| 06—कार्यालय व्यय                                    | .. | 80    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                                  | .. | 5     |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं<br>पेट्रोल की खरीद | .. | 20    |
| 11—किराया, उपकरण और कर स्वामित्व                    | .. | 1     |
| 13—विज्ञापन, बिक्री और विख्यपिन व्यय                | .. | 2     |
| 19—रूग्ण निर्माण कार्य                              | .. | 5,00  |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र                | .. | 30    |
| 23—अनुरक्षण   | .. | 30    |

|    |       |       |      |       |
|----|-------|-------|------|-------|
| .. | 1,35  | ..    | 1,05 |       |
| .. | ..    | ..    | ..   |       |
| .. | 1,04  | ..    | 50   |       |
| .. | 40,20 | 39 17 | ..   | 42,22 |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 25--सामग्री और संपूर्ति .. .. | 1,00  |
| 32--अन्तरिम सहायता .. ..      | 4,20  |
| 33--अन्य व्यय .. ..           | 80    |
| योग, 02                       | 53,53 |

03--भारतीय कृषि शोध परिषद् की गृहायता से प्रखिल भारतीय फलों (ग्राम तथा प्रमखुद) की समन्वित शोध योजना--

|         |    |      |      |    |
|---------|----|------|------|----|
| 75      | .. | 80   | ..   |    |
| 12      | .. | 15   | ..   |    |
| 45      | .. | 46   | ..   |    |
| 15      | .. | 16   | ..   |    |
| 1       | .. | 2    | ..   |    |
| ..      | .. | 11   | ..   |    |
| ..      | .. | ..   | ..   |    |
| 1,00,09 | .. | 30   | ..   |    |
| 1,01,65 | .. | 2,00 | 1,84 | .. |

|                          |      |    |
|--------------------------|------|----|
| 01--वेतन .. ..           | 77   | .. |
| 02--मजदूरी .. ..         | 15   | .. |
| 03--महंगाई भत्ता .. ..   | 60   | .. |
| 04--यात्रा व्यय .. ..    | 15   | .. |
| 05--अन्य भत्ते .. ..     | 4    | .. |
| 06--कार्यालय व्यय .. ..  | 4    | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता .. .. | 15   | .. |
| 33--अन्य व्यय .. ..      | 10   | .. |
| योग, 03                  | 2,00 |    |

04--फल शोध योजना, चौदहिया--

|         |       |      |       |            |
|---------|-------|------|-------|------------|
| ..      | 12,83 | ..   | 13,95 |            |
| ..      | 81    | ..   | 72    |            |
| ..      | 8,70  | ..   | 9,60  |            |
| ..      | 63    | ..   | 60    |            |
| ..      | 1,62  | ..   | 1,70  |            |
| ..      | 86    | ..   | 85    |            |
| ..      | 7     | ..   | 8     |            |
| ..      | 20    | ..   | 20    |            |
| ..      | 4     | ..   | 8     |            |
| ..      | 45    | ..   | 35    |            |
| ..      | 65    | ..   | 20    |            |
| ..      | 40    | ..   | 30    |            |
| ..      | 4     | ..   | 2     |            |
| ..      | 79    | ..   | 60    |            |
| ..      | ..    | ..   | ..    |            |
| ..      | 26    | ..   | 30    |            |
| ..      | 28,35 | ..   | 29,45 | 31,52      |
| 1,01,65 | 74,57 | 2,00 | 75,68 | 1,84 80,95 |

|   |            |
|---|------------|
| 01--वेतन .. ..  | 15,23      |
| 02--मजदूरी .. ..  | 70         |
| 03--महंगाई भत्ता .. ..                                  | 12,18      |
| 04--यात्रा व्यय .. ..                                   | 65         |
| 05--अन्य भत्ते .. ..                                    | 1,70       |
| 06--कार्यालय व्यय .. ..                                 | 85         |
| 07--टेलीफोन पर व्यय .. ..                               | 8          |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद .. .. | 25         |
| 11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व .. ..              | 8          |
| 12--प्रकाशन .. ..                                       | 35         |
| 19--लघु निर्माण कार्य .. ..                             | 20         |
| 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. ..              | 30         |
| 23--अनुरक्षण .. ..                                      | 5          |
| 25--समिती और सम्पूति .. ..                              | 80         |
| 32--अन्तरिम सहायता .. ..                                | 3,05       |
| 33--अन्य व्यय .. ..                                     | 30         |
| योग, 04   | 36,77      |
| योग, 004  | 2,00 99,09 |

अनुदान संख्या 11; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विभाग (आद्यानिक विकास)

(हजारों पवों में)

| वार्षिक आवेड़<br>1985-86 | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरांकित अनुमान<br>1986-87 | गोर्षक   | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                 | आयोजनेतर                   | आयोजनागत                    | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
| ..                       | 60                         | ..                          | 59       | ..                         | 65       |
| ..                       | 1                          | ..                          | 3        | ..                         | 1        |
| ..                       | 39                         | ..                          | 38       | ..                         | 52       |
| ..                       | 16                         | ..                          | 20       | ..                         | 20       |
| ..                       | 8                          | ..                          | 8        | ..                         | 10       |
| ..                       | 14                         | ..                          | 20       | ..                         | 20       |
| ..                       | ..                         | ..                          | 2        | ..                         | 2        |
| ..                       | ..                         | ..                          | ..       | ..                         | 1,20     |
| ..                       | 12                         | ..                          | 10       | ..                         | 10       |
| ..                       | 6                          | ..                          | 6        | ..                         | 12       |
| ..                       | 1                          | ..                          | 2        | ..                         | 2        |
| ..                       | 3                          | ..                          | 5        | ..                         | 5        |
| ..                       | 1                          | ..                          | 7        | ..                         | 5        |
| ..                       | 1                          | ..                          | 2        | ..                         | 2        |
| ..                       | ..                         | ..                          | ..       | ..                         | 13       |
| ..                       | ..                         | ..                          | 2        | ..                         | 2        |
|                          |                            |                             | योग, 101 |                            |          |
|                          |                            |                             |          | 3,41                       |          |

2435 --अन्य कृषि कार्यक्रम--

01--विपणन और किस्म नियंत्रण--

101--विपणन सुविधायें--

01--विपणन तथा निर्यात प्रोन्नति की योजना--

|  |    |      |
|--|----|------|
| 01--वेतन ..  | .. | 65   |
| 02--मजदूरी ..  | .. | 1    |
| 03--महंगाई भत्ता                                     | .. | 52   |
| 04--यात्रा व्यय                                      | .. | 20   |
| 05--अन्य भत्ते                                       | .. | 10   |
| 06--कार्यालय व्यय                                    | .. | 20   |
| 07--टेलीफोन पर व्यय                                  | .. | 2    |
| 08--मोटर गाड़ियों का क्रय                            | .. | 1,20 |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा<br>पेट्रोल की खरीद | .. | 10   |
| 11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व                 | .. | 12   |
| 12--प्रकाशन ..                                       | .. | 2    |
| 13--विज्ञापन, विक्री एवं विक्रयपत्र व्यय             | .. | 5    |
| 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र                 | .. | 5    |
| 25--सामग्री और सम्पत्ति                              | .. | 2    |
| 32--अन्तरिम सहायता                                   | .. | 13   |
| 33--अन्य व्यय ..                                     | .. | 2    |

28

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

200--अन्य ग्रामोद्योग--

01--राज्य में मधुमक्खी पालन की योजना--

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 1,79 | 4,45 | 1,30 | 4,51 |
| 8    | 3    | 5    | 30   |
| 1,23 | 3,06 | 64   | 3,20 |
| 23   | 36   | 40   | 40   |
| 18   | 60   | 10   | 62   |

|                  |      |      |
|------------------|------|------|
| 01--वेतन ..      | 1,64 | 5,06 |
| 02--मजदूरी ..    | 5    | 15   |
| 03--महंगाई भत्ता | 1,10 | 4,02 |
| 04--यात्रा व्यय  | 10   | 40   |
| 05--अन्य भत्ते   | 10   | 62   |

|      |      |      |       |      |       |
|------|------|------|-------|------|-------|
| 13   | 24   | 10   | 20    |      |       |
| ..   | 3    | ..   | 5     |      |       |
| ..   | 12   | ..   | 15    |      |       |
| 6    | 6    | 5    | ..    |      |       |
| ..   | ..   | ..   | 2     |      |       |
| 7    | 20   | 5    | ..    |      |       |
| 3    | 20   | 1    | 16    |      |       |
| 15   | 40   | ..   | ..    |      |       |
| ..   | ..   | 10   | 1,00  |      |       |
| ..   | ..   | ..   | ..    |      |       |
| 8    | 15   | 20   | 20    |      |       |
| 4,03 | 9,90 | 3,00 | 10,75 | 5,87 | 11,27 |

|       |         |      |         |      |         |
|-------|---------|------|---------|------|---------|
| ..    | 1,36,05 | ..   | 1,49,80 | ..   | 1,49,80 |
| 26,56 | ..      | 9,14 | ..      | 9,14 | ..      |
| 26,56 | 1,36,05 | 9,14 | 1,49,80 | 9,14 | 1,49,80 |

|       |    |       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|-------|----|
| 33,84 | .. | 25,22 | .. | 31,34 | .. |
|-------|----|-------|----|-------|----|

|       |    |      |    |      |    |
|-------|----|------|----|------|----|
| 10,45 | .. | 3,92 | .. | 3,92 | .. |
|-------|----|------|----|------|----|

|      |    |      |    |      |    |
|------|----|------|----|------|----|
| 4,36 | .. | 3,90 | .. | 3,90 | .. |
|------|----|------|----|------|----|

|      |    |      |    |      |    |
|------|----|------|----|------|----|
| 4,81 | .. | 7,82 | .. | 7,82 | .. |
|------|----|------|----|------|----|

|                                     |    |      |       |
|-------------------------------------|----|------|-------|
| 06—कार्यालय व्यय                    | .. | 5    | 20    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                  | .. | ..   | 5     |
| 11—किराया, उपगृहक और कर स्वामित्व   | .. | ..   | 15    |
| 12—प्रकाशन                          | .. | 1    | ..    |
| 13—विज्ञापन विक्री और विज्ञापन व्यय | .. | ..   | 2     |
| 15—छात्रवृत्ति/छात्रवैतन            | .. | 5    | ..    |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र  | .. | 5    | 10    |
| 23—प्रनुरक्षण                       | .. | ..   | 2     |
| 25—साधनी और संपूर्ति                | .. | 10   | 80    |
| 32—अन्तरिम सहायता                   | .. | 35   | 1,01  |
| 33—अन्य व्यय                        | .. | 10   | 20    |
| योग, 200                            | .. | 3,70 | 12,80 |

पूजी लेखा—

4401—कृषि कार्य पर पूजी परिव्यय—

103—बीज

01—रोग रहित धान के बीज की लागत  
(प्रासंगिक व्यय सहित) —

33—अन्य व्यय .. 1,55,00

02—अप्रदेश में औद्योगिक उत्पादन के सुदुकीकरण तथा

बीज प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना (जिला योजना) —

18—बृहत् निर्माण कार्य .. 25,37

योग, 103 25,37 1,55,00

107—पौधा संरक्षण

01—वर्तमान उद्यानों एवं प्रदर्शनी पौधशालाओं का सुधार  
की योजना (जिला योजना) —

18—बृहत् निर्माण कार्य .. 34,73

108—बाणिज्यिक कसलें—

01—धानू विकास कार्यक्रम के सघनीकरण की  
योजना (जिला योजना) —

18—बृहत् निर्माण कार्य .. 3,87

02—धानू विकास कार्यक्रम के सघनीकरण की योजना—

18—बृहत् निर्माण कार्य .. 18,40

03—अप्रदेश में पानू विकास की योजना

(जिला योजना) —

18—बृहत् निर्माण कार्य .. 4,50

योग, 108 21,77



प्र. 11, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (शैक्षणिक विकास)

(हजार रुपये में)

| वित्तिक श्रेणी  | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीमित अनुमान<br>1986-87 | कीर्षक   | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|---|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| प्रायोजनागत   | आयोजनेतर                   | प्रायोजनागत                | आयोजनेतर | प्रायोजनागत                | आयोजनेतर |
| <b>4401—कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय—(समाप्त)—</b>   |                            |                            |          |                            |          |
| 109—विस्तार और प्रशिक्षण—   |                            |                            |          |                            |          |
| 01—बाघ विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना<br>(जिला योजना)—  |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | 50                         | ..       | ..                         | ..       |
| 18—बृहत् निर्माण कार्य  |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | 2,20                       | ..       |
| 119—बागवानी और सब्जी को फसल—  |                            |                            |          |                            |          |
| 01—नसंरी—   |                            |                            |          |                            |          |
| 0101—प्रदेश में अलकृत बागवानी के विकास<br>की योजना (जिला योजना)—  |                            |                            |          |                            |          |
| 1,17  | ..                         | 1,13                       | ..       | 1,74                       | ..       |
| 18—बृहत् निर्माण कार्य  |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | 11,95                      | ..       |
| 0102—प्रदेश में प्रमुख एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों<br>में औद्योगिक विकास की योजना—                               |                            |                            |          |                            |          |
| 2,57  | ..                         | 5,31                       | ..       | 7,91                       | ..       |
| 18—बृहत् निर्माण कार्य  |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | 3,18                       | ..       |
| 0103—उद्यान विभाग के सुवृद्धीकरण की योजना<br>के अन्तर्गत उद्यान भवन का निर्माण—                               |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | 35,00                      | ..       |
| 18—बृहत् निर्माण कार्य  |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | 14,00                      | ..       |
| 0104—राजकीय उद्यान (अल्फेड पार्क) इलाहाबाद<br>के परिवर्धन एवं रख रखाव की योजना—                               |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | 18,29                      | ..       |
| 18—बृहत् निर्माण कार्य  |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | ..                         | ..       |
| 0105—बागवानी क्षेत्र में शैक्षणिक उत्पादन एवं बीज<br>विधायन ईकाइयों की स्थापना (जिला योजना)—                  |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | ..                         | ..       |
| 18—बृहत् निर्माण कार्य  |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | 6,86                       | ..       |
| 0106—हरिजन बहुमुख्य क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास की योजना<br>के अन्तर्गत बिस्को केन्द्र एवं गोदाम का निर्माण— |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | ..                         | ..       |
| 18—बृहत् निर्माण कार्य  |                            |                            |          |                            |          |
| ..  | ..                         | ..                         | ..       | 80                         | ..       |
| 3,74  | ..                         | 6,44                       | ..       | 62,94                      | ..       |
|   |                            |                            |          | योग, 01                    | ..       |
|   |                            |                            |          | 36,79                      | ..       |

0201—घोष, कांटेदार तथा बाड़ लगाने के लिये बुड़े हुए लोहे और तरकारी तथा फलों के बीज की लागत, जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित कर लिया गया है—

.. 3,64,74 .. 1,94,75 .. 1,94,75

33—अन्य व्यय .. 1,94,75

0202—सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना (जिला योजना) ..

33—निर्माण कार्य .. 6,02

4,40 .. 3,26 .. 3,26 ..

4,40 3,64,74 3,26 1,94,75 3,26 1,94,75

योग, 02 .. 6,02 1,94,75

8,14 3,64,74 9,70 1,94,75 66,20 1,94,75

योग, 119 .. 42,81 1,94,75

6401—कृषि कार्य के लिये उधार—

190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार—

01—यू०पी०स्टेट हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड को उधार—

24—निवेश/ऋण .. ..

20,00 .. .. 47,98 ..

20,00 .. .. ..

40,00 .. .. 47,98 ..

02—उ० प्र० राज्य एग्रोनोमिगम को उधार—

24 निवेश/ऋण .. ..

योग, 6401 .. ..

टिप्पणी:—उपर्युक्त घनमानों में नीचे दी हुई वस्तुतयां सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें लेखे में व्यय में से घटा दिया गया है:—

4—घटाइये—पूजी लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां—

4401—कृषि कार्यों पर पूजी परिचय—

103—बीज .. 1,55,00

119—बगवानों और मसजो फसलें .. 1,94,75

.. 99,62 .. 1,49,80 .. 1,49,80

.. 2,51,84 .. 1,94,75 .. 1,94,75

.. 3,51,46 .. 3,44,55 .. 3,44,55

योग, वसूलियां .. 3,49,75



## अनुदान संख्या 12

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

1--उत्तमविकासी अनुदान जिसकी वित्तीय वर्ष 1987-88 में व्यय के लिये आवश्यकता है:--

|       | राजस्व               | पूंजी              | योग                  |
|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| मतदेय | 1,08,53,46,000 रुपये | 77,62,13,000 रुपये | 1,86,15,59,000 रुपये |
| भारित | 2,12,000 रुपये       | 50,000 रुपये       | 2,62,000 रुपये       |

2--अनुदान का गुणा गोषकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

|   | वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |                  | प्रायः-व्यय 6 अनुमान<br>1986-87 |                  | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |                  | प्रायः-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |                  |
|---|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|   | आयोजनागत                   | आयोजनेतर         | आयोजनागत                        | आयोजनेतर         | आयोजनागत                     | आयोजनेतर         | आयोजनागत                       | आयोजनेतर         |
| राजस्व लेखा--                             |                            |                  |                                 |                  |                              |                  |                                |                  |
| 2013--मंत्रि परिषद्                       | 9                          | ..               | 10                              | ..               | 10                           | ..               | 10                             | ..               |
| 2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें              | ..                         | ..               | 5                               | ..               | 6                            | ..               | 50                             | ..               |
| 2245--देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत | 24,60,59                   | ..               | ..                              | ..               | 9,54,89                      | ..               | ..                             | ..               |
| 2401--कृषि कार्य                          | मतदेय 14,15,77<br>भारित .. | 24,61,28<br>186  | 16,04,25<br>2,00                | 25,13,77<br>..   | 25,65,40<br>2,00             | 28,76,46<br>..   | 23,87,54<br>2,00               | 30,59,41<br>2,00 |
| 2402--भू-और जल संरक्षण                    | मतदेय 11,30,18<br>भारित .. | 2,73,01<br>12    | 12,48,86<br>..                  | 2,37,21<br>10    | 16,40,55<br>..               | 3,02,36<br>10    | 28,76,10<br>..                 | 3,43,20<br>10    |
| 2408--खाद्य, भंडारण और भंडारागारण         | ..                         | 1,05,19          | 80,00                           | ..               | 82,00                        | ..               | 1,01,08                        | ..               |
| 2415--कृषि अनुसन्धान और शिक्षा            | ..                         | 2,93,54          | 10,66,13                        | 4,29,00          | 12,05,12                     | 4,34,72          | 12,13,39                       | 4,67,00          |
| 2435--अन्य कृषि कार्यक्रम                 | मतदेय 1,16,29<br>भारित ..  | 1,06,94<br>..    | 1,56,64<br>..                   | 1,06,84<br>2     | 1,57,37<br>..                | 1,24,49<br>2     | 1,28,32<br>..                  | 1,47,10<br>2     |
| योग, राजस्व लेखा                          | मतदेय 30,60,97<br>भारित .. | 63,73,04<br>1,98 | 35,18,75<br>..                  | 41,13,09<br>2,12 | 43,80,04<br>..               | 54,71,75<br>2,12 | 59,60,04<br>..                 | 48,93,42<br>2,12 |

अनुदान सख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| पंजी लेखा—                                       | वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |             | अपेक्षित अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |             | अपेक्षित अनुमान<br>1987-88 |             |
|--|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|  | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर |
|  |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |
| 4401—कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय                 | 1,52,75                    | 41,83,45    | ..                         | 57,08,95    | 2,38,00                    | 95,74,95    | 2,28,77                    | 60,26,95    |
|  | ..                         | ..          | ..                         | 50          | ..                         | 50          | ..                         | 50          |
| 4408—खाद्य, भण्डारण और भंडागारण पर पूंजी परिव्यय | 32,70                      | ..          | ..                         | ..          | 47,21                      | ..          | 1,02,40                    | ..          |
| 4415—कृषि अनुसन्धान और शिक्षा पर पूंजी परिव्यय   | 3,80,40                    | ..          | 2,43,10                    | ..          | 6,23,10                    | ..          | 4,00                       | ..          |
| 5401—कृषि कार्य के लिये उधार                     | 3,00                       | 12,00,00    | ..                         | 12,00,01    | 1,59,25                    | 19,00,01    | ..                         | 14,00,01    |
| योग, पूंजी लेखा                                  | 5,68,85                    | 53,83,45    | 2,43,10                    | 69,08,96    | 10,67,56                   | 1,14,74,96  | 3,35,17                    | 74,26,96    |
|  | ..                         | ..          | ..                         | 50          | ..                         | 50          | ..                         | 50          |
| कुल धारा   | 36,29,82                   | 1,17,56,49  | 37,61,85                   | 1,10,22,05  | 59,47,60                   | 1,69,46,71  | 62,95,21                   | 1,23,20,38  |
|  | ..                         | 1,98        | ..                         | 2,62        | ..                         | 2,62        | ..                         | 2,62        |

3--विनियोग लेखे के लिये मुख्य, उप मुख्य, लघु तथा उप शीर्षक: --

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | शीर्षक  |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| ..                         | 9                          | ..                           | 10      |
| ..                         | ..                         | 5                            | ..      |
| ..                         | 66,13                      | ..                           | ..      |
| ..                         | 17,74,34                   | ..                           | ..      |
| ..                         | 6,20,12                    | ..                           | ..      |
| ..                         | 24,60,59                   | ..                           | ..      |
| ..                         | 1,73,32                    | ..                           | 1,75,97 |
| ..                         | 1,86                       | ..                           | 2,00    |
| 4,57,39                    | 2,74,59                    | 6,01,93                      | 2,85,40 |
| 2,53,80                    | 8,70,65                    | 2,27,95                      | 9,23,75 |
| 8,85                       | 1,62,53                    | 10,60                        | 1,55,29 |
| 51,96                      | 5,98,03                    | 95,60                        | 5,69,85 |
| 1,65,59                    | 1,08,67                    | 3,13,88                      | 1,09,13 |
|                            |                            |                              | 8,92,59 |
|                            |                            |                              | 2,61,77 |
|                            |                            |                              | 11,80   |
|                            |                            |                              | 96,57   |
|                            |                            |                              | 1,23,98 |
|                            |                            |                              | 3,09,21 |
|                            |                            |                              | 9,72,58 |
|                            |                            |                              | 1,76,33 |
|                            |                            |                              | 7,82,22 |

राजस्व लेखा—

2013—मन्त्रि परिषद्—

105—मन्त्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान .. .. 10

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—

105—विशेष जांच आयोग .. .. 50

2245—देवो विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत—

02—बाढ़, चक्रवात आदि—

111—मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये सहायता .. ..

112—किसानों को कृषि विशिष्टियों के लिये सहायता .. ..

113—किसानों को भूमि से रेत, गठ, खार निकालने के लिये सहायता .. ..

योग, 2245

2401—कृषि कार्य—

001 - निदेशन और प्रशासन (मतदेय) .. .. 2,35,87

(भारित) .. .. 2,00

102 - खाद्यान्नों की फसलें .. .. 9,48,58

103 - बीज .. .. 2,81,40

105 - खाद और उर्वरक .. .. 20,11

107 - पौधा संरक्षण .. .. 98,79

108 - वाणिज्यिक फसलें .. .. 2,40,99

अनुदान संख्या 12, 1987-88

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक व्यय 1985-86 |          | आय-व्यय अनुमान 1986-87 |          | पुनरीकृत अनुमान 1986-87 |          | शेषक | आय-व्यय अनुमान 1987-88 |          |
|----------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|----------|------|------------------------|----------|
| संगठनात्मक           | आयोजनेतर | आयोजनात्मक             | आयोजनेतर | आयोजनात्मक              | आयोजनेतर |      | आयोजनात्मक             | आयोजनेतर |
| 1,84,59              | 23,05    | 2,83,74                | 27,22    | 5,55,19                 | 29,85    |      |                        |          |
| 56,10                | 75,09    | 51,15                  | 76,77    | 67,78                   | 86,33    |      |                        |          |
| 11,47                | 1,75,35  | 14,70                  | 1,90,39  | 18,03                   | 1,94,22  |      |                        |          |
| 3,46                 | ..       | 4,70                   | ..       | 3,53                    | ..       |      |                        |          |
| 2,22,56              | ..       | ..                     | ..       | 4,72,24                 | ..       |      |                        |          |
| 14,15,77             | 24,61,28 | 16,04,25               | 25,13,77 | 25,65,40                | 28,76,46 |      |                        |          |
|                      | 1,86     |                        | 2,00     |                         | 2,00     |      |                        |          |
| ..                   | 21,98    | ..                     | 24,66    | ..                      | 25,76    |      |                        |          |
| ..                   | 12       | ..                     | 10       | ..                      | 10       |      |                        |          |
| 18,24                | 1,48,13  | 17,32                  | 1,60,83  | 17,42                   | 1,69,88  |      |                        |          |
| 11,07,35             | 80,87    | 12,23,54               | 73,23    | 11,61,97                | 76,58    |      |                        |          |
| 3,43                 | 27,03    | 6,00                   | 28,49    | 4,70                    | 30,14    |      |                        |          |
| ..                   | ..       | ..                     | ..       | 4,54,46                 | ..       |      |                        |          |
| 1,16                 | ..       | 2,00                   | ..       | 2,00                    | ..       |      |                        |          |
| 11,30,18             | 2,78,01  | 12,48,86               | 2,87,21  | 16,40,55                | 3,02,36  |      |                        |          |
| ..                   | 12       | ..                     | 10       | ..                      | 10       |      |                        |          |
| 1,05,19              | ..       | 80,00                  | ..       | 82,00                   | ..       |      |                        |          |

  

| 2401—कृषि कार्य—                  |    | योग, 2401 |          |
|-----------------------------------|----|-----------|----------|
| 109—विस्तार और प्रशिक्षण          | .. | 4,82,26   | 32,19    |
| 111—कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी | .. | 1,36,17   | 91,84    |
| 113—कृषि इंजीनियरी                | .. | 15,40     | 2,12,98  |
| 796—आदिम जाति क्षेत्र उपजाति      | .. | 3,84      | ..       |
| 800—अन्य व्यय                     | .. | 1,60,00   | ..       |
|                                   |    | 23,87,54  | 30,59,41 |
|                                   |    |           | 200      |

  

| 2402—भू और जल संरक्षण—                     |    | योग, 2402 |         |
|--|----|-----------|---------|
| 001—निदेशन और प्रशासन                      |    | 29,49     |         |
|  |    | 16,04     | 1,90,58 |
| 101—भू संरक्षण और परीक्षण                  | .. | 28,52,55  | 87,58   |
| 102—भूमि संरक्षण                           | .. | 5,50      | 35,55   |
| 109—विस्तार और प्रशिक्षण                   | .. | 1         | ..      |
| 203—भूमि को कृषि योग्य बनाना और उसका विकास | .. | 2,00      | ..      |
| 796—आदिम जाति क्षेत्र उपयोगिता             | .. | 28,76,10  | 3,43,20 |
|  |    | ..        | 10      |

  

| 2408—खाद्य, भण्डारण और भाण्डागारण—                      |    | योग, 2408 |    |
|---|----|-----------|----|
| 02—भण्डारण और भाण्डागारण—                               |    |           |    |
| 190—सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों को सहायता | .. | 1,01,08   | .. |

|         |          |         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| ..      | 54,35    | ..      | 57,01    | ..      | 64,89    |
| 5,04    | 21,20    | 4,00    | 18,38    | 9,72    | 21,68    |
| 2,88,50 | 9,90,58  | 4,25,00 | 11,29,73 | 4,25,00 | 11,26,82 |
| 2,93,54 | 10,66,13 | 4,29,00 | 12,05,12 | 4,34,72 | 12,13,39 |

|          |          |         |          |          |          |
|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 1,12,87  | 1,06,94  | 1,55,64 | 1,06,84  | 1,56,37  | 1,24,49  |
|          |          | ..      | 2        | ..       | 2        |
| 3,42     |          | 1,00    | ..       | 1,00     | ..       |
| 1,16,29  | 1,06,94  | 1,56,64 | 1,06,84  | 1,57,37  | 1,24,49  |
|          |          | ..      | 2        | ..       | 2        |
| 30,60,97 | 63,73,04 | 36,8,75 | 41,13,09 | 48,80,04 | 54,71,75 |
| ..       | 1,98     | ..      | 2,12     | ..       | 2,12     |

|         |          |    |          |         |          |
|---------|----------|----|----------|---------|----------|
| 1,47,79 | 12,48,04 | .. | 13,74,95 | 2,38,00 | 13,74,95 |
|         | 22,32,40 | .. | 34,28,00 | ..      | 64,28,00 |
|         | 6,99,61  | .. | 9,00,00  | ..      | 10,00,00 |
| 4,96    | ..       | .. | ..       | ..      | ..       |
| ..      | ..       | .. | ..       | ..      | 7,66,00  |
| ..      | 3,40     | .. | 6,00     | ..      | 6,00     |
| ..      | ..       | .. | 50       | ..      | 50       |
| 1,52,75 | 41,83,45 | .. | 57,08,95 | 2,38,00 | 95,74,95 |
|         |          | .. | 50       | ..      | 50       |

## 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा—

### 01—कृषि कार्य—

|                             |    |    |         |          |
|-----------------------------|----|----|---------|----------|
| 004—अनुसंधान                | .. | .. | ..      | 86,00    |
| 277—शिक्षा                  | .. | .. | 7,00    | 23,63    |
| 80—सामान्य—                 |    |    |         |          |
| 120—अन्य संस्थाओं को सहायता |    |    | 4,60,00 | 12,39,48 |
| योग, 2415                   | .. | .. | 4,67,00 | 13,48,11 |

## 2435—अन्य कृषि कार्यक्रम—

### 01—विपणन और किस्म नियंत्रण—

|   |         |         |          |          |         |
|---|---------|---------|----------|----------|---------|
| 101—विपणन सुविधायें                                       | ..      | { मतदेय | ..       | 1,10,91  | 1,47,10 |
|   | ..      | { भारित | ..       | ..       | 2       |
| 190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता | ..      | ..      | 12,41    | ..       | ..      |
| 796—आदिम जाति हेतु उपयोजना                                | ..      | ..      | 5,00     | ..       | ..      |
| योग, 2435   | { मतदेय | ..      | 1,28,32  | 1,47,10  |         |
|   | { भारित | ..      | ..       | 2        |         |
| योग, राजस्व लेखा  | { मतदेय | ..      | 59,60,04 | 48,93,42 |         |
|   | { भारित | ..      | ..       | 2,12     |         |

## पूँजी लेखा—

### 440i—कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय—

|  |         |         |          |          |
|--|---------|---------|----------|----------|
| 103—बीज  | ..      | ..      | 2,27,27  | 13,95,45 |
| 105—खाद और उर्वरक  | ..      | ..      | 1,50     | 34,28,00 |
| 107—पौधा संरक्षण   | ..      | ..      | ..       | 12,00,00 |
| 113—कृषि इंजीनियरी   | ..      | ..      | ..       | ..       |
| 190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | ..      | ..      | ..       | ..       |
| 800—अन्य व्यय  | { मतदेय | ..      | ..       | 3,50     |
|  | { भारित | ..      | ..       | 50       |
| योग, 440i  | { मतदेय | 2,28,77 | 60,26,95 |          |
|  | { भारित | ..      | 50       |          |



अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| सांख्यिक प्रांशुड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | दुन रोक्षित अनुमान<br>1986-87 |            | शीर्षक  | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|--------------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------------------|------------|---|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                       | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                      | आयोजनेतर   |   | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
| 32,70                          | ..       | ..                         | ..       | 47,21                         | ..         | <u>4408—जाच, भण्डारण और भण्डागारण पर</u>              |                            |          |
| 32,70                          | ..       | ..                         | ..       | 47,21                         | ..         | पूजा पारव्यय—   |                            |          |
|                                |          |                            |          |                               |            | 02—भण्डारण और भण्डागारण—                              |                            |          |
|                                |          |                            |          |                               |            | 800—अन्य व्यय   | 1,02,40                    | ..       |
|                                |          |                            |          |                               |            |   | 1,02,40                    | ..       |
|                                |          |                            |          |                               |            | <u>4415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर</u>                |                            |          |
|                                |          |                            |          |                               |            | पूजा पारव्यय  |                            |          |
|                                |          |                            |          |                               |            | 01—कृषि काय—  |                            |          |
| 3,80,40                        | ..       | 2,43,10                    | ..       | 6,23,10                       | ..         | 800—अन्य व्यय   | 4,00                       | ..       |
| 3,80,40                        | ..       | 2,43,10                    | ..       | 6,23,10                       | ..         | योग, 4415   | 4,00                       | ..       |
|                                |          |                            |          |                               |            | <u>6401—कृषि कार्य के लिये सुधार—</u>                 |                            |          |
| ..                             | ..       | ..                         | 1        | ..                            | 1          | 105—खाद और उर्वरक                                     | ..                         | 1        |
| 300                            | ..       | ..                         | ..       | ..                            | ..         | 113—कृषि इंजीनियरी                                    | ..                         | ..       |
| ..                             | 12,00,00 | ..                         | 12,00,00 | 1,59,25                       | 19,00,00   | 190—सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों को उधार | ..                         | 14,00,00 |
| 300                            | 12,00,00 | ..                         | 12,00,01 | 1,59,25                       | 19,00,01   | योग, 6401   | ..                         | 14,00,01 |
| 5,68,85                        | 53,83,45 | 2,43,10                    | 69,08,96 | 10,67,56                      | 1,14,74,96 | योग, पूर्जा लेखा                                      | 3,35,17                    | 74,26,96 |
| ..                             | ..       | ..                         | 50       | ..                            | 50         | मतदेय   | ..                         | ..       |
|                                |          |                            |          |                               |            | परिशि   | ..                         | 50       |

भाग 4--टिप्पणी--जर्जर्जल अनुमानों में नीचे दी गई बसूलियां सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें लेख में व्यय के द्वारा दिया गया है:--

4401--कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय--

|          |    |          |    |          |
|----------|----|----------|----|----------|
| 12,66,31 | .. | 10,08,50 | .. | 12,10,40 |
| 31,01,10 | .. | 34,28,00 | .. | 64,28,00 |
| 6,99,99  | .. | 9,00,00  | .. | 9,00,00  |
| 1,68,49  | .. | 4,00     | .. | 3,16     |
| 52,35,89 | .. | 53,40,50 | .. | 85,41,56 |

|                    |    |    |    |          |
|--------------------|----|----|----|----------|
| 103--बीज           | .. | .. | .. | 12,62,50 |
| 105- खाद और उर्वरक | .. | .. | .. | 34,28,00 |
| 107 पौधा संरक्षण   | .. | .. | .. | 12,00,00 |
| 800 --अन्य व्यय    | .. | .. | .. | 3,66     |
| योग, बसूलियां      |    |    |    | 58,94,16 |

उपरोक्त का सविस्तार विवरण पृष्ठ 40 से 101 पेज नम्बर छपे तक देखिय ।

अनुसूची संख्या 12; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक अंक<br>1985-86                                       | भाष-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीकित अनुमान<br>1986-87 | शीर्षक                         | भाष-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |         |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| प्रायोजनागत प्रायोजनेतर                                      | प्रायोजनागत प्रायोजनेतर     | प्रायोजनागत प्रायोजनेतर    |                                | प्रायोजनागत प्रायोजनेतर     |         |
| ..   | 9                           | ..                         | 10                             | ..                          | 10      |
| ..   | ..                          | ..                         | 5                              | ..                          | 6       |
| ..   | 66,13                       | ..                         | ..                             | ..                          | ..      |
| ..   | 17,74,34                    | ..                         | ..                             | ..                          | 9,54,89 |
| ..   | 8,20,12                     | ..                         | ..                             | ..                          | ..      |
| <b>राजस्व लेखा—</b>  |                             |                            |                                |                             |         |
| <b>2013—मंत्रि परिषद्—</b>                                   |                             |                            |                                |                             |         |
| 105--बीबियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान—                        |                             |                            |                                |                             |         |
| 01—कृषि मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान                       |                             |                            |                                |                             |         |
| ..   | 14                          | ..                         | सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 10                          |         |
| <b>2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—</b>                          |                             |                            |                                |                             |         |
| 105--विशेष जांच प्रायोग—                                     |                             |                            |                                |                             |         |
| 01—राज्य प्रायोग और समितियां—                                |                             |                            |                                |                             |         |
| ..   | 33                          | ..                         | अन्य व्यय                      | 50                          |         |
| <b>2245—देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत—</b>             |                             |                            |                                |                             |         |
| 02—बाढ़, चक्रवात आदि—  |                             |                            |                                |                             |         |
| 111—मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये सहायता—         |                             |                            |                                |                             |         |
| 01—कृषि विभागों के उर्वरक बीज गोदामों व भवनों की मरम्मत—     |                             |                            |                                |                             |         |
| ..   | 14                          | ..                         | सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | ..                          |         |
| 112—किसानों को कृषि निर्विष्टियों के लिये सहायता—            |                             |                            |                                |                             |         |
| 01—बाढ़ प्रस्त क्षेत्रों में कृषि निवेशों के क्रय पर अनुदान— |                             |                            |                                |                             |         |
| ..   | 14                          | ..                         | सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | ..                          |         |
| 113—किसानों को भूमि से रेत, गड़, खार निकालने के लिये सहायता— |                             |                            |                                |                             |         |
| 01—लघु सीमान्त कृषकों को अनुदान—                             |                             |                            |                                |                             |         |
| ..   | 14                          | ..                         | सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | ..                          |         |



अनुमान वर्ष 12, 1987-88  
कृषि तथा ग्राम्य सुव्यवस्था विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वित्तवर्ष 1935-36 |       | आय-व्यय अनुमान 1986-87 |       | अनुमानित अनुमान 1986-87 |       | श्रीरंक | आय-व्यय अनुमान 1987-88 |    |
|-------------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|-------|---------|------------------------|----|
| प्रयोग            | आय    | प्रयोग                 | आय    | प्रयोग                  | आय    |         | प्रयोग                 | आय |
| 29,99             | 17,31 | 27,26                  | 19,08 | 27,26                   | 19,08 |         |                        |    |
| 5,90              | 2,08  | 6,90                   | 1,65  | 6,90                    | 1,65  |         |                        |    |
| 432               | 8     | 4,32                   | 6     | 4,32                    | 6     |         |                        |    |
| 8                 | 400   | 8                      | 8,00  | 8                       | 8,00  |         |                        |    |
| 27                | 37    | 27                     | 27    | 27                      | 27    |         |                        |    |
| 37                | 21    | 37                     | 75    | 37                      | 75    |         |                        |    |
| 21                | 84,53 | 21                     | 82,18 | 21                      | 82,18 |         |                        |    |

2401—कृषि कार्य—

निदेशन और प्रशासन—(समाप्त) --

03—मिना संयोजन—

|  |       |
|--|-------|
| 01—वेतन  | 28,00 |
| 03—महागाई भत्ता                                | 21,37 |
| 04—वाता व्यय                                   | 6,59  |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                                | 1,34  |
| 06—कार्यालय व्यय                               | 5,20  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                             | 6     |
| 09—मीटर गाड़ियों का अनुरोध तथा पेट्रोल की खरीद | 3,80  |
| 11—किराया, उपभुक्त और हर स्वामित्व             | 27    |
| 17—गृह सेवा व्यय                               | ..    |
| 32—प्रशिक्षण सहायता                            | 5,50  |
| 33—ग्रन्थ व्यय                                 | 75    |

योग, 03 .. .. 72,79

04—ग्रामायोग कार्यालय की स्थापना—

|                    |      |
|--------------------|------|
| 01—वेतन            | 2,47 |
| 03—महागाई भत्ता    | 1,75 |
| 04—वाता व्यय       | 50   |
| 05—ग्रन्थ भत्ते    | ..   |
| 06—कार्यालय व्यय   | 52   |
| 07—टेलीफोन पर व्यय | 12   |

|      |      |
|------|------|
| 2,61 | 2,05 |
| 1,72 | 1,44 |
| 39   | 40   |
| 21   | 30   |
| 32   | 50   |
| 6    | 12   |

|    |      |    |      |      |
|----|------|----|------|------|
| .. | ..   | .. | 15   |      |
| .. | ..   | .. | ..   |      |
| .. | 5    | .. | 25   |      |
| .. | 5,72 | .. | 5,58 | 6,11 |

|    |    |    |      |      |
|----|----|----|------|------|
| .. | 24 | .. | 42   |      |
| .. | 14 | .. | 25   |      |
| .. | 6  | .. | 10   |      |
| .. | 3  | .. | 5    |      |
| .. | 18 | .. | 20   |      |
| .. | .. | .. | ..   |      |
| .. | 19 | .. | 10   |      |
| .. | 84 | .. | 1,12 | 1,14 |

|    |         |    |         |         |
|----|---------|----|---------|---------|
| .. | ..      | .. | ..      | ..      |
| .. | ..      | .. | ..      | ..      |
| .. | ..      | .. | ..      | ..      |
| .. | ..      | .. | ..      | ..      |
| .. | ..      | .. | ..      | ..      |
| .. | ..      | .. | ..      | ..      |
| .. | ..      | .. | ..      | ..      |
| .. | 1,73,32 | .. | 1,75,97 | 2,01,74 |
| .. | 1,86    | .. | 2,00    | 2,00    |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 22                | 22   |
| 28—अनुरक्षण       | 15   |
| 32—अन्तरिम सहायता | 50   |
| 33—अन्य व्यय      | 26   |
| योग; 04           | 6,99 |

05—राष्ट्रीय कृषि छात्रों की संस्कृतियों के सम्बन्ध में  
कृषि विदेशालय से नानोटेरिप सेम की स्थापना—

|                   |    |      |
|-------------------|----|------|
| 01—वेतन           | .. | 47   |
| 03—अनुवाह्य भत्ता | .. | 30   |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | 10   |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | 5    |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | 21   |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | 8    |
| 33—अन्य व्यय      | .. | 10   |
| योग, 05           | .. | 1,31 |

06—सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन देयों के भुगतान हेतु  
पेंशन कोषक का गठन—

|                   |    |      |
|-------------------|----|------|
| 01—वेतन           | .. | 50   |
| 03—अनुवाह्य भत्ता | .. | 40   |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | 10   |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | 15   |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | 1,00 |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | 7    |
| 33—अन्य व्यय      | .. | 10   |
| योग; 06           | .. | 2,32 |

|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| योग, 001 | भारत  | 2,35,87 |
|          | भारित | 2,00    |

अनुदान संख्या 12; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हज़ार ₹ 0 में)

| वास्तविक प्रांकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |            |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------------------|------------|
| आयोजनागत                      | आयोजनेतर | आयोजनागत                  | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर | आयोजनागत                  | आयोजनेतर   |
| ..                            | 96,53    | ..                        | 1,01,88  | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 69,43    | ..                        | 71,32    | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 5,28     | ..                        | 4,00     | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 1,87     | ..                        | 1,75     | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 3,02     | ..                        | 3,20     | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 33       | ..                        | 45       | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 2,00     | ..                        | ..       | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 8        | ..                        | 50       | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 1,12     | ..                        | 1,46     | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 60       | ..                        | 60       | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 45       | ..                        | 40       | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 43       | ..                        | 35       | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | ..       | ..                        | ..       | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 65       | ..                        | 1,00     | ..                           | ..       | ..                        | ..         |
| ..                            | 1,81,79  | ..                        | 1,86,91  | ..                           | 2,06,19  | योग; 01                   | .. 2,81,22 |

2401--कृषि कार्य --

102--खाद्यान्नों की फसलें--

01--गेहूं तथा घान की सघन खेती--

|   |    |    |         |
|---|----|----|---------|
| 01--बेतन  | .. | .. | 1,07,00 |
| 03--महंगाई भत्ता                                | .. | .. | 85,60   |
| 04--यात्रा व्यय                                 | .. | .. | 5,50    |
| 04--अन्य भत्ते                                  | .. | .. | 2,02    |
| 06--कार्यालय व्यय                               | .. | .. | 3,70    |
| 07--टेलीफोन पर व्यय                             | .. | .. | 45      |
| 08--मोटर वाहनों का क्रय                         | .. | .. | ..      |
| 09--मोटर वाहनों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 1,20    |
| 11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व             | .. | .. | 1,40    |
| 19--लघु निर्माण कार्य                           | .. | .. | 80      |
| 23--अनुरक्षण                                    | .. | .. | 55      |
| 25--सावधानी और सम्पत्ति                         | .. | .. | 60      |
| 32--अन्तरिम सहायता                              | .. | .. | 21,40   |
| 83--अन्य व्यय                                   | .. | .. | 1,00    |

02--राज्य के पूर्वी जिलों में कृषि उत्पादन कार्यक्रम की तीव्रतर करने की योजना--

|                  |       |    |       |
|------------------|-------|----|-------|
| 01--बेतन         | ..    | .. | 18,00 |
| 03--महंगाई भत्ता | ..    | .. | 15,00 |
| 04--यात्रा व्यय  | ..    | .. | 2,20  |
| 05--अन्य भत्ते   | ..    | .. | 34    |
| ..               | 16,73 | .. | 17,03 |
| ..               | 11,90 | .. | 11,82 |
| ..               | 1,91  | .. | 1,50  |
| ..               | ..    | .. | 28    |

|    |       |    |       |          |
|----|-------|----|-------|----------|
| .. | 1,37  | .. | 1;40  |          |
| .. | 14    | .. | 12    |          |
| .. | 1,19  | .. | ..    |          |
| .. | 49    | .. | 1,10  |          |
| .. | 71    | .. | 15    |          |
| .. | ..    | .. | 80    |          |
| .. | 12    | .. | 15    |          |
| .. | ..    | .. | 25    |          |
| .. | ..    | .. | ..    |          |
| .. | 22    | .. | 30    |          |
| .. | 35,06 | .. | 35;00 | .. 89,76 |

|    |       |    |       |          |
|----|-------|----|-------|----------|
| .. | 28,08 | .. | 30,25 |          |
| .. | 70    | .. | 80    |          |
| .. | 18,10 | .. | 21;18 |          |
| .. | 1,81  | .. | 2,00  |          |
| .. | 83    | .. | 1,01  |          |
| .. | 90    | .. | 90    |          |
| .. | 7     | .. | 8     |          |
| .. | 1,21  | .. | 1;40  |          |
| .. | 7     | .. | 7     |          |
| .. | 5     | .. | 5     |          |
| .. | 55    | .. | 55    |          |
| .. | 45    | .. | 45    |          |
| .. | 55    | .. | ..    |          |
| .. | 4,25  | .. | 4,25  |          |
| .. | ..    | .. | ..    |          |
| .. | 12    | .. | 50    |          |
| .. | 57,74 | .. | 63;49 | .. 64;27 |

5;98 .. 6;41 .. 16;00 ..

|   |    |    |       |
|---|----|----|-------|
| 06—कार्यालय व्यय                                      | .. | .. | 1;60  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                                    | .. | .. | 15    |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय                              | .. | .. | 2,00  |
| 09—मोटर गाड़ियों का<br>प्रभुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 1,25  |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व                    | .. | .. | 20    |
| 19—लघु निर्माण-कार्य                                  | .. | .. | 90    |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और सर्वत्र                   | .. | .. | 20    |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति                                | .. | .. | 80    |
| 32—अन्तरिम सहायता                                     | .. | .. | 3,60  |
| 33—अन्य व्यय  | .. | .. | 35    |
| योग; 02   | .. | .. | 46,09 |

03—बलियाड़ जिले में सचनीकृत जिला कार्यक्रम

की योजना—

|  |    |    |       |
|--|----|----|-------|
| 01—बेचन  | .. | .. | 30,50 |
| 02—मजदूरी  | .. | .. | 1,00  |
| 08—महंगाई भत्ता                                    | .. | .. | 23,00 |
| 04—यात्रा व्यय                                     | .. | .. | 2,10  |
| 05—अन्य भत्ते                                      | .. | .. | 85    |
| 06—कार्यालय व्यय                                   | .. | .. | 1,00  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                                 | .. | .. | 8     |
| 09—मोटर गाड़ियों का प्रभुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 1,42  |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व                 | .. | .. | 10    |
| 13—विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय               | .. | .. | 7     |
| 19—लघु निर्माण-कार्य                               | .. | .. | 57    |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और सर्वत्र                | .. | .. | 50    |
| 23—प्रभुरक्षण                                      | .. | .. | 40    |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति                             | .. | .. | 4,70  |
| 32—अन्तरिम सहायता                                  | .. | .. | 6,00  |
| 33—अन्य व्यय                                       | .. | .. | 20    |
| योग; 03  | .. | .. | 72,49 |

04—केंद्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजना—

0401—प्रभुम्बित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लाब—  
दलहन की फसलों के उत्पादन की योजना—

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 17,00 | .. |
|-----------------------------------|-------|----|



अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हजार पवों में)

| वार्षिक व्यय<br>1986-86 |             | प्राथम्यिक अनुदान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुदान<br>1986-87 |             | शीर्षक  | प्राथम्यिक अनुदान<br>1987-88 |             |
|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|
| प्रायोज्यगत             | प्रायोजनेतर | प्रायोज्यगत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोज्यगत                  | प्रायोजनेतर |   | प्रायोज्यगत                  | प्रायोजनेतर |
| 1,81                    | ..          | 2,00                         | ..          | ..                           | ..          | <b>2401—कृषि कार्य—</b>   |                              |             |
|                         |             |                              |             |                              |             | 102—खाद्यान्नों की फसलें— (कमलः)  |                              |             |
|                         |             |                              |             |                              |             | 0402—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—<br>धान की सामुदायिक पोषणालायें स्थापित करने<br>की योजना—     |                              |             |
|                         |             |                              |             |                              |             | 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | ..                           | ..          |
|                         |             |                              |             |                              |             | 0403—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—<br>उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादन बढ़ाने की योजना—            |                              |             |
| 19,81                   | ..          | 40,00                        | ..          | 40,00                        | ..          | 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | 40,00                        | ..          |
|                         |             |                              |             |                              |             | 0404—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—<br>मोटे धान के निरीकृत वितरण एवं प्रदर्शन कराने<br>की योजना— |                              |             |
| 61                      | ..          | 80                           | ..          | 3,01                         | ..          | 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | 4,89                         | ..          |
|                         |             |                              |             |                              |             | 0406—धान की सामुदायिक पोषणालायें स्थापित<br>करने की केन्द्रीय प्रायोजनागत योजना—                                    |                              |             |
| 22,59                   | ..          | 30,00                        | ..          | ..                           | ..          | 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | ..                           | ..          |
|                         |             |                              |             |                              |             | 0408—दलहन की फसलों के उत्पादन की योजना—   |                              |             |
| 19,35                   | ..          | 11,02                        | ..          |                              |             | 01—वेतन   | ..                           | 10,86       |
| 6,92                    | ..          | 6,00                         | ..          |                              |             | 03—सहायक भत्ता  | ..                           | 6,00        |



अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक पाठ 1985-86 |         | आवश्यक अनुदान 1986-87 |         | पुनर्पोषित अनुदान 1986-87 |         | शेष | आवश्यक अनुदान 1987-88 |         |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------|---------|-----|-----------------------|---------|
| आवश्यक              | अवशेष   | आवश्यक                | अवशेष   | आवश्यक                    | अवशेष   |     | आवश्यक                | अवशेष   |
| 4,57,39             | 2,74,59 | 6,01,93               | 2,85,40 | 8,92,59                   | 3,09,21 |     | 9,48,58               | 3,49,80 |
| ..                  | 2,01,97 | ..                    | 2,19,00 | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 38,16   | ..                    | 45,95   | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 1,45,23 | ..                    | 1,45,00 | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 21,99   | ..                    | 26,00   | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 6,48    | ..                    | 7,40    | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 5,68    | ..                    | 5,20    | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 1,04    | ..                    | 70      | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 3,37    | ..                    | 3,00    | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 8,34    | ..                    | 7,50    | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 223     | ..                    | 3,00    | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | ..      | ..                    | 20      | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 3,64    | ..                    | 8,00    | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 11,99   | ..                    | 20,00   | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 73 51   | ..                    | 80,00   | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | ..      | ..                    | ..      | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | (-)47   | ..                    | 1,00    | ..                        | ..      |     | ..                    | ..      |
| ..                  | 5,21,16 | ..                    | 5,71,95 | ..                        | 5,89,96 |     | 6,27,92               | ..      |

2401—कृषि कार्य—

102—खाद्यान्नों की फसले—(समाप्त)

0409—मोटे घनाचों, मिनीकट वितरण एवं प्रदर्शन कराने की योजना—

14—सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता 8,10 ..

योग, 102 .. 9,48,58 3,49,80

103—बीज—

01—उत्तर प्रदेश में उन्नत बीजों को उत्पादन,

संग्रह तथा वितरण की योजना—

|  |    |    |         |
|--|----|----|---------|
| 01—वेतन  | .. | .. | 2,25,00 |
| 02—मजदूरी  | .. | .. | 46,50   |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | 1,55,00 |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | 26,50   |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                                  | .. | .. | 7,75    |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | 5,70    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | 1,00    |
| 08—मोटर गाड़ियों का व्यय                         | .. | .. | ..      |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 8,00    |
| 11—किराया, उन्नतगुलक और कर स्वामित्व             | .. | .. | 3,25    |
| 19—तबू निर्माण कार्य                             | .. | .. | 22      |
| 20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र            | .. | .. | 8,00    |
| 23—अनुरक्षण                                      | .. | .. | 20,00   |
| 25—सामग्री और संपूर्ति                           | .. | .. | 80,00   |
| 32—प्रत्तरिम सहायता                              | .. | .. | 40,00   |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | 1,00    |

योग, 01 .. 6,27,92

|    |         |    |         |    |         |
|----|---------|----|---------|----|---------|
| •  | 78,42   | •• | 69,50   |    |         |
| •• | 53,65   | •• | 48,65   |    |         |
| •  | 6,35    | •• | 7,09    |    |         |
| •• | 2,76    | •• | 3,00    |    |         |
| •• | 1,02    | •• | 1,00    |    |         |
| •• | 20      | •• | 20      |    |         |
| •• | ••      | •• | 45      |    |         |
| •• | ••      | •• | ••      |    |         |
| •• | 97      | •• | 1,00    |    |         |
| •• | 1,38,37 | •• | 1,30,80 | •• | 1,46,02 |

|    |       |    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|----|-------|
| •  | 9,72  | •• | 11,00 |    |       |
| •• | 7,13  | •• | 7,70  |    |       |
| •• | 45    | •• | 55    |    |       |
| •• | 30    | •• | 45    |    |       |
| •• | 13    | •• | 20    |    |       |
| •• | ••    | •• | 5     |    |       |
| •• | ••    | •• | ••    |    |       |
| •• | 13    | •• | 40    |    |       |
| •• | 17,86 | •• | 20,35 | •• | 20,97 |

|       |    |       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|-------|----|
| 4,10  | •• | 4,80  | •• |       |    |
| 44    | •• | 40    | •• |       |    |
| 3,00  | •• | 2,98  | •• |       |    |
| 67    | •• | 90    | •• |       |    |
| 20    | •• | 30    | •• |       |    |
| 83    | •• | 1,00  | •• |       |    |
| 7,65  | •• | 6,00  | •• |       |    |
| 5,79  | •• | 5,50  | •• |       |    |
| 8,21  | •• | 8,00  | •• |       |    |
| ••    | •• | ••    | •• |       |    |
| 9     | •• | 19    | •• |       |    |
| 30,98 | •• | 30,07 | •• | 31,77 | •• |

02—प्राथमिक बीज भण्डारों की स्थापना—

|  |    |    |    |         |
|--|----|----|----|---------|
| 01—वेतव  | •• | •• | •• | 75,50   |
| 03—महुंगाई भत्ता                                 | •• | •• | •• | 55,75   |
| 04—यात्रा व्यय                                   | •• | •• | •• | 7,20    |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                                  | •• | •• | •• | 3,60    |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | •• | •• | •• | 1,10    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | •• | •• | •• | 25      |
| 23—अनुरक्षण                                      | •• | •• | •• | 50      |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | •• | •• | •• | 15,00   |
| 33—अन्य व्यय                                     | •• | •• | •• | 1,00    |
| ••   | •• | •• | •• | 1,59,80 |

03—प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज

वृद्धम प्रक्षेत्र—

|                                       |    |    |    |       |
|---------------------------------------|----|----|----|-------|
| 01—वेतव                               | •• | •• | •• | 12,10 |
| 03—महुंगाई भत्ता                      | •• | •• | •• | 8,25  |
| 04—यात्रा व्यय                        | •• | •• | •• | 60    |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                       | •• | •• | •• | 50    |
| 06—कार्यालय व्यय                      | •• | •• | •• | 25    |
| 20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र | •• | •• | •• | 7     |
| 32—अन्तरिम सहायता                     | •• | •• | •• | 2,50  |
| 33—अन्य व्यय                          | •• | •• | •• | 45    |
| योग 03,                               | •• | •• | •• | 24,72 |

04—प्रदेश के मंडाली भागों में बीज  
विभाजन संयंत्रों की स्थापना  
की योजना—(जिला योजना)

|                                       |    |    |    |      |    |
|---------------------------------------|----|----|----|------|----|
| 01—वेतव                               | •• | •• | •• | 5,00 | •• |
| 02—सज्जपुरी                           | •• | •• | •• | 45   | •• |
| 03—महुंगाई भत्ता                      | •• | •• | •• | 4,00 | •• |
| 04—यात्रा व्यय                        | •• | •• | •• | 98   | •• |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                       | •• | •• | •• | 40   | •• |
| 06—कार्यालय व्यय                      | •• | •• | •• | 95   | •• |
| 20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र | •• | •• | •• | 6,50 | •• |
| 23—अनुरक्षण                           | •• | •• | •• | 5,00 | •• |
| 25—सामग्री और संपूर्ति                | •• | •• | •• | 6,70 | •• |
| 32—अन्तरिम सहायता                     | •• | •• | •• | 1,00 | •• |
| 33—अन्य व्यय                          | •• | •• | •• | 20   | •• |

योग; 04 •• 31,13 ••





अनुदान संख्या 12; 1987-88  
कृषि तथा ग्राम्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक व्यय<br>1985-86 |                 | प्रायोजनगत व्यय<br>1986-87 |                 | पुनरीकृत अनुदान<br>1986-87 |                 | शीर्षक   | प्रायोजनगत व्यय<br>1987-88 |                 |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------|
| वास्तविक व्यय            | प्रायोजनगत व्यय | प्रायोजनगत व्यय            | प्रायोजनगत व्यय | प्रायोजनगत व्यय            | प्रायोजनगत व्यय |  | प्रायोजनगत व्यय            | प्रायोजनगत व्यय |
| 2,36                     | ..              | 2,47                       | ..              |                            |                 | 2401—कृषि कार्य—                               |                            |                 |
| 1,54                     | ..              | 1,35                       | ..              |                            |                 | 105--खाद और ज्वरक-- (समाप्त)                   |                            |                 |
| 25                       | ..              | 26                         | ..              |                            |                 | 02--ज्वरक एवं कीट नाशक गुणनिपंत्रण             |                            |                 |
| 31                       | ..              | 57                         | ..              |                            |                 | प्रयोगशालाओं की स्थापना--                      |                            |                 |
| 1,20                     | ..              | 1,20                       | ..              |                            |                 | 01--वेतन .. .. .                               | 3,68                       | ..              |
| 1                        | ..              | 5                          | ..              |                            |                 | 03--महंगाई भत्ता .. .. .                       | 2,94                       | ..              |
| 31                       | ..              | 25                         | ..              |                            |                 | 04--यात्रा व्यय .. .. .                        | 36                         | ..              |
| 90                       | ..              | ..                         | ..              |                            |                 | 05--ग्रन्थ भत्ते .. .. .                       | 53                         | ..              |
| ..                       | ..              | ..                         | ..              |                            |                 | 06--कार्यालय व्यय .. .. .                      | 1,90                       | ..              |
| 90                       | ..              | 90                         | ..              |                            |                 | 07--टेलीफोन पर व्यय .. .. .                    | 5                          | ..              |
| ..                       | ..              | ..                         | ..              |                            |                 | 11- किराया, उप श्रुत्क और कर स्वामित्व .. .. . | 19                         | ..              |
| 1,07                     | ..              | 1,05                       | ..              |                            |                 | 20 - मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. .. .    | 3,41                       | ..              |
| 8,85                     | ..              | 8,10                       | ..              | 9,00                       | ..              | 23--अनुरक्षण .. .. .                           | 5                          | ..              |
|                          |                 |                            |                 |                            |                 | 25-- सामग्री और संपूर्ति .. .. .               | 1,80                       | ..              |
|                          |                 |                            |                 |                            |                 | 32--अन्तरिम सहायता .. .. .                     | 69                         | ..              |
|                          |                 |                            |                 |                            |                 | 33--अन्य व्यय .. .. .                          | 1,53                       | ..              |
|                          |                 |                            |                 |                            |                 | योग, 02 .. .. .                                | 17,13                      | ..              |
| ..                       | ..              | 83                         | ..              |                            |                 | 03--कीटनाशी रसायनों के गुण नियंत्रण हेतु       |                            |                 |
| ..                       | ..              | 43                         | ..              |                            |                 | कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना-- |                            |                 |
| ..                       | ..              | 11                         | ..              |                            |                 | 01--वेतन .. .. .                               | 68                         | ..              |
| ..                       | ..              | 21                         | ..              |                            |                 | 03--महंगाई भत्ता .. .. .                       | 54                         | ..              |
| ..                       | ..              | 50                         | ..              |                            |                 | 04--यात्रा व्यय .. .. .                        | 11                         | ..              |
| ..                       | ..              | 10                         | ..              |                            |                 | 05--ग्रन्थ भत्ते .. .. .                       | 9                          | ..              |
| ..                       | ..              | ..                         | ..              |                            |                 | 06--कार्यालय व्यय .. .. .                      | 55                         | ..              |
| ..                       | ..              | 10                         | ..              |                            |                 | 11--किराया, श्रुत्क और कर स्वामित्व .. .. .    | 10                         | ..              |
| ..                       | ..              | ..                         | ..              |                            |                 | 20- मशीन और सज्जा उपकरण और संयंत्र .. .. .     | 45                         | ..              |
| ..                       | ..              | ..                         | ..              |                            |                 | 23--अनुरक्षण .. .. .                           | 2                          | ..              |
| ..                       | ..              | 10                         | ..              |                            |                 | 25-- सामग्री और संपूर्ति .. .. .               | 10                         | ..              |
| ..                       | ..              | ..                         | ..              |                            |                 | 32--अन्तरिम सहायता .. .. .                     | 14                         | ..              |
| ..                       | ..              | 22                         | ..              |                            |                 | 33--अन्य व्यय .. .. .                          | 20                         | ..              |
| ..                       | ..              | 2,50                       | ..              | 2,80                       | ..              | योग, 03 .. .. .                                | 2,98                       | ..              |
| 8,88                     | 1,62,53         | 10,60                      | 1,55,29         | 11,80                      | 1,76,33         | योग, 105 .. .. .                               | 20,11                      | 1,96,93         |

107—पौधा संरक्षण—

01—पौध संरक्षण सेवा—

|    |         |    |         |            |
|----|---------|----|---------|------------|
| .. | 2,80,12 | .. | 2,72,00 |            |
| .. | 1,99,05 | .. | 1,90,40 |            |
| .. | 30,29   | .. | 20,00   |            |
| .. | 10,34   | .. | 16,00   |            |
| .. | 7,46    | .. | 7,00    |            |
| .. | 19      | .. | 20      |            |
| .. | 1,32    | .. | ..      |            |
| .. | 7,24    | .. | 7,00    |            |
| .. | 12,43   | .. | 11,00   |            |
| .. | 14      | .. | 25      |            |
| .. | 39,95   | .. | 40,00   |            |
| .. | 4,20    | .. | 3,00    |            |
| .. | ..      | .. | ..      |            |
| .. | 5,30    | .. | 3,00    |            |
| .. | 5,98,03 | .. | 5,69,85 | .. 7,82,22 |

|   |    |    |    |         |
|---|----|----|----|---------|
| 01—बैतन   | .. | .. | .. | 3,10,00 |
| 03—महंगाई भत्ता                                     | .. | .. | .. | 2,48,00 |
| 04—यात्रा व्यय                                      | .. | .. | .. | 25,00   |
| 05—अन्य भत्ते                                       | .. | .. | .. | 12,00   |
| 06—कार्यालय व्यय                                    | .. | .. | .. | 9,00    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                                  | .. | .. | .. | 20      |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय                            | .. | .. | .. | 5,00    |
| 09—मोटर गाड़ियों का<br>अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 8,00    |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व                  | .. | .. | .. | 13,00   |
| 13—विज्ञापन, विक्री और विख्यापन व्यय                | .. | .. | .. | 30      |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संबंध                   | .. | .. | .. | 40,00   |
| 23—अनुरक्षण   | .. | .. | .. | 4,50    |
| 32—अन्तर्गम सहायता                                  | .. | .. | .. | 62,00   |
| 33—अन्य व्यय  | .. | .. | .. | 5,00    |
| योग, 01   | .. | .. | .. | 7,42,00 |

02 - प्रदेश के मंदानी क्षेत्र में कृषि रक्षा सेवा के सुदृढीकरण की योजना—(जिला योजना)—

|       |    |       |    |       |
|-------|----|-------|----|-------|
| 1,29  | .. | 16,13 | .. |       |
| 8     | .. | 2,00  | .. |       |
| 2,88  | .. | 7,58  | .. |       |
| 1,59  | .. | 2,50  | .. |       |
| 28    | .. | 25    | .. |       |
| 3,81  | .. | 2,00  | .. |       |
| 35    | .. | 1,04  | .. |       |
| 5,34  | .. | ..    | .. |       |
| 25    | .. | 30    | .. |       |
| 1,10  | .. | 60    | .. |       |
| ..    | .. | 10    | .. |       |
| 2,81  | .. | 3,60  | .. |       |
| 10,19 | .. | ..    | .. |       |
| ..    | .. | ..    | .. |       |
| ..    | .. | ..    | .. |       |
| 52    | .. | 50    | .. |       |
| 33,49 | .. | 36,60 | .. | 37,57 |

|  |    |    |    |       |
|--|----|----|----|-------|
| 01—बैतन  | .. | .. | .. | 14,50 |
| 02—मजदूरी  | .. | .. | .. | 25    |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | 12,00 |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | 2,50  |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | 70    |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | 2,00  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | .. | 90    |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय                         | .. | .. | .. | 2,50  |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 50    |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व               | .. | .. | .. | 2,30  |
| 13—विज्ञापन, विक्री और विख्यापन व्यय             | .. | .. | .. | 40    |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                | .. | .. | .. | 4,00  |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संबंध                | .. | .. | .. | 1,06  |
| 23—अनुरक्षण                                      | .. | .. | .. | 50    |
| 32—अन्तर्गम सहायता                               | .. | .. | .. | 2,90  |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | 1,00  |
| योग, 02  | .. | .. | .. | 48,01 |



अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक प्रांकड़े<br>1985-86   |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |             | शीर्षक  | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर |   | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
| <b>2401--कृषि कार्य--</b>   |             |                               |             |                              |             |   |                               |             |
| <b>107--पौधा संरक्षण-- (क्रमशः)--</b>                                   |             |                               |             |                              |             |   |                               |             |
| <b>03--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--</b>           |             |                               |             |                              |             |   |                               |             |
| प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में कृषि रक्षा सेवा के<br>मुद्दीकरण की योजना-- |             |                               |             |                              |             |   |                               |             |
| 17  | ..          | 40                            | ..          | 40                           | ..          | 14 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                                 | 50                            | ..          |
| <b>04--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्घानित योजनायें--</b>   |             |                               |             |                              |             |   |                               |             |
| <b>0401--खर पतवार के नियंत्रण योजना--</b>                               |             |                               |             |                              |             |   |                               |             |
| 14 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                                     |             |                               |             |                              |             |   | 41,28                         | ..          |
| 17,58   | ..          | 52,60                         | ..          | 52,60                        | ..          | <b>0402--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट<br/>प्लान--</b> |                               |             |
| खरपतवार नियंत्रण की योजना--   |             |                               |             |                              |             |   |                               |             |
| 14 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                                     |             |                               |             |                              |             |   | 6,00                          | ..          |
| 72  | ..          | 6,00                          | ..          | 6,00                         | ..          | <b>05--क्रीटनाशी गुणनियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना--</b>            |                               |             |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 01--वेतन  | 50                            | ..          |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 03--महंगाई भत्ता  | 45                            | ..          |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 04--यात्रा व्यय   | 5                             | ..          |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 06--कार्यालय व्यय   | 18                            | ..          |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व                                 | 25                            | ..          |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र                                | 1,57                          | ..          |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | योग, 05   | 3,00                          | ..          |
| 51,96   | 5,98,03     | 95,60                         | 5,69,85     | 96,57                        | 7,82,22     | योग, 107  | 98,79                         | 7,42,00     |
| ..  | 10,29       | ..                            | 11,00       | ..                           | ..          | <b>108--बागिज्यिक फसलें--</b>                                       |                               |             |
| ..  | 7           | ..                            | 10          | ..                           | ..          | 01--कपास विकास की सघन योजना--                                       |                               |             |
| ..  | 7,45        | ..                            | 7,70        | ..                           | ..          | 01--वेतन  | ..                            | 11,10       |
| ..  | 1,07        | ..                            | 90          | ..                           | ..          | 02--मजदूरी  | ..                            | 10          |
| ..  | 41          | ..                            | 45          | ..                           | ..          | 03--महंगाई भत्ता  | ..                            | 8,90        |
| ..  | 31          | ..                            | 30          | ..                           | ..          | 04--यात्रा व्यय   | ..                            | 1,20        |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 05--ग्रन्थ भत्ते  | ..                            | 48          |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 06--कार्यालय व्यय   | ..                            | 35          |

|    |       |    |       |          |
|----|-------|----|-------|----------|
| .. | 4     | .. | 8     |          |
| .. | 5     | .. | 5     |          |
| .. | 20    | .. | 20    |          |
| .. | ..    | .. | ..    |          |
| .. | 4     | .. | 20    |          |
| .. | 19,93 | .. | 20,88 | .. 21,95 |

|    |       |    |       |          |
|----|-------|----|-------|----------|
| .. | 28,84 | .. | 26,40 |          |
| .. | 12    | .. | 18    |          |
| .. | 20,60 | .. | 18,48 |          |
| .. | 4,37  | .. | 4,75  |          |
| .. | 1,01  | .. | 1,15  |          |
| .. | 1,25  | .. | 80    |          |
| .. | 9     | .. | 10    |          |
| .. | 20    | .. | 20    |          |
| .. | ..    | .. | ..    |          |
| .. | 28    | .. | 35    |          |
| .. | 56,76 | .. | 52,41 | .. 59,39 |

|    |       |    |       |          |
|----|-------|----|-------|----------|
| .. | 17,50 | .. | 19,02 |          |
| .. | 5     | .. | 5     |          |
| .. | 11,60 | .. | 13,32 |          |
| .. | 1,08  | .. | 1,25  |          |
| .. | 60    | .. | 65    |          |
| .. | 30    | .. | 37    |          |
| .. | ..    | .. | 2     |          |
| .. | ..    | .. | 20    |          |
| .. | 52    | .. | 50    |          |
| .. | 4     | .. | 4     |          |
| .. | 4     | .. | 4     |          |
| .. | 10    | .. | 8     |          |
| .. | ..    | .. | ..    |          |
| .. | 15    | .. | 20    |          |
| .. | 31,98 | .. | 35,74 | .. 42,64 |

|                                     |    |    |       |
|-------------------------------------|----|----|-------|
| 07—टेलीफोन पर व्यय                  | .. | .. | 7     |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | .. | 7     |
| 25—सामग्री और संपूर्ति              | .. | .. | 25    |
| 32—अन्तरिम सहायता                   | .. | .. | 2,22  |
| 33—अन्य व्यय                        | .. | .. | 7     |
| योग, 01                             | .. | .. | 24,31 |

|                                    |    |    |       |
|------------------------------------|----|----|-------|
| 02—तिमहन विकास योजना—              |    |    |       |
| 01—बेतन                            | .. | .. | 30,27 |
| 02—सज्जदारी                        | .. | .. | 15    |
| 03—महंगाई भत्ता                    | .. | .. | 23,43 |
| 04—यात्रा व्यय                     | .. | .. | 5,00  |
| 05—अन्य भत्ते                      | .. | .. | 1,27  |
| 06—कार्यालय व्यय                   | .. | .. | 1,20  |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व | .. | .. | 6     |
| 25—सामग्री और संपूर्ति             | .. | .. | 20    |
| 32—अन्तरिम सहायता                  | .. | .. | 6,00  |
| 33—अन्य व्यय                       | .. | .. | 37    |
| योग, 02                            | .. | .. | 67,95 |

|  |    |    |       |
|--|----|----|-------|
| 03—जूट विकास योजना—                              |    |    |       |
| 01—बेतन  | .. | .. | 23,50 |
| 02—सज्जदारी                                      | .. | .. | 8     |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | 19,00 |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | 1,40  |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | 75    |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | 45    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | 2     |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 22    |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व               | .. | .. | 60    |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र              | .. | .. | 4     |
| 23—अनुरक्षण                                      | .. | .. | 4     |
| 25—सामग्री और संपूर्ति                           | .. | .. | 10    |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | 4,50  |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | 20    |
| योग, 03  | .. | .. | 50,90 |

अनुदान संख्या 12; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हज़ार रुपयों में)

| वित्तविक्रम संकेत<br>1985-86 |          | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | श्रीके   | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |          |
|------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|----------|--|---------------------------|----------|
| आयोजनागत                     | आयोजनेतर | आयोजनागत                  | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |  | आयोजनागत                  | आयोजनेतर |
| 29                           | ..       | 30                        | ..       |                              |          | 2401--कृषि कार्य--   |                           |          |
| 22                           | ..       | 19                        | ..       |                              |          | 108--आणिष्यक फसलें--समाप्त--                                   |                           |          |
| 5                            | ..       | 5                         | ..       |                              |          | 04--केन्द्रीय आयोजनागत/किन्त्र द्वारा पुरोनिष्ठानित योजनायें-- |                           |          |
| 1                            | ..       | 4                         | ..       |                              |          | 0401--कपास विकास-न्युष्टि (न्युक्लिस्स) एवं आधारिक             |                           |          |
| 4                            | ..       | 4                         | ..       |                              |          | (फाउन्डेशन) कपास बीज की योजना --                               |                           |          |
| 4,30                         | ..       | 8,88                      | ..       |                              |          | 01--बेतन .. .. . 33 .. .                                       |                           |          |
| ..                           | ..       | ..                        | ..       |                              |          | 03--महंगाई भत्ता .. .. . 24 .. .                               |                           |          |
|                              |          |                           |          |                              |          | 04--यात्रा व्यय .. .. . 6 .. .                                 |                           |          |
|                              |          |                           |          |                              |          | 05--अन्य भत्ते .. .. . 2 .. .                                  |                           |          |
|                              |          |                           |          |                              |          | 06--कार्यालय व्यय .. .. . 4 .. .                               |                           |          |
|                              |          |                           |          |                              |          | 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,28 .. .                  |                           |          |
|                              |          |                           |          |                              |          | 32--अन्तरिम सहायता 7 .. .                                      |                           |          |
| 4,91                         | ..       | 9,60                      | ..       | 9,60                         | ..       | योग, 0401  | 11,04                     | ..       |
| 51                           | ..       | 50                        | ..       |                              |          | 0402--जह विकास की योजना--                                      |                           |          |
| 35                           | ..       | 30                        | ..       |                              |          | 01--बेतन .. .. . 55 .. .                                       |                           |          |
| ..                           | ..       | 15                        | ..       |                              |          | 03--महंगाई भत्ता .. .. . 44 .. .                               |                           |          |
| ..                           | ..       | 1                         | ..       |                              |          | 04--यात्रा व्यय .. .. . 5 .. .                                 |                           |          |
| 1                            | ..       | 6                         | ..       |                              |          | 05--अन्य भत्ते .. .. . .. .                                    |                           |          |
| ..                           | ..       | 3                         | ..       |                              |          | 06--कार्यालय व्यय .. .. . 3 .. .                               |                           |          |
| 33                           | ..       | 50                        | ..       |                              |          | 11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व 3 .. .                     |                           |          |
| ..                           | ..       | ..                        | ..       |                              |          | 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 44 .. .                     |                           |          |
|                              |          |                           |          |                              |          | 32--अन्तरिम सहायता .. .. . 11 .. .                             |                           |          |
| 1,20                         | ..       | 1,55                      | ..       | 1,56                         | ..       | योग, 0402  | 1,65                      | ..       |

|      |    |       |    |       |    |
|------|----|-------|----|-------|----|
| 2,81 | .. | 4,28  | .. |       |    |
| 2,10 | .. | 3,02  | .. |       |    |
| 66   | .. | 75    | .. |       |    |
| 8    | .. | 5     | .. |       |    |
| 65   | .. | 80    | .. |       |    |
| ..   | .. | ..    | .. |       |    |
| ..   | .. | ..    | .. |       |    |
| 1,90 | .. | 2,40  | .. |       |    |
| ..   | .. | ..    | .. |       |    |
| 8,20 | .. | 11,30 | .. | 12,72 | .. |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 25 | .. | 70 | .. | 70 | .. |
|----|----|----|----|----|----|

|         |    |         |    |         |    |
|---------|----|---------|----|---------|----|
| 6,23    | .. | 12,03   | .. |         |    |
| ..      | .. | 20      | .. |         |    |
| 4,24    | .. | 7,64    | .. |         |    |
| 2,87    | .. | 2,31    | .. |         |    |
| 51      | .. | 69      | .. |         |    |
| 1,71    | .. | 2,32    | .. |         |    |
| 4       | .. | 35      | .. |         |    |
| 1,90    | .. | 20,45   | .. |         |    |
| 1,85    | .. | 4,10    | .. |         |    |
| ..      | .. | 22      | .. |         |    |
| 8       | .. | 2,65    | .. |         |    |
| 1,31,60 | .. | 2,36,72 | .. |         |    |
| ..      | .. | ..      | .. |         |    |
| ..      | .. | 1,05    | .. |         |    |
| 1,51,03 | .. | 2,90,73 | .. | 1,61,32 | .. |

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1,65,59 | 1,08,67 | 3,13,88 | 1,09,13 | 1,85,90 | 1,23,98 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

0403—जूट विकास-सघन जूट मेस्टा एवं सनई

विकास कार्यक्रम—

|  |    |       |    |
|--|----|-------|----|
| 01—बेतन  | .. | 1,80  | .. |
| 03—महंगाई मत्ता                                  | .. | 1,60  | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | 65    | .. |
| 05—अन्य मत्ते                                    | .. | 16    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | 75    | .. |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय                         | .. | 1,10  | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | 40    | .. |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                | .. | 13,00 | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | 36    | .. |
| योग, 0403  |    | 19,82 | .. |

0404—अनुसूचित जातियों के लिये रमेशल कम्पौन्ड्ट एलाम—

जूट विकास—सघन जूट मेस्टा एवं सनई विकास

कार्यक्रम—

|              |    |      |    |
|--------------|----|------|----|
| 33—अन्य व्यय | .. | 1,95 | .. |
|--------------|----|------|----|

0405—तिलहन विकास राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना—

|   |    |         |    |
|---|----|---------|----|
| 01—बेतन                                     | .. | 10,00   | .. |
| 02—मजदूरी                                   | .. | ..      | .. |
| 03—महंगाई मत्ता                             | .. | 8,00    | .. |
| 04—यात्रा व्यय                              | .. | 1,90    | .. |
| 05—अन्य मत्ते                               | .. | 45      | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                            | .. | 1,90    | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                          | .. | ..      | .. |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय                    | .. | ..      | .. |
| 09—गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | 1,80    | .. |
| 11—किराया, उपभूक्त तथा कर स्वामिस्व         | .. | ..      | .. |
| 13—विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन पर व्यय     | .. | ..      | .. |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता           | .. | 1,80,68 | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                           | .. | 1,80    | .. |
| 33—अन्य व्यय                                | .. | ..      | .. |

|           |    |         |    |
|-----------|----|---------|----|
| योग, 0404 | .. | 2,06,53 | .. |
|-----------|----|---------|----|

|          |  |         |         |
|----------|--|---------|---------|
| योग, 108 |  | 2,40,99 | 1,43,66 |
|----------|--|---------|---------|

संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक प्रांकड़े<br>1985-86 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पृथकीकृत अनुमान<br>1986-87 |             | शीर्षक   | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर |  | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
|                              |             |                               |             |                            |             | <b>2401—कृषि कार्य—</b>                            |                               |             |
|                              |             |                               |             |                            |             | <b>109—विस्तार और प्रशिक्षण—</b>                   |                               |             |
|                              |             |                               |             |                            |             | <b>01—बूखना व्यूरो—</b>                            |                               |             |
| 6,83                         | ..          | 7,50                          | ..          | ..                         | ..          | 01—बेतन  | 7,50                          | ..          |
| 90                           | ..          | 90                            | ..          | ..                         | ..          | 02—नकदूरी  | 95                            | ..          |
| 4,80                         | ..          | 5,25                          | ..          | ..                         | ..          | 03—महुंवाई भत्ता                                   | 6,00                          | ..          |
| 18                           | ..          | 45                            | ..          | ..                         | ..          | 04—यात्रा व्यय                                     | 45                            | ..          |
| 99                           | ..          | 1,10                          | ..          | ..                         | ..          | 05—अन्य भत्ते                                      | 1,20                          | ..          |
| 55                           | ..          | 95                            | ..          | ..                         | ..          | 06—कार्यालय व्यय                                   | 1,00                          | ..          |
| 4                            | ..          | 6                             | ..          | ..                         | ..          | 07—टेलीफोन पर व्यय                                 | 7                             | ..          |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | 08—मोटर गाड़ियों का क्रय                           | 1,10                          | ..          |
| 10                           | ..          | 20                            | ..          | ..                         | ..          | 09—मोटर गाड़ियों का प्रभुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | 25                            | ..          |
| 8                            | ..          | 10                            | ..          | ..                         | ..          | 11—किराया, उपग्रुष्क और कर स्वामिस्व               | 10                            | ..          |
| 48                           | ..          | 25                            | ..          | ..                         | ..          | 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र                | 30                            | ..          |
| ..                           | ..          | 60                            | ..          | ..                         | ..          | 23—प्रभुरक्षण                                      | 80                            | ..          |
| 4,63                         | ..          | 5,50                          | ..          | ..                         | ..          | 25—सामग्री और सम्पत्ति                             | 5,50                          | ..          |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | 32—अन्तरिम सहायता                                  | 1,50                          | ..          |
| ..                           | ..          | 30                            | ..          | ..                         | ..          | 33—अन्य व्यय                                       | 35                            | ..          |
| ..                           | 19,58       | ..                            | 23,16       | ..                         | 25,49       | योग; 01  | ..                            | 27,07       |
| ..                           | 1,43        | ..                            | 2,00        | ..                         | 2,00        | <b>02—कृषि संबंधी प्रदर्शनियां—</b>                | ..                            | ..          |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | 33—अन्य व्यय                                       | ..                            | 2,00        |
| ..                           | 43          | ..                            | 40          | ..                         | ..          | <b>03—तीन राजकीय कृषि विद्यालयों में प्रसार</b>    | ..                            | ..          |
| ..                           | 29          | ..                            | 28          | ..                         | ..          | बच्चों की स्थापना—                                 | ..                            | ..          |
| ..                           | 13          | ..                            | 13          | ..                         | ..          | 01—बेतन  | 64                            | ..          |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | 03—महुंवाई भत्ता                                   | 52                            | ..          |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | 04—यात्रा व्यय                                     | 17                            | ..          |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | 05—अन्य भत्ते                                      | 5                             | ..          |

|    |      |    |      |
|----|------|----|------|
| .. | 37   | .. | 41   |
| .. | 50   | .. | 50   |
| .. | ..   | .. | ..   |
| .. | 17   | .. | 17   |
| .. | 2,01 | .. | 2,06 |
| .. |      | .. | 2,36 |

|      |    |      |       |
|------|----|------|-------|
| 43   | .. | 1,00 | ..    |
| 6,77 | .. | 7,00 | ..    |
| 7,20 | .. | 8,00 | 11,00 |

|         |    |         |         |
|---------|----|---------|---------|
| 2,35    | .. | 75,35   | ..      |
| 1,67    | .. | 43,90   | ..      |
| 4,24    | .. | 50,00   | ..      |
| 19      | .. | 3,10    | ..      |
| 17,04   | .. | 17,15   | ..      |
| 31      | .. | 7,50    | ..      |
| 70,22   | .. | ..      | ..      |
| 21      | .. | 4,80    | ..      |
| ..      | .. | ..      | ..      |
| ..      | .. | ..      | ..      |
| 8,42    | .. | ..      | ..      |
| ..      | .. | ..      | ..      |
| 4,20    | .. | 2,00    | ..      |
| 1,08,85 | .. | 2,04,10 | 3,80,99 |

|  |    |    |      |
|--|----|----|------|
| 06—कार्यालय व्यय ..                                    | .. | .. | 20   |
| 09—मोटर गाड़ियों का<br>अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद .. | .. | .. | 45   |
| 25—सामग्री और सज्जा ..                                 | .. | .. | 75   |
| 32—अन्तरिम सहायता ..                                   | .. | .. | 12   |
| 33—अन्य व्यय ..  | .. | .. | 22   |
| योग, 03  | .. | .. | 3,12 |

|  |    |       |    |
|--|----|-------|----|
| 04—कृषि प्रदर्शनियां एवं किसान भेड़ों का<br>आयोजन— |    |       |    |
| 06—कार्यालय व्यय ..                                | .. | 1,00  | .. |
| 33—अन्य व्यय ..                                    | .. | 10,00 | .. |
| योग, 04  | .. | 11,00 | .. |

|  |    |         |    |
|--|----|---------|----|
| 05—कृषि प्रसार योजना—                          |    |         |    |
| 01—वेतन ..                                     | .. | 1,23,00 | .. |
| 03—महंगाई मत्ता ..                             | .. | 98,40   | .. |
| 04—यात्रा व्यय ..                              | .. | 60,00   | .. |
| 05—अन्य मत्ते ..                               | .. | 10,32   | .. |
| 06—कार्यालय व्यय ..                            | .. | 18,00   | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय ..                          | .. | 5,00    | .. |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय ..                    | .. | ..      | .. |
| 09—गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद .. | .. | 12,00   | .. |
| 11—किराया, उप शल्क और कर स्वामित्व ..          | .. | 12,50   | .. |
| 19—लघु निर्माण कार्य ..                        | .. | ..      | .. |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..           | .. | ..      | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता ..                           | .. | 24,60   | .. |
| 33—अन्य व्यय ..                                | .. | 11,00   | .. |
| योग, 05  | .. | 3,74,82 | .. |

अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपयाँ में)

| वास्तविक प्राप्ति<br>1985-86 |          | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक  | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---|-------------------------------|----------|
| आयोजनागत                     | आयोजनेतर | आयोजनागत                      | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |   | आयोजनागत                      | आयोजनेतर |
| ..                           | 2,59     | ..                            | 2,70     | ..                           | 2,70     | 2401—कृषि कार्य—  | ..                            | ..       |
| ..                           | 1,67     | ..                            | 1,89     | ..                           | 1,89     | 111—कृषि प्रबंधनात्र और सांख्यिकी (कमशः)—   | ..                            | ..       |
| ..                           | 68       | ..                            | 85       | ..                           | 85       | 03—कृषि सांख्यिकीय की सर्वोत्तम<br>योजना—   | ..                            | ..       |
| ..                           | 29       | ..                            | 30       | ..                           | 30       | 01—वेतन .. .. .   | ..                            | 3,00     |
| ..                           | 50       | ..                            | 55       | ..                           | 55       | 03—महंगाई भत्ता .. .. .   | ..                            | 2,40     |
| ..                           | 3        | ..                            | 4        | ..                           | 4        | 04—यात्रा व्यय .. .. .  | ..                            | 85       |
| ..                           | 12       | ..                            | 15       | ..                           | 15       | 05—अन्य भत्ते .. .. .   | ..                            | 30       |
| ..                           | ..       | ..                            | ..       | ..                           | ..       | 06—कार्यालय व्यय .. .. .  | ..                            | 55       |
| ..                           | 20       | ..                            | 20       | ..                           | 20       | 07—टेलीफोन पर व्यय .. .. .  | ..                            | 5        |
| ..                           | ..       | ..                            | ..       | ..                           | ..       | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद  | ..                            | 15       |
| ..                           | ..       | ..                            | ..       | ..                           | ..       | 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र   | ..                            | ..       |
| ..                           | ..       | ..                            | ..       | ..                           | ..       | 23—अनुरक्षण .. .. .   | ..                            | 20       |
| ..                           | ..       | ..                            | ..       | ..                           | ..       | 32—अन्तरिम सहायता .. .. .   | ..                            | 60       |
| ..                           | ..       | ..                            | ..       | ..                           | ..       | 33—अन्य व्यय .. .. .  | ..                            | ..       |
| 6,08                         | ..       | 6,68                          | ..       | 9,34                         | ..       | योग, 03   | ..                            | 8,10     |
| ..                           | ..       | 13                            | ..       | ..                           | ..       | 04—कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध<br>में कंप्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना— | ..                            | ..       |
| ..                           | ..       | 7                             | ..       | ..                           | ..       | 01—वेतन .. .. .   | 30                            | ..       |
| ..                           | ..       | 20                            | ..       | ..                           | ..       | 03—महंगाई भत्ता .. .. .   | 24                            | ..       |
| ..                           | ..       | 3                             | ..       | ..                           | ..       | 04—यात्रा व्यय .. .. .  | 20                            | ..       |
| 18                           | ..       | 20                            | ..       | ..                           | ..       | 05—अन्य भत्ते .. .. .   | 3                             | ..       |
| ..                           | ..       | ..                            | ..       | ..                           | ..       | 06—कार्यालय व्यय .. .. .  | 20                            | ..       |
| ..                           | ..       | ..                            | ..       | ..                           | ..       | 23—अनुरक्षण .. .. .   | 1,00                          | ..       |
| ..                           | ..       | ..                            | ..       | ..                           | ..       | 32—अन्तरिम सहायता .. .. .   | 6                             | ..       |
| 10,41                        | ..       | 2,30                          | ..       | ..                           | ..       | 33—अन्य व्यय .. .. .  | 1,64                          | ..       |
| 10,59                        | ..       | 2,93                          | ..       | 5,02                         | ..       | योग, 04   | 3,67                          | ..       |

05—उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों के  
अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उनके  
उत्पादन का अध्ययन एवं कृषि उत्पादन के  
सर्वेक्षण की योजना—

|      |      |    |      |
|------|------|----|------|
| ..   | 2,72 | .. | 3,00 |
| ..   | 7    | .. | 7    |
| ..   | 1,82 | .. | 2,10 |
| ..   | 76   | .. | 85   |
| ..   | 81   | .. | 75   |
| ..   | 23   | .. | 25   |
| ..   | 7    | .. | 7    |
| ..   | ..   | .. | ..   |
| ..   | 7    | .. | 7    |
| 6, 5 |      | .. | 7,16 |
|      |      | .. | 9,19 |

|    |    |    |      |
|----|----|----|------|
| 35 | .. | 74 | ..   |
| .. | .. | 3  | ..   |
| 22 | .. | 35 | ..   |
| 14 | .. | 36 | ..   |
| 3  | .. | 8  | ..   |
| 6  | .. | 10 | ..   |
| .. | .. | .. | ..   |
| .. | .. | .. | ..   |
| .. | .. | 4  | ..   |
| 81 |    | .. | 1,70 |
|    |    | .. | 1,14 |

|      |    |    |      |
|------|----|----|------|
| 94   | .. | 67 | ..   |
| 70   | .. | 46 | ..   |
| 29   | .. | 20 | ..   |
| 9    | .. | 7  | ..   |
| 3    | .. | 10 | ..   |
| 1    | .. | .. | ..   |
| ..   | .. | .. | ..   |
| 2,16 |    | .. | 1,50 |
|      |    | .. | ..   |

|   |    |    |    |    |      |
|---|----|----|----|----|------|
| 01--वेतन  | .. | .. | .. | .. | 3,2  |
| 02--मजदूरी  | .. | .. | .. | .. | 7    |
| 03--महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | .. | 2,60 |
| 04--यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. | 85   |
| 05--अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | .. | 82   |
| 06--कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | .. | 25   |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | 8    |
| 20--मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र                | .. | .. | .. | .. | ..   |
| 32--अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | .. | 65   |
| 33--अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | .. | 7    |
| योग, 05   |    |    |    | .. | 8,64 |

06--नई कृषि विधियों को कृषकों द्वारा अपनाये जाने में बाधाओं  
का अध्ययन करने के लिये भारतीय कृषि शोध परिषद् से वित्त  
पोषित योजना -

|   |    |    |    |    |      |
|---|----|----|----|----|------|
| 01--वेतन  | .. | .. | .. | 70 | ..   |
| 02--मजदूरी  | .. | .. | .. | 3  | ..   |
| 03--महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | 45 | ..   |
| 04--यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | 36 | ..   |
| 05--अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | 9  | ..   |
| 06--कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | 10 | ..   |
| 09--मोटर गाड़ियों पर अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 4  | ..   |
| 32--अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | 14 | ..   |
| 33--अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | .. | ..   |
| योग, 06   |    |    |    | .. | 1,91 |

07--भारतीय कृषि शोध परिषद् द्वारा सम्भाग रूप में वित्त  
पोषित कटाई से पूर्व फसलों के उत्पादन के  
अनुमान लगाने की योजना—

|                    |    |    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|----|----|
| 01--वेतन           | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय    | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते     | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता | .. | .. | .. | .. | .. |
| 38--अन्व जमा       | .. | .. | .. | .. | .. |
| योग, 07            |    |    |    | .. | .. |



अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वैश्वविक प्रां. सं. 1985-86  |             | प्राय-व्ययक अनुमान 1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान 1986-87 |             | प्राय-व्ययक अनुमान 1987-88                   |             |             |
|--|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| प्रायोजनागत  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत               | प्रायोजनेतर | शीर्षक                                       | प्रायोजनागत | प्रायोजनेतर |
| <b>* 2401—कृषि कार्य—</b>  |             |                            |             |                           |             |  |             |             |
| <b>111—कृषि अर्थ अर्थशास्त्र और सांख्यिकी (क्रमशः)—</b>  |             |                            |             |                           |             |  |             |             |
| <b>08—प्रक्षेत्र प्रबन्ध एवं कृषि उत्पादन के मूल्यों के अध्ययन की योजना—</b>   |             |                            |             |                           |             |  |             |             |
| ..   | ..          | ..                         | ..          | ..                        | ..          | 04—यात्रा व्यय .. .. .                       | 80          | ..          |
| ..   | ..          | ..                         | ..          | ..                        | ..          | 10—व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भूगतान | 5,00        | ..          |
| ..   | ..          | ..                         | ..          | ..                        | ..          | योग, 08                                      | 5,80        | ..          |
| <b>09—केंद्रीय प्रायोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाएँ --</b>   |             |                            |             |                           |             |  |             |             |
| <b>0901—उत्तर प्रदेश में फसलों के क्षेत्र फल एवं उसके उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों की रिपोर्ट तैयार करने की पद्धति को पुनः संगठित करने की योजना—</b> |             |                            |             |                           |             |  |             |             |
| 7,56   | ..          | 7,80                       | ..          | ..                        | ..          | 01—वेतन .. .. .                              | 7,06        | ..          |
| 4,82   | ..          | 4,50                       | ..          | ..                        | ..          | 03—महंगाई भत्ता .. .. .                      | 4,00        | ..          |
| 1,72   | ..          | 2,00                       | ..          | ..                        | ..          | 04—यात्रा व्यय .. .. .                       | 1,85        | ..          |
| 61   | ..          | 68                         | ..          | ..                        | ..          | 05—अन्य खर्चे .. .. .                        | 52          | ..          |
| 58   | ..          | 60                         | ..          | ..                        | ..          | 06—कार्यालय व्यय .. .. .                     | 55          | ..          |
| 137  | ..          | 1,44                       | ..          | ..                        | ..          | 11—किराया, उप शुल्क और कर स्वामिस्व ..       | 1,44        | ..          |
| ..   | ..          | ..                         | ..          | ..                        | ..          | 32—अन्तरिम सहायता                            | 1,41        | ..          |
| 20   | ..          | 25                         | ..          | ..                        | ..          | 33—अन्य व्यय .. .. .                         | 11          | ..          |
| 16,86  | ..          | 17,27                      | ..          | 18,67                     | ..          | योग, 0901                                    | 16,94       | ..          |

61

**0902—कृषि सांख्यिकी के सुधार की योजना--**

|       |    |       |    |    |    |                          |       |    |
|-------|----|-------|----|----|----|--------------------------|-------|----|
| 10,99 | .. | 12,00 | .. | .. | .. | 01--वेतन .. .. .         | 11,00 | .. |
| 7,05  | .. | 7,00  | .. | .. | .. | 03--महंगाई भत्ता .. .. . | 7,80  | .. |



अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा जल संसाधन विभाग (उडि)

(हज़ार रुपयों में)

| राष्ट्रियक प्राकृष्टे<br>1985-86 |          | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरोन्नित अनुमान<br>1986-87                        |          | शीर्षक | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|---|----------|--------|-------------------------------|
| आयोजनागत                         | आयोजनागत | आयोजनागत                      | आयोजनागत | आयोजनागत  | आयोजनागत |        | आयोजनागत                      |
| आयोजनागत                         | आयोजनागत | आयोजनागत                      | आयोजनागत | आयोजनागत  | आयोजनागत |        | आयोजनागत                      |
| <b>2401—कृषि काय—</b>            |          |                               |          |   |          |        |                               |
| <b>113—कृषि इंजीनियरी—</b>       |          |                               |          |   |          |        |                               |
| <b>01—कृषि कर्मशाला—</b>         |          |                               |          |   |          |        |                               |
| ..                               | 15,68    | ..                            | 19,72    | 01—वेतन ..  | ..       | ..     | 18,80                         |
| ..                               | 4,46     | ..                            | 4,20     | 02—मजदूरी ..  | ..       | ..     | 4,50                          |
| ..                               | 11,15    | ..                            | 12,40    | 03—महंगाई भत्ता ..                                  | ..       | ..     | 15,00                         |
| ..                               | 1,27     | ..                            | 1,27     | 04—यात्रा व्यय ..                                   | ..       | ..     | 1,50                          |
| ..                               | 1,12     | ..                            | 1,42     | 05—ग्रन्थ भत्ते ..                                  | ..       | ..     | 1,30                          |
| ..                               | 95       | ..                            | 1,10     | 06—कार्यालय व्यय ..                                 | ..       | ..     | 1,20                          |
| ..                               | 10       | ..                            | 10       | 07—टेलीफोन पर व्यय ..                               | ..       | ..     | 10                            |
| ..                               | 48       | ..                            | 58       | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद .. | ..       | ..     | 65                            |
| ..                               | 1,27     | ..                            | 1,30     | 11—किराया; उपसुलभ घोर कर स्वास्थ्य ..               | ..       | ..     | 1,40                          |
| ..                               | ..       | ..                            | ..       | 13—विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय ..             | ..       | ..     | ..                            |
| ..                               | 1,50     | ..                            | 1,50     | 19—उष्ण निर्माण कार्य ..                            | ..       | ..     | 2,00                          |
| ..                               | 1,30     | ..                            | 1,25     | 20—मशीनें और सज्जा / उपकरण घोर संबंध ..             | ..       | ..     | 1,50                          |
| ..                               | 59       | ..                            | 1,40     | 23—अनुरक्षण ..                                      | ..       | ..     | 1,40                          |
| ..                               | 40,00    | ..                            | 35,10    | 25—सामग्री घोर सम्पुति ..                           | ..       | ..     | 37,00                         |
| ..                               | ..       | ..                            | ..       | 32—अन्तरिम सहायता ..                                | ..       | ..     | 3,76                          |
| ..                               | 43       | ..                            | 60       | 33—ग्रन्थ व्यय ..                                   | ..       | ..     | 70                            |
| ..                               | 80,30    | ..                            | 81,94    | ..  | ..       | ..     | 80,81                         |

|    |       |    |       |          |
|----|-------|----|-------|----------|
| .. | 12,73 | .. | 14;90 |          |
| .. | 28    | .. | 35    |          |
| .. | 8,81  | .. | 11;26 |          |
| .. | 2,78  | .. | 3;10  |          |
| .. | 1;76  | .. | 2,00  |          |
| .. | 90    | .. | 1,00  |          |
| .. | 35    | .. | 45    |          |
| .. | 12    | .. | 30    |          |
| .. | 9     | .. | 9     |          |
| .. | ..    | .. | 35    |          |
| .. | 32    | .. | 1,30  |          |
| .. | 46    | .. | 60    |          |
| .. | 23    | .. | 46    |          |
| .. | ..    | .. | ..    |          |
| .. | 25    | .. | 40    |          |
| .. | 29,08 | .. | 36,55 | .. 37,23 |

|    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| .. | 10,67 | .. | 12,35 |
| .. | 267   | .. | 3,50  |
| .. | 7;65  | .. | 8;65  |
| .. | 1,89  | .. | 2,20  |
| .. | 56    | .. | 70    |
| .. | 1,04  | .. | 1;40  |
| .. | 28    | .. | 25    |
| .. | 50    | .. | 90    |
| .. | 9     | .. | 15    |

02--उत्तम कृषि प्रणालियों के प्रदर्शनों तथा उत्तम कृषि यंत्रों को प्रदर्शित करने, बनाने, बेचने और उनको मोकप्रिय बनाने की योजना--

|   |    |    |    |       |
|---|----|----|----|-------|
| 01--बेतव  | .. | .. | .. | 15,90 |
| 02--मजदूरी  | .. | .. | .. | 36    |
| 03--महुंगाई भत्ता                                 | .. | .. | .. | 12,30 |
| 04--यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | 3,30  |
| 05--ग्रन्थ भत्ते                                  | .. | .. | .. | 2,35  |
| 06--कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | 1,20  |
| 09--मोटर गाड़ियों का मरुतक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 50    |
| 11--किराया, उपभुक्त और कर स्वामिस्व               | .. | .. | .. | 20    |
| 13--बिज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन                  | .. | .. | .. | 6     |
| 19--कच्ची निर्माण कार्य                           | .. | .. | .. | 60    |
| 20--समीन और लब्धा/उपकरण और संयंत्र                | .. | .. | .. | 25    |
| 23--मरुतक्षण                                      | .. | .. | .. | 60    |
| 25--सामग्री और लब्धुति                            | .. | .. | .. | 25    |
| 32--मन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | 3,18  |
| 33--ग्रन्थ व्यय                                   | .. | .. | .. | 40    |
| योग; 02   | .. | .. | .. | 41,45 |

03--कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना--

|   |    |    |    |       |
|---|----|----|----|-------|
| 01--बेतव  | .. | .. | .. | 12,92 |
| 02--मजदूरी  | .. | .. | .. | 3,50  |
| 03--महुंगाई भत्ता                                 | .. | .. | .. | 10,00 |
| 04--यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | 2,20  |
| 05--ग्रन्थ भत्ते                                  | .. | .. | .. | 77    |
| 06--कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | 1,30  |
| 09--मोटर गाड़ियों का मरुतक्षण तथा पेट्रोल का व्यय | .. | .. | .. | 35    |
| 11--किराया, उपभुक्त और कर स्वामिस्व               | .. | .. | .. | 95    |
| 13--बिज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन                  | .. | .. | .. | 15    |

अनुदान संख्या 12; 1987-88  
कृषि तथा ग्राम्य सञ्चाल विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वैश्विक प्राकृष्ट<br>1985-86 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | सांख्यिकीय<br>कोड | शीर्षक   | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर       |  | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
| ..                           | 1,10        | ..                            | 1,00        |                              |                   | 2401—कृषि कार्य—   |                               |             |
| ..                           | 90          | ..                            | 3,00        |                              |                   | 113—कृषि इन्जीनियरी—कर्मशा—                              |                               |             |
| ..                           | 21,27       | ..                            | 22,00       |                              |                   | 19—नए निर्माण कार्य ..                                   | ..                            | 1,20        |
| ..                           | 16,90       | ..                            | 15,00       |                              |                   | 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संबंध ..                    | ..                            | 4,00        |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          |                              |                   | 23—अनुरक्षण ..   | ..                            | 23,00       |
| ..                           | 45          | ..                            | 80          |                              |                   | 25—सामग्री और सम्पत्ति ..                                | ..                            | 17,00       |
|                              |             |                               |             |                              |                   | 32—प्रत्यक्ष सहायता ..                                   | ..                            | 2,58        |
|                              |             |                               |             |                              |                   | 33—अन्य व्यय ..  | ..                            | 80          |
| ..                           | 65,97       | ..                            | 71,90       | ..                           | 75,06             | योग, 03  | ..                            | 80,72       |
|                              |             |                               |             |                              |                   | 04—कृषि यंत्रों के प्रसार एवं विपणन की प्रत्यक्षी योजना— |                               |             |
|                              |             |                               |             |                              |                   | (जिला योजना) —   |                               |             |
| 59                           | ..          | 1,44                          | ..          |                              |                   | 01—बैठन ..   | 40                            | ..          |
| 20                           | ..          | 40                            | ..          |                              |                   | 02—मजदूरी ..   | 8                             | ..          |
| 39                           | ..          | 70                            | ..          |                              |                   | 03—महंगाई भत्ता ..                                       | 30                            | ..          |
| 12                           | ..          | 15                            | ..          |                              |                   | 04—यात्रा व्यय ..  | 16                            | ..          |
| 2                            | ..          | 4                             | ..          |                              |                   | 05—अन्य भत्ते ..   | 5                             | ..          |
| 15                           | ..          | 20                            | ..          |                              |                   | 06—कार्यालय व्यय ..                                      | 5                             | ..          |
| 15                           | ..          | 1,32                          | ..          |                              |                   | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद ..      | 15                            | ..          |
| 16                           | ..          | 20                            | ..          |                              |                   | 11—किराया, उपभूक्त और कर स्वामित्व ..                    | 10                            | ..          |
| 4                            | ..          | 5                             | ..          |                              |                   | 13—विज्ञापन विक्री और विध्यापन व्यय ..                   | 5                             | ..          |
| 30                           | ..          | ..                            | ..          |                              |                   | 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संबंध ..                     | ..                            | ..          |
| 13                           | ..          | 20                            | ..          |                              |                   | 23—अनुरक्षण ..   | 15                            | ..          |
| ..                           | ..          | 50                            | ..          |                              |                   | 25—सामग्री और सम्पत्ति ..                                | 30                            | ..          |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          |                              |                   | 32—प्रत्यक्ष सहायता ..                                   | 8                             | ..          |
| 35                           | ..          | ..                            | ..          |                              |                   | 33—अन्य व्यय ..  | 6                             | ..          |
| 2,60                         | ..          | 5,20                          | ..          | 1,62                         | ..                | योग, 04 ..   | 1,92                          | ..          |

05—उत्तरीय कृषि यंत्रों के प्रदर्शन, प्रसार, विकास व वितरण की योजना—

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 3,36 | .. | 4,53 | .. |
| 29   | .. | 30   | .. |
| 2,26 | .. | 2,21 | .. |
| 40   | .. | 40   | .. |
| 18   | .. | 30   | .. |
| 14   | .. | 15   | .. |
| 2    | .. | ..   | .. |
| 30   | .. | 30   | .. |
| 30   | .. | 40   | .. |
| 17   | .. | 30   | .. |
| ..   | .. | ..   | .. |
| 20   | .. | ..   | .. |
| 30   | .. | ..   | .. |
| 61   | .. | 61   | .. |
| ..   | .. | ..   | .. |
| 34   | .. | ..   | .. |

8,87 .. 9,50 .. 16,41 ..

11,47 1,75,35 14,70 1,90,39 18,03 1,94,22

|  |    |    |      |    |
|--|----|----|------|----|
| 01—वेतन  | .. | .. | 4,11 | .. |
| 02—गजदूरी  | .. | .. | 45   | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | 3,28 | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | 53   | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                                  | .. | .. | 24   | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | 30   | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | 10   | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 30   | .. |
| 11—किराया, उपभूक्त एवं कर स्वामित्व              | .. | .. | 40   | .. |
| 13—विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय             | .. | .. | 30   | .. |
| 19—सबू निर्माण कार्य                             | .. | .. | ..   | .. |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र                | .. | .. | 75   | .. |
| 23—अनुरक्षण                                      | .. | .. | 30   | .. |
| 25—सामग्री और सम्पूति                            | .. | .. | 1,40 | .. |
| 32—प्रस्तुति सह्यता                              | .. | .. | 82   | .. |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | 20   | .. |

योग; 05 .. 13,48 ..

योग, 113 15,40 2,12,98

796—आदिम जाति क्षेत्र उपयोग—

01—गुणात्मक बीजों का उत्पादन संग्रहण एवं वितरण की योजना—

10 .. .. .. ..

02—मजदूरी .. .. .. ..

अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपयों में)

| वास्तविक प्रांके<br>1985-86   | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 | पुनरीजित अनुमान<br>1986-87 | शेष | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |
|---|---------------------------|----------------------------|-----|---------------------------|
| आयोजनागत आयोजनेतर   | आयोजनागत आयोजनेतर         | आयोजनागत आयोजनेतर          |     | आयोजनागत आयोजनेतर         |
| <b>2401—कृषि कार्य—</b>   |                           |                            |     |                           |
| 796—आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना (समाप्त)  |                           |                            |     |                           |
| 02—केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिधानत योजनायें—                                 |                           |                            |     |                           |
| 0201—उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादन बढ़ाने की केंद्रीय आयोजनागत योजना—                   |                           |                            |     |                           |
| ..  | ..                        | 50                         | ..  | 50                        |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 50 ..  |                           |                            |     |                           |
| 0202—दसहन की फसलों की योजना—  |                           |                            |     |                           |
| 1,12  | ..                        | 1,30                       | ..  | 1,20                      |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. ..   |                           |                            |     |                           |
| 0203—शाय की सामुदायिक वीथशालायें स्थापित करने की योजना—                                 |                           |                            |     |                           |
| 36  | ..                        | 75                         | ..  | ..                        |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. ..   |                           |                            |     |                           |
| 0204—कृषकों के क्षेत्रों पर मोटे बनाजों के भिन्नोक्त वितरण एवं प्रदर्शन कराने की योजना— |                           |                            |     |                           |
| 1,74  | ..                        | 1,95                       | ..  | 1,63                      |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,44 ..   |                           |                            |     |                           |
| 0205—सघन जूट मेस्टा एवं सनई विकास कार्यक्रम—  |                           |                            |     |                           |
| 14  | ..                        | 20                         | ..  | 20                        |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 30 ..   |                           |                            |     |                           |
| 0206—खर पतवार नियंत्रण की योजना—  |                           |                            |     |                           |
| ..  | ..                        | ..                         | ..  | ..                        |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 60 ..   |                           |                            |     |                           |
| 3,46  | ..                        | 4,70                       | ..  | 3,53                      |
| योग; 796 .. 3,84 ..   |                           |                            |     |                           |

2,22,56 .. .. 2,28,24 ..

.. .. 2,44,09 ..

2,22,56 .. .. 4,72,21 ..

800—अन्य व्यय—

01—फल बीमा हेतु भारत के जनरल इन्स्योरेन्स का रॉ-  
रेशन को प्रीमियम का भुगतान--

33—अन्य व्यय .. .. 1,60,00 ..

02 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित  
योजनायें--

0201—सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में लघु एक सीमान्त कृषकों को कृषि  
निवेशों हेतु अनुदान—

14—सहायक अंशदान/अंशदान/राज सहायता .. ..

योग, 800 .. 1,60,00 ..

2402—भूमि और जल संरक्षण—

001—निवेशन और प्रशासन—

01—अधिष्ठान व्यय—

01—वेतन .. .. 12,59

03—मदंगाई भत्ता .. .. 10,72

04—यात्रा व्यय .. .. 75

05—अन्य भत्ते .. .. 2,00

06—कार्यालय व्यय .. .. 50

07—टेलीफोन पर व्यय .. .. 5

09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल  
को खरीद .. .. 20

13—विज्ञापन, विज्ञपी, विख्यापन व्यय .. .. 10

32—अन्तरिम सहायता .. .. 2,52

33—अन्य व्यय { मतदेय .. .. 6  
भारित .. .. 10

योग, 001 { मतदेय .. 29,49  
भारित .. 10

.. 11,48 .. 12,35

.. 7,66 .. 9,26

.. 63 .. 65

.. 1,69 .. 1,65

.. 41 .. 40

.. 5 .. 5

.. 3 .. 16

.. 3 .. 8

.. .. 6

.. 12 .. 10

.. 21,98 .. 24,66 .. 25,76

.. 12 .. 10 .. 10



अनुदान संख्या 12; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपयों में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | शौर्क   | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|---------|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |         | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
| ..                         | 19,73    | ..                         | 20,93    |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | 1,34     | ..                         | 1,50     |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | 13,92    | ..                         | 14,65    |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | 3,29     | ..                         | 4,00     |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | 1,76     | ..                         | 1,70     |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | 2,25     | ..                         | 2,50     |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | 1,18     | ..                         | 1,00     |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | 79       | ..                         | 84       |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | 66       | ..                         | 80       |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | 6,54     | ..                         | 6,00     |                              |          |         |                            |          |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       |                              |          |         |                            |          |
| 2,64                       | 1,65     | ..                         | 3,00     |                              |          |         |                            |          |
| 2,64                       | 53,11    | ..                         | 56,92    | ..                           | 60,46    |         |                            |          |
|                            |          |                            |          |                              |          | योग, 01 | ..                         | 67,78    |

2402—भू और जल संरक्षण —

101—सू-संरक्षण और प्रशिक्षण—

01—मृदा परीक्षण कार्यक्रम—

|  |    |    |    |       |
|--|----|----|----|-------|
| 01--वेतन   | .. | .. | .. | 21,30 |
| 02--मजदूरी                                       | .. | .. | .. | 1,65  |
| 03--महंगाई भत्ता                                 | .. | .. | .. | 17,04 |
| 04--यात्रा व्यय                                  | .. | .. | .. | 4,20  |
| 05--अन्य भत्ते                                   | .. | .. | .. | 2,06  |
| 06--कार्यालय व्यय                                | .. | .. | .. | 2,6   |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद |    |    |    | 1,25  |
| 11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व             | .. | .. | .. | 80    |
| 19--लघु निर्माण कार्य                            | .. | .. | .. | 2,00  |
| 23--अनुरक्षण                                     | .. | .. | .. | 87    |
| 25--सामग्री और सम्पत्ति                          | .. | .. | .. | 6,50  |
| 32--अन्तरिम सहायता                               |    |    |    | 4,26  |
| 33--अन्य व्यय                                    | .. | .. | .. | 3,25  |

02—उत्तर प्रदेश भूमि सर्वेक्षण एवं परीक्षण इकाइयों की स्थापना—

|    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| .. | 13,70 | .. | 13,52 |
| .. | 9,21  | .. | 9,50  |
| .. | 1,51  | .. | 1,50  |
| .. | 1,07  | .. | 1,10  |
| .. | 51    | .. | 55    |
| .. | ..    | .. | ..    |

|                   |    |    |       |
|-------------------|----|----|-------|
| 01—वेतन           | .. | .. | 14,15 |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | 11,32 |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | 1,60  |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | 1,20  |
| 08—कार्यालय व्यय  | .. | .. | 60    |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 3,23  |

.. 26,00 .. 26,17 .. 27,81

योग, 02

.. 32,18

03—प्रवेश को 9 जनरल ड्यूटी परीक्षण प्रयोगशालाओं की राष्ट्रीयियम कल्चर उत्पादन हेतु सुवृद्धीकरण की योजना—

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 2,26 | .. | 2,79 | .. |
| 86   | .. | 80   | .. |
| 1,53 | .. | 1,56 | .. |
| 42   | .. | 50   | .. |
| 18   | .. | 21   | .. |
| 40   | .. | 40   | .. |
| ..   | .. | ..   | .. |
| 2,59 | .. | 2,59 | .. |

|                   |    |    |      |    |
|-------------------|----|----|------|----|
| 01—वेतन           | .. | .. | 2,50 | .. |
| 02—मजदूरी         | .. | .. | 0    | .. |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | 1,90 | .. |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | 40   | .. |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | 20   | .. |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | 45   | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 50   | .. |
| 33—अन्य व्यय      | .. | .. | 2,30 | .. |

8,24 .. 8,85 .. 8,95 ..

योग, 03

9,05 ..

अनुदान संख्या 12; 1987-88  
कृषि तथा ग्राम्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| शासकिक ऋक.के<br>1985-86 | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 | शेष | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|
| आय अनागत आयोजनेतर       | आयोजनागत आयोजनेतर          | आयोजनागत आयोजनेतर          |     | आयोजनागत आयोजनेतर          |

2402—भू और जल संरक्षण—

101—सर्वेक्षण और परीक्षण—

04—मृमि परीक्षण एवं प्रयोगशाला की एकीकृत योजना—

|    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| .. | 30,76 | .. | 34,20 |
| .. | 1,41  | .. | 1,50  |
| .. | 19,45 | .. | 23,95 |
| .. | 2,63  | .. | 3,10  |
| .. | 2,58  | .. | 2,80  |
| .. | 2,09  | .. | 2,50  |
| .. | 1     | .. | 3     |
| .. | 1,50  | .. | 1,30  |
| .. | 2,55  | .. | 3,70  |
| .. | 20    | .. | 20    |
| .. | 16    | .. | 16    |
| .. | 81    | .. | 1,00  |
| .. | 1,39  | .. | 80    |
| .. | ..    | .. | ..    |
| .. | 3,48  | .. | 3,50  |
| .. | 69,02 | .. | 77,74 |
| .. | ..    | .. | 81,81 |

|  |    |    |    |       |
|--|----|----|----|-------|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | 34,50 |
| 02—मजदूरी  | .. | .. | .. | 1,80  |
| 03—महंगाई भत्ता                                    | .. | .. | .. | 27,00 |
| 04—यात्रा व्यय                                     | .. | .. | .. | 3,20  |
| 05—अन्य भत्ते                                      | .. | .. | .. | 3,25  |
| 06—कार्यालय व्यय                                   | .. | .. | .. | 2,60  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                                 | .. | .. | .. | 4     |
| 09—मोटर गाड़ियों का प्रनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 1,60  |
| 11—किराया, उप मूलक और कर स्वामिस्व                 | .. | .. | .. | 2,73  |
| 19—लघु निर्माण-कार्य                               | .. | .. | .. | 50    |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र                | .. | .. | .. | 18    |
| 23—अनुरक्षण  | .. | .. | .. | 1,10  |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति                             | .. | .. | .. | 1,20  |
| 32—अतिरिक्त सहायता                                 | .. | .. | .. | 7,00  |
| 33—अन्य व्यय                                       | .. | .. | .. | 4,00  |

योग, 04 .. .. 90,70

05—मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण इकाई की स्थापना—

|    |    |      |    |
|----|----|------|----|
| .. | .. | 1,04 | .. |
| 54 | .. | 80   | .. |
| .. | .. | 80   | .. |
| .. | .. | 18   | .. |
| .. | .. | 17   | .. |
| .. | .. | 100  | .. |

|                  |    |    |    |      |
|------------------|----|----|----|------|
| 01—वेतन          | .. | .. | .. | ..   |
| 02—मजदूरी        | .. | .. | .. | 1,00 |
| 03—महंगाई भत्ता  | .. | .. | .. | ..   |
| 04—यात्रा व्यय   | .. | .. | .. | ..   |
| 05—अन्य भत्ते    | .. | .. | .. | ..   |
| 06—कार्यालय व्यय | .. | .. | .. | 1,20 |

|       |         |       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 1     | ..      | 5     | ..      |       |         |
| 1,42  | ..      | 1,50  | ..      |       |         |
| 1,09  | ..      | 1,15  | ..      |       |         |
| 87    | ..      | ..    | ..      |       |         |
| 40    | ..      | 10    | ..      |       |         |
| 2,43  | ..      | 1,60  | ..      |       |         |
| ..    | ..      | ..    | ..      |       |         |
| 7,36  | ..      | 8,47  | ..      | 8,47  | ..      |
| 18,24 | 1,48,13 | 17,32 | 1,60,83 | 17,42 | 1,69,88 |

|       |    |       |    |       |  |
|-------|----|-------|----|-------|--|
| 10,21 | .. | 11,00 | .. |       |  |
| 7,39  | .. | 7,50  | .. |       |  |
| 1,05  | .. | 1,80  | .. |       |  |
| 14    | .. | 20    | .. |       |  |
| 72    | .. | 70    | .. |       |  |
| 2     | .. | 8     | .. |       |  |
| ..    | .. | 1,00  | .. |       |  |
| 85    | .. | 75    | .. |       |  |
| 19    | .. | 40    | .. |       |  |
| 7     | .. | 6     | .. |       |  |
| 42,20 | .. | 29,61 | .. |       |  |
| ..    | .. | 40    | .. |       |  |
| ..    | .. | ..    | .. |       |  |
| ..    | .. | ..    | .. |       |  |
| 62,84 | .. | 53,50 | .. | 60,50 |  |

|      |    |       |    |      |    |
|------|----|-------|----|------|----|
| 8,00 | .. | 12,00 | .. | 5,00 | .. |
|------|----|-------|----|------|----|

|   |    |       |         |
|---|----|-------|---------|
| 07—टेलीफोन पर व्यय                          | .. | 4     | ..      |
| 09—गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | 1,50  | ..      |
| 11—किराया, उप शुल्क और कर स्वा भस्व         | .. | 1,20  | ..      |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र           | .. | 10    | ..      |
| 23—अनुरक्षण                                 | .. | ..    | ..      |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति                      | .. | 1,95  | ..      |
| 32—अन्तरिम महायता                           | .. | ..    | ..      |
| योग; 05                                     | .. | 6,99  | ..      |
| योग; 101                                    | .. | 16,04 | 1,90,58 |

102-- भूमि-संरक्षण --

01-- प्रदेश में खड्ड भूमि के पुनर्वास की योजना -- (जिला योजना)

|  |    |       |    |
|--|----|-------|----|
| 01—वेतन  | .. | 11,00 | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | 8,80  | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | 1,50  | .. |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | 10    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | 40    | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | 10    | .. |
| 08—मोटर गाड़ियों का खर्च                         | .. | ..    | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | 80    | .. |
| 11—किराया, उप शुल्क और कर स्वा भस्व              | .. | 40    | .. |
| 13—बिज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन व्यय             | .. | 6     | .. |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता                 | .. | 45,69 | .. |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र              | .. | ..    | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | 1,65  | .. |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | ..    | .. |
| योग; 01  | .. | 70,50 | .. |

02-- अनुसूचित जातियों के लिये रपेश स उपोन्ग्ट प्लान --  
प्रदेश में खड्ड भूमि के पुनर्वास की योजना (जिला योजना) --

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 6,00

अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक सीकड़े<br>1985-86 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनगत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनगत                    | प्रायोजनेतर | प्रायोजनगत                 | प्रायोजनेतर | प्रायोजनगत                    | प्रायोजनेतर |
| ..                        | 17,77       | ..                            | 18,20       | ..                         | 17,58       | ..                            | 18,20       |
| ..                        | 11,96       | ..                            | 18,00       | ..                         | 17,58       | ..                            | 18,00       |
| ..                        | 10,54       | ..                            | 12,50       | ..                         | 12,50       | ..                            | 12,50       |
| ..                        | 72          | ..                            | 90          | ..                         | 90          | ..                            | 90          |
| ..                        | 13          | ..                            | 16          | ..                         | 16          | ..                            | 16          |
| ..                        | 45          | ..                            | 55          | ..                         | 55          | ..                            | 55          |
| ..                        | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |
| ..                        | 74          | ..                            | 70          | ..                         | 70          | ..                            | 70          |
| ..                        | 10          | ..                            | 12          | ..                         | 12          | ..                            | 12          |
| ..                        | 4           | ..                            | 5           | ..                         | 5           | ..                            | 5           |
| ..                        | 5,10        | ..                            | 6,00        | ..                         | 6,00        | ..                            | 6,00        |
| ..                        | ..          | ..                            | 16,00       | ..                         | 16,00       | ..                            | 16,00       |
| ..                        | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |
| ..                        | 16,26       | ..                            | 5           | ..                         | 5           | ..                            | 5           |
| ..                        | 63,81       | ..                            | 73,23       | ..                         | 76,58       | ..                            | 76,58       |
| ..                        | 9,00        | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |
| ..                        | 7,00        | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |
| ..                        | 72          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |
| ..                        | 16          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |
| ..                        | 13          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |
| ..                        | 5           | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |
| ..                        | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |
| ..                        | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |
| ..                        | 17,06       | ..                            | ..          | ..                         | ..          | ..                            | ..          |

2402—भू और जल-संरक्षण—

102—भूमि संरक्षण (कर्मचारी)—

03—ऊपर तथा कड़ी हुई भूमि को बेतली योग्य बनाने की योजना—

|  |    |    |    |       |
|--|----|----|----|-------|
| 01—बेतन  | .. | .. | .. | 20,12 |
| 02—मजदूरी  | .. | .. | .. | 20,00 |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | 16,96 |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | 1,10  |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                                  | .. | .. | .. | 17    |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | 60    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 80    |
| 19—लघु निर्माण कार्य                             | .. | .. | .. | 15    |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और सर्विस               | .. | .. | .. | 5     |
| 23—अनुरक्षण                                      | .. | .. | .. | 6,50  |
| 25—सामग्री और शक्ति                              | .. | .. | .. | 17,00 |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | 4,03  |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | 10    |

योग, 03

87,58

04—जल विभाजक क्षेत्रों में भूमि तथा जल

संरक्षण कार्य—

|                      |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|
| 01—बेतन              | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता      | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय       | .. | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते      | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय     | .. | .. | .. | .. |
| 19—लघु निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता    | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय         | .. | .. | .. | .. |

योग, 04

..

05--प्रदेश में क्षारीय एल्कलाइन भूमि सुधार का  
अग्रगामी परियोजना--(जिला योजना)

14--सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता 1,22,18 ..

06--अनुसूचित जातियों के लिये रपेटल वाप में प्लान --  
प्रदेश में क्षारीय एल्कलाइन भूमि सुधार की अग्रगामी  
परियोजना (जिला योजना) --

14 - सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता .. 14,00 ..

07--उसर और कटी हुई भूमि को खेती योग्य बनाने  
की योजना के अन्तर्गत शीकृत उसर प्रखण्डों  
पर सचन कृषि योजना --

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 01--वेतन .. .. .  | .. | .. | .. | .. |
| 02--मजदूरी .. .. .  | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता .. .. .                                  | .. | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय .. .. .                                   | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते .. .. .                                    | .. | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय खर्च .. .. .                                 | .. | .. | .. | .. |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद .. .. . | .. | .. | .. | .. |
| 20--मर्शने तथा और/उपकरण और संबन्ध .. .. .                 | .. | .. | .. | .. |
| 25--सामग्री और सम्पत्ति .. .. .                           | .. | .. | .. | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता .. .. .                                | .. | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय .. .. .                                     | .. | .. | .. | .. |

योग, 07 .. ..

08--प्रदेश के मंद नी भाग में भूमि तथा जल संरक्षण  
योजना--(जिला योजना)

|                          |    |    |         |    |
|--------------------------|----|----|---------|----|
| 01--वेतन .. .. .         | .. | .. | 1,85,00 | .. |
| 03--महंगाई भत्ता .. .. . | .. | .. | 1,48,00 | .. |

74,08 .. 1,37,79 .. .. ..

8,78 .. 30,00' .. 16,00 ..

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 73 .. 80 ..     | .. | .. |
| 2,76 .. 3,00 .. | .. | .. |
| 5 .. 5 ..       | .. | .. |
| 9 .. 12 ..      | .. | .. |
| .. .. 8 ..      | .. | .. |
| 5 .. 50 ..      | .. | .. |
| 34 .. 40 ..     | .. | .. |
| .. .. 1,00 ..   | .. | .. |
| 8,29 .. 5,35 .. | .. | .. |
| .. .. ..        | .. | .. |
| .. .. ..        | .. | .. |

12,78 .. 11,78 .. 11,78 ..

|                       |    |    |
|-----------------------|----|----|
| 1,71,83 .. 1,95,00 .. | .. | .. |
| 1,23,67 .. 1,37,00 .. | .. | .. |

अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक प्रांकि |             | प्राय-व्ययक अनुमान |             | पुनरीकृत अनुमान |             | शोधक    | प्राय-व्ययक अनुमान |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|---------|--------------------|-------------|
| 1985-86         |             | 1986-87            |             | 1986-87         |             |         | 1987-88            |             |
| प्रायोजनागत     | प्रायोजनागत | प्रायोजनागत        | प्रायोजनागत | प्रायोजनागत     | प्रायोजनागत |         | प्रायोजनागत        | प्रायोजनागत |
| 14,49           | ..          | 15,00              | ..          |                 |             |         |                    |             |
| 4,07            | ..          | 4,60               | ..          |                 |             |         |                    |             |
| 6,11            | ..          | 6,25               | ..          |                 |             |         |                    |             |
| 30              | ..          | 60                 | ..          |                 |             |         |                    |             |
| ..              | ..          | 4,00               | ..          |                 |             |         |                    |             |
| 9,15            | ..          | 8,00               | ..          |                 |             |         |                    |             |
| 4,64            | ..          | 5,50               | ..          |                 |             |         |                    |             |
| 75              | ..          | 1,70               | ..          |                 |             |         |                    |             |
| 1,71,00         | ..          | 1,70,60            | ..          |                 |             |         |                    |             |
| 84              | ..          | 1,60               | ..          |                 |             |         |                    |             |
| ..              | ..          | 60                 | ..          |                 |             |         |                    |             |
| ..              | ..          | ..                 | ..          |                 |             |         |                    |             |
| ..              | ..          | 20                 | ..          |                 |             |         |                    |             |
| 5,06,85         | ..          | 5,50,71            | ..          | 5,63,75         | ..          |         |                    |             |
|                 |             |                    |             |                 |             | योच, 08 | 6,53,19            | ..          |

2402—भू और जल-संरक्षण—

102—भूमि संरक्षण (क्रमशः)—

|  |    |         |    |
|--|----|---------|----|
| 04—गाबा व्यय                                     | .. | 18,00   | .. |
| 05—अन्य भू                                       | .. | 4,50    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | 8,90    | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | 1,00    | .. |
| 08—मोटरगाड़ी का व्यय                             | .. | 4,00    | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा बेट्टोल की खरीद | .. | 11,00   | .. |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व               | .. | 5,00    | .. |
| 13—विज्ञापन, विक्रय और विज्ञापन व्यय             | .. | 50      | .. |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                | .. | 2,38,29 | .. |
| 20—नवीन और सफ़ा/उपकरण और संबंध                   | .. | ..      | .. |
| 23—अनुरक्षण                                      | .. | 1,00    | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | 28,00   | .. |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | ..      | .. |

09-- अनुमूचित जातियों के लिये स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान --  
प्रदेश के मैदानी भाग में भूमि तथा जल संरक्षण की योजना  
(जिला योजना-)

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 30,00 ..

21,31 .. 40,00 .. 27,60 ..

10- भू-भावंटियों की ऊसर भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने की योजना (जिला योजना) —

|      |    |       |    |       |    |
|------|----|-------|----|-------|----|
| 93   | .. | 1,10  | .. |       |    |
| 68   |    | 30    | .. |       |    |
| 10   | .. | 22    | .. |       |    |
| 5    | .. | 8     | .. |       |    |
| 5    | .. | 5     | .. |       |    |
| ..   | .. | ..    | .. |       |    |
| ..   | .. | ..    | .. |       |    |
| ..   | .. | ..    | .. |       |    |
| ..   | .. | ..    | .. |       |    |
| 5,95 | .. | 9,75  | .. |       |    |
| ..   | .. | ..    | .. |       |    |
| 7,76 | .. | 12,00 | .. | 14,60 | .. |

|  |    |    |    |         |    |
|--|----|----|----|---------|----|
| 01-बैतन  | .. | .. | .. | 4,30    | .. |
| 03-महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | 3,44    | .. |
| 04-यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | 48      | .. |
| 05-अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | 20      | .. |
| 06-कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | 24      | .. |
| 07-टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | .. | 6       | .. |
| 09-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 15      | .. |
| 11-किराया, उपशुल्क तथा कर स्वामिस्व              | .. | .. | .. | 10      | .. |
| 13-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन                  | .. | .. | .. | 5       | .. |
| 14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                | .. | .. | .. | 10,33   | .. |
| 32-अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | 65      | .. |
|  |    |    |    |         |    |
|  |    |    |    | योग, 10 | .. |
|  |    |    |    | 20,00   | .. |

11- अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-  
भू-भावंटियों की ऊसर भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाना—

|    |    |      |    |      |    |
|----|----|------|----|------|----|
| 95 | .. | 4,00 | .. | 1,40 | .. |
|----|----|------|----|------|----|

|                                    |      |    |
|------------------------------------|------|----|
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 3,00 | .. |
|------------------------------------|------|----|

12- प्रदेश के क्षारीय भूमि सुधार की प्रणवामी परियोजनाएँ—

|       |    |      |    |      |    |
|-------|----|------|----|------|----|
| 2,62  | .. | 2,40 | .. |      |    |
| 1,67  | .. | 1,55 | .. |      |    |
| 26    | .. | 35   | .. |      |    |
| 35    | .. | 20   | .. |      |    |
| 53    | .. | 25   | .. |      |    |
| 34    | .. | 40   | .. |      |    |
| ..    | .. | 85   | .. |      |    |
| ..    | .. | ..   | .. |      |    |
| 41,91 | .. | ..   | .. |      |    |
| 47,68 | .. | 6,00 | .. | 6,00 | .. |

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| 01--बैतन   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                                 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04-यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते                                   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                                | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13--विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन                 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 32-अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33-अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | .. | .. |

योग 12 .. ..



अनुदान संख्या 12; 1987-88  
कृषि तथा पशु सन्वर्धन विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक प्राकड़े<br>1985-86 |               | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |               | पुनरीक्षित अनुमान<br>1987-87 |               | शेषक | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |               |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------|-------------------------------|---------------|
| प्रायोजनागत                  | प्रायोजनानेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनानेतर | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनानेतर |      | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनानेतर |
| 13,82                        | ..            | 12,50                         | ..            |                              |               |      |                               |               |
| 9,31                         | ..            | 8,50                          | ..            |                              |               |      |                               |               |
| 1,69                         | ..            | 2,00                          | ..            |                              |               |      |                               |               |
| 91                           | ..            | 1,03                          | ..            |                              |               |      |                               |               |
| 1,12                         | ..            | 1,60                          | ..            |                              |               |      |                               |               |
| 18                           | ..            | 30                            | ..            |                              |               |      |                               |               |
| 1,29                         | ..            | 1,80                          | ..            |                              |               |      |                               |               |
| 71                           | ..            | 70                            | ..            |                              |               |      |                               |               |
| 3                            | ..            | 20                            | ..            |                              |               |      |                               |               |
| ..                           | ..            | ..                            | ..            |                              |               |      |                               |               |
| 28,88                        | ..            | 28,63                         | ..            | 32,50                        | ..            |      |                               |               |

2402—भू और जल-संरक्षण—

102—भूमि संरक्षण—(क्रमशः)

13—प्रदेश के मैदानी भाग में भूमि तथा जल-संरक्षण  
की योजना—

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | .. |
| 11—किराया, उपभूक्त तथा कर स्वामित्व              | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13—विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन                  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 32—प्रशिक्षण सहायता                              | .. | .. | .. | .. | .. |

योग; 13

14—उत्तर प्रदेश खड्ड भूमि के पुनर्वापन की  
योजना—

|      |    |      |    |  |  |  |  |  |
|------|----|------|----|--|--|--|--|--|
| 2,66 | .. | 2,60 | .. |  |  |  |  |  |
| 1,75 | .. | 1,82 | .. |  |  |  |  |  |
| 27   | .. | 41   | .. |  |  |  |  |  |
| 33   | .. | 46   | .. |  |  |  |  |  |
| 31   | .. | 39   | .. |  |  |  |  |  |
| 2    | .. | 2    | .. |  |  |  |  |  |
| 18   | .. | 40   | .. |  |  |  |  |  |

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | .. |

|             |    |             |    |
|-------------|----|-------------|----|
| 20          | .. | 24          | .. |
| 5           | .. | 5           | .. |
| ..          | .. | ..          | .. |
| ..          | .. | ..          | .. |
| <b>5;80</b> | .. | <b>6;30</b> | .. |
|             |    | <b>6;30</b> | .. |

|                                       |    |                |    |
|---------------------------------------|----|----------------|----|
| 11--किराया, उप बुल्क चीर कर स्वामिस्व | .. | ..             | .. |
| 13--विज्ञापन, विज्ञकी तथा विख्यापन    | .. | ..             | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता                    | .. | ..             | .. |
| 33--अन्य व्यय                         | .. | ..             | .. |
|                                       |    | <b>योग, 14</b> | .. |
|                                       |    |                | .. |

15--वायुवीथ छायाचित्र एवं सेटलाइट इमेजरी के निर्वाचन द्वारा ममि संरक्षण की योजना--

|             |    |             |    |
|-------------|----|-------------|----|
| 1,04        | .. | 1,22        | .. |
| 89          | .. | 85          | .. |
| 5           | .. | 20          | .. |
| 15          | .. | 15          | .. |
| 2           | .. | 5           | .. |
| ..          | .. | ..          | .. |
| <b>64</b>   | .. | <b>85</b>   | .. |
| <b>2,59</b> | .. | <b>3,32</b> | .. |
|             |    | <b>3,32</b> | .. |

|                    |    |                |             |    |
|--------------------|----|----------------|-------------|----|
| 01--बैतन           | .. | ..             | 1,22        | .. |
| 03--महंगाई मत्ता   | .. | ..             | 98          | .. |
| 04--यात्रा व्यय    | .. | ..             | 20          | .. |
| 05--अन्य मत्ते     | .. | ..             | 15          | .. |
| 06--कार्यालय व्यय  | .. | ..             | 5           | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता | .. | ..             | 20          | .. |
| 33--अन्य व्यय      | .. | ..             | 70          | .. |
|                    |    | <b>योग, 15</b> | <b>3,50</b> | .. |
|                    |    |                |             | .. |

16--राय बरेली नगर में ऊनर पुषार प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करने की योजना--

|           |    |             |    |
|-----------|----|-------------|----|
| 26        | .. | 50          | .. |
| ..        | .. | 10          | .. |
| 19        | .. | 40          | .. |
| 7         | .. | 15          | .. |
| 1         | .. | 10          | .. |
| 10        | .. | 10          | .. |
| 4         | .. | 25          | .. |
| 8         | .. | 15          | .. |
| ..        | .. | 5           | .. |
| ..        | .. | ..          | .. |
| ..        | .. | 70          | .. |
| <b>75</b> | .. | <b>2,50</b> | .. |
|           |    | <b>2,43</b> | .. |

|  |    |                |             |    |
|--|----|----------------|-------------|----|
| 01--बैतन                                     | .. | ..             | 70          | .. |
| 02--मजदूरी                                   | .. | ..             | 10          | .. |
| 03--महंगाई मत्ता                             | .. | ..             | 56          | .. |
| 04--यात्रा व्यय                              | .. | ..             | 15          | .. |
| 05--अन्य मत्ते                               | .. | ..             | 5           | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                            | .. | ..             | 10          | .. |
| 09--गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | ..             | 25          | .. |
| 11--किराया उप बुल्क चीर कर स्वामिस्व         | .. | ..             | 20          | .. |
| 13--विज्ञापन विज्ञकी और विख्यापन व्यय        | .. | ..             | 5           | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता                           | .. | ..             | 11          | .. |
| 33--अन्य व्यय                                | .. | ..             | 73          | .. |
|  |    | <b>योग, 16</b> | <b>3,00</b> | .. |
|  |    |                |             | .. |

81

5-2-21

घनमान संख्या 12, 1987-88  
 कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(इवार चरबी में)

| पारंपरिक पीछे<br>1985-88 |             | घात-अवयव अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरोचित अनुमान<br>1986-87 |             | शीर्षक   | घात-अवयव अनुमान<br>1987-88 |             |
|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|----------------------------|-------------|
| घापोत्रनागत              | घापोत्रनेतर | घापोत्रनागत                | घापोत्रनेतर | घापोत्रनागत                | घापोत्रनेतर |  | घापोत्रनागत                | घापोत्रनेतर |
| 12,84                    | ..          | 12,00                      | ..          |                            |             | 2402--भू और जल-संरक्षण--   |                            |             |
| 8,98                     | ..          | 8,00                       | ..          |                            |             | 102--भूमि संरक्षण (कमसा)--   |                            |             |
| 1,07                     | ..          | 1,70                       | ..          |                            |             | 17--केन्द्रीय या राज्य/केन्द्र द्वारा प्रोत्साहित योजनाएं--                          |                            |             |
| 1                        | ..          | 6                          | ..          |                            |             | 1701--वाड़ोन्मुख सोन नदी के जलागम क्षेत्र में एकी-<br>कृत जल समेट प्रबन्ध की योजना-- |                            |             |
| 50                       | ..          | 60                         | ..          |                            |             | 01--वेतन .. .. .   | 12,70                      | ..          |
| 2                        | ..          | 6                          | ..          |                            |             | 03--महंगाई भत्ता .. .. .   | 10,16                      | ..          |
| 55                       | ..          | 1,00                       | ..          |                            |             | 04--गावा व्यय .. .. .  | 1,80                       | ..          |
| 31                       | ..          | 45                         | ..          |                            |             | 05--ग्रन्थ भत्ते .. .. .   | ..                         | ..          |
| ..                       | ..          | 5                          | ..          |                            |             | 06--कार्यालय व्यय .. .. .  | 65                         | ..          |
| 26,77                    | ..          | 35,98                      | ..          |                            |             | 07--टेलीफोन पर व्यय .. .. .  | 2                          | ..          |
| ..                       | ..          | 10                         | ..          |                            |             | 09--मोटर गाड़ियों का अनुकरण तथा पेट्रोल की खरीद                                      | 1,00                       | ..          |
| ..                       | ..          | ..                         | ..          |                            |             | 11--किराया, उपभूक्त तथा कर स्वामित्व .. .. .   | 60                         | ..          |
| 2                        | ..          | ..                         | ..          |                            |             | 13--विज्ञापन, बिक्री तथा विख्यापन व्यय .. .. .                                       | 5                          | ..          |
|                          |             |                            |             |                            |             | 14--सहायक अनुदान / अंशदान/राज सहायता   | 50,33                      | ..          |
|                          |             |                            |             |                            |             | 23--अनुकरण .. .. .   | 10                         | ..          |
|                          |             |                            |             |                            |             | 32--अन्तरिम सहायता   | 1,91                       | ..          |
|                          |             |                            |             |                            |             | 33--अन्य व्यय .. .. .  | ..                         | ..          |
| 50,87                    | ..          | 60,00                      | ..          | 40,00                      | ..          | योग, 1701 .. .. .  | 79,32                      | ..          |

|       |    |       |    |  |  |   |       |    |
|-------|----|-------|----|--|--|---|-------|----|
| 40,37 | .. | 37,00 | .. |  |  | 1702--गोमती नदी के जलागम क्षेत्र में एकीकृत जल<br>समेट प्रबन्ध की योजना-- |       |    |
| 28,15 | .. | 26,00 | .. |  |  | 01--वेतन .. .. .  | 40,60 | .. |
| 4,00  | .. | 5,00  | .. |  |  | 03--महंगाई भत्ता .. .. .  | 32,48 | .. |
| 1,65  | .. | 2,00  | .. |  |  | 04--गावा व्यय .. .. .   | 5,20  | .. |
| 2,75  | .. | 3,00  | .. |  |  | 05--ग्रन्थ भत्ते .. .. .  | 1,80  | .. |
| 28    | .. | 60    | .. |  |  | 06--कार्यालय व्यय .. .. .   | 3,00  | .. |
|       |    |       |    |  |  | 07--टेलीफोन पर व्यय .. .. .   | 25    | .. |

|         |    |         |    |
|---------|----|---------|----|
| 3,55    | .. | 4,00    | .. |
| 1,02    | .. | 1,10    | .. |
| 22      | .. | 40      | .. |
| 1,22,55 | .. | 1,40,40 | .. |
| 28      | .. | 50      | .. |
| ..      | .. | ..      | .. |
| 2,04,82 | .. | 2,20,00 | .. |
| 1,50,00 | .. | ..      | .. |

|       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|
| 5,11  | .. | 5,00  | .. |
| 3,64  | .. | 4,00  | .. |
| 51    | .. | 80    | .. |
| 10    | .. | 15    | .. |
| 41    | .. | 40    | .. |
| 2     | .. | 6     | .. |
| 50    | .. | 60    | .. |
| 7     | .. | 20    | .. |
| ..    | .. | 10    | .. |
| 29,15 | .. | 33,69 | .. |
| ..    | .. | ..    | .. |
| ..    | .. | ..    | .. |
| 47    | .. | ..    | .. |
| 39,98 | .. | 45,00 | .. |
| 45,00 | .. | ..    | .. |

|   |    |         |    |
|---|----|---------|----|
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | 4,00    | .. |
| 11--किराया उपशुल्क तथा कर स्वामिस्व               | .. | 1,15    | .. |
| 13--विज्ञापन, बिक्री तथा विख्यापन व्यय            | .. | 40      | .. |
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                | .. | 2,03,48 | .. |
| 23--अनुरक्षण                                      | .. | 50      | .. |
| 32--मन्तारिम सहायता                               | .. | 6,10    | .. |
| योग, 1702   | .. | 2,98,96 | .. |

|   |    |       |    |
|---|----|-------|----|
| 1703--माताटीला नदी घाटी जलसम क्षेत्र की भूमि संरक्षण की योजना-- |    |       |    |
| 01--बेतन  | .. | 5,25  | .. |
| 03--महंगाई भत्ता  | .. | 4,20  | .. |
| 04--यात्रा व्यय   | .. | 60    | .. |
| 05--अन्य भत्ते  | .. | 10    | .. |
| 06--कार्यालय व्यय   | .. | 30    | .. |
| 07--टेलीफोन पर व्यय   | .. | 2     | .. |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद               | .. | 40    | .. |
| 11--किराया, उपशुल्क तथा कर स्वामिस्व                            | .. | 10    | .. |
| 13--विज्ञापन, बिक्री तथा विख्यापन व्यय                          | .. | 10    | .. |
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                              | .. | 32,84 | .. |
| 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संपन्न                             | .. | ..    | .. |
| 32--अन्तारिम सहायता   | .. | 79    | .. |
| 33--अन्य व्यय   | .. | 30    | .. |
| योग, 1703   | .. | 45,00 | .. |

अनुदान संख्या 12; 1987-88  
 कृषि तथा जल संवर्धन विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक आंकड़े<br>1985-86 |            | आवश्यक अनुदान<br>1986-87 |            | पुनरीकृत अनुदान<br>1986-87 |            | कीर्षक | आवश्यक अनुदान<br>1987-88 |            |
|---------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|
| आयोक्षणावत                | आयोक्षनेतर | आयोक्षणावत               | आयोक्षनेतर | आयोक्षणावत                 | आयोक्षनेतर |        | आयोक्षणावत               | आयोक्षनेतर |
| 2,66                      | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| 1,92                      | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| 41                        | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| ..                        | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| 34                        | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| 11                        | ..         | 1                        | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| ..                        | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| 16;78                     | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| ..                        | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| ..                        | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| ..                        | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| 41                        | ..         | ..                       | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |
| 22;63                     | ..         | 1                        | ..         | ..                         | ..         |        |                          |            |

2402—भू और जल-संरक्षण—

102—भूमि संरक्षण— (कमरा:)—

1704—वाटर कम्प्लेक्स / डारवेस्टिंग टेक्नालाजी विकास की योजना—

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 01--वेतन                                | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                        | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय                         | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते                          | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                       | .. | .. | .. |
| 11--विराया उप भूक और कर स्वामित्व       | .. | .. | .. |
| 13--बिद्यापन शिक्षी और विद्यापन पर व्यय | .. | .. | .. |
| 14 - सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता     | .. | .. | .. |
| 20--मशीनें और मरुजा/उपकरण और सयंत्र     | .. | .. | .. |
| 23--अनुरक्षण                            | .. | .. | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता                      | .. | .. | .. |
| 33 -अन्य व्यय                           | .. | .. | .. |

योग, 1704

84

1705—चम्बल एवं यमुना-नदी जल समेट क्षेत्र में बीहड़ सुधार की एकीकृत विकास की योजना (ई० ई० सी० को सहायता)—

|    |    |    |    |   |    |    |       |    |
|----|----|----|----|---|----|----|-------|----|
| .. | .. | .. | .. | 01--वेतन  | .. | .. | 16,00 | .. |
| .. | .. | .. | .. | 03--महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | 12,80 | .. |
| .. | .. | .. | .. | 04- यात्रा व्यय                                   | .. | .. | 4,65  | .. |
| .. | .. | .. | .. | 05--अन्य भत्ते                                    | .. | .. | 1,40  | .. |
| .. | .. | .. | .. | 06--कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | 2,30  | .. |
| .. | .. | .. | .. | 08--मोटर गाड़ियों का क्रय                         | .. | .. | 19,00 | .. |
| .. | .. | .. | .. | 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 2,00  | .. |





|    |       |    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|----|-------|
| .. | 89    | .. | 1,20  |    |       |
| .. | 4     | .. | 10    |    |       |
| .. | 1,22  | .. | ..    |    |       |
| .. | 48    | .. | 50    |    |       |
| .. | 9     | .. | 10    |    |       |
| .. | 12    | .. | 30    |    |       |
| .. | 1,00  | .. | 5     |    |       |
| .. | 1 22  | .. | 80    |    |       |
| .. | ..    | .. | ..    |    |       |
| .. | 29    | .. | 4     |    |       |
| .. | 27.03 | .. | 28,49 | .. | 30,14 |

|      |       |      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| 1,36 | ..    | 1,75 | ..    |      |       |
| 12   | ..    | 50   | ..    |      |       |
| 70   | ..    | 1,40 | ..    |      |       |
| 20   | ..    | 30   | ..    |      |       |
| 1    | ..    | 5    | ..    |      |       |
| 25   | ..    | 30   | ..    |      |       |
| 51   | ..    | 1,00 | ..    |      |       |
| 8    | ..    | 10   | ..    |      |       |
| ..   | ..    | ..   | ..    |      |       |
| ..   | ..    | ..   | ..    |      |       |
| 5    | ..    | 10   | ..    |      |       |
| 14   | ..    | 50   | ..    |      |       |
| ..   | ..    | ..   | ..    |      |       |
| 1    | ..    | ..   | ..    |      |       |
| 3,43 | ..    | 6,00 | ..    | 4,70 | ..    |
| 3,43 | 27,03 | 6,00 | 28,49 | 4,70 | 30,14 |

|  |    |    |       |
|--|----|----|-------|
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | 1,20  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | 10    |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय                         | .. | .. | ..    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 55    |
| 11—किराया, उपभूक्त और कर स्वामित्व               | .. | .. | 10    |
| 19—लघु निर्माण कार्य                             | .. | .. | 30    |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र              | .. | .. | 1,00  |
| 25—सामग्री और संपत्ति                            | .. | .. | 1,00  |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | 2,80  |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | 5     |
| योग, 01  | .. | .. | 35,55 |

02—प्रदेश के मैदानी भाग में भूमि संरक्षण, प्रशिक्षण केंद्र के सुदृढीकरण की योजना—

|   |    |    |      |    |
|---|----|----|------|----|
| 01—वेतन                                       | .. | .. | 1,60 | .. |
| 02—नजदूरी                                     | .. | .. | 50   | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                               | .. | .. | 1,20 | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                | .. | .. | 25   | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                               | .. | .. | 5    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                              | .. | .. | 28   | .. |
| 09—मोटर गाड़ी का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 80   | .. |
| 13—विज्ञापन, बिक्री एवं विद्यमान व्यय         | .. | .. | 10   | .. |
| 19—लघु निर्माण कार्य                          | .. | .. | ..   | .. |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र           | .. | .. | ..   | .. |
| 23—अनुरक्षण                                   | .. | .. | 10   | .. |
| 25—सामग्री और संपत्ति                         | .. | .. | 30   | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                             | .. | .. | 32   | .. |
| 33—अन्य व्यय                                  | .. | .. | ..   | .. |

योग, 02 5,50 ..

योग, 109 5,50 35,55

203 - भूमि को कृषि योग्य बनाना और उसका विकास—

01—केंद्रीय प्रायोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिर्घातित योजनायें --

0101 - ऊसर सुधार की एकीकृत की योजना --

14-- सहायक अनुदान/भंडारण/राज सहायता .. 1 ..



अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वित्तवर्ष 1985-86   | आय-अध्ययक अनुदान 1986-87 | सुनरीजित अनुदान 1986-87 | शेषक                               | आय-अध्ययक अनुदान 1987-88 |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| आयोजनागत  | आयोजनागत                 | आयोजनागत                |                                    | आयोजनागत                 |
| आयोजनागत  | आयोजनागत                 | आयोजनागत                |                                    | आयोजनागत                 |
| 1,18  | 2,00                     | 2,00                    |                                    |                          |
| ..  | 76,00                    | 78,00                   |                                    |                          |
| <b>2402--भू और जल-संरक्षण--</b>   |                          |                         |                                    |                          |
| <b>203--पूँजि को उर्वर बनाने और उत्तम विकास--</b>   |                          |                         |                                    |                          |
| 0102--ऊसर सुधार की योजना--  |                          |                         |                                    |                          |
| ..  | ..                       | 1,05,00                 | 25--सामग्री और सम्पत्ति            | .. ..                    |
| ..  | ..                       | 2,39,45                 | 33--अध्यय                          | .. ..                    |
| ..  | ..                       | 3,44,45                 | योग, 0103                          | .. ..                    |
| 0103--सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्यों हेतु सहायता--   |                          |                         |                                    |                          |
| ..  | ..                       | 1,10,00                 | 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | .. ..                    |
| ..  | ..                       | 4,54,46                 | योग, 203                           | .. 1 ..                  |
| <b>796--आदिम जाति क्षेत्र उपयोग--</b>   |                          |                         |                                    |                          |
| 01--प्रदेश के मैदानी भाग में भूमि एवं जल-संरक्षण योजना--  |                          |                         |                                    |                          |
| 14--सहायक अनुदान/अनुदान / राज सहायता  |                          |                         |                                    |                          |
| 2,00 ..   |                          |                         |                                    |                          |
| <b>2408--खाद्य भंडारण और भांडागारण--</b>  |                          |                         |                                    |                          |
| 02--भण्डारण और भाण्डागारण--   |                          |                         |                                    |                          |
| 190--सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों को सहायता--  |                          |                         |                                    |                          |
| 01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाएँ--   |                          |                         |                                    |                          |
| 0101--कृषि क्षेत्र के भाण्डारण हेतु राष्ट्रीय आधीन गोदामों के निर्माण हेतु राज्य उत्पादन मन्त्री परिषद् को सहायक अनुदान-- |                          |                         |                                    |                          |
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 86,50 ..   |                          |                         |                                    |                          |

0102-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल

कम्पोनेन्ट ब्लान—

कृषि उपज के मण्डारण हेतु राष्ट्रीय  
ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु राज्य  
उत्पादन मण्डी परिषद् के अनुदान --

14-जहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 14,58 ..

|         |    |       |    |       |    |
|---------|----|-------|----|-------|----|
| ..      | .. | 1,00  | .. | 4,00  | .. |
| 1,05,19 | .. | 80,00 | .. | 82,00 | .. |

योग, 190 .. 1,01,08 ..

2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा—

01-कृषि कार्य—

004-अनुसंधान—

01-सम्भागीय क्षेत्र केन्द्र—

|    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| .. | 19,25 | .. | 18,70 |
| .. | 32    | .. | 30    |
| .. | 12,95 | .. | 13,10 |
| .. | 90    | .. | 80    |
| .. | 1,25  | .. | 1,35  |
| .. | 47    | .. | 50    |
| .. | 9     | .. | 10    |
| .. | 15    | .. | 15    |
| .. | ..    | .. | 1,00  |
| .. | 40    | .. | 40    |
| .. | ..    | .. | 50    |
| .. | 78    | .. | 80    |
| .. | ..    | .. | ..    |
| .. | 27    | .. | 15    |
| .. | 36,83 | .. | 37,85 |
| .. | ..    | .. | 43,75 |

|   |    |    |        |
|---|----|----|--------|
| 01-बैतन   | .. | .. | 20,926 |
| 02-पत्रपुत्री                                     | .. | .. | 4      |
| 03-इंडगार्ड भत्ता                                 | .. | .. | 15,66  |
| 04-घाघा व्यय                                      | .. | .. | 1,00   |
| 05-अन्य भत्ते                                     | .. | .. | 1,50   |
| 06-कार्यालय व्यय                                  | .. | .. | 60     |
| 09-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खर्च: | .. | .. | 12     |
| 11-किराया, उपभूक्त और कर स्वामित्व                | .. | .. | 15     |
| 18-बृहत् निर्माण कार्य                            | .. | .. | 2,50   |
| 19-सूक्ष्म निर्माण कार्य                          | .. | .. | 40     |
| 20-नमीनें और सज्जा/उपकरण और संरंत्र               | .. | .. | 50     |
| 25-सामग्री और संपूर्ति                            | .. | .. | 1,05   |
| 32-अन्तरिम सहायता                                 | .. | .. | 4,19   |
| 33-अन्य व्यय                                      | .. | .. | 30     |
| योग, 0:   | .. | .. | 49,35  |



|       |    |       |    |       |
|-------|----|-------|----|-------|
| 9     | .. | 12    |    |       |
| 27    | .. | 30    |    |       |
| ..    | .. | 10    |    |       |
| 25    | .. | 30    |    |       |
| 12    | .. | 15    |    |       |
| ..    | .. | ..    |    |       |
| 14    | .. | 20    |    |       |
| <hr/> |    |       |    |       |
| 2,74  | .. | 3,14  | .. | 3,33  |
| <hr/> |    |       |    |       |
| 54,35 | .. | 57,01 | .. | 64,89 |

|       |       |    |       |          |
|-------|-------|----|-------|----------|
| ..    | 8,91  | .. | 8,20  |          |
| ..    | 23    | .. | 24    |          |
| ..    | 6,41  | .. | 5,74  |          |
| ..    | 38    | .. | 40    |          |
| ..    | 33    | .. | 35    |          |
| ..    | 33    | .. | 40    |          |
| ..    | 3     | .. | 4     |          |
| ..    | 7     | .. | 1     |          |
| ..    | 2,55  | .. | 1,50  |          |
| ..    | 1,29  | .. | 80    |          |
| ..    | ..    | .. | ..    |          |
| ..    | 67    | .. | 70    |          |
| <hr/> |       |    |       |          |
| ..    | 21,20 | .. | 18,38 | .. 21,68 |

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 2,42 | .. | 1,37 | .. |
| 1,45 | .. | 1,18 | .. |
| 24   | .. | 25   | .. |
| ..   | .. | 20   | .. |
| 45   | .. | 50   | .. |
| ..   | .. | ..   | .. |
| 18   | .. | 20   | .. |
| ..   | .. | ..   | .. |

|                                      |    |    |    |       |
|--------------------------------------|----|----|----|-------|
| 05—अन्य भत्ते                        | .. | .. | .. | 12    |
| 06—कार्यालय व्यय                     | .. | .. | .. | 35    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                   | .. | .. | .. | 10    |
| 20—मशीनें और मरम्मत/नपकरण और संयंत्र | .. | .. | .. | 35    |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति               | .. | .. | .. | 21    |
| 32—अन्तरिम सहायता                    | .. | .. | .. | 25    |
| 33—अन्य व्यय                         | .. | .. | .. | 21    |
| <hr/>                                |    |    |    |       |
| योग, 03                              | .. | .. | .. | 3,84  |
| <hr/>                                |    |    |    |       |
| योग, 004                             | .. | .. | .. | 80,00 |

277—शिक्षा—

01—राजकीय कृषि विद्यालय—

|                              |    |    |    |       |
|------------------------------|----|----|----|-------|
| 01—वेतन                      | .. | .. | .. | 8,97  |
| 02—भजदूरी                    | .. | .. | .. | 32    |
| 03—महंगाई भत्ता              | .. | .. | .. | 7,37  |
| 04—यात्रा व्यय               | .. | .. | .. | 50    |
| 05—अन्य भत्ते                | .. | .. | .. | 27    |
| 06—कार्यालय व्यय             | .. | .. | .. | 48    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय           | .. | .. | .. | 5     |
| 15—छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन | .. | .. | .. | ..    |
| 23—अनुरक्षण                  | .. | .. | .. | 2,00  |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति       | .. | .. | .. | 1,10  |
| 32—अन्तरिम सहायता            | .. | .. | .. | 1,79  |
| 33—अन्य व्यय                 | .. | .. | .. | 78    |
| <hr/>                        |    |    |    |       |
| योग, 01                      | .. | .. | .. | 23,63 |

02—राजकीय कृषि विद्यालयों का सुदृढीकरण एवं सेवाका तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार—

|  |    |    |    |      |
|--|----|----|----|------|
| 01—वेतन                                      | .. | .. | .. | 2,30 |
| 03—महंगाई भत्ता                              | .. | .. | .. | 1,92 |
| 04—यात्रा व्यय                               | .. | .. | .. | 30   |
| 05—अन्य भत्ते                                | .. | .. | .. | 15   |
| 06—कार्यालय व्यय                             | .. | .. | .. | 50   |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                           | .. | .. | .. | 10   |
| 09—गाड़ियां, 41 अनुरक्षण एवं पेट्रोल को खरीद | .. | .. | .. | 25   |
| 12—प्रकाशन                                   | .. | .. | .. | ..   |

अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

| वास्तविक आकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | वर्षिक   | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |          |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|
| प्रायोजनागत               | आयोजनेतर | प्रायोजनागत               | आयोजनेतर | प्रायोजनागत                  | आयोजनेतर |          | प्रायोजनागत               | आयोजनेतर |
| 30                        | ..       | 30                        | ..       | ..                           | ..       |          |                           |          |
| ..                        | ..       | ..                        | ..       | ..                           | ..       |          |                           |          |
| ..                        | ..       | ..                        | ..       | ..                           | ..       |          |                           |          |
| ..                        | ..       | ..                        | ..       | ..                           | ..       |          |                           |          |
| 5.04                      | ..       | 4.00                      | ..       | 9.72                         | ..       |          |                           |          |
| 5,04                      | 21,20    | 4,00                      | 18,38    | 9,72                         | 21,68    |          |                           |          |
|                           |          |                           |          |                              |          | योग, 02  | 7,00                      | ..       |
|                           |          |                           |          |                              |          | योग, 277 | 7,00                      | 23,63    |
|                           |          |                           |          |                              |          |          |                           |          |
| 85,00                     | 5,38,65  | 85,00                     | 6,54,00  | 85,00                        | 6,54,00  |          |                           |          |
| 27,50                     | 4,09,94  | 55,00                     | 4,30,44  | 55,00                        | 4,30,44  |          |                           |          |
| 1,76,00                   | 40,27    | 2,85,00                   | 42,28    | 2,85,00                      | 42,28    |          |                           |          |
| ..                        | 1,62     | ..                        | 3,00     | ..                           | ..       |          |                           |          |
| ..                        | 10       | ..                        | 1        | ..                           | 10       |          |                           |          |
| 2,88,50                   | 9,90,58  | 4,25,00                   | 11,29,73 | 4,25,00                      | 11,26,82 |          |                           |          |
|                           |          |                           |          |                              |          | योग, 120 | 4,60,00                   | 12,39,48 |

2415—अन्य कृषि अनुसंधान और शिक्षा —

10—कृषि कार्य—

004—अनुसंधान—(समाप्त)—

|  |      |       |
|--|------|-------|
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. | 40   | ..    |
| 25—सामग्री और सम्पूति ..               | 50   | ..    |
| 32—अन्तरिम सहायता ..                   | 48   | ..    |
| 33—अन्य व्यय ..                        | 10   | ..    |
| योग, 02                                | 7,00 | ..    |
| योग, 277                               | 7,00 | 23,63 |

५०—सामान्य—

120—अन्य संस्थाओं को सहायता—

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 01—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पल्लनगर को सहायक अनुदान—  |         |         |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..  | 1,10,00 | 7,19,40 |
| 02—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान—   |         |         |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..  | 65,00   | 4,73,48 |
| 03—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद को सहायक अनुदान—  |         |         |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..  | 2,85,00 | 46,50   |
| 04—द्विवर्षीय कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम वाली मान्यता प्राप्त निजी कृषि संस्थाओं के सम्बोधन अनुदान— |         |         |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..  | ..      | ..      |
| 05—नैनी कृषि संस्थान को अनुदान—   |         |         |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   |         | 10      |

2435-अन्य कृषि कार्यक्रम-

71-विपणन और किस्म नियंत्रण-

101-विपणन सुविधायें--

01-कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय संगठन की योजना,--

|     |       |    |       |    |       |
|-----|-------|----|-------|----|-------|
| ..  | 44,40 | .. | 42,00 |    |       |
| ..  | 18    | .. | 25    |    |       |
| FTI | 30,55 | .. | 29,40 |    |       |
| ..  | 2,30  | .. | 2,50  |    |       |
| ..  | 2,94  | .. | 3,60  |    |       |
| ..  | 2,28  | .. | 2,25  |    |       |
| ..  | 23    | .. | 30    |    |       |
| ..  | 1,07  | .. | 1,40  |    |       |
| ..  | 20    | .. | 20    |    |       |
| ..  | ..    | .. | ..    |    |       |
| ..  | ..    | .. | 10    |    |       |
| ..  | ..    | .. | 2     |    |       |
| ..  | 84,15 | .. | 82,00 | .. | 96,55 |
| ..  | ..    | .. | 2     | .. | 2     |

|                                      |         |    |       |
|--------------------------------------|---------|----|-------|
| 01-बेतन                              | ..      | .. | 50,00 |
| 02-मजदूरी                            | ..      | .. | 30    |
| 03-महंगाई भत्ता                      | ..      | .. | 40,00 |
| 04-यात्रा व्यय                       | ..      | .. | 2,80  |
| 05-अन्य भत्ते                        | ..      | .. | 4,50  |
| 06-कार्यालय व्यय                     | ..      | .. | 2,55  |
| 07-टेलीफोन पर व्यय                   | ..      | .. | 32    |
| 11-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व   | ..      | .. | 2,00  |
| 20-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र | ..      | .. | 30    |
| 32-अन्तरिम सहायता                    | ..      | .. | 10,00 |
| 33-अन्य व्यय                         | { मतदेय | .. | 15    |
|                                      | { भारित | .. | 2     |

योग, 01 { मतदेय .. 1,12,92  
{ भारित .. 2

02-बाजार विनियमन की योजना--

|                                      |    |    |       |
|--------------------------------------|----|----|-------|
| 01-बेतन                              | .. | .. | 14,00 |
| 03-महंगाई भत्ता                      | .. | .. | 11,20 |
| 04-यात्रा व्यय                       | .. | .. | 65    |
| 05-अन्य भत्ते                        | .. | .. | 1,00  |
| 06-कार्यालय व्यय                     | .. | .. | 30    |
| 20-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र | .. | .. | 5     |
| 32-अन्तरिम सहायता                    | .. | .. | 2,70  |
| 33-अन्य व्यय                         | .. | .. | 15    |

योग, 02 .. 30,05

|    |       |    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|----|-------|
| .. | 11,22 | .. | 12,10 |    |       |
| .. | 8,29  | .. | 8,47  |    |       |
| .. | 45    | .. | 50    |    |       |
| .. | 67    | .. | 70    |    |       |
| .. | 14    | .. | 20    |    |       |
| .. | 2     | .. | 5     |    |       |
| .. | ..    | .. | ..    |    |       |
| .. | ..    | .. | ..    |    |       |
| .. | 20,79 | .. | 22,02 | .. | 24,63 |

अनुसू. सद्यः 12; 1987-88

कृषि तथा ग्राम्य समृद्धि विभाग (कृषि)

(हजार रुपयों में)

| सांख्यिक धाकड़े<br>1986-86 | साय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | साय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| आयोजनागत                   | आयोजनागत                    | आयोजनागत                     | आयोजनागत                    |
| आयोजनागत                   | आयोजनागत                    | आयोजनागत                     | आयोजनागत                    |

2435—ग्राम्य कृषि कार्यक्रम— 1

01—विपणन और किस्म नियंत्रण—

101—विपणन सुविधायें— (क्रमबः)

03—विपणन परिज्ञान, बर्गीकरण, प्रसंग एवं अनुसंधान हेतु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना—

|      |    |      |   |      |
|------|----|------|---|------|
| 37   | .. | 90   | 01—वेतन .. ..                             | 1,10 |
| ..   | .. | 2    | 02—मजदूरी .. ..                           | 3    |
| 36   | .. | 60   | 03—बहुभाई भत्ता .. ..                     | 88   |
| 4    | .. | 10   | 04—बाधा व्यय .. ..                        | 10   |
| 5    | .. | 25   | 05—ग्राम्य भत्ते .. ..                    | 35   |
| 18   | .. | 20   | 06—कार्यालय व्यय .. ..                    | 25   |
| 1    | .. | 5    | 07—टेलीफोन पर व्यय .. ..                  | 5    |
| 1,06 | .. | 60   | 11—किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व .. ..   | 1,00 |
| 3    | .. | 5    | 12—प्रकाशन .. ..                          | 5    |
| ..   | .. | 3    | 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. .. | 4    |
| ..   | .. | 2    | 25—सामग्री और सम्पत्ति .. ..              | 3    |
| ..   | .. | ..   | 32—ज्वेलरिय सहकारिता .. ..                | 22   |
| ..   | .. | ..   | 33—ग्राम्य व्यय .. ..                     | 3    |
| 2,00 | .. | 2,82 | योग, 03 .. ..                             | 4,13 |

94

04—कृषि विपणन निदेशालय के मुख्यालय पर जीव बाह्य की

धरस्वा—

|    |    |   |                       |   |
|----|----|---|-----------------------|---|
| 5  | .. | 6 | 01—वेतन .. ..         | 7 |
| 4  | .. | 4 | 03—बहुभाई भत्ता .. .. | 6 |
| .. | .. | 1 | 04—बाधा व्यय .. ..    | 1 |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | .. | 1  | .. |    |    |
| 13 | .. | 13 | .. |    |    |
| .. | .. | .. | .. |    |    |
| 23 | .. | 31 | .. | 33 | .. |

|    |    |      |    |      |    |
|----|----|------|----|------|----|
| 19 | .. | 37   | .. |      |    |
| 2  | .. | 3    | .. |      |    |
| 11 | .. | 20   | .. |      |    |
| .. | .. | 6    | .. |      |    |
| 2  | .. | 6    | .. |      |    |
| 7  | .. | 8    | .. |      |    |
| 7  | .. | 7    | .. |      |    |
| 3  | .. | 8    | .. |      |    |
| 3  | .. | 5    | .. |      |    |
| .. | .. | ..   | .. |      |    |
| 7  | .. | 3    | .. |      |    |
| 61 | .. | 1,03 | .. | 1;03 | .. |

|      |    |      |    |      |    |
|------|----|------|----|------|----|
| 76   | .. | 92   | .. |      |    |
| 51   | .. | 47   | .. |      |    |
| 3    | .. | 10   | .. |      |    |
| 7    | .. | 12   | .. |      |    |
| 6    | .. | 5    | .. |      |    |
| 1    | .. | 9    | .. |      |    |
| ..   | .. | ..   | .. |      |    |
| ..   | .. | ..   | .. |      |    |
| 1;40 | .. | 1;75 | .. | 2;00 | .. |

|    |    |      |    |      |    |
|----|----|------|----|------|----|
| 43 | .. | 2,00 | .. | 2,00 | .. |
|----|----|------|----|------|----|

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| 05—अन्य जसे                                    | .. | 1  | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरोध एवं पेट्रोल को खरीद | .. | 20 | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                              | .. | 2  | .. |
| योग; 04  | .. | 37 | .. |

|   |    |      |    |
|---|----|------|----|
| 05—कृषि विपणन प्रशिक्षण केंद्रों के सुदृढ़ करने की योजना— |    |      |    |
| 01—नैतन   | .. | 32   | .. |
| 02—मजबूरी   | .. | 3    | .. |
| 03—नहंगाई मत्ता   | .. | 25   | .. |
| 04—बाबा व्यय  | .. | 6    | .. |
| 05—अन्य जसे   | .. | 7    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | 8    | .. |
| 12—प्रकाशन  | .. | 9    | .. |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संबंध                         | .. | 8    | .. |
| 25—सामग्री और सम्पुति                                     | .. | 3    | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता   | .. | 6    | .. |
| 33—अन्य व्यय  | .. | 2    | .. |
| योग, 05   | .. | 1;09 | .. |

|   |    |      |    |
|---|----|------|----|
| 06—कृषि विपणन क्षेत्र सम्बन्धित मण्डलीय कार्यालयों के सुदृढ़करण तथा नये जननीय कार्यालयों की स्थापना की योजना— |    |      |    |
| 01—नैतन   | .. | 1;32 | .. |
| 03—नहंगाई मत्ता   | .. | 1,03 | .. |
| 04—बाबा व्यय  | .. | 14   | .. |
| 05—अन्य जसे   | .. | 17   | .. |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | 15   | .. |
| 11—किराया, उपभूक्त एवं कर स्वामित्व   | .. | 15   | .. |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संबंध   | .. | 10   | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता   | .. | 24   | .. |
| योग, 06   | .. | 3,30 | .. |

|  |    |      |    |
|--|----|------|----|
| 07—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोजिट प्लास—<br>अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले विकास क्षेत्रों में जातियों के विकास हेतु अनुदान— |    |      |    |
| 14—सहायक अनुदान/प्रसदान/राज सहायता   | .. | 5,00 | .. |





पूँजी लेखा-

4401-कृषि कार्य पर पूँजी परिस्थय-

103-बीज-

01-उत्तम बीजों का सर्वोत्तम संग्रह तथा विस्तारण-

0101-प्रखेतों पर बीज भंडारों का निर्माण-

18-मृत्तु निर्माण कार्य .. .. 2,12,87 ..

0102-बीज विकास संबंधों हेतु भवनों का निर्माण--

18-मृत्तु निर्माण-कार्य . 14,40 ..

02-साधारण बीज भंडार-

0201-साधारण बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय-

33-अन्य व्यय .. .. 13,15,00

0202-मूसे की लागत और प्रासंगिक व्यय-

33-अन्य व्यय .. .. 45

0203-दोरियों की लागत और प्रासंगिक व्यय-

33-अन्य व्यय .. .. 70,00

0204-बूट और मेस्टा के बीजों की लागत

(प्रासंगिक व्यय सहित)-

33-अन्य व्यय .. .. 4,00

0205-कपास और विमोने के बीजों की लागत

(प्रासंगिक व्यय सहित)-

33-अन्य व्यय .. .. 6,00

0206-प्रदेश में उपलब्ध बीजों के संग्रह एवं

संबंधन की योजना-

33-अन्य व्यय .. .. .. ..

योग. 103 .. 2,27,27 13,95,45

105-खाद और उर्वरक-

01-भारत सरकार द्वारा प्रायोजित

रसायनिक उर्वरकों की लागत-

33-अन्य व्यय .. .. 25,00,00

02-देश में निर्मित रसायनिक उर्वरकों की लागत-

33-अन्य व्यय .. .. 6,00,00

03-उर्वरकों की दुलाई विक्री-कर प्राप्ति से सम्बन्धित

प्रासंगिक व्यय-

33-अन्य व्यय .. .. 3,00,00

|         |          |    |          |         |          |
|---------|----------|----|----------|---------|----------|
| 11;04   | ..       | .. | ..       | 2;20;00 | ..       |
| ..      | ..       | .. | ..       | 18;00   | ..       |
| ..      | 11,62,92 | .. | 13,00,00 | ..      | ..       |
| ..      | 2        | .. | 45       | ..      | ..       |
| ..      | 76,90    | .. | 65;00    | ..      | ..       |
| ..      | 3,50     | .. | 3;50     | ..      | ..       |
| ..      | 4,70     | .. | 6,00     | ..      | ..       |
| 1,38;75 | ..       | .. | ..       | ..      | ..       |
| 1,47,79 | 12,43,04 | .. | 13,74,95 | 2,33,00 | 13,74,95 |

|    |          |    |          |    |          |
|----|----------|----|----------|----|----------|
| .. | 17,10,55 | .. | 25,00,00 | .. | 55,00,00 |
| .. | 2,93,09  | .. | 6;00,00  | .. | 6;00,00  |
| .. | 2,08,00  | .. | 3,00,00  | .. | 8,00,00  |

अनुदान संख्या 12, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विभाग (कृषि)

(हजार रुपये में)

| वार्श्विक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक  | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |               |
|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|---|----------------------------|---------------|
| आयोजनागत                    | आयोजन तर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |   | आयोजनागत                   | आयोजनेतर      |
|                             |          |                            |          |                            |          | <b>4401--कृषि कार्य पर पूंजां परिव्यय--</b>                                 |                            |               |
|                             |          |                            |          |                            |          | 105--खाद और उर्वरक--(समाप्त)  |                            |               |
|                             |          |                            |          |                            |          | 04--उर्वरक योदाओं का किराया--   |                            |               |
| ..                          | 20,76    | ..                         | 28,00    | ..                         | 28,00    | 33--अन्य व्यय   | ..                         | 28,0          |
|                             |          |                            |          |                            |          | 05--मेरठ तथा वाराणसी उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भवन का विस्तार--        |                            |               |
| ..                          | ..       | ..                         | ..       | ..                         | ..       | 18--वृहत् निर्माण--   | ..                         | 1;50          |
|                             |          |                            |          |                            |          | योग; 105  | ..                         | 1,50 34,28,00 |
| ..                          | 22,32,40 | ..                         | 34,28,00 | ..                         | 64;28,00 |   |                            |               |
|                             |          |                            |          |                            |          | <b>107--शोका संरक्षण--</b>  |                            |               |
|                             |          |                            |          |                            |          | 01--कीटनाशक प्रोषणियों की खरीद को लागत त्रिसर्व प्राथमिक व्यय सम्मिलित है-- |                            |               |
| ..                          | 6;99,61  | ..                         | 9;00,00  | ..                         | 10;00,00 | 33--अन्य व्यय   | ..                         | 12,00,00      |
|                             |          |                            |          |                            |          | योग, 107  | ..                         | 12,00,00      |
| ..                          | 6;99,61  | ..                         | 9,00;00  | ..                         | 10;00,00 |   |                            |               |
|                             |          |                            |          |                            |          | <b>113--कृषि इन्जीनियरी--</b>   |                            |               |
|                             |          |                            |          |                            |          | 01--उत्कृष्ट कृषि यंत्रों के प्रसार प्रदर्शन एवं वितरण की योजना--           |                            |               |
| 2,00                        |          | ..                         | ..       | ..                         | ..       | 18--वृहत् निर्माण-कार्य   | ..                         | ..            |
|                             |          |                            |          |                            |          | 02--उत्कृष्ट कृषि यंत्रों के प्रसार, विकास व वितरण की योजना--               |                            |               |
| 2,96                        |          | ..                         | ..       | ..                         | ..       | 18--वृहत् निर्माण-कार्य   | ..                         | ..            |
|                             |          |                            |          |                            |          | योग, 113  | ..                         | ..            |
| 4,96                        |          |                            |          | ..                         | ..       |   |                            |               |

|    |      |    |      |         |
|----|------|----|------|---------|
| .. | ..   | .. | ..   | 7,66,00 |
| .. | 3,40 | .. | 6,00 | 6,00    |
| .. | ..   | .. | 50   | 50      |
| .. | 3,40 | .. | 6,00 | 6,00    |
| .. | ..   | .. | 50   | 50      |

|       |    |    |       |    |
|-------|----|----|-------|----|
| 82,70 | .. | .. | 47,21 | .. |
| 82,90 | .. | .. | 47,21 | .. |

|         |    |         |         |    |
|---------|----|---------|---------|----|
| 8,77,40 | .. | 1,73,10 | 1,73,10 | .. |
|---------|----|---------|---------|----|

190- सरकारी क्षेत्र के उपकरणों तथा अन्य उपकरणों के निवेश--

01- उत्तर प्रदेश एग्री इन्वैस्टियल कारपोरेशन के अंशकों का क्रय--

24- निवेश/ऋण .. .. .

800- अन्य व्यय--

01- बीजारों की लागत--

33- अन्य व्यय .. 3,50

02- क्याबालय द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों की क्षमता का सुगमता खाते (भारत)--

33- अन्य व्यय .. 50

योग, 800.. { नतवेन .. 3,50

{ भारत .. 50

4408- बाज, भण्डारण और पशु पूंजी परिव्यय--

02- भण्डारण और भण्डागारण--

800- अन्य व्यय--

01-- देश के मैदानी क्षेत्र में कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण की योजना (जिला योजना)--

18- वृहत् निर्माण-कार्य .. .. 1,02,40

योग, 800 1,02,40

4415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजी परिव्यय--

01- कृषि कार्य--

800- अन्य व्यय--

01-- उ०प्र० में कृषि प्रसार की योजना (विश्व बैंक पोषित)

18- वृहत् निर्माण कार्य .. .. .

02-- राजकीय नलकूप परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य--

18- वृहत् निर्माण कार्य .. .. .

03-- केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिष्ठाभित योजना--

0301-- उ०प्र० में चावल उत्पादन बढ़ाने की योजना

18- वृहत् निर्माण कार्य .. .. .



|    |         |    |         |    |          |
|----|---------|----|---------|----|----------|
| .. | 8,00,00 | .. | 8,00,00 | .. | 14,00,00 |
|----|---------|----|---------|----|----------|

02—उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम एवं  
अन्य शीर्ष संस्थाओं को उर्वरकों के व्यापार  
हेतु ऋण—

24—निवेश/ऋण .. .. 10,00,00

03—यूरोपीय आर्थिक समुदाय की योजना के अन्तर्गत प्रदेश की  
मैम्बरियों के विकास एवं निर्माण हेतु मण्डी परिषद् को  
उधार -

24-- निवेश/ऋण .. ..

|    |          |    |          |         |          |
|----|----------|----|----------|---------|----------|
| .. | ..       | .. | 1,59,25  | ..      |          |
| .. | 12,00,00 | .. | 12,00,00 | 1,59,25 | 19,00,00 |

योग, 190 .. .. 14,00,00

1--घटाइये-पूँजी लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां—  
उपर्युक्त अनुमानों में नोबेदी गयी वसूलियां  
सम्प्रलित नहीं हैं जिन्हें लेखे में व्यय में घटा दिया  
गया है।—

4401—कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय—

|    |          |    |          |    |          |
|----|----------|----|----------|----|----------|
| .. | 12,66,31 | .. | 10,08,50 | .. | 12,10,40 |
| .. | 31,01,10 | .. | 34,28,00 | .. | 64,28,00 |
| .. | 6,99,99  | .. | 9,00,00  | .. | 9,00,00  |
| .. | 1,68,49  | .. | 4,00     | .. | 3,16     |
| .. | 52,35,89 | .. | 53,40,50 | .. | 85,41,56 |

103--बीज .. 12,62,50

105--खाद और उर्वरक .. 34,28,00

107--पौधा संरक्षण--

01 --फीटनाशक प्रोषधियां .. 12,00,00

800--अन्य व्यय--

01--मोजार .. 3,66

योग, वसूलियां .. 58,94,16



# अनुदान संख्या 13

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)

1—उत्तर प्रदेश का अनुमान जिसकी वित्त 4 वर्ष 1987-88 में व्यय के लिए प्रावश्यकता है—

|       | राजस्व               | पूंजी              | योग                  |
|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| मतदेय | 3,79,29,53,000 रुपये | 17,76,12,000 रुपये | 3,97,05,65,000 रुपये |
| भारित | 10,000 रुपये         | .. रुपये           | 10,000 रुपये         |

2—अनुदान का मुख्य शीर्षकों के अनुसार विभाजनः—

(हजार रुपये में)

| वास्तविक प्राकड़े<br>1985-86 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |

राजस्व लेखा—

|  |            |    |    |            |          |            |          |            |          |            |          |
|--|------------|----|----|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 2013—मंत्रि परिषद्                       | ..         | .. | .. | ..         | 35       | ..         | 35       | ..         | 35       | ..         | 35       |
| 2245—देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत | ..         | .. | .. | 6,93,28    | ..       | ..         | ..       | ..         | ..       | ..         | ..       |
| 2501—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम    | ..         | .. | .. | 67,64,91   | ..       | 74,51,00   | ..       | 74,51,00   | ..       | 90,73,00   | ..       |
| 2505—ग्रामीण रोजगार                      | ..         | .. | .. | 1,80,76,68 | ..       | 2,78,00,00 | ..       | 1,75,38,00 | ..       | 1,84,30,00 | ..       |
| 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम        | [ मतदेय .. | .. | .. | 26,75,21   | 43,31,32 | 25,55,64   | 45,79,86 | 26,83,13   | 49,41,88 | 27,67,97   | 57,43,00 |
|  |            |    |    | [ भारित .. | ..       | 15         | ..       | 10         | ..       | 10         | ..       |
| 2702—लघु सिंचाई                          | ..         | .. | .. | 2,61,54    | 2,77,28  | 9,81,57    | 6,75,79  | 14,16,27   | 6,71,29  | 10,61,38   | 8,53,83  |
| योग, राजस्व लेखा                         | [ मतदेय .. | .. | .. | 2,77,78,34 | 53,02,23 | 3,87,88,21 | 52,56,00 | 2,90,88,40 | 56,13,52 | 3,13,32,35 | 65,97,18 |
|  |            |    |    | [ भारित .. | ..       | 15         | ..       | 10         | ..       | 10         | ..       |



अनुदान संख्या 13; 1987-88  
कृषि तथा ग्राम्य सम्वद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(हजार रुपये में)

|   | वास्तविक धाकड़े<br>1985-86 |            | आय-अवयक अनुमान<br>1986-87 |            | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |            | आय-अवयक अनुमान<br>1987-88 |            |            |          |
|---|----------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------|
|   | आयोजनागत                   | आयोजनान्तर | आयोजनागत                  | आयोजनान्तर | आयोजनागत                     | आयोजनान्तर | आयोजनागत                  | आयोजनान्तर |            |          |
| पूँजी सौदा—   |                            |            |                           |            |                              |            |                           |            |            |          |
| 4715—ग्राम्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पर<br>पूँजी परिव्यय | .. 2,41,35                 | ..         | 5,75,28                   | ..         | 6,85,43                      | ..         | 15,99,00                  | ..         |            |          |
| 4702—लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय                          | .. 108                     | 83,98      | 94,25                     | 56,00      | 94,25                        | 56,00      | 1,13,12                   | 64,00      |            |          |
| योग; पूँजी सेवा   | .. 2,42,43                 | 83,98      | 6,69,53                   | 56,00      | 7,79,68                      | 56,00      | 17,12,12                  | 64,00      |            |          |
| कुल योग ..  | [मतदेय<br>भारित            |            | 2,80,20,77                | 53,86,21   | 3,94,57,74                   | 53,12,00   | 2,98,68,08                | 56,69,52   | 3,30,44,47 | 66,61,18 |
|   | ..                         | ..         | 15                        | ..         | 10                           | ..         | 10                        | ..         | 10         |          |

3—विनिर्माण लेखों के लिये मुख्य, उपमुख्य, लघु तथा उप शीर्षक:—

(हजार रुपये में)

| वस्तुविक्रम आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरोक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक  | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |          |    |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|----------|---|---------------------------|----------|----|
| वा.पे.नागत                    | आयोजनेतर | आयोजनागत                  | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |   | आयोजनागत                  | आयोजनेतर |    |
| ..                            | 35       | ..                        | 35       | ..                           | 35       |   |                           |          |    |
| ..                            | 35       | ..                        | 35       | ..                           | 35       |   |                           |          |    |
|                               |          |                           |          |                              |          | <b>गजस्व लेखा—</b>                            |                           |          |    |
|                               |          |                           |          |                              |          | <b>2013—मंत्रि परिषद्—</b>                    |                           |          |    |
|                               |          |                           |          |                              |          | 105—मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान         | ..                        | ..       | 85 |
|                               |          |                           |          |                              |          | योग, 2013                                     | ..                        | ..       | 85 |
|                               |          |                           |          |                              |          | <b>2245—देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में</b>    |                           |          |    |
|                               |          |                           |          |                              |          | <b>राहत—</b>                                  |                           |          |    |
|                               |          |                           |          |                              |          | 02—बाढ़, चक्रवात आदि—                         |                           |          |    |
| ..                            | 6,93,28  | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 800—अन्य व्यय                                 | ..                        | ..       |    |
| ..                            | 6,93,28  | ..                        | ..       | ..                           | ..       | योग, 2245                                     | ..                        | ..       |    |
|                               |          |                           |          |                              |          | <b>2501—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम—</b> |                           |          |    |
|                               |          |                           |          |                              |          | 01—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम—            |                           |          |    |
| 67,64,91                      | ..       | 74,51,00                  | ..       | 74,51,00                     | ..       | 800—अन्य व्यय                                 | 90,73,00                  | ..       |    |
| 67,64,91                      | ..       | 74,51,00                  | ..       | 74,51,00                     | ..       | योग, 2501                                     | 90,73,00                  | ..       |    |

प्रनुदान संख्या 13, 1987-88  
कृषि तथा ग्रन्थ सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक प्राकृष्टे<br>1985-86 |              | प्राय-व्ययक प्रनुमान<br>1986-87 |              | पूनु रीक्षित प्रनुमान<br>1986-87 |              | श्रीपंक                                       |           | प्राय-व्ययक प्रनुमान<br>1987-88 |              |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|-----------|---------------------------------|--------------|
| प्रायोजनागत                    | प्रायोजनांतर | प्रायोजनागत                     | प्रायोजनांतर | प्रायोजनागत                      | प्रायोजनांतर |   |           | प्रायोजनागत                     | प्रायोजनांतर |
| 94,73,36                       | ..           | 87,84,00                        | ..           | 87,84,00                         | ..           | 2505—ग्रामोण रोजगार                           |           |                                 |              |
| ..                             | ..           | 16,00                           | ..           | 16,00                            | ..           | 01—राष्ट्रीय कार्यक्रम—                       |           |                                 |              |
| 94,73,36                       | ..           | 88,00,00                        | ..           | 88,00,00                         | ..           | 701—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम        | ..        | 84,14,00                        | ..           |
|                                |              |                                 |              |                                  |              | 796—आदिम जाति क्षेत्र उपयोग                   | ..        | 16,00                           | ..           |
|                                |              |                                 |              |                                  |              | योग, 01                                       | ..        | 84,30,00                        | ..           |
|                                |              |                                 |              |                                  |              | 60—अन्य कार्यक्रम—                            |           |                                 |              |
| 86,93,32                       | ..           | 1,90,00,00                      | ..           | 87,38,00                         | ..           | 101—ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम | ..        | 1,00,00,00                      | ..           |
| 1,80,76,68                     | ..           | 2,78,00,00                      | ..           | 1,75,38,00                       | ..           | योग, 2505                                     | ..        | 1,84,30,00                      | ..           |
|                                |              |                                 |              |                                  |              | 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम—            |           |                                 |              |
| 25,23,86                       | 43,31,32     | 19,93,06                        | 44,70,18     | 20,82,13                         | 48,32,20     | 102—सामुदायिक विकास                           | ..        | 21,66,47                        | 56,07,74     |
| ..                             | 15           | ..                              | 10           | ..                               | -10          | (मतवेय ..                                     | ..        | ..                              | 10           |
| 3,00                           | ..           | 1,00                            | ..           | 1,00                             | ..           | (भारित ..                                     | ..        | ..                              | ..           |
| 1,48,35                        | ..           | 5,61,58                         | 1,09,68      | 6,00,00                          | 1,09,68      | 796—आदिम जाति क्षेत्र उपयोग                   | ..        | 1,50                            | ..           |
| 26,75,21                       | 43,31,32     | 25,55,64                        | 45,79,86     | 26,83,13                         | 49,41,88     | 800—अन्य व्यय                                 | ..        | 6,00,00                         | 1,35,26      |
| ..                             | 15           | ..                              | 10           | ..                               | 10           | योग, 2515                                     | ..        | 27,67,97                        | 57,43,00     |
|                                |              |                                 |              |                                  |              | (मतवेय ..                                     | ..        | ..                              | 10           |
|                                |              |                                 |              |                                  |              | (भारित  | ..        | ..                              | ..           |
|                                |              |                                 |              |                                  |              | 2702—लघु सिंचाई—                              |           |                                 |              |
| ..                             | 2,45,85      | ..                              | 1,30,84      | ..                               | 1,26,34      | 02—भूगत जल—                                   |           |                                 |              |
| 9,58                           | 3,63         | 32,23                           | 18,49        | 32,73                            | 18,49        | 005—सन्वेषण                                   | ..        | 15,00                           | 1,65,54      |
|                                |              |                                 |              |                                  |              | 800—अन्य व्यय                                 | ..        | 20,27                           | 23,39        |
| 9,58                           | 2,49,48      | 32,23                           | 1,49,33      | 32,73                            | 1,44,83      | योग, 02                                       | ..        | 35,27                           | 1,88,93      |
|                                |              |                                 |              |                                  |              | 80—सामान्य—                                   |           |                                 |              |
| 2,51,96                        | 27,80        | 9,49,34                         | 5,26,46      | 13,83,54                         | 5,26,46      | 800—अन्य व्यय                                 | ..        | 10,26,11                        | 6,64,90      |
| 2,61,54                        | 2,77,28      | 9,81,57                         | 6,75,79      | 14,16,27                         | 6,71,29      | योग, 2702                                     | ..        | 10,61,38                        | 8,53,83      |
| ..                             | ..           | 3,87,88,21                      | 52,56,00     | 2,90,88,40                       | 56,13,52     | योग, राजस्व लेखा                              | (मतवेय .. | 3,13,32,35                      | 65,97,18     |
| ..                             | ..           | ..                              | 10           | ..                               | 10           | (भारित ..                                     | ..        | ..                              | 10           |

|         |    |         |    |         |    |
|---------|----|---------|----|---------|----|
| 2,41,35 | .. | 5,75,28 | .. | 6,85,43 | .. |
| 2,41,35 | .. | 5,75,28 | .. | 6,85,43 | .. |

|         |       |         |       |         |       |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1,08    | 83,98 | 94,25   | 56,00 | 94,25   | 56,00 |
| 1,08    | 83,98 | 94,25   | 56,00 | 94,25   | 56,00 |
| 2,42,43 | 83,98 | 6,69,53 | 56,00 | 7,79,68 | 56,00 |

|    |   |      |      |     |      |
|----|---|------|------|-----|------|
| .. | 1 | 2,00 | 3,00 | 200 | 3,00 |
|----|---|------|------|-----|------|

2—असंतत आ सविस्तर विवरण पृष्ठ 109 से 133 तक देखिये ।

### 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों

#### पर पूंजी परिव्यय—

|                     |    |          |    |
|---------------------|----|----------|----|
| 102—सामुदायिक विकास | .. | 15,99,00 | .. |
| भाग, 4515           | .. | 15,99,00 | .. |

#### 4702—लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय—

|                 |    |          |       |
|-----------------|----|----------|-------|
| 02—भूगत जल—     |    |          |       |
| 800—अन्य व्यय   | .. | 1,13,12  | 64,00 |
| योग, 4702       | .. | 1,13,12  | 64,00 |
| योग, पूंजी लेखा | .. | 17,12,12 | 64,00 |

भाग 4—टिप्पणी—उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दी गई बसूलियां सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें लेख में व्यय में से घटा दिया गया है—

#### 4702—लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय—

|               |    |      |      |
|---------------|----|------|------|
| 02—भूगत जल—   |    |      |      |
| 800—अन्य व्यय | .. | 2,00 | 3,00 |

अनुदान संख्या 13. 1987-88  
 कृषि तथा ग्राम सम्वर्धन विभाग (ग्राम्य विकास)

(इजार रुपये में)

| वार्षिक प्रारंभ<br>1985-86 | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |             | शीर्षक  | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |
|----------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---|---------------------------|
| प्रायोजनागत आयोजनेतर       | प्रायोजनागत               | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर |   | प्रायोजनागत आयोजनेतर      |
| ..                         | 35                        | ..          | 35                           | ..          | राजस्व लेखा—  |                           |
| ..                         | 35                        | ..          | 35                           | ..          | 2013—मंत्रि परिषद्—   |                           |
|                            |                           |             |                              |             | 105—मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान—                        |                           |
|                            |                           |             |                              |             | 01—ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान—              |                           |
|                            |                           |             |                              |             | 14—सहायक अनुदान / प्रशदान / राज सहायता                        | .. 35                     |
|                            |                           |             |                              |             | योग, 2013   | .. 35                     |
|                            |                           |             |                              |             | 2245—दंडी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत—                     |                           |
|                            |                           |             |                              |             | 02—बाढ़, चक्रवात आदि—   |                           |
| ..                         | 6,93,28                   | ..          | ..                           | ..          | 800—अन्य व्यय   | .. ..                     |
| ..                         | 6,93,28                   | ..          | ..                           | ..          | योग, 2245   | .. ..                     |
|                            |                           |             |                              |             | 2501—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम—                        |                           |
|                            |                           |             |                              |             | 01—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम—                            |                           |
|                            |                           |             |                              |             | 800—अन्य व्यय—  |                           |
|                            |                           |             |                              |             | 01—केंद्रीय प्रायोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाएँ— |                           |
|                            |                           |             |                              |             | 0101—एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम—                          |                           |
|                            |                           |             |                              |             | 01—वेतन   | .. .. 1,50,00             |
|                            |                           |             |                              |             | 02—महंगाई भत्ता   | .. .. 1,23,00             |

1,53,26 .. 1,50,70 ..  
 1,12,39 .. 1,08,00 ..

|          |    |          |                |
|----------|----|----------|----------------|
| 34,10    | .. | 31,48    | ..             |
| 9,72     | .. | 9,82     | ..             |
| 31,34,54 | ** | 31,35,00 | ..             |
| ..       | .. | ..       | ..             |
| <hr/>    |    |          |                |
| 34,44,01 |    | 34,35,00 | .. 34,35,00 .. |

|            |    |          |    |          |    |
|------------|----|----------|----|----------|----|
| 32,91,04   | .. | 39,96,00 | .. | 39,96,00 | .. |
| 29,86      | .. | 20,00    | .. | 20,00    | .. |
| <hr/>      |    |          |    |          |    |
| 07,10,4,01 | .. | 74,51,00 | .. | 74,51,00 | .. |

|    |    |         |    |         |
|----|----|---------|----|---------|
| .. | .. | 8,00,00 | .. | 8,00,00 |
|----|----|---------|----|---------|

|                                  |    |    |          |    |
|----------------------------------|----|----|----------|----|
| 04—याता व्यय                     | .. | .. | 32,00    | .. |
| 05—अन्य भत्ते                    | .. | .. | 3,00     | .. |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता |    |    | 47,23,00 | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                | .. | .. | 12,00    | .. |
| <hr/>                            |    |    |          |    |
| योग, 0101 ..                     |    |    | 50,53,00 | .. |

|  |    |    |          |    |
|--|----|----|----------|----|
| 0102—सबू तथा सोमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता-- |    |    |          |    |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता                                 |    |    | 40,10,00 | .. |
| 0103—ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के उत्थान की योजना— |    |    |          |    |
| 33—अन्य व्यय   | .. | .. | 20,00    | .. |
| <hr/>  |    |    |          |    |
| योग, 800   |    |    | 90,73,00 | .. |

2505—ग्रामीण रोजगार—

|  |    |    |         |    |
|--|----|----|---------|----|
| 01—राष्ट्रीय कार्यक्रम—                                    |    |    |         |    |
| 701—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम—                    |    |    |         |    |
| 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिश्चित योजनायें— |    |    |         |    |
| 0101—पर्वतीय क्षेत्र—                                      |    |    |         |    |
| 33—अन्य व्यय   | .. | .. | 9,00,00 | .. |

अनुदानसूची 13, 1987-88  
कृषि तथा ग्राम सुव्यवस्था विभाग (ग्राम विकास)

(रुपार ५७वीं बें)

| वित्तवर्षिक प्रकृति<br>1985-86  | घाव-व्यय अनुमान<br>1986-87 | सुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 | वित्तवर्षिक<br>कोड | शेर्षक   | घाव-व्यय अनुमान<br>1987-88 |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------------------------|
| घा 4.1148   | आयोजनेतर                   | आयोजनागत                   | आयोजनेतर           | आयोजनागत | आयोजनेतर                   |
| 89,22,36  | ..                         | 79,84,00                   | ..                 | 79,84,00 | ..                         |
| 6,51,00   | ..                         | ..                         | ..                 | ..       | ..                         |
| 94,73,36  | ..                         | 87,84,00                   | ..                 | 87,84,00 | ..                         |
| 2505—ग्रामीण रोजगार—  |                            |                            |                    |          |                            |
| 01—राष्ट्रीय कार्यक्रम—   |                            |                            |                    |          |                            |
| 70—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (समाप्त)  |                            |                            |                    |          |                            |
| 0102—मंडानी क्षेत्र—  |                            |                            |                    |          |                            |
| 33—अन्य व्यय .. ..  |                            |                            |                    |          | 76,14,00                   |
| 0103—सूखा राहत के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण<br>रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता—   |                            |                            |                    |          |                            |
| 14—सहायक अनुदान/असादान/राज सहायता ..  |                            |                            |                    |          |                            |
|   |                            |                            |                    |          | योग, 701                   |
|   |                            |                            |                    |          | 84,14,00                   |
| 796—आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना—  |                            |                            |                    |          |                            |
| 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिघानित योजनायें—<br>गोष्ठा तथा खीरी में राष्ट्रीय ग्रामीण<br>रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन— |                            |                            |                    |          |                            |
| 33—अन्य व्यय  |                            |                            |                    |          | 16,00                      |
|   |                            |                            |                    |          | योग, 796                   |
|   |                            |                            |                    |          | 16,00                      |

60--अन्य कार्यक्रम--

101--ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें--

0101--ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की योजना--

86,03,32 .. 1,90,00,00 .. 87,38,00 ..

33--अन्य व्यय .. 1,00,00,00 ..

86,03,32 .. 1,90,00,00 .. 87,38,00 ..

योग, 101 1,00,00,00 ..

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--

102--सामुदायिक विकास -

01--मुख्य अखण्डान -

50,18 14,84,20 52,07 18,15,84  
36,11 11,55,34 40,44 12,73,00  
7,24 2,17,41 10,74 2,50,40  
70 2,05,63 84 31,14  
90 4,12,86 90 45,00  
.. 6 .. 6  
6,35,28 83,28 17,00 1,50,00  
.. .. 77 50,00  
.. .. .. 61,56  
.. .. .. ..  
.. 21 .. ..

01--वेतन .. .. 58,00 20,19,94  
03--नगरपालिका .. .. 46,40 16,15,95  
04--घावा रोग .. .. 10,80 2,67,00  
05--अन्य प्रकृति .. .. 77 31,37  
06--कार्यालय खर्च .. .. 90 50,00  
07--टेलीफोन पर व्यय .. .. 6  
08--मोटर गाड़ियों का क्रय .. 32,00 1,14,00  
09--मोटर गाड़ियों का मरुदरक्षण एवं बेदोल की खरीद .. 95 56,64  
23--मरुदरक्षण .. .. 70,00  
32--अन्तरिम सहायता .. 11,60 4,03,99  
33--अन्य व्यय .. ..

7,30,41 35,58,99 1,22,76 36,77,00 1,22,76 40,37,00

योग, 01 .. 1,61,42 46,28,95



प्रनुमान संख्या 13, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(द्वारकियों में)

| वित्तिक मांकड़े<br>1985-86 | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरोक्ति अनुमान<br>1986-87 | शोईक   | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| प्रायोजनागत                | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनागत                 |  | प्रायोजनागत                   |
| ..                         | ..                            | ..                          | 2515—अन्य ग्रामीणी विकास कार्यकर्म—                      |                               |
| ..                         | ..                            | ..                          | 102—समुदायिक विकास—(क्रमशः)—                             |                               |
| ..                         | ..                            | ..                          | 02—ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज निदेशालय—               |                               |
| ..                         | ..                            | ..                          | 01—वेतन .. .. .  | 32                            |
| ..                         | ..                            | ..                          | 03—महंगाई भत्ता .. .. .                                  | 26                            |
| ..                         | ..                            | ..                          | 04—यात्रा व्यय .. .. .                                   | 10                            |
| ..                         | ..                            | ..                          | 05—अन्य भत्ते .. .. .                                    | 6                             |
| ..                         | ..                            | ..                          | 06—कार्यालय व्यय .. .. .                                 | 10                            |
| ..                         | ..                            | ..                          | 08—मोटर गाड़ियों का क्रय .. .. .                         | ..                            |
| ..                         | ..                            | ..                          | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद .. .. . | ..                            |
| ..                         | ..                            | ..                          | 32—अन्तरिम हायता .. .. .                                 | 7                             |
| ..                         | ..                            | ..                          | योग, 02 .. .. .  | 91                            |

03—विकास आयुक्त (मुख्यालय)—

|    |       |    |       |                                  |       |
|----|-------|----|-------|----------------------------------|-------|
| .. | 19,58 | .. | 19,09 | 01—वेतन .. .. .                  | 21,00 |
| .. | 12,99 | .. | 13,37 | 03—महंगाई भत्ता .. .. .          | 16,80 |
| .. | 1,90  | .. | 1,80  | 04—यात्रा व्यय .. .. .           | 2,00  |
| .. | 2,76  | .. | 2,84  | 05—अन्य भत्ते .. .. .            | 2,89  |
| .. | 3,42  | .. | 3,00  | 06—कार्यालय व्यय .. .. .         | 4,00  |
| .. | 64    | .. | 60    | 07—टेलीफोन पर व्यय .. .. .       | 70    |
| .. | 1,83  | .. | ..    | 08—मोटर गाड़ियों का क्रय .. .. . | ..    |

|      |    |      |
|------|----|------|
| 3,22 | .. | 2,50 |
| ..   | .. | ..   |
| ..   | .. | ..   |
| 15   | .. | 10   |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 46,34 | 43,20 | 43,20 |
| 15    | 10    | 10    |

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 1,54 | 21,53 | 1,65 | 21,25 |
| 93   | 14,76 | 1,27 | 14,88 |
| 20   | 3,91  | 30   | 3,75  |
| 8    | 4,01  | 10   | 2,46  |
| 16   | 2,12  | 20   | 2,50  |
| 1    | 46    | 6    | 65    |
| ..   | 1,56  | ..   | ..    |
| 25   | 26    | 30   | 2,00  |
| 24   | ..    | 40   | 1,90  |
| ..   | ..    | ..   | ..    |

|      |       |      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| 3,46 | 48,61 | 4,28 | 49,39 | 4,28 | 49,39 |
|------|-------|------|-------|------|-------|

|    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| .. | 82,41 | .. | 73,60 |
| .. | 60,73 | .. | 51,52 |
| .. | 11,42 | .. | 7,00  |
| .. | 5,24  | .. | 3,50  |
| .. | 13,25 | .. | 12,00 |

09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद .. ..

32—अन्तरिम सहायता .. .. 3,25

33—अन्य व्यय .. [ मत्तबैय .. .. 4,20  
[ चारिस्त .. .. 10

योग, 03 .. [ मत्तबैय .. .. 54,84  
[ चारिस्त .. .. 10

04—विकास प्रायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय—

|  |      |       |
|--|------|-------|
| 01—बैतन .. ..  | 1,25 | 23,88 |
| 03—महंगाई भत्ता .. ..                                  | 1,00 | 18,70 |
| 04—यात्रा व्यय .. ..                                   | 29   | 4,00  |
| 05—अन्य भत्ते .. ..                                    | 8    | 2,84  |
| 06—कार्यालय व्यय .. ..                                 | 18   | 3,00  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय .. ..                               | 5    | 80    |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय .. ..                         | ..   | ..    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद .. .. | 24   | 3,00  |
| 11—किराजा उपगृह्य एवं कर स्वामिस्व .. ..               | 24   | 2,25  |
| 32—अन्तरिम सहायता .. ..                                | 25   | 4,68  |

योग, 04 3,58 62,15

05—विकास प्रायुक्त के क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रतिक्षण—

|                        |    |       |
|------------------------|----|-------|
| 01—बैतन .. ..          | .. | 81,00 |
| 03—महंगाई भत्ता .. ..  | .. | 65,00 |
| 04—यात्रा व्यय .. ..   | .. | 8,00  |
| 05—अन्य भत्ते .. ..    | .. | 8,50  |
| 06—कार्यालय व्यय .. .. | .. | 14,00 |

अनुदान संख्या 13, 1987-88  
 कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(हजार रुपयों में)

| वैश्विक आवृत्ति<br>1985-86 | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 | पुनरोचित अनुमान<br>1986-87 | शेष | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|---------------------------|
| आयोजनागत                   | आयोजनागत                  | आयोजनागत                   |     | आयोजनागत                  |
| प्रयोजनोपर                 | प्रयोजनोपर                | प्रयोजनोपर                 |     | प्रयोजनोपर                |

2515--ग्राम्य प्रामो ग विकास कार्यक्रम--

102--सामुदायिक विकास--(कमला)--

|    |         |    |         |    |
|----|---------|----|---------|----|
| .. | 86      | .. | 30      |    |
| .. | 2,07    | .. | 4,50    |    |
| .. | 2,47    | .. | 2,00    |    |
| .. | 2       | .. | 75      |    |
| .. | 60      | .. | 50      |    |
| .. | ..      | .. | ..      |    |
| 57 | 1,79,07 | .. | 1,55,67 | .. |

|  |    |    |       |
|--|----|----|-------|
| 07--दे गी कान पर व्यय                            | .. | .. | 85    |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं मरम्मत की खर्च | .. | .. | 5,00  |
| 15--आवृत्तियाँ/छात्र वेतन                        | .. | .. | 2,00  |
| 20--प्रयोगों और सज्जा/उपकरण और तंत्र             | .. | .. | 1,00  |
| 25--खासगी और सम्पत्ति                            | .. | .. | 50    |
| 32--अन्तरिम सहायता                               | .. | .. | 16,20 |

योग, 05

.. 1,98,55

06--ग्राम विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण--

|                           |    |    |    |
|---------------------------|----|----|----|
| 15--आवृत्तियाँ/छात्र वेतन | .. | 45 | .. |
|---------------------------|----|----|----|

योग, 06

45 ..

07--ग्राम विकास अधिकारियों के उच्चतर प्रशिक्षण हेतु प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र का उदघाटन--

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 5,05 | 7,98 | 4,10 | 7,00 |
|------|------|------|------|

|                    |    |      |      |
|--------------------|----|------|------|
| 01--वेतन           | .. | 4,00 | 7,70 |
| 02--प्रकारण सहायता | .. | 2,22 | 6,18 |

| 67    | 68    | 30   | 70    |
|-------|-------|------|-------|
| 4     | 37    | 6    | 18    |
| 26    | 26    | 35   | 60    |
| 25    | 5     | 35   | 80    |
|       |       | 50   | ..    |
| 50    | ..    | 20   | ..    |
| 19    | 30    | ..   | ..    |
| <hr/> |       |      |       |
| 9,70  | 14,72 | 8,86 | 13,18 |
|       |       | 8,86 | 13,18 |

|       |       |      |      |
|-------|-------|------|------|
| 1,27  | 3,34  | 3,13 | 2,60 |
| 95    | 2,99  | 2,36 | 1,82 |
| 18    | 36    | 65   | 15   |
| 6     | 16    | 31   | 16   |
| 1,19  | 5,96  | 1,00 | 35   |
| 28    | 12    | ..   | 6    |
| 89    | 1     | 45   | 20   |
| 4,00  | 2,48  | ..   | ..   |
| 38    | ..    | 1,50 | ..   |
| ..    | ..    | ..   | ..   |
| 1,74  | ..    | ..   | ..   |
| <hr/> |       |      |      |
| 10,94 | 15,86 | 9,45 | 5,34 |
|       |       | 6,85 | 5,34 |

|   |    |      |       |
|---|----|------|-------|
| 04—यात्रा व्यय..                                | .. | 30   | 80    |
| 05—ग्रन्थ भत्ते ..                              | .. | 4    | 20    |
| 06—कार्यालय व्यय                                | .. | 35   | 70    |
| 09—मोटर वाहियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | 85   | 72    |
| 19—लघु निर्माण कार्य                            | .. | 50   | ..    |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र               | .. | 20   | ..    |
| 32—प्रतिरिम सहायता                              | .. | 90   | 1,54  |
| <hr/>   |    |      |       |
| योग, 07 ..                                      |    | 8,86 | 17,82 |

08- -राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, वकशी का बाकव लक्षण—

|   |    |      |      |
|---|----|------|------|
| 01-- इतन  | .. | 4,20 | 2,90 |
| 03--महंगाई भ                                    | .. | 2,30 | 2,32 |
| 04—यात्रा व्यय                                  | .. | 1,05 | 20   |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                                 | .. | 42   | 20   |
| 06—कार्यालय व्यय                                | .. | 1,13 | 28   |
| 07--टेलीफोन पर व्यय                             | .. | ..   | 10   |
| 09—मोटर वाहियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | 80   | 25   |
| 19—लघु निर्माण कार्य                            | .. | ..   | ..   |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र               | .. | 2,70 | ..   |
| 32—प्रतिरिम सहायता                              | .. | 40   | 68   |
| 33—ग्रन्थ व्यय                                  | .. | ..   | ..   |

योग, 08 .. 13,00 6,83

अनुमान संख्या 13, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विभाग (ग्रामीण विकास)

(हजार रुपये में)

| वित्तविक्रम प्राकृतिक | प्राथमिक अनुमान | पुनरीकृत अनुमान | शेष       | प्राथमिक अनुमान |           |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1985-86               | 1986-87         | 1988-87         |           | 1987-88         |           |
| प्रायोजनागत           | अ.बोजनेतर       | प्रायोजनागत     | अ.बोजनेतर | प्रायोजनागत     | अ.बोजनेतर |

|     |    |      |    |      |    |
|-----|----|------|----|------|----|
| 26  | .. | 44   | .. |      |    |
| 39  | .. | 45   | .. |      |    |
| 2   | .. | 4    | .. |      |    |
| 5   | .. | 6    | .. |      |    |
| 41  | .. | 40   | .. |      |    |
| 18  | .. | 18   | .. |      |    |
| 4   | .. | 5    | .. |      |    |
| ..  | .. | ..   | .. |      |    |
| 135 | .. | 1,62 | .. | 1,62 | .. |

2515-ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

102-सांख्यिक विकास- (कमराः)

06-राज्य ग्राम विकास संस्थान, बस्ती का उठाव से मृच्छ कक्ष की स्थापना-

|                                   |    |    |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|----|
| 01-वेतन                           | .. | .. | 76 | .. |
| 03-महगाई भत्ता                    | .. | .. | 60 | .. |
| 04-यात्रा व्यय                    | .. | .. | 5  | .. |
| 05-ग्रन्थ भत्ते                   | .. | .. | 8  | .. |
| 06-कार्यालय व्यय                  | .. | .. | 87 | .. |
| 19-लघु निर्माण कार्य              | .. | .. | .. | .. |
| 20-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | .. | .. | .. |
| 32-अन्तरिम सहायता                 | .. | .. | 16 | .. |

योग 09 2,00 ..

10-ग्राम्य कार्यालयों के क्षेत्रीय कमचारिणों का प्रशिक्षण-

प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों पर शैक्षिक कृषिकारियों की स्थापना-

|                                   |    |    |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|----|
| 01-वेतन                           | .. | .. | 40 | .. |
| 03-महगाई भत्ता                    | .. | .. | 38 | .. |
| 04-यात्रा व्यय                    | .. | .. | 4  | .. |
| 05-ग्रन्थ भत्ते                   | .. | .. | 2  | .. |
| 06-कार्यालय व्यय                  | .. | .. | 25 | .. |
| 19-लघु निर्माण कार्य              | .. | .. | 11 | .. |
| 20-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | .. | 6  | .. |
| 32-अन्तरिम सहायता                 | .. | .. | 9  | .. |
| 33-अन्य व्यय                      | .. | .. | .. | .. |

योग 10 1,30 ..

|    |         |    |         |
|----|---------|----|---------|
| .. | 2,03,25 | .. | 2,00,00 |
| .. | 1,42,11 | .. | 1,46,30 |
| .. | 10,90   | .. | 10,00   |
| .. | 12,52   | .. | 14,00   |
| .. | 18,14   | .. | 19,00   |
| .. | ..      | .. | 3,00    |
| .. | ..      | .. | ..      |
| .. | ..      | .. | 10,00   |
| .. | 10,50   | .. | 2,00    |
| .. | ..      | .. | ..      |
| .. | ..      | .. | ..      |
| .. | 3,97,42 | .. | 4,13,30 |
| .. |         | .. | 4,13,30 |

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 95   | .. | 1,00 | .. |
| 76   | .. | 60   | .. |
| 6    | .. | 9    | .. |
| 5    | .. | 6    | .. |
| 25   | .. | 25   | .. |
| 10   | .. | 30   | .. |
| 4    | .. | 20   | .. |
| 9    | .. | 4    | .. |
| ..   | .. | 25   | .. |
| 2,30 | .. | 2,79 | .. |
|      |    | 2,79 | .. |

11—समग्रहात जिला कार्यालय—

|  |    |    |    |         |
|--|----|----|----|---------|
| 01—वेतन..  | .. | .. | .. | 2,30,00 |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | 1,84,00 |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | 12,00   |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | 13,87   |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | 21,00   |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | .. | 3,50    |
| 08—गाड़ियों का क्रय                              | .. | .. | .. | ..      |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 12,00   |
| 10—लघु निर्माण कार्य                             | .. | .. | .. | 50      |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | 46,00   |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | ..      |
| योग, 11  | .. | .. | .. | 5,22,87 |

12—प्रसाग प्रशिक्षण बन्दों पर दो नई कृषि  
कर्ममालाओं की रथापना हेतु अतिरिक्त  
पदों का सृजन—

|                                   |    |    |      |    |
|-----------------------------------|----|----|------|----|
| 01—वेतन                           | .. | .. | 88   | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                   | .. | .. | 60   | .. |
| 04—यात्रा व्यय                    | .. | .. | 9    | .. |
| 05—अन्य भत्ते                     | .. | .. | 5    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                  | .. | .. | 25   | .. |
| 15—छात्र वृत्तियों और छात्र वेतन  | .. | .. | 30   | .. |
| 19—लघु निर्माण-कार्य              | .. | .. | 20   | .. |
| 20—मशीन और सज्जा/लपकरण और संयंत्र | .. | .. | 4    | .. |
| 25—सामग्री और सम्पूर्ति           | .. | .. | 25   | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                 | .. | .. | 13   | .. |
| योग, 12                           | .. | .. | 2,79 | .. |

पन्नाच संख्या 13; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(हजार रुपये में)

| व. (सांख्यिक वर्ष)  | अय-व्ययक अनुमान   | पुनरीकृत अनुमान   | शेषक | अय-व्ययक अनुमान                                |
|---|-------------------|-------------------|------|--|
| 1986-86   | 1986-87           | 1986-87           |      | 1987-88  |
| आयोजनागत आयोजनेतर   | आयोजनागत आयोजनेतर | आयोजनागत आयोजनेतर |      | आयोजनागत आयोजनेतर                              |
| <b>2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--</b>                                 |                   |                   |      |  |
| <b>102--सामुदायिक विकास (क्रमशः)--</b>                                      |                   |                   |      |  |
| <b>13--प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों पर उत्पादन</b>                             |                   |                   |      |  |
| <b>इकाई की स्थापना--</b>  |                   |                   |      |  |
| 1,79  | ..                | 1,90              | ..   | 01--बैठन .. .. 1;60 ..                         |
| 1,36  | ..                | 1,10              | ..   | 03--गहूंगाई भत्ता .. .. 1;05 ..                |
| 16  | ..                | 15                | ..   | 04--शाखा व्यय .. .. 10 ..                      |
| 3   | ..                | 3                 | ..   | 05--अन्य भत्ते .. .. 3 ..                      |
| 49  | ..                | 30                | ..   | 06--कार्यालय व्यय .. .. 30 ..                  |
| ..  | ..                | 40                | ..   | 19--लघु निर्माण कार्य .. .. 40 ..              |
| ..  | ..                | 15                | ..   | 20--मशीन और सज्जा/सपकरण और संयंत्र .. .. 15 .. |
| ..  | ..                | 72                | ..   | 25--सामग्री और सम्पूति .. .. 72 ..             |
| ..  | ..                | ..                | ..   | 32--अन्तरिम सहायता .. .. 40 ..                 |
| 1,18  | ..                | ..                | ..   | 33--अन्य व्यय .. .. . ..                       |
| 5,01  | ..                | 4,75              | ..   | योग, 13 .. .. 4,75 ..                          |
| <b>14--प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों पर निष्प्रयोज्य वाहनों का बदलाव--</b>      |                   |                   |      |  |
| 5,00  | ..                | 5,00              | ..   | 08--मोटर गाड़ियों का क्रय .. .. 5,00 ..        |
| <b>15--विकेंद्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत प्रशिक्षण--</b>                |                   |                   |      |  |
| <b>1501--ग्राम सभा प्रधान तथा क्षेत्रीय समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण--</b> |                   |                   |      |  |
| 0,00  | ..                | 4,75              | ..   | 33--अन्य व्यय .. .. 4,75 ..                    |

|    |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|
| .. | ..   | 1,50 | ..   | 1,50 | ..   |
| .. | ..   | 3,00 | ..   | 3,00 | ..   |
| .. | ..   | 75   | ..   | 75   | ..   |
| .. | 53   | ..   | 52   | ..   | 52   |
| .. | 2,01 | ..   | 2,00 | ..   |      |
|    | 22   | ..   | 1    | ..   |      |
| .. | 2,23 | ..   | 2,01 | ..   | 2,01 |

|       |    |       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|-------|----|
| 13,83 | .. | 14,00 | .. |       |    |
| 7,41  | .. | 8,40  | .. |       |    |
| 3     | .. | 2,28  | .. |       |    |
| 59    | .. | 50    | .. |       |    |
| 2,50  | .. | 2,50  | .. |       |    |
| 2,42  | .. | 2,40  | .. |       |    |
| 5     | .. | ..    | .. |       |    |
| 8,03  | .. | 10,11 | .. |       | .. |
| 34,86 | .. | 40,19 | .. | 40,19 | .. |

1502—जिला परिषद् के सदस्यों आदि का प्रशिक्षण—

|              |    |    |      |    |
|--------------|----|----|------|----|
| 33—अन्य व्यय | .. | .. | 1,50 | .. |
|--------------|----|----|------|----|

1503—प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये अव्यय दृष्य साधनों एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री—

|              |    |    |      |    |
|--------------|----|----|------|----|
| 33—अन्य व्यय | .. | .. | 3,00 | .. |
|--------------|----|----|------|----|

1504—ग्राम प्रशिक्षण केन्द्रों के पुस्तकालयों का सुवृद्धीकरण—

|              |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|
| 33—अन्य व्यय | .. | .. | 75 | .. |
|--------------|----|----|----|----|

16—ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक शिक्षा—

|              |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|
| 33—अन्य व्यय | .. | .. | .. | 52 |
|--------------|----|----|----|----|

17—सामुदायिक कार्यक्रम के अधीन कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमलाप—

|                  |    |    |    |      |
|------------------|----|----|----|------|
| 08—कार्यालय व्यय | .. | .. | .. | 2,00 |
|------------------|----|----|----|------|

|                                     |    |    |    |   |
|-------------------------------------|----|----|----|---|
| 14—उद्धारक अनुदान/पंशवान/राज सहायता | .. | .. | .. | 1 |
|-------------------------------------|----|----|----|---|

|         |    |    |    |      |
|---------|----|----|----|------|
| योग, 17 | .. | .. | .. | 2,01 |
|---------|----|----|----|------|

18—सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत अधिक उत्पादन कार्यक्रम के लिये कृषकों का प्रशिक्षण एवं दृष्य अव्यय प्रशिक्षण

|         |    |    |       |    |
|---------|----|----|-------|----|
| 01—वेतन | .. | .. | 12,50 | .. |
|---------|----|----|-------|----|

|                 |    |    |      |    |
|-----------------|----|----|------|----|
| 03—महंगाई भत्ता | .. | .. | 7,60 | .. |
|-----------------|----|----|------|----|

|                |    |    |      |    |
|----------------|----|----|------|----|
| 04—यात्रा व्यय | .. | .. | 2,00 | .. |
|----------------|----|----|------|----|

|               |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|
| 05—अन्य भत्ते | .. | .. | 50 | .. |
|---------------|----|----|----|----|

|                  |    |    |      |    |
|------------------|----|----|------|----|
| 06—कार्यालय व्यय | .. | .. | 2,50 | .. |
|------------------|----|----|------|----|

|  |    |    |      |    |
|--|----|----|------|----|
| 09—मोटर गाड़ियों का प्रभार तथा वेदों की खरीद | .. | .. | 2,40 | .. |
|--|----|----|------|----|

|                   |    |    |      |    |
|-------------------|----|----|------|----|
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 1,24 | .. |
|-------------------|----|----|------|----|

|              |    |    |       |    |
|--------------|----|----|-------|----|
| 33—अन्य व्यय | .. | .. | 10,11 | .. |
|--------------|----|----|-------|----|

|         |    |    |       |    |
|---------|----|----|-------|----|
| योग, 18 | .. | .. | 38,85 | .. |
|---------|----|----|-------|----|



अनुदान संख्या 13, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (ग्रामीण विकास)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक प्राकड़े<br>1986-86 | प्रायः-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | शीर्षक      |             | प्रायः-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| प्रायोजनागत                 | प्रायोजनेतर                    | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत | प्रायोजनेतर                    |
| ..                          | 3,75                           | ..                           | 3,78        | ..          | 3,78                           |
| 93                          | 24,61                          | ..                           | 50,00       | ..          | 50,00                          |
| ..                          | ..                             | ..                           | 10          | ..          | 10                             |
| ..                          | 18,21                          | ..                           | 15,00       | ..          | 16,00                          |
| ..                          | ..                             | ..                           | 9,54        | ..          | 9,54                           |
| ..                          | ..                             | ..                           | 7,00        | ..          | 8,00                           |
| ..                          | 18,21                          | ..                           | 31,64       | योग, 21     | 33,64                          |

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम—

102—सामुदायिक विकास—

19—विकास खण्डों में क्षेत्र शिक्षा शिबिरों का प्रायोजन  
(जिना योजना)—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

20—सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष  
पुष्ताहार कार्यक्रम—

06—कार्यालय व्यय

21—सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अर्धीन उद्योग  
के अन्तर्गत व्यावहारिक पुष्ताहार योजना—

06—कार्यालय व्यय

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

15—छात्रवृत्तियां और छात्र बेंचन

33—अन्य व्यय

120

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | 65 | .. | 65 | .. | 65 |
|----|----|----|----|----|----|

|    |       |    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|----|-------|
| .. | 17,21 | .. | 20,00 | .. | 20,00 |
|----|-------|----|-------|----|-------|

|    |     |    |      |    |      |
|----|-----|----|------|----|------|
| .. | 315 | .. | 4,50 | .. | 4,50 |
|----|-----|----|------|----|------|

|       |   |       |    |         |    |
|-------|---|-------|----|---------|----|
| 15,00 | 7 | 10,00 | .. | 1,41,52 | .. |
|-------|---|-------|----|---------|----|

|       |    |       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|-------|----|
| 48,72 | .. | 39,00 | .. | 39,00 | .. |
|-------|----|-------|----|-------|----|

|         |    |         |    |         |    |
|---------|----|---------|----|---------|----|
| 2,99,00 | .. | 1,60,00 | .. | 1,60,00 | .. |
|---------|----|---------|----|---------|----|

|    |    |    |    |       |    |
|----|----|----|----|-------|----|
| .. | .. | .. | .. | 10,00 | .. |
|----|----|----|----|-------|----|

22--विकास खाँडों में साइकल बिडिल रोड, पक्की सड़कों, पुलिसों घोर पुसों का निर्माण--

|                                    |    |    |
|------------------------------------|----|----|
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | .. | 65 |
|------------------------------------|----|----|

23--छेत्र समितियों पर व्यय--

|                 |    |       |
|-----------------|----|-------|
| 04--यात्रा व्यय | .. | 20,00 |
|-----------------|----|-------|

24--ग्राम प्रशासन बोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय को अनुदान--

|                                    |    |    |
|------------------------------------|----|----|
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | .. | .. |
|------------------------------------|----|----|

25--स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण--

|                                    |       |    |
|------------------------------------|-------|----|
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 40,00 | .. |
|------------------------------------|-------|----|

26--ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों तथा निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवास भवनों के निर्माण हेतु अनुदान--  
(जिम्मा योजना)

|  |       |    |
|--|-------|----|
| 14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता | 47,25 | .. |
|--|-------|----|

27--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पार्टमेंट प्लान--ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण--(जिम्मा योजना)--

|                                    |         |    |
|------------------------------------|---------|----|
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 1,88,96 | .. |
|------------------------------------|---------|----|

28--ग्रामीण आवास परिक्ष को अनुदान--

|                                    |    |    |
|------------------------------------|----|----|
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | .. | .. |
|------------------------------------|----|----|

121

5-2-5-31

अनुदान संख्या 13, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(हजार रुपये में)

| वित्तविक्रम श्रिकडे<br>1985-86  |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक  | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|---|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|---|----------------------------|----------|
| आयोजनागत  | आयोजनातर | आयोजनागत                   | आयोजनातर | आयोजनागत                     | आयोजनातर |   | आयोजनागत                   | आयोजनातर |
| <b>2515—ग्राम्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम—</b>  |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| 102—सामुदायिक विकास—(क्रमशः)—   |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| 29—अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट<br>प्लान—                                     |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| पेयजल योजना (जिला योजना)—   |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| 4,46,06   | ..       | 2,88,00                    | ..       | 2,88,00                      | ..       | 33—अन्य व्यय  | 4,02,65                    | ..       |
| ..  | ..       | 10,46                      | ..       | ..                           | ..       | 30—प्रचार एवं प्रसार (जिला योजना)—                              | ..                         | ..       |
| 33—अन्य व्यय  |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| ..  | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       | 31--केन्द्रीय-आयोजनागत,केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित<br>योजनायें-- | ..                         | ..       |
| 3101--राष्ट्रीय परियोजना वायोगैस विकास संयंत्रों<br>की स्थापना—                           |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| 8,37,00   | ..       | 12,00,00                   | ..       | 12,00,00                     | ..       | 33--अन्य व्यय   | 12,00,00                   | ..       |
| 3102--राष्ट्रीय परियोजना-सुबो रहित विकसित भूखंड<br>परियोजना की केन्द्रीय योजना—           |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| 45,59   | ..       | 73,50                      | ..       | 35,61                        | ..       | 33—अन्य व्यय  | 35,61                      | ..       |
| 3103--राष्ट्र ग्राम्य विकास संस्थाएं, बस्ती का पालाब,<br>लकड़क की स्थापना एवं सुदुकीकरण-- |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| 18,03   | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       | 06--कार्यालय व्यय   | ..                         | ..       |
| 25,23,86  | 43,31,32 | 19,93,06                   | 44,70,18 | 20,82,13                     | 48,32,20 | योग, 102  | 21,66,47                   | 56,07,74 |
| ..  | 15       | ..                         | 10       | ..                           | 10       | [ सतरेय   | ..                         | ..       |
|   |          |                            |          |                              |          | [ सारित   | ..                         | 10       |

|         |    |         |         |         |         |
|---------|----|---------|---------|---------|---------|
| 3,00    | .. | 1,00    | ..      | 1,00    | ..      |
| 12,15   | .. | 2,65,61 | 49,40   |         |         |
| 11,61   | .. | 1,83,80 | 34,58   |         |         |
| 46      | .. | 32,30   | 5,50    |         |         |
| 6,8     | .. | 18,89   | 5,20    |         |         |
| 4,66    | .. | 25,24   | 7,75    |         |         |
| 1,19,29 | .. | 3,24    | 80      |         |         |
|         | .. | 4,75    | ..      |         |         |
| ..      | .. | 25,84   | 5,70    |         |         |
| ..      | .. | 1,91    | 75      |         |         |
| ..      | .. | ..      | ..      |         |         |
| 1,48 35 | .. | 5,61,58 | 1,09,68 | 6,00,00 | 1,09,68 |

|    |         |    |       |    |       |
|----|---------|----|-------|----|-------|
| .. | ..      | .. | 10,25 |    |       |
| .. | ..      | .. | 7,18  |    |       |
| .. | ..      | .. | 1,25  |    |       |
| .. | ..      | .. | 1,95  |    |       |
| .. | ..      | .. | 2,20  |    |       |
| .. | ..      | .. | 12    |    |       |
| .. | ..      | .. | 1,20  |    |       |
| .. | ..      | .. | ..    |    |       |
| .. | ..      | .. | ..    |    |       |
| .. | 1,91,26 | .. | ..    |    |       |
| .. | 1,91,26 | .. | 24,15 | .. | 24,15 |

736—ग्रामिण आवास क्षेत्र उप योजना—

01—ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण (जिला योजना)---

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

1,50 ..

800—अन्य व्यय—

01—ग्रामीण अभियंत्रण सेवा —

|  |    |         |       |
|--|----|---------|-------|
| 01—वेतन  | .. | 2,02,80 | 54,34 |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | 1,89,71 | 43,47 |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | 33,14   | 5,70  |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | 19,47   | 5,46  |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | 25,64   | 8,00  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | 4,04    | 82    |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय                         | .. | 7,30    | ..    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | 26,57   | 5,85  |
| 20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र            | .. | 21,33   | 75    |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | 70,00   | 10,87 |

योग, 800

6,00,00 1,35,26

2702—लघु सिंचाई—

02—भूगत जल—

005—अन्वेषण—

01—मू-गर्भ एवं भू स्तरीय जल संसाधनों के विनियोजित ढंग से उपयोग एवं लघु सिंचाई कार्यों का विस्तार (जिला योजना)---

|                                  |    |    |       |
|----------------------------------|----|----|-------|
| 01—वेतन                          | .. | .. | 17,33 |
| 03—महंगाई भत्ता                  | .. | .. | 13,86 |
| 04—यात्रा व्यय                   | .. | .. | 2,30  |
| 05—अन्य भत्ते                    | .. | .. | 3,00  |
| 06—कार्यालय व्यय                 | .. | .. | 3,50  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय               | .. | .. | 25    |
| 11—किराया उपकरण एवं कर स्वामित्व | .. | .. | 2,10  |
| 32—अन्तरिम सहायता                | .. | .. | 3,47  |
| 33—अन्य व्यय                     | .. | .. | 8     |

योग, 01

45,89

अनुदान संख्या: 13, 1987-88  
 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(द्वितीय एपेंडिस में)

| सांख्यिक अंकड़े<br>1985-86   | माध्यम्यक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 | शीर्षक  | अधि-आवक अनुदान<br>1987-88 |             |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------------|-------------|
| आयोजनागत   | प्रायोजनेतर                 | आयोजनागत                   | प्रायोजनेतर   | आयोजनागत                  | प्रायोजनेतर |
| <b>2702—लघु सिंचाई—</b>  |                             |                            |   |                           |             |
| <b>02—भूगत जल—</b>   |                             |                            |   |                           |             |
| <b>005—संरक्षण—(समाप्त)</b>  |                             |                            |   |                           |             |
| <b>02—भूगर्भ-भूस्तरीय जल उपयोग हेतु अनुसंधान परिकल्प (डिजाइन) योजना—</b> |                             |                            |   |                           |             |
| ..   | ..                          | 5,50                       | 01—वेतन .. .. .                                     | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | 3,85                       | 03—महंगाई भत्ता .. .. .                             | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | 77                         | 04—यात्रा व्यय .. .. .                              | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | 64                         | 05—अन्य भत्ते .. .. .                               | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | 88                         | 06—कार्यालय व्यय .. .. .                            | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | 10                         | 07—टेलीफोन पर व्यय .. .. .                          | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | 85                         | 09—गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल का व्यय .. .. . | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | 70                         | 11—किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व .. .. .         | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | ..                         | 32—अन्तरिम सहायता .. .. .                           | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | ..                         | 33—अन्य व्यय .. .. .                                | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | 13,29                      | योग, 02 .. .. .                                     | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | ..                         | 13,29   | ..                        | ..          |
| <b>03—भूगर्भ जल संरक्षण का विकास—</b>                                    |                             |                            |   |                           |             |
| ..   | 7,26                        | ..                         | 01—वेतन .. .. .                                     | ..                        | 24,20       |
| ..   | 5,31                        | ..                         | 03—महंगाई भत्ता .. .. .                             | ..                        | 19,36       |
| ..   | 1,24                        | ..                         | 04—यात्रा व्यय .. .. .                              | ..                        | 4,00        |
| ..   | 1,60                        | ..                         | 05—अन्य भत्ते .. .. .                               | ..                        | 4,50        |
| ..   | 6,56                        | ..                         | 06—कार्यालय व्यय .. .. .                            | ..                        | 5,00        |
| ..   | ..                          | ..                         | 07—टेलीफोन पर व्यय .. .. .                          | ..                        | 50          |
| ..   | ..                          | ..                         | 32—अन्तरिम सहायता .. .. .                           | ..                        | 4,84        |
| ..   | 21,97                       | ..                         | योग, 03 .. .. .                                     | ..                        | 62,40       |
| ..   | ..                          | 47,25                      | ..  | ..                        | ..          |
| ..   | ..                          | ..                         | 42,75   | ..                        | ..          |

|       |    |       |  |  |
|-------|----|-------|--|--|
| 10,12 | .. | 13,00 |  |  |
| 7,29  | .. | 8,00  |  |  |
| 1,01  | .. | 1,25  |  |  |
| 1,77  | .. | 2,50  |  |  |
| 10,29 | .. | 2,50  |  |  |
| 2,14  | .. | 40    |  |  |
|       | .. | 18,00 |  |  |
|       | .. | 50    |  |  |
|       | .. | ..    |  |  |

|    |         |    |         |    |         |
|----|---------|----|---------|----|---------|
| .. | 32,62   | .. | 46,15   | .. | 46,15   |
| .. | 2,45,85 | .. | 1,30,84 | .. | 1,26,34 |

|      |    |       |       |       |       |
|------|----|-------|-------|-------|-------|
| ..   | .. | 8     | 7,70  |       |       |
| ..   | .. | 6     | 5,40  |       |       |
| ..   | .. | 2     | 55    |       |       |
| ..   | .. | 2     | 88    |       |       |
| ..   | .. | ..    | 44    |       |       |
| ..   | .. | 10,00 | ..    |       |       |
| 9,58 | 11 | ..    | ..    |       |       |
| 9,58 | 11 | 10,18 | 14,97 | 10,53 | 14,97 |

|    |    |      |      |      |    |
|----|----|------|------|------|----|
| .. | .. | 4,00 | 4,00 | ..   |    |
| .. | .. | 58   | ..   |      |    |
| .. | .. | 37   | ..   |      |    |
| .. | .. | 9    | ..   |      |    |
| .. | .. | 6    | ..   |      |    |
| .. | .. | 10   | ..   |      |    |
| .. | .. | ..   | ..   |      |    |
| .. | .. | 1,20 | ..   | 1,20 | .. |

|     |   |    |       |         |
|-----|---|----|-------|---------|
| 04— | मार्ग कल सचिवालय संगठन का सुदृढीकरण--   |    |       |         |
| 01— | वेतन                                    | .. | 14,30 |         |
| 03— | महंगाई भत्ता                            | .. | 11,44 |         |
| 04— | यात्रा व्यय                             | .. | 1,59  |         |
| 05— | अन्य भत्ते                              | .. | 3,00  |         |
| 06— | कार्यालय व्यय                           | .. | 3,00  |         |
| 07— | टेलीफोन पर व्यय                         | .. | 40    |         |
| 19— | नष्ट निर्माण कार्य                      | .. | 15,00 | 20,00   |
| 20— | प्रयोगीय धोर. सज्जा/उपकरण प्रौर संयंत्र | .. | ..    | 75      |
| 32— | अन्तरिम सहायता                          | .. | ..    | 2,86    |
|     | योग, 04                                 | .. | 15,00 | 57,25   |
|     | योग, 005                                |    | 15,00 | 1,65,54 |

|     |  |    |       |       |  |
|-----|--|----|-------|-------|--|
| 00— | अन्य व्यय--  | .. | ..    |       |  |
| 01— | ब्लास्टिंग युनिटों से कुओं को गहरा करने की योजना-- |    |       |       |  |
| 01— | वेतन   | .. | 44    | 8,50  |  |
| 03— | महंगाई भत्ता                                       | .. | 35    | 6,80  |  |
| 04— | यात्रा व्यय  | .. | 7     | 60    |  |
| 05— | अन्य भत्ते   | .. | 7     | 1,00  |  |
| 06— | कार्यालय व्यय                                      | .. | ..    | 50    |  |
| 14— | सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                     | .. | 10,00 | ..    |  |
| 32— | अन्तरिम सहायता                                     | .. | 9     | 1,70  |  |
|     | योग, 01  | .. | 11,02 | 19,10 |  |

|     |  |  |      |    |  |
|-----|--|--|------|----|--|
| 02— | पातालतोड़ कुओं के निर्माण के लिये अनुदान--(जिला योजना)-- |  |      |    |  |
| 14— | सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता                            |  | 4,00 | .. |  |

|     |  |    |    |    |    |
|-----|--|----|----|----|----|
| 03— | पठारी क्षेत्रों में इनवेल रिंगों द्वारा कुओं को गहरा करने के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था (जिला योजना)-- |    |    |    |    |
| 01— | वेतन   | .. | .. | .. | .. |
| 03— | महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | .. |
| 04— | यात्रा व्यय  | .. | .. | .. | .. |
| 05— | अन्य भत्ते   | .. | .. | .. | .. |
| 06— | कार्यालय व्यय  | .. | .. | .. | .. |
| 32— | अन्तरिम सहायता   | .. | .. | .. | .. |
|     | योग, 03  | .. | .. | .. | .. |

अनुदान संख्या 13, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(रुपय में)

| आवकियाँ 1985-86 |        | आवकियाँ 1986-87 |        | आवकियाँ 1986-87 |        | शीर्षक | आवकियाँ 1987-88 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|
| राज्य           | केंद्र | राज्य           | केंद्र | राज्य           | केंद्र |        | राज्य           | केंद्र |
| ..              | ..     | 5,00            | ..     | 5,00            | ..     |        |                 |        |
| ..              | 3,52   | ..              | 3,52   | 15              | 3,52   |        |                 |        |
| ..              | ..     | 11,85           | ..     | 11,85           | ..     |        |                 |        |
| 9,58            | 3,63   | 32,23           | 18,49  | 32,73           | 18,49  |        |                 |        |

2702-लघु सिंचाई—

02-भूमिगत जल--

800-अन्य व्यय-- (समाप्त)

04-गागरा मण्डल के खारी पानी वाले क्षेत्रों में असफल नलकूपों के लिये अनुदान--

14-सहायक अनुदान/भंडारण/राज सहायता .. 5,00

05-उत्तर प्रदेश सूखा समिति को बोरिंग कार्य हेतु अनुदान -

14-सहायक अनुदान/भंडारण/राज सहायता .. 25 4,29

06-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिश्चित योजनायें--

0601-लघु सिंचाई विभाग की विलिंग क्षमताओं का सुदृढीकरण --

01-बेतन .. .. .

03-महंगाई भत्ता .. .. .

04-यात्रा व्यय .. .. .

05-अन्य भत्ते .. .. .

06-कार्यालय व्यय .. .. .

योग, 0601 .. .. .

योग, 800 .. 20,27 28,89

80-सामान्य--

800-अन्य व्यय--

01-लघु सिंचाई योजना--

01-बेतन .. .. .

03-महंगाई भत्ता .. .. .

04-यात्रा व्यय .. .. .

1,58 19,80

1,26 15,84

29 5,50

63 1,35 61 12,30

48 1,05 38 8,70

6 41 11 4,40

|         |      |         |       |         |       |
|---------|------|---------|-------|---------|-------|
| 3       | 27   | 6       | 2,65  |         |       |
| 20,41   | 63   | 3       | 8,00  |         |       |
| ..      | ..   | ..      | 70    |         |       |
| ..      | ..   | ..      | 8,00  |         |       |
| ..      | ..   | ..      | 90    |         |       |
| 99,68   | ..   | 6,00    | ..    |         |       |
| 32,46   | ..   | 1,65,80 | ..    |         |       |
| 13,04   | 18   | ..      | ..    |         |       |
| 1,66,79 | 3,89 | 1,72,99 | 45,65 | 1,74,20 | 45,65 |

|    |    |    |      |    |      |
|----|----|----|------|----|------|
| .. | .. | .. | 1,75 |    |      |
| .. | .. | .. | 1,23 |    |      |
| .. | .. | .. | 28   |    |      |
| .. | .. | .. | 33   |    |      |
| .. | .. | .. | 3,59 | .. | 3,59 |

|    |       |    |         |    |         |
|----|-------|----|---------|----|---------|
| .. | 8,98  | .. | 2,31,00 |    |         |
| .. | 6,94  | .. | 1,61,70 |    |         |
| .. | 2,44  | .. | 35,00   |    |         |
| .. | 1,13  | .. | 16,85   |    |         |
| .. | 75    | .. | 2,20    |    |         |
| .. | ..    | .. | 20      |    |         |
| .. | ..    | .. | 1,65    |    |         |
| .. | 3,67  | .. | 4,00    |    |         |
| .. | 23,91 | .. | 4,52,60 | .. | 4,52,60 |

|   |         |      |      |
|---|---------|------|------|
| 05—ग्रन्थ भत्ते                             | ..      | 23   | 4,00 |
| 06—कार्यालय व्यय                            | ..      | 7    | 9,50 |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                          | ..      | ..   | 80   |
| 09—गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल को खरीद | ..      | ..   | 8,50 |
| 11—किराया; छप शुल्क एवं कर स्वामिद्व        | ..      | ..   | 90   |
| 14—सहायक अनुदान/प्रशदान/राज सहायता          | 8,00    | ..   | ..   |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और सर्वत्र         | 2,82,75 | ..   | ..   |
| 32—अन्तरिम सहायता                           | 32      | 3,96 | ..   |
| 33—ग्रन्थ व्यय                              | ..      | 12   | ..   |

योग, 01 .. 2,94,62 68,80

2-- प्रोजेक्ट कारभूला तथा पानी में रूपा मत्त  
की स्थापना—

|                   |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|
| 01—वेतन           | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते   | .. | .. | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | .. |

योग, 02 ..

3-- कृषि अभियान कायवाहदा--

|  |    |    |         |
|--|----|----|---------|
| 01—वेतन  | .. | .. | 2,54,00 |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | 2,03,20 |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | 40,00   |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                                  | .. | .. | 19,38   |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | 2,50    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | 23      |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल को खरीद | .. | .. | 2,00    |
| 14—सहायक अनुदान/प्रशदान/राज सहायता               | .. | .. | 4,00    |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | 50,86   |

योग, 03 .. 5,76,11





|      |    |       |      |       |      |
|------|----|-------|------|-------|------|
| ..   | .. | 1,02  | 3,90 |       |      |
| ..   | .. | 72    | 2,73 |       |      |
| ..   | .. | 15    | 28   |       |      |
| ..   | .. | 6     | 39   |       |      |
| 1,34 | .. | 24    | 66   |       |      |
| 9,94 | .. | 90,00 | ..   |       |      |
| ..   | .. | ..    | ..   |       |      |
| ..   | .. | ..    | ..   |       |      |
| 1128 | .. | 92,19 | 7,96 | 92,57 | 7,96 |

06—पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई निर्माण-कार्य योजना (राज्य/जिला योजना)--

|  |         |       |
|--|---------|-------|
| 01—वेतन                                | 7,80    | 4,30  |
| 03—महुंगाई भत्ता                       | 6,20    | 3,44  |
| 04—यात्रा व्यय                         | 1,65    | 30    |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                        | 82      | 45    |
| 06—कार्यालय व्यय                       | 65      | 70    |
| 14—महायुक्त अनुदान/अंशदान/रात्र अनुदान | 1,20,00 | ..    |
| 32—प्रतिरिम सहायता                     | 1,54    | 86    |
| 33—ग्रन्थ व्यय                         | ..      | ..    |
| योग, 06                                | 1,38,66 | 10,05 |

07—पुरावाबाद मण्डल में प्रतिरिक्त कर्मचारियों (जिला योजना)—

|                                      |    |    |
|--------------------------------------|----|----|
| 01—वेतन                              | .. | .. |
| 03—महुंगाई भत्ता                     | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                       | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                      | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                     | .. | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                   | .. | .. |
| 11—किराया, उपलब्ध प्रौर कर स्वामित्व | .. | .. |
| 32—प्रतिरिम सहायता                   | .. | .. |
| योग, 07                              | .. | .. |

08—लघु सिंचाई प्रसिद्धि तथा जल उपयोग की योजना—

|                  |    |    |      |
|------------------|----|----|------|
| 01—वेतन          | .. | .. | 3,03 |
| 03—महुंगाई भत्ता | .. | .. | 2,42 |
| 04—यात्रा व्यय   | .. | .. | 38   |
| 05—ग्रन्थ भत्ते  | .. | .. | 20   |
| 06—कार्यालय व्यय | .. | .. | 1,50 |

|    |    |    |      |    |      |
|----|----|----|------|----|------|
| .. | .. | 6  | 1,21 |    |      |
| .. | .. | 4  | 85   |    |      |
| .. | .. | 1  | 17   |    |      |
| .. | .. | 1  | 22   |    |      |
| .. | .. | .. | 33   |    |      |
| .. | .. | .. | 5    |    |      |
| .. | .. | .. | 18   |    |      |
| .. | .. | .. | ..   |    |      |
| .. | .. | 12 | 3,01 | 12 | 3,01 |

|    |    |    |      |  |  |
|----|----|----|------|--|--|
| .. | .. | .. | 2,75 |  |  |
| .. | .. | .. | 1,92 |  |  |
| .. | .. | .. | 33   |  |  |
| .. | .. | .. | 17   |  |  |
| .. | .. | .. | 1,32 |  |  |

मनुष्य संख्या 13, 1987-88  
कृषि तथा ग्राम्य सञ्चाल विभाग (ग्राम्य विकास)

(हजार रुपयों में)

| सांख्यिक वर्ष है<br>1985-86 | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुरोनिर्दिष्ट अनुमान<br>1986-87 | शेष      |      |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|------|
| प्रति नागत आयोजनेतर         | आयोजनागत आयोजनेतर          | आयोजनागत                        | आयोजनेतर |      |
| ..                          | ..                         | 66                              | ..       | ..   |
| ..                          | ..                         | 66                              | ..       | ..   |
| ..                          | ..                         | 33                              | ..       | ..   |
| ..                          | ..                         | ..                              | ..       | ..   |
| ..                          | ..                         | 8,14                            | ..       | 8,14 |

3,18 .. .. .. ..

.. .. 2,50 .. 2,50 ..

|      |    |       |    |    |
|------|----|-------|----|----|
| ..   | .. | 42,85 | .. | .. |
| ..   | .. | 29,99 | .. | .. |
| ..   | .. | 6,45  | .. | .. |
| ..   | .. | 4,28  | .. | .. |
| ..   | .. | 3,59  | .. | .. |
| ..   | .. | 1,20  | .. | .. |
| ..   | .. | 8,48  | .. | .. |
| ..   | .. | 4,07  | .. | .. |
| ..   | .. | 36,00 | .. | .. |
| ..   | .. | ..    | .. | .. |
| 2,88 | .. | 2,00  | .. | .. |

2702—जघु सिचाई—

|   |      |      |
|---|------|------|
| 80—सामान्य—                                 |      |      |
| 800—अन्य व्यय (समाप्त) —                    |      |      |
| 09—गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल का खर्च | ..   | 70   |
| 15—छात्रवृत्तियाँ और छात्रवृत्तन            | ..   | 70   |
| 19—जघु निर्माण-कार्य                        | ..   | 40   |
| 32—अन्तरिम सहायता                           | ..   | 61   |
| योग   | 08.. | 9,94 |

09—बारिच में उपले नलकूपों पर आधारित पामलेट प्रोजेक्ट योजना—  
33—अन्य व्यय

10—केंद्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धानित योजनाएँ—

|   |    |       |
|---|----|-------|
| 1001—जघु सिचाई योजना के अन्तर्गत अभिसंरण स्नानक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण— |    |       |
| 15—छात्रवृत्तियाँ और छात्रवृत्तन  | .. | 2,50  |
| 1002—जघु सिचाई योजना के अन्तर्गत पम्प सेटों की सुधार योजना—                     |    |       |
| 01—वेतन   | .. | ..    |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | ..    |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | ..    |
| 05—अन्य भत्ते   | .. | ..    |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | ..    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय  | .. | ..    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद                                | .. | ..    |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व  | .. | ..    |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | .. | 25,45 |
| 32—अन्तरिम सहायता   | .. | ..    |
| 33—अन्य व्यय  | .. | ..    |

1003—लघु सिचाई कार्यक्रम के विस्तार हेतु विशेष उपकरणों का क्रय—

|    |    |       |    |
|----|----|-------|----|
| .. | .. | 3,56  | .. |
| .. | .. | 2,49  | .. |
| .. | .. | 74    | .. |
| .. | .. | 30    | .. |
| .. | .. | 98,30 | .. |
| .. | .. | ..    | .. |

|                                   |    |    |       |    |
|-----------------------------------|----|----|-------|----|
| 01—वेतन                           | .. | .. | 11,85 | .. |
| 03—महंगाई मत्ता                   | .. | .. | 9,48  | .. |
| 04—यात्रा व्यय                    | .. | .. | 3,40  | .. |
| 05—अन्य मत्ते                     | .. | .. | 1,61  | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                  | .. | .. | 1,38  | .. |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | .. | ..    | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                 | .. | .. | 2,37  | .. |

.. .. 1,05,39 .. 1,05,39 ..

योग, 1003 .. 30,09 ..

1004—लघु सिचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत भारी विशेष उपकरणों का क्रय हेतु वर्कशॉपों की स्थापना—

|    |    |      |    |
|----|----|------|----|
| .. | .. | 2,00 | .. |
| .. | .. | 1,41 | .. |
| .. | .. | 21   | .. |
| .. | .. | 19   | .. |
| .. | .. | 2,25 | .. |
| .. | .. | 4,00 | .. |
| .. | .. | ..   | .. |

|                        |    |    |      |    |
|------------------------|----|----|------|----|
| 01—वेतन                | .. | .. | 2,00 | .. |
| 03—महंगाई मत्ता        | .. | .. | 1,60 | .. |
| 04—यात्रा व्यय         | .. | .. | 24   | .. |
| 05—अन्य मत्ते          | .. | .. | 22   | .. |
| 06—कार्यालय व्यय       | .. | .. | 2,60 | .. |
| 25—सामग्री और सम्पत्ति | .. | .. | 4,00 | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता      | .. | .. | 31   | .. |

.. .. 10,07 .. 10,07 ..

योग, 1004 10,97 ..

2 51 96 27 80 9,49,34 5,26,46 13,83,54 5,26,46  
.. .. .. .. ..

योग, 800 [ मत्तदेय .. 10,26,11 6,64,90  
[ गारित .. ..



|      |       |       |       |       |       |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 83   | ..    | 92.25 | ..    | 92.25 |       |  |
| ..   | 57.47 | ..    | 52.00 |       |       |  |
| ..   | ..    | ..    | 1.00  |       |       |  |
| ..   | ..    | ..    | 1.00  |       |       |  |
| ..   | 57.47 | ..    | 54.00 | ..    | 54.00 |  |
| ..   | ..    | 2.00  | ..    | 2.00  | ..    |  |
| ..   | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    |  |
| 25   | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    |  |
| 1.08 | 83.98 | 94.25 | 56.00 | 94.25 | 56.00 |  |

|    |    |      |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|
| .. | .. | ..   | 2.00 | ..   | 2.00 |
| .. | .. | ..   | 1.00 | ..   | 1.00 |
| .. | .. | 2.00 | ..   | 2.00 | ..   |
| .. | .. | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |

02-- पंचतीय क्षेत्रों से सिंचन क्षेत्रों में निजी लघु सिंचाई क्षेत्रों योजनाओं का कार्यक्रम-  
बाराक गादामों का निमाण--  
18-बृहत निर्माण-कार्य

82,12 ..

03-- भू-गर्भ जल संस्थानों का विकास--  
भू-गर्भ जल सर्वेक्षण योजना के निर्माण-कार्य --

18-बृहत निर्माण-कार्य 29,00 60,00  
20-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. 1,00  
31-उचन्त .. .. .. 1,00

योग, 03 29,00 62,00

04-उचन्त

2,00 ..

05-- लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत भारी विशेष उपकरणों की मरम्मत हेतु वर्कशापों की स्थापना--  
18-बृहत निर्माण-कार्य

06-- उत्तर प्रदेश मण्डलीय विकास निगम लि 0 के अंशकों का क्रय  
24-निवेश/क्रय

योग, 800 1,13,12 64,00

भाग 4-- उपयुक्त अनुमानों में नीचे दी गई वस्तुलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें लेखे में व्यय में से घटा दिया गया है--

4702-- लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय--

02-- भगत जल--

800-- अन्य व्यय--

01-- जिलों में बंधन क्रियाय .. 2,00  
03-- भू-गर्भ जल सर्वेक्षण .. 1,00  
04-- अन्य उचन्त प्राप्तिय 2,00 ..

योग, 4-- घटाइये-- 4702 2,00 3,00



# अनुदान संख्या 14

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

1-- इस वनराशि का अनुमान जिनकी वित्तीय वर्ष 1987-88 में व्यय के लिये आवश्यकता है :--

| राजस्व |                    | पंजी     | योग   |              |
|--------|--------------------|----------|-------|--------------|
| मतदेय  | 53,78,61,000 रुपये | 1,00,000 | रुपये | 53,79,61,000 |
| भारित  | 21,000 रुपये       | ..       | रुपये | 21,000       |

(हजार रुपयों में)

2-- अनुदान का मुख्य शोषकों क अनुसार विभाजन :--

|  | वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|--|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|  | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
| <b>राजस्व लेखा--</b>   |                            |             |                               |             |                            |             |                               |             |
| 2070--अन्य प्रशासनिक सवाये .. .. .   | 1,27,03                    | 1,78,67     | 1,66,00                       | 1,33,62     | 1,69,00                    | 1,38,00     | 3,12,43                       | 1,75,09     |
| 2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .. .. .  | ..                         | ..          | 24,00                         | ..          | 24,00                      | ..          | 24,00                         | ..          |
| 2245--बैची विपत्तियों के संबंध में राहत .. .. .                                  | ..                         | 1,78,45     | ..                            | ..          | ..                         | 1,00,00     | ..                            | ..          |
| 2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम- { मतदेय .. .. .                              | 4,91,35                    | 20,05,17    | 12,73,59                      | 20,27,24    | 4,93,06                    | 27,70,42    | 4,98,34                       | 30,33,83    |
| { भारित .. .. .  | ..                         | 1           | ..                            | 21          | ..                         | 21          | ..                            | 21          |
| 3054--सड़क और पुल .. .. .  | ..                         | ..          | ..                            | 11,69,16    | ..                         | 11,68,93    | ..                            | 11,68,93    |
| 3604--स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन .. .. . | ..                         | 1,49,65     | ..                            | 1,65,99     | ..                         | 1,65,99     | ..                            | 1,65,99     |
| <b>योग, राजस्व लेखा { मतदेय</b>  | 6,18,38                    | 25,11,94    | 14,63,59                      | 34,96,01    | 6,86,06                    | 43,43,34    | 8,34,77                       | 45,43,84    |
| { भारित  | ..                         | 1           | ..                            | 21          | ..                         | 21          | ..                            | 21          |
| <b>पंजी लेखा--</b>   |                            |             |                               |             |                            |             |                               |             |
| 5465--सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश .. .. .                    | ..                         | ..          | 2,00                          | ..          | 2,00                       | ..          | 1,00                          | ..          |
| <b>कुल योग { मतदेय</b>   | 6,18,38                    | 25,11,94    | 14,65,59                      | 34,96,01    | 6,88,06                    | 43,43,34    | 8,35,77                       | 45,43,84    |
| { भारित  | ..                         | 1           | ..                            | 21          | ..                         | 21          | ..                            | 21          |



अनुदान संख्या 14; 1987-88

कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पंचायती राज)

— विनियोग लक्ष्य के तहत मूला, उप मूल्य, लघु तथा उप शीर्षक —

(हजार रुपयों में)

| वित्तवर्ष | माय-व्ययक अनुमान | पुनरीकृत अनुमान | शीर्षक                                       | माय-व्ययक अनुमान            |
|-----------|------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| 1985-86   | 1986-87          | 1986-87         |  | 1987-88                     |
| मायोजनागत | मायोजनागत        | मायोजनागत       |  | मायोजनागत                   |
| मायोजनागत | मायोजनागत        | मायोजनागत       |  | मायोजनागत                   |
| 1,27,03   | 1,78,67          | 1,66,00         | 2070—अन्य प्रशासनिक सवायें—                  |                             |
| ..        | ..               | ..              | 800—अन्य व्यय .. .. .                        | 3,12,43 1,75,09             |
| ..        | ..               | 24,00           | 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—              |                             |
| ..        | ..               | ..              | 60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम— |                             |
| ..        | ..               | 24,00           | 800—अन्य योजनायें                            | 24,00                       |
| ..        | 1,78,45          | ..              | 2245—देवी विपत्तियों के संबंध में राहत—      |                             |
| ..        | ..               | ..              | 02—बाढ़ चक्रवात आदि—                         |                             |
| ..        | ..               | ..              | 800—अन्य व्यय .. .. .                        | .. .. .                     |
| 4,91,35   | 19,34,32         | 12,56,69        | 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम—           |                             |
| ..        | 1                | ..              | 101—पंचायती राज                              | { मतदेय .. 4,89,54 29,65,31 |
| ..        | 70,85            | 16,90           |  | { भारत .. .. 21             |
| ..        | ..               | 58,97           | 800—अन्य व्यय                                | .. 8,80 68,52               |
| 4,91,35   | 20,05,17         | 12,73,59        |  |                             |
| ..        | 1                | ..              | बोध, 2515 { मतदेय .. 98,34 30,33,83          |                             |
| ..        | ..               | 21              |  | { भारत .. .. 21             |

|         |          |          |          |         |          |
|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| ..      | ..       | ..       | 11,69,16 | ..      | 11,68,93 |
| ..      | 1,35,50  | ..       | 1,35,50  | ..      | 1,35,50  |
| ..      | 14,15    | ..       | 30,49    | ..      | 30,49    |
| ..      | 1,49,65  | ..       | 1,65,99  | ..      | 1,65,99  |
| 6,18,38 | 25,11,94 | 14,63,59 | 34,96,01 | 6,86,06 | 43,43,34 |
| ..      | 1        | ..       | 21       | ..      | 21       |

|    |    |      |    |      |    |
|----|----|------|----|------|----|
| .. | .. | 2,00 | .. | 2,00 | .. |
| .. | .. | 2,00 | .. | 2,00 | .. |

|    |    |       |    |       |    |
|----|----|-------|----|-------|----|
| .. | .. | 24,00 | .. | 24,00 | .. |
|----|----|-------|----|-------|----|

सारोक्त का अधिकतर विवरण पृष्ठ 122 से 129 तक देखिये ।

### 3054—सड़कें और पुल—

04—जिला और अन्य सड़क—

800—अन्य व्यय .. 11,68,93

### 3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज

संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन

104—बुर्गों कर .. .. 1,35,50

200—अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन .. 30,49

योग, 3604 .. 1,65,99

|                  |         |         |          |
|------------------|---------|---------|----------|
| योग, राजस्व लेखा | { मतदेव | 8,34,77 | 45,43,48 |
|                  | { नारित | ..      | 21       |

### पूजी लेखा—

5465—सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश—

01—सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश—

190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 1,00 ..

योग, पूजी लेखा 1,00 ..

भाग 4—वसूलियों के व्योरे जिन्हे व्यय से कमी के रूप में समायोजित किया जायगा—

2235—सामाजिक, सुरक्षा और कल्याण—

60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम—

800—अन्य योजनाय—

01—युवा कल्याण निधि से परी की गई राशि (8229)

.. 24,00

प्रनुदान संख्या 14, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पंचायती राज)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक ब्राकेट<br>1985-86 |          | प्राथम्यिक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | शेषक   | प्राथम्यिक अनुमान<br>1987-88 |          |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|--|------------------------------|----------|
| आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |  | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |
| 3                          | 67,49    | 2,51                         | 70,00    |                              |          |  |                              |          |
| 3,46                       | 9,66     | ..                           | ..       |                              |          |  |                              |          |
| 2                          | 51,01    | 1,90                         | 50,00    |                              |          |  |                              |          |
| 37                         | 9,73     | 56                           | 5,00     |                              |          |  |                              |          |
| 1,44                       | 7,86     | 31                           | 2,00     |                              |          |  |                              |          |
| 1,21,71                    | 32,43    | 1,55,72                      | 2,50     |                              |          |  |                              |          |
| ..                         | 37       | ..                           | 7        |                              |          |  |                              |          |
| ..                         | ..       | ..                           | 30       |                              |          |  |                              |          |
| ..                         | ..       | ..                           | 40       |                              |          |  |                              |          |
| ..                         | 3        | ..                           | 5        |                              |          |  |                              |          |
| ..                         | ..       | ..                           | 45       |                              |          |  |                              |          |
| ..                         | ..       | ..                           | 25       |                              |          |  |                              |          |
| ..                         | ..       | ..                           | ..       |                              |          |  |                              |          |
| ..                         | 9        | 5,00                         | 2,60     |                              |          |  |                              |          |
| 1,27,03                    | 1,78,67  | 1,66,00                      | 1,33,62  | 1,69,00                      | 1,38,00  |  |                              |          |
|                            |          |                              |          |                              |          | राजस्व लेखा—   |                              |          |
|                            |          |                              |          |                              |          | 2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—                           |                              |          |
|                            |          |                              |          |                              |          | 800—अन्य व्यय—   |                              |          |
|                            |          |                              |          |                              |          | 01—प्रादेशिक विकास दल—                                 |                              |          |
|                            |          |                              |          |                              |          | 01—बैतन .. ..  | 1,90                         | 77,00    |
|                            |          |                              |          |                              |          | 02—मजबूरी .. ..  | ..                           | ..       |
|                            |          |                              |          |                              |          | 03—महंगाई भत्ता .. ..                                  | 1,71                         | 61,60    |
|                            |          |                              |          |                              |          | 04—यात्रा व्यय .. ..                                   | 3,00                         | 7,00     |
|                            |          |                              |          |                              |          | 05—अन्य भत्ते .. ..                                    | 10                           | 3,00     |
|                            |          |                              |          |                              |          | 06—कार्यालय व्यय .. ..                                 | 3,03,85                      | 3 50     |
|                            |          |                              |          |                              |          | 07—टेलीफोन पर व्यय .. ..                               | ..                           | 8        |
|                            |          |                              |          |                              |          | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद .. .. | ..                           | 50       |
|                            |          |                              |          |                              |          | 11—किराया, उपकृष्ण और कर स्वामिस्व .. ..               | ..                           | 1,00     |
|                            |          |                              |          |                              |          | 13—विज्ञापन, बिक्री और प्रख्यापन व्यय .. ..            | ..                           | 6        |
|                            |          |                              |          |                              |          | 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. ..              | ..                           | 45       |
|                            |          |                              |          |                              |          | 23—अनुरक्षण .. ..                                      | ..                           | 35       |
|                            |          |                              |          |                              |          | 32—अन्तरिम सहायता .. ..                                | 29                           | 15,40    |
|                            |          |                              |          |                              |          | 33—अन्य व्यय .. ..                                     | 1,58                         | 5,15     |
|                            |          |                              |          |                              |          | योग, 800 .. ..   | 3,12,43                      | 1,75,09  |
|                            |          |                              |          |                              |          | 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—                        |                              |          |
|                            |          |                              |          |                              |          | 60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम—           |                              |          |
|                            |          |                              |          |                              |          | 800—अन्य योजनायें—                                     |                              |          |
|                            |          |                              |          |                              |          | 01—युवा कल्याण परिषद् को अनुदान—                       |                              |          |
|                            |          |                              |          |                              |          | 14—महायक अनुदान/प्रदान/राज सहायता .. ..                | 24,00                        | ..       |
|                            |          |                              |          |                              |          | योग, 800 .. ..   | 24,00                        | ..       |
| ..                         | ..       | 24,00                        | ..       | 24,00                        | ..       |  |                              |          |
| ..                         | ..       | 24,00                        | ..       | 24,00                        | ..       |  |                              |          |





|         |    |         |    |         |    |
|---------|----|---------|----|---------|----|
| ..      | .. | 50      | .. | 50      | .. |
| 2;82    | .. | 3,03    | .. | 3;03    | .. |
| 9;95    | .. | 2;70;31 | .. | 2;70,31 | .. |
| 20;50   | .. | 60,00   | .. | 60;00   | .. |
| 60      | .. | 60      | .. | 60      | .. |
| 2,45    | .. | 5;50    | .. | 5;50    | .. |
| 9;60    | .. | 20,00   | .. | 7;52    | .. |
| 7,93    | .. | 9;03    | .. | 9;03    | .. |
| 1,34,21 | .. | 1,31,11 | .. | 1;01;55 | .. |

07-- विकास अधिकारियों (पंचायत) का प्रशिक्षण--

|   |         |    |
|---|---------|----|
| 33--अन्य व्यय   | 50      | .. |
| 09--पंचायती राज संस्थाओं के सुवर्द्धकरण तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिये अनुदान (जिला योजना)--   |         |    |
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | 3,40    | .. |
| 09--ग्रामीण परिवार में स्वच्छता के लिये खडंजा तथा भूमिगत नालियों के निर्माण हेतु अनुदान (जिला योजना)  |         |    |
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | 3,09,00 | .. |
| 10--अनुसूचित जातियों के लिये स्नेहल कम्प्लेन्ट खाद्य--<br>ग्रामीण परिवार में स्वच्छता के लिये खडंजा तथा भूमिगत नालियों के निर्माण हेतु अनुदान-- |         |    |
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | 77,500  | .. |
| 11--पंचायत सचिवालयों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सहायक अनुदान--  |         |    |
| 14--सहायक/अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | 60      | .. |
| 12--पंचायती राज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण--   |         |    |
| 33--अन्य व्यय   | 5;20    | .. |
| 13--यू.नी.सेफ द्वारा सहायित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (जिला योजना)--   |         |    |
| 33--अन्य व्यय   | 5;13    | .. |
| 14--पंचायत सचिवालयों की तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता--  |         |    |
| 33--अन्य व्यय   | 5;74    | .. |
| 15--पंचायत भवनों के निर्माण के लिये अनुदान--<br>(जिला योजना)--  |         |    |
| 14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | 66;75   | .. |



|    |       |    |      |         |
|----|-------|----|------|---------|
| .. | 57    | .. | 21   |         |
| .. | 20    | .. | 13   |         |
| .. | 15,78 | .. | 2,00 |         |
| .. | ..    | .. | 5    |         |
| .. | ..    | .. | 20   |         |
| .. | ..    | .. | ..   |         |
| .. | 16,61 | .. | 2,59 | .. 2,59 |

|    |       |    |       |          |
|----|-------|----|-------|----------|
| .. | 25,28 | .. | 26,30 |          |
| .. | 16,80 | .. | 17,70 |          |
| .. | 1,79  | .. | 1,80  |          |
| .. | 2,10  | .. | 1,83  |          |
| .. | 1,14  | .. | 1,10  |          |
| .. | 10    | .. | 10    |          |
| .. | 30    | .. | 30    |          |
| .. | ..    | .. | ..    |          |
| .. | 47,51 | .. | 48,13 | .. 48,13 |

|    |      |    |      |         |
|----|------|----|------|---------|
| .. | 1,38 | .. | 2,20 |         |
| .. | 11   | .. | 15   |         |
| .. | 1,67 | .. | 1,55 |         |
| .. | 30   | .. | 30   |         |
| .. | 14   | .. | 15   |         |
| .. | 13   | .. | 15   |         |
| .. | ..   | .. | ..   |         |
| .. | 3,73 | .. | 4,50 | .. 4,50 |

800—अन्य व्यय—

01—पंचायत निर्वाचन—

|                   |    |    |         |
|-------------------|----|----|---------|
| 01—वेतन           | .. | .. | 20      |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | 15      |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | 1,00    |
| 05—अन्य भत्ता     | .. | .. | 5       |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | 20      |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 2       |
| योग, 01           |    |    | .. 1,62 |

02—शिक्षा परिषदों तथा क्षेत्र समितियों का लेखा

संयोजन (जिम्मा योजना) —

|  |    |    |          |
|--|----|----|----------|
| 01—वेतन                                    | .. | .. | 27,83    |
| 03—महंगाई भत्ता                            | .. | .. | 22,26    |
| 04—यात्रा व्यय                             | .. | .. | 2,00     |
| 05—अन्य भत्ता                              | .. | .. | 2,00     |
| 06—कार्यालय व्यय                           | .. | .. | 1,10     |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                         | .. | .. | 10       |
| 09—माडिबों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 30       |
| 32—अन्तरिम सहायता                          | .. | .. | 5,57     |
| योग, 02                                    |    |    | .. 61,16 |

03—कुमायू एवं उत्तरालंछ प्रभागों में

वच पंचायत—

|                   |    |    |         |
|-------------------|----|----|---------|
| 01—वेतन           | .. | .. | 2,42    |
| 02—मजदूरी         | .. | .. | 15      |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | 1,94    |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | 40      |
| 05—अन्य भत्ता     | .. | .. | 20      |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | 15      |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 48      |
| योग, 03           |    |    | .. 5,74 |



अनुदान संख्या 14; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक प्रांके<br>1985-86 |             | प्रायः-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |             | बीबंक | प्रायः-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------|--------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                    | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर |       | प्रायोजनागत                    | प्रायोजनेतर |
| ..                         | ..          | 16,90                          | ..          | 16,90                      | ..          |       |                                |             |
| ..                         | 55          | ..                             | 1,00        |                            |             |       |                                |             |
| ..                         | 36          | ..                             | 80          |                            |             |       |                                |             |
| ..                         | 18          | ..                             | 70          |                            |             |       |                                |             |
| ..                         | 29          | ..                             | 25          |                            |             |       |                                |             |
| ..                         | 1,62        | ..                             | 65          |                            |             |       |                                |             |
| ..                         | ..          | ..                             | 20          |                            |             |       |                                |             |
| ..                         | ..          | ..                             | 25          |                            |             |       |                                |             |
| ..                         | 3,00        | ..                             | 3,75        | ..                         | 3,75        |       |                                |             |
| ..                         | 70,85       | 16,90                          | 58,97       | 16,90                      | 58,97       |       |                                |             |

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--

800--अन्य व्यय-- (समाप्त)--

04--पंचायत उद्योगों के लिये कार्यशाला भवनों का निर्माण-- (जिला योजना)--

19--लघु निर्माण कार्य

05--ग्रामीण वित्तीय प्रायोग--

01--बेतन

03--महंगाई भत्ता

04--यात्रा व्यय

05--अन्य भत्ते

06--कार्यालय व्यय

07--टेलीफोन पर व्यय

11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व

योग, 05

योग, 800

8,80

..

8,80

..

68,52

141

3054--सड़कें और पुल--

04--जिला और अन्य सड़कें--

800--अन्य व्यय--

01--जिला सड़कें--

0101--सड़कों के अनुरक्षण हेतु जिला परिषद् बहुराज्य को सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

0102--सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला परिषद् वायव्य की संक्रमित सड़कों के अनुरक्षण के लिये सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

0103--पुखोत्तर सड़क कार्यक्रम के प्रथम चरण की सड़कों के अनुरक्षण के लिये जिला परिषदों को सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

..

..

..

2

17

5,68

5,91

5,68

|    |    |    |          |    |          |
|----|----|----|----------|----|----------|
| .. | .. | .. | 6        | .. | 6        |
| .  | .. | .. | 25,00    | .. | 25,00    |
| .. | .. | .. | 11,38,00 | .. | 11,38,00 |
| .. | .. | .. | 11,69,16 | .. | 11,68,93 |

|    |         |    |         |    |         |
|----|---------|----|---------|----|---------|
| .. | 1,35,50 | .. | 1,35,50 | .. | 1,35,50 |
| .. | 1,35,50 | .. | 1,35,50 | .. | 1,35,50 |

|    |      |    |       |    |       |
|----|------|----|-------|----|-------|
| .. | ..   | .. | 1     | .. | 1     |
| .. | 2,00 | .. | 2,05  | .. | 2,00  |
| .. | ..   | .. | 16,31 | .. | 16,31 |
| .. | 15   | .. | 15    | .. | 15    |

|  |    |          |
|--|----|----------|
| 0104—पंचायती राज व जिमा परिषदों को सड़कों<br>आदि के अनुरक्षण के लिये अनुदान—           | .. | 6        |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | .. | 6        |
| 02—ग्रामीण सड़कें—   |    |          |
| 0201—नींबाटों के प्रबन्ध के लिये स्थानीय निकायों को<br>सहायता—                         | .. | 25,00    |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | .. | 25,00    |
| 0202—ग्रामीणों को स्थानीय निकायों की सड़कों के<br>अनुरक्षण हेतु ग्राम सभाओं को अनुदान— | .. | 11,38,00 |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | .. | 11,38,00 |
| योग, 800 ..  | .. | 11,68,93 |

**3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को—  
क्षतिपूर्ति और समनुदान—**

|  |    |         |
|--|----|---------|
| 104—खुर्गी कर—   |    |         |
| 01—स्थानीय दरों की प्रतिपूर्ति करने के लिये जिमा<br>परिषदों को अनुदान— | .. | 1,35,50 |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                                      | .. | 1,35,50 |
| योग, 104 ..  | .. | 1,35,50 |

|   |    |       |
|---|----|-------|
| 200—ग्रन्थ विधि क्षतिपूर्तियाँ और समनुदान—  |    |       |
| 01—जिला परिषदों को अनुदान—  |    |       |
| 0101—बनीवारी बिलास के पक्काई लिये मये<br>हार्दों, बाजारों आदि के प्रबन्ध के लिये<br>जिमा परिषदों को अनुदान—     | .. | 1     |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | .. | 1     |
| 0102—जिमा परिषद, रामपुर को स्वायत्त शासन<br>संबंधी कार्यकलापों व निर्माण कार्यों<br>के लिये विशेष सहायक अनुदान— | .. | 2,00  |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | .. | 2,00  |
| 0103—जिमा परिषदों को ग्रन्थ अनुदान—   | .. | 16,31 |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | .. | 16,31 |
| 0104—बिगड़ी तथा सिंगड़ी जलवितरण योजना<br>के लिये जिमा परिषदों को अनुदान—  | .. | 15    |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | .. | 15    |

145

5-1-5-37

प्रनुदान संख्या 147  
कृषि तथा ग्रन्थ सम्बन्ध विभाग . 986-87  
.4 (पंचायती राज)

| वार्षिक आंकड़े<br>1985-87 |             | प्राय-व्ययक प्रनुदान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित प्रनुमान<br>1986-87 |             | सांख्यिकीय<br>कोड   | शीर्षक | (हजार रुपये में) |             |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---|--------|------------------|-------------|
| प्रायोजनागत               | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                     | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                    | प्रायोजनेतर |   |        | प्रायोजनागत      | प्रायोजनेतर |
| 12,00                     | ..          | 12,00                           | ..          | 12,00                          | ..          | 02--स्थानीय (मकायो) को प्रनुदान--   |        |                  |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | 0201--पशु भविष्यार परिषदियों के तय की गई<br>कृषि में अन्य पशुओं की शिक्षा के<br>प्रतिष्ठित प्राय तथा कुछ जूमनों<br>के अन्तर्गत प्रनुदान-- |        |                  |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | 14--सहायक प्रनुदान/प्रदान/राज सहायता  | ..     | 12,00            |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | 03--ग्राम पंचायतों को प्रनुदान--  |        |                  |             |
|                           |             |                                 | 2           |                                | 2           | 03 01--पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत बमुल किये<br>गये जूमनों और न्यायालय शुल्कों से हुई<br>प्राप्तियों के कारण गांव समारों को प्रदान--   |        |                  |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | 14--सहायक प्रनुदान/प्रदान/राज सहायता  | ..     | 2                |             |
| 14,15                     | ..          | 30,49                           | ..          | 30,49                          | ..          | योग; 200  | ..     | 30,49            | 146         |
|                           |             |                                 |             |                                |             | <b>पंजी लेखा--</b>  |        |                  |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | <b>5465--सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश--</b>  |        |                  |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | 01--सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश--  |        |                  |             |
|                           |             | 2,00                            | ..          | 2,00                           | ..          | 190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों बैंक आदि में निवेश--   |        |                  |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | 01--उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम के अंशकों का क्रय   |        |                  |             |
|                           |             | 2,00                            | ..          | 2,00                           | ..          | 24--निवेश / ऋण  | 1,00   | ..               |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | योग, 190  | 1,00   | ..               |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | भाग 4--वसुधियों के व्योरे जिल्लों व्यय में<br>व्यय में समायोजित किया जायगा--  |        |                  |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | <b>2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--</b>  |        |                  |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | 60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--  |        |                  |             |
|                           |             |                                 |             |                                |             | 800--अन्य योजनाएँ--   |        |                  |             |
|                           |             | 24,00                           | ..          | 24,00                          | ..          | 01--बुद्धा कल्याण निधि से पूरी की गई धनराशि   | 24,00  | ..               |             |

# अनुदान संख्या 15

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

1-उत्त धनराशि का अनुमान जिसकी वित्तीय वर्ष 1987-88 में व्यय के लिये आवश्यकता है—

|          | राजस्व             | पूंजी             | योग                |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| मतभेद .. | 36,24,69,000 रुपये | 2,68,13,000 रुपये | 38,92,82,000 रुपये |
| भारित .. | 10,000 रुपये       | रुपये             | 10,000 रुपये       |

2-अनुदानों का मुख्य शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

| राजस्व लेखा—                              | वास्तविक मांकें<br>1985-86 |             | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |             | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |          |
|---|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|
|   | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर |          |
|   |                            |             |                            |             |                              |             |                            |             |          |
| 2018—मंत्री परिषद् ..                     | ..                         | 10          | ..                         | 10          | ..                           | 10          | ..                         | 10          |          |
| 2245—शेकी विपत्तियों के संबंध में राहत .. | ..                         | 4,28,46     | ..                         | 26,00       | ..                           | 2,17,50     | ..                         | 25,00       |          |
| 2408—पशुपालन ..                           | मतभेद ..                   | 5,60,59     | 22,19,80                   | 4,50,57     | 23,56,87                     | 6,47,49     | 27,42,89                   | 7,86,24     | 28,13,85 |
|   | भारित ..                   | ..          | 14                         | ..          | 4                            | ..          | 4                          | ..          | 10       |
|   | योग, राजस्व लेखा           | 5,60,59     | 26,48,36                   | 4,50,57     | 23,80,97                     | 6,47,49     | 29,60,49                   | 7,86,24     | 28,38,45 |
|   |                            | ..          | 14                         | ..          | 4                            | ..          | 4                          | ..          | 10       |
| पूंजी लेखा—                               |                            |             |                            |             |                              |             |                            |             |          |
| 4403—पशुपालन पर पूंजी परिव्यय ..          | ..                         | 1,02,55     | ..                         | ..          | ..                           | 3,20,64     | ..                         | 2,68,13     | ..       |
|   | मतभेद ..                   | 1,02,55     | ..                         | ..          | ..                           | 3,20,64     | ..                         | 2,68,13     | ..       |
| योग, पूंजी लेखा                           | भारित ..                   | ..          | ..                         | ..          | ..                           | ..          | ..                         | ..          | ..       |
|   | मतभेद ..                   | 6,63,14     | 26,48,36                   | 4,50,57     | 23,80,97                     | 9,68,13     | 29,60,49                   | 10,54,37    | 28,38,45 |
| कुल योग                                   | भारित ..                   | ..          | 14                         | ..          | 4                            | ..          | 4                          | ..          | 10       |

अनुदान वर्ष 15, 1987-88  
कृषि तथा ग्राम सम्वन्ध विभाग (पशुधन)

2—विनियोग लेखों के लिये मूल्या; मनु तथा उप तीर्थक :-

(हजार रुपये में)

| वर्षाविक अंकड़े<br>1985-86                        |          | प्रायः-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक  | प्रायः-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|---|----------|--------------------------------|----------|------------------------------|----------|---|--------------------------------|----------|
| आयोजनागत  | आयोजनेतर | आयोजनागत                       | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |   | आयोजनागत                       | आयोजनेतर |
| ..  | 10       | ..                             | 10       | ..                           | 10       |   |                                |          |
| <b>राजस्व लेखा—</b>                               |          |                                |          |                              |          |   |                                |          |
| <b>2018—मंत्री-परिषद्—</b>                        |          |                                |          |                              |          |   |                                |          |
|   |          |                                |          |                              |          | 105—मंत्रीयों द्वारा विवेकाधीन अनुदान               | ..                             | 10       |
| <b>2245—देवी विपत्तियों के समन्वय में राहत --</b> |          |                                |          |                              |          |   |                                |          |
| <b>02—बाढ़, चक्रवात आदि—</b>                      |          |                                |          |                              |          |   |                                |          |
| ..  | ..       | ..                             | ..       | ..                           | 72,50    | 104—बारों की पूर्ति                                 | ..                             | ..       |
| ..  | 4,28,46  | ..                             | 25,00    | ..                           | 1,40,00  | 105—पशु चिकित्सा                                    | ..                             | 25,00    |
| ..  | ..       | ..                             | ..       | ..                           | 5,00     | 111—मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये सहायता | ..                             | ..       |
| ..  | 4,28,46  | ..                             | 25,00    | ..                           | 2,17,59  | योग   | 2245                           | 25,00    |

148

2403—पशुपालन—

|         |         |         |         |         |         |   |         |         |          |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|----------|
| 2,59    | 1,80,16 | 3,68    | 1,43,39 | 5,33    | 2,47,09 | 001—निवेशन और प्रशासन                     | मितपय   | 10,05   | 1,90,09  |
| ..      | 14      | ..      | 4       | ..      | 4       |   | (भारित) | ..      | 10       |
| 79,11   | 8,32,75 | 60,64   | 8,24,62 | 1,71,81 | 9,60,45 | 101—पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य | ..      | 2,49,42 | 10,83,26 |
| 3,27,84 | 7,24,99 | 2,77,46 | 7,66,81 | 2,96,84 | 8,46,91 | 102—भैंस और पशु विकास                     | ..      | 3,82,83 | 8,76,05  |
| 25,20   | 86,06   | 20,78   | 1,01,46 | 28,93   | 1,21,96 | 103—कृषकूट विकास                          | ..      | 30,42   | 1,21,40  |
| 26,78   | 1,12,53 | 30,47   | 1,31,63 | 41,14   | 1,35,22 | 104—मैदू और उन विकास                      | ..      | 39,53   | 2,16,86  |
| 4,41    | 16,84   | 2,54    | 7,14    | 8,85    | 11,14   | 105—सुधर विकास                            | ..      | 11,64   | 9,63     |
| 14,02   | 1,90,12 | 11,30   | 2,24,86 | 14,91   | 2,58,66 | 106—ग्राम्य पशु विकास                     | ..      | 11,24   | 2,16,74  |
| 47,25   | 27,36   | 11,02   | 32,85   | 39,15   | 32,85   | 107—बारों और बाना विकास                   | ..      | 10,24   | 41,71    |

|       |       |       |       |       |         |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1;04  | 5;56  | 1,40  | 5,89  | 1;90  | 6;29    |
| 2;97  | 10,78 | 14;80 | 17;32 | 17,98 | 17;42   |
| 2;69  | ..    | 2;68  | ..    | 2,68  | ..      |
| 26,69 | 82;65 | 13;85 | 99;90 | 17,97 | 1;04,90 |

|         |          |         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 5;60,59 | 22,19,80 | 4;50,67 | 23;55;87 | 6,47,49 | 27;42;89 |
| ..      | 14       | ..      | 4        | ..      | 4        |

|         |          |         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 5;60;59 | 26,48,36 | 4;60;57 | 23;80;97 | 6,47,49 | 29,60;49 |
| ..      | 14       | ..      | 4        | ..      | ..       |

|       |    |    |    |         |    |
|-------|----|----|----|---------|----|
| 56,58 | .. | .. | .. | 1,40,93 | .. |
| 21,02 | .. | .. | .. | 1,03,53 | .. |
| 13,46 | .. | .. | .. | 21,55   | .. |
| ..    | .. | .. | .. | 21,40   | .. |
| 6,44  | .. | .. | .. | 3,46    | .. |
| ..    | .. | .. | .. | 20,35   | .. |
| 5,05  | .. | .. | .. | 9,42    | .. |

|         |    |    |    |         |    |
|---------|----|----|----|---------|----|
| 1;02,55 | .. | .. | .. | 3,20,64 | .. |
|---------|----|----|----|---------|----|

|    |    |    |       |    |       |
|----|----|----|-------|----|-------|
| .. | .. | .. | 25;00 | .. | 2,500 |
|----|----|----|-------|----|-------|

उत्प्रेषण का सविस्तार विवरण पृष्ठ 134 से 197 तक देखें।

|                                    |    |    |       |       |
|------------------------------------|----|----|-------|-------|
| 109—विस्तार और प्रशासन             | .. | .. | 2,06  | 7;40  |
| 113—प्रशासनिक प्रबंधन और सांख्यिकी | .. | .. | 17,31 | 15,40 |
| 796—आदिम जाति क्षेत्र उपबोग        | .. | .. | 3,21  | ..    |
| 800—अन्य व्यय                      | .. | .. | 18;25 | 34,81 |

|              |         |         |          |
|--------------|---------|---------|----------|
| योग, 2403 .. | { मतदेय | 7,86,24 | 28,13,35 |
|              | { भारत  | ..      | 10       |

|                  |         |         |          |
|------------------|---------|---------|----------|
| योग, राजस्व लेखा | { मतदेय | 7,86,24 | 28,38,45 |
|                  | { भारत  | ..      | 10       |

### पूंजी लेखा—

#### 4403—पशुपालन पर पूंजी पारव्यय—

|  |    |         |    |
|--|----|---------|----|
| 101—पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य                  | .. | 7,380   | .. |
| 102—पशु और मत्स्य विकास                                    | .. | 1,34,10 | .. |
| 103—कुक्कुट विकास  | .. | 34,20   | .. |
| 104—भेड़ और ऊन विकास                                       | .. | 11,33   | .. |
| 105—सुअर विकास   | .. | 2,42    | .. |
| 190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | ..      | .. |
| 800—अन्य व्यय  | .. | 12,28   | .. |

|           |    |    |         |    |
|-----------|----|----|---------|----|
| योग, 4403 | .. | .. | 2,68,13 | .. |
|-----------|----|----|---------|----|

भाग 4—उन वस्तुओं के धोरे जिन्हें लेखे में रय में से हटा दिया है

2245—देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत—

02—बाढ़ चक्रवात आदि—

|                  |    |       |
|------------------|----|-------|
| 105—पशु चिकित्सा | .. | 25,00 |
|------------------|----|-------|

प्रनुदान संख्या 15; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सञ्चाल विभाग (पशुधन)

(द्वार एच. में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |          | शेषक | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------|----------------------------|
| आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |      | आयोजनागत                   |
| ..                         | 10       | ..                         | 10       | ..                         | 10       |      |                            |

राजस्व सेवा—

2013—मंत्री परिषद्—

105--मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान--

01--पशुधन मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता.. .. 10

2245--देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत--

02--बाढ़ चक्रवात आदि--

104--चारे की पूर्ति--

01--चारे की पूर्ति राहत कार्यों के लिये चारा वेदनरी  
केयर और चारा कन्सन्ट्रेट आदि की व्यवस्था हेतु

सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. ..

105--पशु चिकित्सा--

01--बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों  
की रोकथाम हेतु व्यवस्था

33--अन्य व्यय .. .. 25,00

111--मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये सहायता--

01--पशु विभाग के बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. ..

001—निर्देशन और प्रशासन—

01—निदेशालय का अधिष्ठान—

|  |         |
|--|---------|
| 01—वेतन .. .. .                                      | 75,02   |
| 03—महंगाई भत्ता .. .. .                              | 60,02   |
| 04—यात्रा व्यय .. .. .                               | 5,00    |
| 05—ग्रन्थ भत्ते .. .. .                              | 6,70    |
| 06—कार्यालय व्यय .. .. .                             | 5,75    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय .. .. .                           | 60      |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल की खरीद .. .. . | 1,75    |
| 32—मल्टरिम सहायता .. .. .                            | 15,00   |
| 33—ग्रन्थ व्यय .. .. .                               | 20,25   |
|  | 10      |
| योग, 01 .. .. .                                      | 1,90,09 |
|  | 10      |

02—पशुपालन विभाग के लेखा संगठन का सुवृद्धीकरण—

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 01—वेतन .. .. .          | .. |
| 02—महंगाई भत्ता .. .. .  | .. |
| 03—यात्रा व्यय .. .. .   | .. |
| 04—ग्रन्थ भत्ता .. .. .  | .. |
| 05—कार्यालय व्यय .. .. . | .. |
| योग; 02 .. .. .          | .. |

03—अवसृजित जिला बलितपुर व गाजियानाद में जिला पशुधन अधिकारी के कार्यालय की स्थापना—

|   |    |
|---|----|
| 01—वेतन .. .. .                           | .. |
| 03—महंगाई भत्ता .. .. .                   | .. |
| 04—यात्रा व्यय .. .. .                    | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते .. .. .                   | .. |
| 06—कार्यालय व्यय .. .. .                  | .. |
| 11—किराया; उपसलूक और कर स्वामित्व .. .. . | .. |
| योग; 03 .. .. .                           | .. |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 60;10 .. .. .   | 68;20   |
| 42;32 .. .. .   | 47;52   |
| 2,21 .. .. .    | 3,20    |
| 5,25 .. .. .    | 4;15    |
| 3,30 .. .. .    | 3,30    |
| 52 .. .. .      | 53      |
| 148 .. .. .     | 1,48    |
| 10,75 .. .. .   | 10,30   |
| 14 .. .. .      | 4       |
| योग, 01 .. .. . | 1,38,68 |
| 14 .. .. .      | 4       |
| योग, 01 .. .. . | 2,42,38 |
| 14 .. .. .      | 4       |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 1,00 .. .. .    | 1;10 |
| 66 .. .. .      | 80   |
| 15 .. .. .      | 15   |
| 11 .. .. .      | 11   |
| 07 .. .. .      | 8    |
| योग, 02 .. .. . | 2,24 |
| 1,99 .. .. .    | 2,24 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 93 .. .. .      | 1;01 |
| 60 .. .. .      | 70   |
| 10 .. .. .      | 10   |
| 10 .. .. .      | 10   |
| 6 .. .. .       | 7    |
| 3 .. .. .       | 3    |
| योग, 03 .. .. . | 2,01 |
| 1,82 .. .. .    | 2,01 |



अनुदान संख्या 15; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपये में)

| वित्तीय वर्ष<br>1985-86   | प्रायः-व्यय अनुमान<br>1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | शेष | प्रायः-व्यय अनुमान<br>1987-88 |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|
| प्रायोजनगत  | प्रायोजनगत                    | प्रायोजनगत                   |     | प्रायोजनगत                    |
| प्रायोजनगत  | प्रायोजनगत                    | प्रायोजनगत                   |     | प्रायोजनगत                    |
| <b>2403—पशुपालन—</b>  |                               |                              |     |                               |
| <b>001—निर्देशन और प्रशासन (समाप्त)---</b>                          |                               |                              |     |                               |
| <b>04—पशुपालन निदेशालय के पुस्तकालय का विस्तार तथा सुदृढीकरण---</b> |                               |                              |     |                               |
| ..  | 20                            | ..                           | 22  | ..                            |
| ..  | 13                            | ..                           | 14  | ..                            |
| ..  | 1                             | ..                           | 1   | ..                            |
| ..  | 3                             | ..                           | 3   | ..                            |
| ..  | ..                            | ..                           | 1   | ..                            |
| ..  | 5                             | ..                           | 5   | ..                            |
| ..  | 42                            | ..                           | 46  | ..                            |
| योग, 04 ..  |                               |                              |     |                               |
| <b>05—पशुपालन विभाग के प्रशासनिक ढांचे का सुदृढीकरण---</b>          |                               |                              |     |                               |
| ..  | 1,45                          | ..                           | ..  | 3,95                          |
| ..  | 1,03                          | ..                           | ..  | 3,16                          |
| ..  | 10                            | ..                           | ..  | 15                            |
| ..  | 25                            | ..                           | ..  | 51                            |
| ..  | 20                            | ..                           | ..  | 25                            |
| ..  | ..                            | ..                           | ..  | 3                             |
| ..  | ..                            | ..                           | ..  | 40                            |
| ..  | ..                            | ..                           | ..  | 79                            |
| 2,16  | ..                            | 3,03                         | ..  | 9,24                          |
| योग, 05 ..  |                               |                              |     |                               |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 10 | .. | 20 | .. |    |    |
| 6  | .. | 12 | .. |    |    |
| 1  | .. | 3  | .. |    |    |
| 2  | .. | 4  | .. |    |    |
| 1  | .. | 2  | .. |    |    |
| .. | .. | .. | .. |    |    |
| 20 | .. | 41 | .. | 48 | .. |

|      |         |      |         |      |         |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| 23   | ..      | 24   | ..      | 50   | ..      |
| 7,59 | 1,30,16 | 3,68 | 1,43,39 | 5,33 | 2,47,09 |
|      | 14      | ..   | 4       |      | 4       |

|       |         |       |         |         |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 7,91  | 2,16,76 | 10,40 | 2,12,00 |         |         |
| 5,62  | 1,50,07 | 7,28  | 1,42,00 |         |         |
| 66    | 7,84    | 80    | 8,00    |         |         |
| 70    | 7,84    | 1,00  | 7,70    |         |         |
| .     | 42      | ..    | 40      |         |         |
| 6     | 12      | ..    | 12      |         |         |
| ..    | 40      | ..    | 40      |         |         |
| 28    | 41      | 80    | 40      |         |         |
| 11,71 | ..      | 5,00  | ..      |         |         |
| ..    | ..      | ..    | ..      |         |         |
| 9,89  | 26,81   | 1,50  | 22,10   |         |         |
| 36,83 | 4,10,67 | 26,78 | 3,93,12 | 1,12,54 | 5,11,12 |

|       |    |      |    |       |    |
|-------|----|------|----|-------|----|
| ..    | .. | ..   | .. |       |    |
| 9,09  | .. | 1,00 | .. |       |    |
| 3,07  | .. | 1,50 | .. |       |    |
| 11,16 | .. | 5,50 | .. | 12,05 | .. |

06—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोजिट प्लान—

पशुपालन विभाग के प्रशासनिक ढांचे का

सुदृढ़ीकरण—

|                   |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|
| 01—बेतन           | .. | .. | .. | 22 | .. |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | 18 | .. |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | .. | 3  | .. |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | .. | 5  | .. |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | .. | 2  | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | .. | 5  | .. |
| योग; 06           |    |    |    | 55 | .. |

07—पशुपालन निदेशालय के कर्मचारियों के कल्याणार्थ  
“वी” टाइप कैंटीन की व्यवस्था—

|                                     |         |    |       |         |
|-------------------------------------|---------|----|-------|---------|
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता.. | 30      | .. |       |         |
| योग, 001..                          | { मतदेय | .. | 10,09 | 1,90,09 |
|                                     | { भारत  | .. | ..    | 10      |

101—पशु चिकित्सा संबंधी सेवाएँ और पशु

स्वास्थ्य—

01—पशु चिकित्सालय और औषधालय आदि  
(जिला योजना)

|  |    |    |       |         |         |
|--|----|----|-------|---------|---------|
| 01—बेतन  | .. | .. | 74,56 | 4,25,00 |         |
| 02—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | 60,07 | 3,40,00 |         |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | 6,17  | 25,00   |         |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | 4,58  | 20,00   |         |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | 26    | 10,00   |         |
| 07—टैलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | 2     | 20      |         |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खर्च | .. | .. | ..    | 2,75    |         |
| 11—किराया, उन्नतक और 00 स्वामित्व                | .. | .. | 3,63  | 8,80    |         |
| 20—पशुचिकित्सालय सज्जा/उपकरण और संधन             | .. | .. | 6,54  | ..      |         |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | 15,06 | 85,00   |         |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | 9,42  | 75,00   |         |
| योग, 01  |    |    |       | 1,80,31 | 9,91,75 |

02—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोजिट प्लान—

पशु चिकित्सालय और औषधालय आदि—

|                                 |    |    |      |       |    |
|---------------------------------|----|----|------|-------|----|
| 20—कच्ची और सज्जा/उपकरण और संधन | .. | .. | 4,90 | ..    |    |
| 33—अन्य व्यय                    | .. | .. | 8,48 | ..    |    |
| योग 02                          |    |    |      | 13,38 | .. |

अनुदान संख्या 15; 1987-88  
 कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86                            |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | श्रेणिक   | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|---|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|---|----------------------------|----------|
| आयोजनागत  | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |   | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
| <b>2403—पशुपालन—</b>                                  |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| 101—पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य (कर्मचारी)— |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| 03—पशु चिकित्सालय और औषधालय की सामान्य योजना--        |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| ..  | 10,49    | ..                         | 10,20    | ..                           | 22,23    | 01—बैठन   | ..                         | ..       |
| ..  | 67,8     | ..                         | 7,10     | ..                           |          | 03—सहभाई भत्ता                                    | ..                         | ..       |
| ..  | 14       | ..                         | 13       | ..                           |          | 04—यात्रा व्यय                                    | ..                         | ..       |
| ..  | 55       | ..                         | 55       | ..                           |          | 05—अन्य भत्ते                                     | ..                         | ..       |
| ..  | 11       | ..                         | 12       | ..                           |          | 06—कार्यालय भ्रम                                  | ..                         | ..       |
| ..  | 3        | ..                         | 2        | ..                           |          | 07—टेलीफोन पर व्यय                                | ..                         | ..       |
| ..  | 10       | ..                         | 11       | ..                           |          | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा बेट्रोस की & रीप | ..                         | ..       |
| ..  | 1,28     | ..                         | 50       | ..                           |          | 33—अन्य व्यय                                      | ..                         | ..       |
| ..  | 19,48    | ..                         | 18,73    | ..                           |          | योग; 03   | ..                         | ..       |
| 01—भारत सरकार की ओर से पशु नहावारी                    |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| रक्षात्मक का उत्पादन—                                 |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| ..  | 1,66     | ..                         | 1,75     | ..                           | 12,27    | 01—बैठन   | ..                         | ..       |
| ..  | 1,11     | ..                         | 1,28     | ..                           |          | 03—सहभाई भत्ता                                    | ..                         | ..       |
| ..  | 3        | ..                         | 3        | ..                           |          | 04—यात्रा व्यय                                    | ..                         | ..       |
| ..  | 18       | ..                         | 18       | ..                           |          | 05—अन्य भत्ते                                     | ..                         | ..       |
| ..  | 3        | ..                         | 3        | ..                           |          | 06—कार्यालय भ्रम                                  | ..                         | ..       |
| ..  | 4,06     | ..                         | 5,00     | ..                           |          | 33—अन्य व्यय                                      | ..                         | ..       |
| ..  | 7,07     | ..                         | 8,27     | ..                           |          | योग; 04   | ..                         | ..       |
| 05—राज्य में नये पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा        |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| केंद्रों की स्थापना—                                  |          |                            |          |                              |          |   |                            |          |
| ..  | 1,15,56  | ..                         | 1,15,00  | ..                           |          | 01—बैठन   | ..                         | ..       |
| ..  | 84,54    | ..                         | 81,00    | ..                           |          | 03—सहभाई भत्ता                                    | ..                         | ..       |
| ..  | 9.66     | ..                         | 12,00    | ..                           |          | 04—यात्रा व्यय                                    | ..                         | ..       |

|                |    |                |            |
|----------------|----|----------------|------------|
| 7,24           | .. | 9,00           |            |
| 7,65           | .. | 8,00           |            |
| 6,43           | .. | 6,00           |            |
| 10,70          | .. | 10,00          |            |
| <b>2,41,78</b> | .. | <b>2,41,00</b> | .. 2,41,00 |

|      |    |      |         |
|------|----|------|---------|
| 8,33 | .. | 9,40 | .. 8,40 |
|------|----|------|---------|

|             |    |             |         |
|-------------|----|-------------|---------|
| 3,13        | .. | 3,32        |         |
| 2,06        | .. | 2,32        |         |
| 49          | .. | 45          |         |
| 29          | .. | 28          |         |
| 5           | .. | 4           |         |
| 42          | .. | 40          |         |
| 72          | .. | 65          |         |
| <b>7,16</b> | .. | <b>7,46</b> | .. 7,46 |

|              |    |              |          |
|--------------|----|--------------|----------|
| 8,69         | .. | 7,75         |          |
| 5,40         | .. | 5,50         |          |
| 3            | .. | 2            |          |
| 1,23         | .. | 30           |          |
| <b>15,35</b> | .. | <b>13,57</b> | .. 13,57 |

|      |    |      |  |
|------|----|------|--|
| 8,77 | .. | 8,80 |  |
| 5,81 | .. | 5,60 |  |
| 96   | .. | 95   |  |

|                                   |    |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|
| 05—अन्य भत्ते                     | .. | .. | .. |
| 08—कार्यालय व्यय                  | .. | .. | .. |
| 11—किराया/ उपकरण धोर कर स्वामित्व | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय                      | .. | .. | .. |

योग, 05 .. ..

06—राज्य के वर्तमान पञ्च विधिकसालयो एवं तथा देशी में प्रतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था—

(जिला योजना)—

|             |    |    |  |
|-------------|----|----|--|
| 33—अन्य भाव | .. | .. |  |
|-------------|----|----|--|

7—उत्तर प्रदेश में पञ्च महामारी की रोकथाम के निम्न प्रवेक्षण योजना पर प्रतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना—

|  |    |    |       |
|--|----|----|-------|
| 01—वेतन  | .. | .. | 13,50 |
| 03—महंगाई भत्ता                                | .. | .. | 10,80 |
| 04—यात्रा व्यय                                 | .. | .. | 1,50  |
| 05—अन्य भत्ते                                  | .. | .. | 1,10  |
| 06—कार्यालय व्यय                               | .. | .. | 5     |
| 09—मोटर गाड़ियों का रखरखाव तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 1,75  |
| 32—प्रत्तिरिक्त सहायता                         | .. | .. | 2,70  |
| 33—अन्य व्यय                                   | .. | .. | 1,30  |

योग, 07 .. ..

32,70

—राज्य के 40 'ए' श्रेणी के पञ्च विधिकसालयो एवं 160 'डी' श्रेणी का डिप्टी-मैजिस्ट्रेट पर डेप्युटी के पद का सञ्चन—

|                 |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|
| 01—वेतन         | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते   | .. | .. | .. |

योग, 08 .. ..

09—उत्तर प्रदेश में पञ्च महामारी की रोकथाम के निम्न प्रवेक्षण योजना पर प्रतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना—

|                 |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|
| 01—वेतन         | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | .. | .. |

पशुजन्य उत्पादों, 15, 1987-88  
 कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विभाग (पशुधन)

(द्वि-वार्षिक)

| वर्ष   | 1985-86 | 1986-87 | 1986-87 | मात्रा | 1987-88 |
|--|---------|---------|---------|--------|---------|
| प्रकार   | प्रकार  | प्रकार  | प्रकार  |        | प्रकार  |
| पशुपालन  |         |         |         |        |         |
| 101-पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य- (क्रमशः)-  |         |         |         |        |         |
| 05-ग्रन्थ भत्ता  | 81      | 80      |         |        |         |
| 09-मोटर गाड़ियों का अनुदान एवं पेट्रोल का खर्च   | 1,20    | 1,20    |         |        |         |
| 33-ग्रन्थ व्यय   | 71      | 60      |         |        |         |
|  | 18,26   | 17,95   | 17,95   |        |         |
| 10-राज्य के स्थानीय निकायों द्वारा पारिचालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्ताधिकरण (खिला योजना)-   |         |         |         |        |         |
| 01-नेतन  | 1,54    | 3,00    | 27,50   |        | 8,94    |
| 03-नहंगाई भत्ता  | 1,15    | 2,10    | 17,50   |        | 7,07    |
| 04-यात्रा व्यय   | 15      | 25      | 2,00    |        | 47      |
| 05-ग्रन्थ भत्ता  | 10      | 25      | 2,00    |        | 66      |
| 06-कार्यालय व्यय   | 1,01    | 1,00    |         |        | 2       |
| 07-टेलीफोन पर व्यय   | 4       | 4       |         |        |         |
| 11-किराया, उपबन्ध और कार स्वामित्व   | 3,91    | 10      | 1,60    |        | 23      |
| 20-मशीनें और सज्जा/सुधार और संयंत्र  | 73      | 80      |         |        | 35      |
| 32-अन्तर्गत सहायता   |         |         |         |        | 1,73    |
| 33-ग्रन्थ व्यय   | 4,35    | 54      | 2,00    |        |         |
|  | 4,11    | 7,04    | 53,64   | 14,66  | 53,64   |
| 11-पशुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कॉम्पोजिट प्लान- स्थानीय निकायों द्वारा पारिचालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्ताधिकरण (खिला योजना)- |         |         |         |        |         |
| 33-ग्रन्थ व्यय   | 82      | 89      |         | 1,16   |         |
| 12-रायबरेली जिसे में एक सचल पशु चिकित्सा इकाई- (खिला योजना)-   |         |         |         |        |         |
| 01-बेचन  | 15      | 4,67    |         |        |         |
| 03-नहंगाई भत्ता  | 10      | 3,25    |         |        |         |

|    |    |    |       |    |       |
|----|----|----|-------|----|-------|
| .. |    | .. | 74    |    |       |
| .. | 1  | .. | 46    |    |       |
| .. | .. | .. | 11    |    |       |
| .. | 10 | .. | 1;00  |    |       |
| .. | 7  | .. | 85    |    |       |
| .. | 45 | .. | 11,08 | .. | 11,08 |

|      |      |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|
| ..   | 2,31 | .. | .. |    |    |
| - .. | 1,41 | .. | .. |    |    |
| ..   | 31   | .. | .. |    |    |
| ..   | 17   | .. | .. |    |    |
| 5    | 60   | .. | .. |    |    |
| ..   | ..   | .. | .. |    |    |
| 35   | 65   | .. | .. |    |    |
| 200  |      |    |    |    |    |
| 2,40 | 5,45 | .. | .. | 19 | .. |

|    |    |    |    |   |    |
|----|----|----|----|---|----|
| .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
|----|----|----|----|---|----|

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | 20 | .. | 22 |    |    |
| .. | 13 | .. | 15 |    |    |
| .. | 5  | .. | 5  |    |    |
| .. | 5  | .. | 5  |    |    |
| .. | 10 | .. | 10 |    |    |
| .. | 10 | .. | 10 |    |    |
| .. | 63 | .. | 67 | .. | 67 |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | 26 | .. | 29 |    |    |
| .. | 18 | .. | 21 |    |    |
| .. | 3  | .. | 3  |    |    |
| .. | 12 | .. | 12 |    |    |
| .. | 2  | .. | 2  |    |    |
| .. | 61 | .. | 67 | .. | 67 |

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | .. | .. |

योग, 12

|   |     |    |      |    |    |
|---|-----|----|------|----|----|
| 13—घाठ सचल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना— |     |    |      |    |    |
| 01—वेतन                                     | ..  | .. | 1,60 | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                             | ..  | .. | 1,28 | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                              | ..  | .. | 15   | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते                               | ..  | .. | 10   | .. | .. |
| 09—गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | ..  | .. | 50   | .. | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                           | 1,1 | .. | 32   | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय                                | ..  | .. | 20   | .. | .. |
| 21—गाड़ियों का क्रम                         | ..  | .. | ..   | .. | .. |

योग; 13

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 14—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान ;<br>घाठ सचल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना— |    |    |    |    |    |
| 33—अन्य व्यय  | .. | .. | 12 | .. | .. |

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 15—पौड़ी में मंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना तथा<br>मंडलीय प्रयोगशाला, नैनीताल का सुदुकीकरण— |    |    |    |    |    |
| 01—वेतन   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र   | .. | .. | .. | .. | .. |

योग; 15

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| 16—पर्वतीय क्षेत्र में 'ए' श्रेणी के पशुचिकित्सालयों<br>में मुख्य औषधिक के पद का सृजन— |    |    |    |    |    |
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय   | .. | .. | .. | .. | .. |

योग, 16



|    |      |    |      |
|----|------|----|------|
| .. | 7    | .. | 7    |
| .. | 10   | .. | 10   |
| .. | ..   | .. | ..   |
| .. | 6    | .. | 6    |
| .. | 1,55 | .. | 1,68 |
| .. | ..   | .. | 1,68 |

|    |      |    |    |
|----|------|----|----|
| .. | 32   | .. | 35 |
| .. | 21   | .. | 23 |
| .. | 5    | .. | 5  |
| .. | 2    | .. | 2  |
| .. | ..   | .. | .. |
| .. | 3,51 | .. | 7  |
| .. | 4,11 | .. | 72 |
| .. | ..   | .. | 72 |

|    |    |    |      |
|----|----|----|------|
| .. | .. | .. | ..   |
| .. | .. | .. | ..   |
| .. | .. | .. | ..   |
| .. | .. | .. | ..   |
| .. | .. | .. | ..   |
| .. | .. | .. | ..   |
| .. | .. | .. | ..   |
| .. | .. | .. | ..   |
| .. | .. | .. | 2,49 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | 70 |

|    |      |      |      |
|----|------|------|------|
| 54 | 2,12 | 1,10 | 2,33 |
| 35 | 1,38 | 77   | 1,50 |
| 1  | 12   | 5    | 11   |
| .. | ..   | 15   | ..   |
| 47 | .    | ..   | 2    |
| .. | ..   | ..   | ..   |

|                   |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | 10 |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | 14 |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 18 |
| 33—अन्य व्यय      | .. | .. | 30 |

योग; 19 .. 2,30

20--सूकर रोगों की जांच और नियन्त्रण--

|                   |    |    |      |
|-------------------|----|----|------|
| 01—वेतन           | .. | .. | 35   |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | 28   |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | 5    |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | 2    |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 7    |
| 33—अन्य व्यय      | .. | .. | 2,70 |

योग; 20 .. 3,47

21--पशुरोग अनुसंधान तथा निदान सेवाओं का विस्तार--

|                   |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|
| 01—वेतन           | .. | .. | 18 |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | 16 |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | 3  |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | 3  |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 4  |
| 33—अन्य व्यय      | .. | .. | 30 |

योग; 21 .. 74

22--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान--  
पशु रोग अनुसंधान तथा निदान सेवाओं का विस्तार--

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| 33—अन्य व्यय | .. | .. | 10 |
|--------------|----|----|----|

23--वैदिक औषधि उत्पादन शाखा का प्रसार एवं सुदुकीकरण--

|                  |    |    |      |       |
|------------------|----|----|------|-------|
| 01—वेतन          | .. | .. | 1,94 | 14,00 |
| 03—महंगाई भत्ता  | .. | .. | 1,55 | 11,20 |
| 04—यात्रा व्यय   | .. | .. | 5    | 30    |
| 05—अन्य भत्ते    | .. | .. | 30   | 1,00  |
| 06—कार्यालय व्यय | .. | .. | ..   | 20    |
| 08—इंजीन पर व्यय | .. | .. | .    | 5     |



प्रमाण संख्या 16, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपया में)

| वार्षिक बाकी<br>1986-88   |             | प्रायःव्ययक प्रमाण<br>1986-87 |             | पुनरीमित प्रमाण<br>1986-87 |             | शेषक   | प्रायःव्ययक प्रमाण<br>1987-88 |             |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर |  | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
| <b>2403-पशुपालन—</b>  |             |                               |             |                            |             |  |                               |             |
| <b>101-पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य (कमरा)---</b>      |             |                               |             |                            |             |  |                               |             |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | 09-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | ..                            | 15          |
| ..  | 17          | ..                            | 20          | ..                         | ..          | 20-मशीनें तथा बज्जा/उपकरण एवं खर्च               | ..                            | ..          |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | 32-अन्तरिम सहायता                                | 39                            | 2,80        |
| 504   | 2,72        | 2,30                          | 2,51        | ..                         | ..          | 33-अन्य व्यय                                     | 2,30                          | 20,00       |
| 6,49  | 6,51        | 4,37                          | 6,67        | 10,82                      | 9,67        | योग, 23  | 6,53                          | 49,70       |
| <b>24-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल काम्पोनेट प्लान-जैविक</b> |             |                               |             |                            |             |  |                               |             |
| <b>प्रायोजित उत्पादन गांवा का सुदृढीकरण---</b>                  |             |                               |             |                            |             |  |                               |             |
| 91  | ..          | 1,00                          | ..          | 1,60                       | ..          | 33-अन्य व्यय                                     | 1,00                          | ..          |
| 91  | ..          | 1,00                          | ..          | 1,60                       | ..          | योग, 24  | 1,00                          | ..          |
| <b>25-लिवर फ्लूक रोग के निबन्धन की योजना---</b>                 |             |                               |             |                            |             |  |                               |             |
| ..  | 38          | ..                            | 55          | ..                         | ..          | 01-बैतन  | ..                            | 1,38        |
| ..  | 32          | ..                            | 37          | ..                         | ..          | 03-महंगाई भत्ता                                  | ..                            | 1,10        |
| ..  | 6           | ..                            | 7           | ..                         | ..          | 04-यात्रा व्यय                                   | ..                            | 17          |
| ..  | 4           | ..                            | 10          | ..                         | ..          | 05-अन्य भत्ते                                    | ..                            | 16          |
| ..  | 3           | ..                            | 3           | ..                         | ..          | 06-कार्यालय व्यय                                 | ..                            | 10          |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | ..                         | ..          | 32-अन्तरिम सहायता                                | ..                            | 28          |
| ..  | 8           | ..                            | 6           | ..                         | ..          | 33-अन्य व्यय                                     | ..                            | 18          |
| ..  | 89          | ..                            | 1,18        | ..                         | 1,18        | योग, 25  | ..                            | 3,34        |
| <b>26-पशु चिकित्सा स्नातकों के लिये राज्य के जुने हुए</b>       |             |                               |             |                            |             |  |                               |             |
| <b>पशु चिकित्सालयों पर इण्टर्नशिप का प्राविधान---</b>           |             |                               |             |                            |             |  |                               |             |
| ..  | ..          | ..                            | 1,00        | ..                         | 1,00        | 33-अन्य व्यय                                     | ..                            | ..          |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | 46 | .. | 51 |    |    |
| .. | 30 | .. | 35 |    |    |
| .. | 3  | .. | 3  |    |    |
| .. | 4  | .. | 4  |    |    |
| .. | 2  | .. | 2  |    |    |
| .. | .. | .. | .. |    |    |
| .. | 3  | .. | 8  |    |    |
| .. | 88 | .. | 98 | .. | 98 |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | 20 | .. | 22 |    |    |
| .. | 14 | .. | 14 |    |    |
| .. | 4  | .. | 4  |    |    |
| .. | 3  | .. | 3  |    |    |
| .. | 1  | .. | 1  |    |    |
| .. | .. | .. | .. |    |    |
| .. | 4  | .. | 4  |    |    |
| .. | 46 | .. | 48 | .. | 48 |

4,66 .. 6,00 .. 5,68 ..

1,23 .. 1,32 .. 1,32 ..

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 2  | .. | 30 | 22 |
| 1  | .. | 21 | 14 |
| .. | .. | 4  | 3  |
| .. | .. | 3  | 2  |
| 8  | .. | 8  | 8  |

27—सहायक रोग प्रत्यक्षान अधिकारी  
(वेतन/व्यय) —

|                     |    |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|----|
| 01—वेतन             | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता     | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय      | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते       | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय    | .. | .. | .. | .. | .. |
| 32—प्रन्तरिम सहायता | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय        | .. | .. | .. | .. | .. |
| योग; 27             | .. | .. | .. | .. | .. |

28—फलोस टोस्टिंग प्रयोगशाला—

|                     |    |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|----|
| 01—वेतन             | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता     | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय      | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते       | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय    | .. | .. | .. | .. | .. |
| 32—प्रन्तरिम सहायता | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय        | .. | .. | .. | .. | .. |
| योग; 28             | .. | .. | .. | .. | .. |

29—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें—

2901—बुरपका, मुंहपका रोग के उन्मूलन हेतु बैक्टीन की व्यवस्था  
(केन्द्र सहायता 50 प्रतिशत की दर से) —

33—अन्य व्यय .. 5,68 ..

2902—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोजिट प्लान—  
बुरपका, मुंहपका रोग हेतु बैक्टीन की व्यवस्था—

33—अन्य व्यय .. 1,32 ..

2903—राष्ट्रीय महत्ता तथा अन्य सम्बन्धी पशुसुओं की पशुरोगों के  
विधिवत नियंत्रण की योजना—

|                    |    |    |    |      |    |
|--------------------|----|----|----|------|----|
| 01—वेतन            | .. | .. | .. | 1,53 | .. |
| 03—महंगाई भत्ता    | .. | .. | .. | 1,20 | .. |
| 04—यात्रा व्यय     | .. | .. | .. | 8    | .. |
| 05—अन्य भत्ते      | .. | .. | .. | 22   | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय | .. | .. | .. | ..   | .. |

अनुदान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपयों में)

| वार्षिक भांडे<br>1985-86 |          | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक  | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|----------|---|---------------------------|----------|
| आयोजनागत                 | आयोजनेतर | आयोजनागत                  | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |   | आयोजनागत                  | आयोजनेतर |
|                          |          |                           |          |                              |          | <b>2403—पशुपालन—</b>  |                           |          |
|                          |          |                           |          |                              |          | <b>101—पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य—(क्रमशः)</b>                           |                           |          |
| 12                       | ..       | ..                        | 13       |                              |          | 08—मोटर गाड़ियों का क्रय  | ..                        | ..       |
| 5                        | ..       | 18                        | 5        |                              |          | 09—गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद   | ..                        | ..       |
| 2,73                     | ..       | 40                        | 37       |                              |          | 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र   | ..                        | ..       |
| ..                       | ..       | ..                        | ..       |                              |          | 32—अन्तरिम सहायता   |                           | 31       |
| (-), 2,08                | ..       | 40                        | 33       |                              |          | 33—अन्य व्यय  | ..                        | 35       |
| 93                       | ..       | 1,64                      | 1,37     | 1,64                         | ..       | योग, 2903   | ..                        | 3,69     |
|                          |          |                           |          |                              |          | <b>2904—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान—</b>                       |                           |          |
|                          |          |                           |          |                              |          | राष्ट्रीय महत्ता तथा अन्य सम्बन्धी पहलुओं की पशु रोगों के विधिवत नियंत्रण की योजना— |                           |          |
| 15                       | ..       | 40                        | 20       |                              |          | 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र   | ..                        | ..       |
| 35                       | ..       | 40                        | 20       |                              |          | 33—अन्य व्यय  | ..                        | 40       |
| 50                       | ..       | 80                        | 40       | 80                           | ..       | योग, 2904   | ..                        | 40       |
|                          |          |                           |          |                              |          | <b>2905—पशु महामारी की निगरानी तथा उमकी रोकथाम का कार्यक्रम (राज्य योजना)—</b>      |                           |          |
| 22                       | ..       | 25                        | ..       |                              |          | 01—बेतन   | ..                        | 24       |
| 13                       | ..       | 18                        | ..       |                              |          | 03—महंगाई भत्ता   | ..                        | 20       |
| ..                       | ..       | 5                         | ..       |                              |          | 04—यात्रा व्यय  | ..                        | 3        |
| ..                       | ..       | 3                         | ..       |                              |          | 05—अन्य भत्ते   | ..                        | 4        |
| ..                       | ..       | ..                        | ..       |                              |          | 06—कार्यालय व्यय  | ..                        | 5        |
| ..                       | ..       | ..                        | ..       |                              |          | 08—मोटर गाड़ियों का क्रय  | ..                        | 1,00     |
| ..                       | ..       | ..                        | ..       |                              |          | 09—अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद   | ..                        | 15       |
| ..                       | ..       | ..                        | ..       |                              |          | 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र   | ..                        | 15       |
| ..                       | ..       | ..                        | ..       |                              |          | 32—अन्तरिम सहायता   | ..                        | 6        |
| 1,23                     | ..       | 2,40                      | ..       |                              |          | 33—अन्य व्यय  | ..                        | 74       |
| 1,58                     | ..       | 3,16                      | ..       | 3,14                         | ..       | योग, 2905   | ..                        | 2,66     |



अनुसंधान संख्या 15; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपयों में)

| वास्तविक प्रांकड़े<br>1985-86                                   |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87                     |             | शीर्षक | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|--------|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                                      | प्रायोजनेतर |        | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
| 2403—पशुपालन—   |             |                               |             |  |             |        |                               |             |
| 102—पशुधन क्षेत्र विकास—  |             |                               |             |  |             |        |                               |             |
| 01—पशु विकास—   |             |                               |             |  |             |        |                               |             |
| ..  | 1,01,22     | ..                            | 1,00,00     | 01—वेतन  | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..  | 65,75       | ..                            | 70,00       | 03—महंगाई भत्ता                                  | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..  | 3,03        | ..                            | 3,00        | 04—यात्रा व्यय                                   | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..  | 4,62        | ..                            | 4,50        | 05—अन्य भत्ते                                    | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..  | 20          | ..                            | 20          | 06—कार्यालय व्यय                                 | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..  | 2,08        | ..                            | 4,00        | 08—गाड़ियों की खरीद                              | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..  | 81          | ..                            | 80          | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | 32—अन्तरिम सहायता                                | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..  | 1,84        | ..                            | 3,00        | 33—अन्य व्यय                                     | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..  | 1,79,55     | ..                            | 1,85,50     | योग, 01 ..                                       |             | ..     | ..                            | ..          |
| 02—गांव के पशु विकास संबंधी अन्य प्रमुख प्रश्नों का प्रतिष्ठान— |             |                               |             |  |             |        |                               |             |
| ..  | 1,38,74     | ..                            | 1,48,00     | 01—वेतन  | ..          | ..     | ..                            | 2,01,00     |
| ..  | 89,01       | ..                            | 1,05,00     | 03—महंगाई भत्ता                                  | ..          | ..     | ..                            | 1,61,00     |
| ..  | 4,04        | ..                            | 4,00        | 04—यात्रा व्यय                                   | ..          | ..     | ..                            | 10,00       |
| ..  | 3,52        | ..                            | 3,25        | 05—अन्य भत्ते                                    | ..          | ..     | ..                            | 10,00       |
| ..  | 13          | ..                            | 15          | 06—कार्यालय व्यय                                 | ..          | ..     | ..                            | 1,05        |
| ..  | 4           | ..                            | 4           | 07—टैल्फोन पर व्यय                               | ..          | ..     | ..                            | 10          |
| ..  | 61          | ..                            | 60          | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | ..          | ..     | ..                            | 2,80        |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण धीरे संयंत्र            | ..          | ..     | ..                            | 7,00        |
| ..  | ..          | ..                            | ..          | 32—अन्तरिम सहायता                                | ..          | ..     | ..                            | 40,20       |
| ..  | 31,73       | ..                            | 40,00       | 33—अन्य व्यय                                     | ..          | ..     | ..                            | 95,00       |
| ..  | 2,67,82     | ..                            | 3,01,04     | योग, 02  |             | ..     | ..                            | 5,28,15     |

|      |    |      |         |
|------|----|------|---------|
| 24   | .. | 24   |         |
| 21   | .. | 16   |         |
| ..   | .. | ..   |         |
| ..   | .. | ..   |         |
| ..   | .. | ..   |         |
| 1,06 | .. | 1,03 |         |
| 1,53 | .. | 1,43 | .. 1,43 |

|       |    |         |            |
|-------|----|---------|------------|
| 22,16 | .. | 56,92   |            |
| 14,91 | .. | 37,00   |            |
| 70    | .. | 1,50    |            |
| 1,09  | .. | 4,00    |            |
| 8     | .. | 60      |            |
| ..    | .. | ..      |            |
| 36    | .. | 1,30    |            |
| ..    | .. | ..      |            |
| 2,06  | .. | 9,11    |            |
| 41,36 | .. | 1,02,43 | .. 1,24,43 |

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 12,22 | .. | .. |    |
| 8,36  | .. | .. |    |
| 33    | .. | .. |    |
| 4     | .. | .. |    |
| 50    | .. | .. |    |
| 10    | .. | .. |    |
| 12    | .. | .. |    |
| 75    | .. | .. |    |
| 22,42 | .. | .. | .. |

करने की योजना—

|                   |    |    |    |      |
|-------------------|----|----|----|------|
| 01—वेतन           | .. | .. | .. | 81   |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | 69   |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | .. | 9    |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | .. | 9    |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | .. | 50   |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | .. | 17   |
| 33—अन्य व्यय      | .. | .. | .. | 4,35 |

योग, 03 .. 6,74

04—सचन पशु विकास प्रायोजना के परतर्पित मुविद्याओं का प्राध्वान एवं पशुचन निदेशालय में सचन पशु विकास प्रायोजना इकाई (सेल) का धुजन—

|  |    |    |    |         |
|--|----|----|----|---------|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | 1,07,00 |
| 03—महंगाई भत्ता                                    | .. | .. | .. | 85,60   |
| 04—यात्रा व्यय                                     | .. | .. | .. | 3,00    |
| 05—अन्य भत्ते                                      | .. | .. | .. | 7,00    |
| 06—कार्यालय व्यय                                   | .. | .. | .. | 95      |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                                 | .. | .. | .. | 13      |
| 09—मोटर गाड़ियों का प्रनुरक्षण एवं बेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 1,85    |
| 32—अन्तरिम सहायता                                  | .. | .. | .. | 21,40   |
| 33—अन्य व्यय                                       | .. | .. | .. | 28,00   |

योग, 04 .. 2,54,93

05—सचन पशु विकास प्रायोजना; अलीगढ़ में पतिरिक्त मुविद्याओं का प्राध्वान—

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                    | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                     | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते                                      | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                   | .. | .. | .. | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                                 | .. | .. | .. | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का प्रनुरक्षण एवं बेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय                                       | .. | .. | .. | .. |

योग, 05 .. ..

बजट संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(राजस्व वर्ष में)

| वास्तविक वर्ष<br>1986-86 | मास-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरोद्धित अनुमान<br>1986-87 | भाग | मास-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------|
| आयोजनागत आयोजनांतर       | आयोजनागत आयोजनांतर          | आयोजनागत आयोजनांतर           |     | आयोजनागत आयोजनांतर          |

2403—पशुपालन —

102—पशु और मत्स्य विकास—(कमडाः)

06—उच्चतम पशु विकास प्रायोजना, मेट्रिक के प्रत्येक प्रतिरूप  
सुविधाओं का प्राविद्यालय—(बिधा योजना)—

|    |       |    |    |   |    |    |    |
|----|-------|----|----|---|----|----|----|
| .. | 8,90  | .. | .. | 01—वेतन                                   | .. | .. | .. |
| .. | 5,79  | .. | .. | 03—महंगाई भत्ता                           | .. | .. | .. |
| .. | 41    | .. | .. | 04—यात्रा व्यय                            | .. | .. | .. |
| .. | 81    | .. | .. | 05—अन्य भत्ते                             | .. | .. | .. |
| .. | 16    | .. | .. | 06—कार्यालय व्यय                          | .. | .. | .. |
| .. | 10    | .. | .. | 07—टेलीफोन पर व्यय                        | .. | .. | .. |
| .. | 1,25  | .. | .. | 09—मोटर वाहन : पशुधन तथा पेट्रोल की खर्चा | .. | .. | .. |
| .. | 4     | .. | .. | 11—मोटर वाहन : पशुधन पर स्वामित्व         | .. | .. | .. |
| .. | 6,02  | .. | .. | 33—अन्य व्यय                              | .. | .. | .. |
| .. | 23,48 | .. | .. | योग; 06                                   | .. | .. | .. |

07—राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, एक संरचना पर चल रही

साझे की संतति परीक्षण योजना—

|    |      |    |      |                   |    |    |    |
|----|------|----|------|-------------------|----|----|----|
| .. | 78   | .. | 77   | 01—वेतन           | .. | .. | .. |
| .. | 54   | .. | 50   | 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. |
| .. | 5    | .. | 5    | 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | .. |
| .. | 5    | .. | 5    | 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | .. |
| .. | ..   | .. | ..   | 32—अन्तरिम महंगाई | .. | .. | .. |
| .. | 4,00 | .. | 4,00 | 33—अन्य व्यय      | .. | .. | .. |

5.17

5.37

5.37

योग; 07

38—कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार एवं  
प्रतिरिक्त सुविधाओं का प्राविधान (जिला योजना)—

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ..    | 2,10  | ..    | 4,17  |       |       |
| ..    | 1,78  | ..    | 2,36  |       |       |
| ..    | 20    | ..    | 40    |       |       |
| ..    | 7     | ..    | 28    |       |       |
| ..    | 90    | ..    | 66    |       |       |
| 3,20  | 15    | ..    | 95    |       |       |
| ..    | 42    | 2,10  | 50    |       |       |
| ..    | ..    | ..    | 5     |       |       |
| ..    | 682   | ..    | 7,00  |       |       |
| ..    | ..    | ..    | ..    |       |       |
| 14,68 | 22    | 13,00 | 4,61  |       |       |
| <hr/> |       |       |       |       |       |
| 17,88 | 12,66 | 15,10 | 21,17 | 17,19 | 21,17 |
| <hr/> |       |       |       |       |       |

|   |    |    |    |       |            |
|---|----|----|----|-------|------------|
| 01—बेतन   | .. | .. | .. | 2     | ..         |
| 03—महंगाई भत्ता                                   | .. | .. | .. | 1     | ..         |
| 04—यात्रा व्यय                                    | .. | .. | .. | 1     | ..         |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                                   | .. | .. | .. | ..    | ..         |
| 06—कार्यालय व्यय                                  | .. | .. | .. | ..    | ..         |
| 08—गाड़ियों का क्रय                               | .. | .. | .. | ..    | ..         |
| 09—मोटर गाड़ियों एवं अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 2,50  | ..         |
| 11—किराया शुल्क और कर स्वामित्व                   | .. | .. | .. | ..    | ..         |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र                 | .. | .. | .. | 2,56  | ..         |
| 32—प्रशिक्षण सहायता                               | .. | .. | .. | ..    | ..         |
| 33—ग्रन्थ व्यय                                    | .. | .. | .. | 18,78 | ..         |
|   |    |    |    |       | योग, 08 .. |
|   |    |    |    |       | 23 88      |
| <hr/>   |    |    |    |       |            |

107

09—प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का सुधार एवं  
विस्तार (जिला योजना)—

|       |      |    |    |    |    |
|-------|------|----|----|----|----|
| ..    | 81   | .. | .. |    |    |
| ..    | 52   | .. | .. |    |    |
| ..    | 8    | .. | .. |    |    |
| ..    | 6    | .. | .. |    |    |
| ..    | 25   | .. | .. |    |    |
| ..    | ..   | .. | .. |    |    |
| ..    | ..   | .. | .. |    |    |
| ..    | 3    | .. | .. |    |    |
| ..    | 2,40 | .. | .. |    |    |
| ..    | 11   | .. | .. |    |    |
| ..    | 71   | .. | .. |    |    |
| <hr/> |      |    |    |    |    |
| ..    | 4,98 | .. | .. | .. | .. |
| <hr/> |      |    |    |    |    |

|  |    |    |    |    |            |
|--|----|----|----|----|------------|
| 01—बेतन                                    | .. | .. | .. | .. | ..         |
| 03—महंगाई भत्ता                            | .. | .. | .. | .. | ..         |
| 04—यात्रा व्यय                             | .. | .. | .. | .. | ..         |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                            | .. | .. | .. | .. | ..         |
| 06—कार्यालय व्यय                           | .. | .. | .. | .. | ..         |
| 08—गाड़ियों का क्रय                        | .. | .. | .. | .. | ..         |
| 09—गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | ..         |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व         | .. | .. | .. | .. | ..         |
| 19—निर्माण कार्य                           | .. | .. | .. | .. | ..         |
| 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र          | .. | .. | .. | .. | ..         |
| 33—ग्रन्थ व्यय                             | .. | .. | .. | .. | ..         |
|  |    |    |    |    | योग, 09 .. |
|  |    |    |    |    | .. ..      |
| <hr/>                                      |    |    |    |    |            |



संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपयों में)

| वित्तवर्ष 1985-86 |            | वित्तवर्ष 1986-87 |            | वित्तवर्ष 1986-87 |            | श्रेणिक   | वित्तवर्ष 1987-88 |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
| प्रायोजनगत        | प्रायोजनगत | प्रायोजनगत        | प्रायोजनगत | प्रायोजनगत        | प्रायोजनगत |   | प्रायोजनगत        | प्रायोजनगत |
| ..                | 29         | ..                | 30         | ..                | 30         |   |                   |            |
| ..                | 5,78       | ..                | ..         | ..                | ..         | 01—वेतन   | ..                | ..         |
| ..                | 4,60       | ..                | ..         | ..                | ..         | 03—महंगाई भत्ता   | ..                | ..         |
| ..                | 50         | ..                | ..         | ..                | ..         | 04—यात्रा व्यय  | ..                | ..         |
| ..                | 58         | ..                | ..         | ..                | ..         | 05—अन्य भत्ते   | ..                | ..         |
| ..                | 51         | ..                | ..         | ..                | ..         | 06—कार्यालय व्यय  | ..                | ..         |
| ..                | 4          | ..                | ..         | ..                | ..         | 07—टेलीफोन पर व्यय  | ..                | ..         |
| ..                | 25         | ..                | ..         | ..                | ..         | 09—मोटर गाड़ियों का धनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद  | ..                | ..         |
| ..                | 30         | ..                | ..         | ..                | ..         | 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व  | ..                | ..         |
| ..                | 1,50       | ..                | ..         | ..                | ..         | 33—अन्य व्यय  | ..                | ..         |
|                   | 14,06      | ..                | ..         | ..                | ..         | योग; 11   | ..                | ..         |
| ..                | 1,45       | ..                | 1;48       | ..                | 1;48       | 12—केंद्रीय विकास एजेंसी, पीडी से हस्तांतरित साधों का रख-रखाव--                                 |                   |            |
| ..                | 44         | ..                | 50         | ..                | 50         | 33—अन्य व्यय  | ..                | ..         |
| ..                | 30         | ..                | 35         | ..                | 35         | 13--प्रजनन कार्य तथा बछड़ों को पालने हेतु विभागीय एजेंसी पर एच.एच.आई को धारा 11 (विना योजना) -- |                   |            |
| ..                | ..         | ..                | ..         | ..                | ..         | 01—वेतन   | ..                | ..         |
| ..                | ..         | ..                | ..         | ..                | ..         | 03—महंगाई भत्ता   | ..                | ..         |

168

|    |      |    |      |
|----|------|----|------|
| .. | 3    | .. | 3    |
| .. | 1    | .. | 1    |
| .. | ..   | .. | ..   |
| .. | 3,01 | .. | 3,00 |

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 2,79 | .. | 3,89 | .. | 3,89 |
|----|------|----|------|----|------|

|    |      |    |    |    |    |
|----|------|----|----|----|----|
| .. | 1,08 | .. | .. | .. | .. |
|----|------|----|----|----|----|

|    |      |    |      |
|----|------|----|------|
| .. | 2,89 | .. | 3,00 |
| .. | 1,97 | .. | 2,10 |
| .. | 3    | .. | 3    |
| .. | 2    | .. | 3    |
| .. | 1,07 | .. | 1,00 |

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 5,98 | .. | 6,16 | .. | 6,16 |
|----|------|----|------|----|------|

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| .. | 78 | .. | 81 |
| .. | 57 | .. | 56 |
| .. | 3  | .. | 3  |
| .. | 8  | .. | 8  |
| .. | 3  | .. | 3  |
| .. | 5  | .. | 5  |

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 1,54 | .. | 1,56 | .. | 1,56 |
|----|------|----|------|----|------|

|                  |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|
| 04—यात्रा व्यय   | .. | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते  | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय | .. | .. | .. | .. |
| 33—ग्रन्थ व्यय   | .. | .. | .. | .. |

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| योग, 13 | .. | .. | .. |
|---------|----|----|----|

14—राज्य में मैसों की प्रजनन युक्ति का सुदुकीकरण—

|                  |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|
| 06—कार्यालय व्यय | .. | .. | .. | .. |
|------------------|----|----|----|----|

15—सक्षु प्रजनन प्रसार केंद्रों पर रखे गये साधनों रख-रखाव की व्यवस्था—

|                 |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|
| 01—वेतन         | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते | .. | .. | .. | .. |
| 33—ग्रन्थ व्यय  | .. | .. | .. | .. |

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| योग, 15 | .. | .. | .. |
|---------|----|----|----|

16—भारत जर्मन योजना के अन्तर्गत झुल्मीड़ा जिले के कृत्रिम गर्भाधान कार्य का विस्तार एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना—

|                                    |    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|----|
| 01—वेतन                            | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                    | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                     | .. | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                    | .. | .. | .. | .. |
| 11—किराया, उपभुक्त और कर स्वामिस्व | .. | .. | .. | .. |
| 33—ग्रन्थ व्यय                     | .. | .. | .. | .. |

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| योग, 16 | .. | .. | .. |
|---------|----|----|----|

ग्रन्थान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपयों में)

| वार्षिक घाटे<br>1985-86  |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87                      |             | शीर्षक | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|---|-------------|--------|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                                     | प्रायोजनेतर |        | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
| <b>2403—पशुपालन—</b>   |             |                               |             |   |             |        |                               |             |
| <b>102—पशु और पक्ष विकास (क्रमशः)—</b>   |             |                               |             |   |             |        |                               |             |
| <b>17—उत्तरांचल पहाड़ी क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिष्ठानत<br/>केन्द्रों की स्थापना—</b>                         |             |                               |             |   |             |        |                               |             |
| ..   | 71          | ..                            | 90          | 01—वेतन   | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..   | 46          | ..                            | 60          | 03—महंगाई भत्ता                                 | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..   | 4           | ..                            | 4           | 04—यात्रा व्यय                                  | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..   | 3           | ..                            | 5           | 05—अन्य भत्ते                                   | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..   | 6           | ..                            | 7           | 08—कार्यालय व्यय                                | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..   | 1           | ..                            | 1           | 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व              | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..   | 32          | ..                            | 30          | 33—अन्य व्यय                                    | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| ..   | 1,63        | ..                            | 1,97        | योग, 17   | ..          | ..     | ..                            | ..          |
| <b>18—पार्वतीय क्षेत्रों में कृत्रिम सर्माधान कार्यक्रम का प्रसार<br/>एवं प्रतिरिक्त सुविधाओं का परिष्कार—</b> |             |                               |             |   |             |        |                               |             |
| ..   | 39          | ..                            | 45          | 01—वेतन   | ..          | ..     | ..                            | 17,85       |
| ..   | 26          | ..                            | 32          | 03—महंगाई भत्ता                                 | ..          | ..     | ..                            | 14,28       |
| ..   | 3           | ..                            | 3           | 04—यात्रा व्यय                                  | ..          | ..     | ..                            | 90          |
| ..   | 3           | ..                            | 3           | 05—अन्य भत्ते                                   | ..          | ..     | ..                            | 1,08        |
| ..   | 6           | ..                            | 6           | 06—कार्यालय व्यय                                | ..          | ..     | ..                            | 40          |
| ..   | 1           | ..                            | ..          | 09—मोटर वाहियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | ..          | ..     | ..                            | 85          |
| ..   | ..          | ..                            | 1           | 11—किराया/उपशुल्क/कर स्वामित्व                  | ..          | ..     | ..                            | 14          |
| ..   | ..          | ..                            | ..          | 32—प्रतिरिक्त सुविधा                            | ..          | ..     | ..                            | 3,87        |
| ..   | 17          | ..                            | 15          | 33—अन्य व्यय                                    | ..          | ..     | ..                            | 4,25        |
| ..   | 95          | ..                            | 1,05        | योग, 18   | ..          | ..     | ..                            | 43,22       |

19--पञ्चतीय क्षेत्र में पशुपालन विभाग कार्य के तहत खर्च का व्यवस्था का सुव्यवस्थापन --

|                     |    |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|----|
| 01--वेतन            | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता    | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय     | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते      | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 32--अतिरिक्त महायता | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय       | .. | .. | .. | .. | .. |

योग, 19

20--कृषि मर्णाधान कार्यक्रम का विस्तार एवं अतिरिक्त सुविधाओं का प्राविधान (डिप्टा योजना) --

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 01--वेतन  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07--टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | .. |
| 11--मशीनें तथा सज्जा/उपकरण तथा संबन्ध             | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | .. | .. |

योग, 20

21--बक गंजरिया (लखनऊ) पर अतिरिक्त बिदेसी साड़ रख कर अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र का सुव्यवस्थापन --

|                                |    |    |    |    |    |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|
| 01--वेतन                       | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता               | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय                | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते                 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09--अनुरक्षण व पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय                  | .. | .. | .. | .. | .. |

योग, 21

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 85   | .. | 85   | .. | ..   |
| .. | 52   | .. | 55   | .. | ..   |
| .. | 10   | .. | 10   | .. | ..   |
| .. | 18   | .. | 12   | .. | ..   |
| .. | 2    | .. | 2    | .. | ..   |
| .. | ..   | .. | ..   | .. | ..   |
| .. | 8    | .. | 6    | .. | ..   |
| .. | 1,75 | .. | 1,70 | .. | 1,70 |

|    |      |    |    |    |    |
|----|------|----|----|----|----|
| .. | 1,09 | .. | .. | .. | .. |
| .. | 71   | .. | .. | .. | .. |
| .. | 11   | .. | .. | .. | .. |
| .. | 5    | .. | .. | .. | .. |
| .. | 17   | .. | .. | .. | .. |
| .. | 1    | .. | .. | .. | .. |
| .. | 24   | .. | .. | .. | .. |
| .. | 9    | .. | .. | .. | .. |
| .. | 44   | .. | .. | .. | .. |
| .. | 2,91 | .. | .. | .. | .. |

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 131  | .. | 1,10 | .. | ..   |
| .. | 93   | .. | 99   | .. | ..   |
| .. | 3    | .. | 4    | .. | ..   |
| .. | 5    | .. | 4    | .. | ..   |
| .. | ..   | .. | 5    | .. | ..   |
| .. | 4,05 | .. | 4,09 | .. | ..   |
| .. | 6,37 | .. | 6,12 | .. | 6,12 |

सन्धान संख्या 15; 1987-88  
कृषि तथा ग्राम सञ्चय विभाग (पशुधन)

(हजार रुपयों में)

| वित्त वर्ष का अंतिम | आय-व्ययक अनुमान |          | पुनरोक्त अनुमान |          | शेष      | आय-व्ययक अनुमान |          |
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 1985-86             | 1988-87         |          | 1988-87         |          |          | 1987-88         |          |
| आयोजनागत            | आयोजनेतर        | आयोजनागत | आयोजनेतर        | आयोजनागत | आयोजनेतर | आयोजनागत        | आयोजनेतर |

2403--पशुपालन (क्रमशः) --

102--पशु और मत्त विकास--

22- इटावा जनपद में मदबारी भैंसों के प्रजनन तथा मदबारी प्रजनन केन्द्रों की स्थापना

|      |    |    |      |    |      |
|------|----|----|------|----|------|
| 63   | 20 | .. | 16   |    |      |
| 43   | 12 | .. | 10   |    |      |
| 4    | 2  | .. | 2    |    |      |
| 3    | .. | .. | ..   |    |      |
| ..   | .. | .. | 1,68 |    |      |
| 618  | .. | .. | ..   |    |      |
| 7.28 | 34 | .  | 1,96 | .. | 1,96 |

|                   |    |    |    |         |    |
|-------------------|----|----|----|---------|----|
| 01--बेतन          | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 03--बहुगाई भत्ता  | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 03--यात्रा व्यय   | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 05--ग्राम्य भत्ते | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 06--कार्यालय व्यय | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 33--अन्य व्यय     | .. | .. | .. | ..      | .. |
|                   |    |    |    | योग, 22 | .. |

23 -- प्रदेश में मैदानी प्रदलों में वैज्ञानिक परिचर्य केन्द्रों की स्थापना-- (जिला योजना)--

|    |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|
| 8  | 50   | 20   | 40   |      |      |
| 6  | 38   | 14   | 28   |      |      |
| .. | 4    | ..   | 4    |      |      |
| .. | 1    | ..   | 1    |      |      |
| .. | ..   | ..   | ..   |      |      |
| .. | 10   | ..   | 10   |      |      |
| .. | ..   | ..   | ..   |      |      |
| 55 | 1,53 | 1,10 | 1,40 |      |      |
| 69 | 2,56 | 1,44 | 2,23 | 1,89 | 3,23 |

|                                      |    |    |    |         |           |
|--------------------------------------|----|----|----|---------|-----------|
| 01--बेतन                             | .. | .. | .. | 53      | 1 30      |
| 03--बहुगाई भत्ता                     | .. | .. | .. | 42      | 1.05      |
| 04--यात्रा व्यय                      | .. | .. | .. | 5       | 10        |
| 05--ग्राम्य भत्ते                    | .. | .. | .. | 6       | 1         |
| 06--कार्यालय व्यय                    | .. | .. | .. | 10      | ..        |
| 11--किराया, उप शुल्क और कर स्वाभिव्य | .. | .. | .. | 8       | 10        |
| 32--अतिरिक्त सहायता                  | .. | .. | .. | 10      | 26        |
| 33--अन्य व्यय                        | .. | .. | .. | 65      | 3,90      |
|                                      |    |    |    | योग, 23 | ..        |
|                                      |    |    |    |         | 1,99 6,72 |

24 -- राज्य के मैदानी क्षेत्रों में प्रतिहिमीकृत क्षेत्रों द्वारा कृषि गन्नायन कार्यक्रम का विस्तार (राज्य योजना) --

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |

|                   |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|
| 01--बेतन          | .. | .. | .. | 46 | .. |
| 03--बहुगाई भत्ता  | .. | .. | .. | 30 | .. |
| 04--यात्रा व्यय   | .. | .. | .. | 5  | .. |
| 05--ग्राम्य भत्ते | .. | .. | .. | 5  | .. |
| 06--कार्यालय व्यय | .. | .. | .. | 50 | .. |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | .. | .. | .. |    |    |
| .. | .. | .. | .. |    |    |
| .. | .. | .. | .. |    |    |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |

|       |    |       |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| 26    | .. | 40    | 40    |       |       |
| 17    | .. | 28    | 28    |       |       |
| 4     | .. | 5     | 5     |       |       |
| 1     | .. | 2     | 1     |       |       |
| 34,98 | .. | 24    | 5     |       |       |
| 1,31  | .. | ..    | ..    |       |       |
| 18,87 | .. | 15    | 15    |       |       |
| ..    | .. | 6     | 8     |       |       |
| ..    | .. | 57,00 | 12,03 |       |       |
| ..    | .. | ..    | ..    |       |       |
| 24,36 | .. | 5,23  | 50    |       |       |
| 76,98 | .. | 63,43 | 13,53 | 66,10 | 13,53 |

|       |       |       |    |       |    |
|-------|-------|-------|----|-------|----|
| 4,57  | 11,60 | 20,00 | .. |       |    |
| 10,87 | ..    | 1,50  | .. |       |    |
| 15,44 | 11,60 | 21,50 | .. | 21,50 | .. |

|    |      |    |    |    |    |
|----|------|----|----|----|----|
| .. | 1,96 | .. | .. | .. | .. |
|----|------|----|----|----|----|

|                                      |    |    |       |    |
|--------------------------------------|----|----|-------|----|
| 08- मोटर गाड़ियों का क्रय            | .. | .. | 5,00  | .. |
| 20- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | .. | 48,85 | .. |
| 32- अल्पतरिम सहायता                  | .. | .. | 10    | .. |
| योग, 24                              | .. | .. | 55,25 | .. |

25- राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार (जिला योजना-)

|                                      |    |    |       |       |
|--------------------------------------|----|----|-------|-------|
| 01- बेतन                             | .. | .. | 2,49  | 2,00  |
| 03- महुंगाई पत्ता                    | .. | .. | 1,89  | 1,60  |
| 04- यात्रा व्यय                      | .. | .. | 30    | 10    |
| 05- अन्य भत्ते                       | .. | .. | 23    | 7     |
| 06- कार्यालय खर्च                    | .. | .. | 49    | 7     |
| 08- गाड़ियों का व्यय                 | .. | .. | ..    | ..    |
| 09- अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद     | .. | .. | 1,00  | 25    |
| 11- किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व | .. | .. | 12    | 6     |
| 20- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | .. | 32,98 | 15,00 |
| 32- अल्पतरिम सहायता                  | .. | .. | 42    | 40    |
| 33- अन्य व्यय                        | .. | .. | 32,49 | 6,00  |
| योग, 25                              | .. | .. | 72,41 | 25,55 |

26- अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-

2601- राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अति हिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार-

|                                      |    |    |       |    |
|--------------------------------------|----|----|-------|----|
| 20- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | .. | 16,42 | .. |
| 33- अन्य व्यय                        | .. | .. | 3,85  | .. |
| योग, 26                              | .. | .. | 20,27 | .. |

2602- बकरे तथा बकरियों के अभिजनन को प्रोत्साहित करने की योजना-

|                         |    |    |    |    |
|-------------------------|----|----|----|----|
| 19- लड्डू निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. |
|-------------------------|----|----|----|----|

173

522 फ-44

प्रनुमान संख्या 15; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशु धन)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक धीरे<br>1985-86   |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |             | शीर्षक                            | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर |                                   | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
| <b>2403-पशु पालन--</b>   |             |                               |             |                              |             |                                   |                               |             |
| <b>102-पशु और भेड़ विकास (क्रमशः) —</b>  |             |                               |             |                              |             |                                   |                               |             |
| <b>2603-सूचन पशु विकास योजना, मेरठ के अन्तर्गत अतिरिक्त सुविधाओं का प्राविधान (जिला योजना)--</b>                     |             |                               |             |                              |             |                                   |                               |             |
| ..   | 2,14        | ..                            | ..          | .                            | ..          | 33-अन्य व्यय                      | ..                            | ..          |
| <b>2604-कृषि नर्मदा कार्यक्रम का विस्तार एवं अतिरिक्त सुविधाओं का प्राविधान—</b>                                     |             |                               |             |                              |             |                                   |                               |             |
| .  | 1,79        | .                             | ..          | ..                           | ..          | 20-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | ..                            | ..          |
| ..   | 49          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 33-अन्य व्यय                      | ..                            | ..          |
| <b>2606-सूचन पशु विकास प्रायोजना, इलाहाबाद, फैजाबाद, सहारनपुर की स्थापना (जिला योजना)—</b>                           |             |                               |             |                              |             |                                   |                               |             |
| ..   | 8           | ..                            | 70          | .                            | 70          | 33-अन्य व्यय                      | ..                            | ..          |
| <b>2607-राज्य में भैसों की प्रजनन सुविधा का सुदृढीकरण—</b>   |             |                               |             |                              |             |                                   |                               |             |
| ..   | 21          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 06-कार्यालय व्यय                  | ..                            | ..          |
| <b>2608-राज्य के मैदानी क्षेत्रों में प्रतिहिमीकृत धीरे द्वारा कृषि गन्नाधान कार्यक्रम का विस्तार (जिला योजना)--</b> |             |                               |             |                              |             |                                   |                               |             |
| ..   | 2,50        | ..                            | 2,50        | ..                           | 2,50        | 20-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | ..                            | ..          |

|       |    |      |    |
|-------|----|------|----|
| 13    | .. | 85   | .. |
| 3     | .. | 60   | .. |
| 1     | .. | 10   | .. |
| 1     | .. | 5    | .. |
| 17    | .. | 65   | .. |
| 8     | .. | 36   | .. |
| ..    | .. | ..   | .. |
| 35    | .. | 3,20 | .. |
| <hr/> |    |      |    |
| 49,84 | .. | 5,80 | .. |
| <hr/> |    |      |    |
|       |    | 6,95 | .. |

27—प्रतिष्ठान के माध्यम से प्रजनन तथा भैंसों में प्रतिहिमोक्त वीर्य  
 मायों में संकर प्रजनन तथा भैंसों में प्रतिहिमोक्त वीर्य  
 द्वारा पशु प्रत्याभिजनन की योजना—

|  |    |    |    |       |    |
|--|----|----|----|-------|----|
| 01—वेतन                                  | .. | .. | .. | 2,19  | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                          | .. | .. | .. | 1,75  | .. |
| 04—यात्रा व्यय                           | .. | .. | .. | 20    | .. |
| 05—अन्य भत्ता                            | .. | .. | .. | 16    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                         | .. | .. | .. | 68    | .. |
| 09—गाड़ियों का प्रनुरक्षण तथा पेट्रोल की | .. | .. | .. | 60    | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                        | .. | .. | .. | 46    | .. |
| 33—अन्य व्यय                             | .. | .. | .. | 18,81 | .. |
| <hr/>                                    |    |    |    |       |    |
| योग, 27                                  |    |    |    | 24,85 | .. |

28—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट  
 प्लान—भारत सरकार की सहायता से अपारेकन  
 खण्ड क्षेत्र के गावों में होकर प्रजनन तथा भैंसों  
 में अति हिमोक्त वीर्य से पशु प्रत्याभिजनन की योजना—

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 59 | .. | 60 | .. | 60 | .. |
|----|----|----|----|----|----|

|              |    |
|--------------|----|
| 33—अन्य व्यय | 60 |
|--------------|----|

29—मधुन पशु विकास प्रयोजना के अन्तर्गत पशुधन  
 निदेशालय में प्रतिरिक्त पदों का सृजन—

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| ..    | 27 | .. | .. |
| ..    | 24 | .. | .. |
| ..    | 1  | .. | .. |
| ..    | 4  | .. | .. |
| ..    | 2  | .. | .. |
| <hr/> |    |    |    |
| ..    | 58 | .. | .. |

|                 |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| 01—वेतन         | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय    | .. | .. | .. | .. | .. |
| <hr/>           |    |    |    |    |    |
| योग, 29         |    |    |    | .. | .. |



अनुदान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विभाग (पशु धन)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक धाकड़े<br>1985-86 | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 | शीर्षक   | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| प्रायोजनागत               | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनागत                |  | प्रायोजनागत                   |
| प्रायोजनेतर               | प्रायोजनेतर                   | प्रायोजनेतर                |  | प्रायोजनेतर                   |
| ..                        | 39                            | ..                         | 2403—पशुपालन—  | ..                            |
| ..                        | 27                            | ..                         | 102—पशु और भेद विकास (क्रमशः)—                         | ..                            |
| ..                        | 5                             | ..                         | 30—सुल्तानपुर, रायबरेली जनपदों में पशुपालन कार्यक्रमों | ..                            |
| ..                        | 1                             | ..                         | का कार्यान्वयन—हिनीकृत बीयों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान   | ..                            |
| ..                        | 3                             | ..                         | कार्यक्रम की योजना—                                    | ..                            |
| ..                        | 6                             | ..                         | 01—वेतन .. .. .  | ..                            |
| ..                        | 15                            | ..                         | 03—महंगाई भत्ता .. .. .                                | ..                            |
| ..                        | 97                            | ..                         | 04—यात्रा व्यय .. .. .                                 | ..                            |
| ..                        | 50                            | ..                         | 05—अन्य भत्ता .. .. .                                  | ..                            |
| ..                        | 2,43                          | ..                         | 06—कार्यालय व्यय .. .. .                               | ..                            |
| ..                        | ..                            | ..                         | 09—गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद ..         | ..                            |
| ..                        | ..                            | ..                         | 11—किराया, उपभूक्त और कर स्वामित्व ..                  | ..                            |
| ..                        | ..                            | ..                         | 20—मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..                   | ..                            |
| ..                        | ..                            | ..                         | 33—अन्य व्यय .. .. .                                   | ..                            |
| ..                        | ..                            | ..                         | योग, 30 .. .. .  | ..                            |
| ..                        | ..                            | ..                         | 31—राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्रों के सुदृढीकरण की     | ..                            |
| ..                        | 10                            | ..                         | योजना—   | ..                            |
| ..                        | 6                             | ..                         | 01—वेतन .. .. .  | ..                            |
| ..                        | 3                             | ..                         | 03—महंगाई भत्ता .. .. .                                | ..                            |
| ..                        | 1                             | ..                         | 04—यात्रा व्यय .. .. .                                 | ..                            |
| ..                        | 32                            | ..                         | 05—अन्य भत्ते .. .. .                                  | ..                            |
| ..                        | 69                            | ..                         | 06—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद ..    | ..                            |
| ..                        | 1,21                          | ..                         | 33—अन्य व्यय .. .. .                                   | ..                            |
| ..                        | 1,30                          | ..                         | योग 31 .. .. .   | ..                            |
| ..                        | 1,30                          | ..                         |  | ..                            |

32—पर्वतीय क्षेत्रों में भारत-जर्मन परियोजना के अन्तर्गत सांख्यिक एवं अतिहोमीकृत वीर्य निधान प्रयोगशाला की स्थापना—

|       |    |       |      |
|-------|----|-------|------|
| 70    | .. | 77    |      |
| 48    | .. | 46    |      |
| 5     | .. | 5     |      |
| 5     | .. | 5     |      |
| 5     | .. | 5     |      |
| 41    | .. | 45    |      |
| ..    | .. | ..    |      |
| 1,21  | .. | 1,20  |      |
| <hr/> |    | <hr/> |      |
| 2,95  | .. | 3,03  | 3,03 |

|  |    |    |    |      |
|--|----|----|----|------|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | 77   |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | 62   |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | 7    |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | 9    |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | 5    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 50   |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | 16   |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | 1,50 |
| योग, 32  |    |    |    | 3,76 |

33—पशुधन विकास कार्यक्रमों के सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं कारबन्वियन हेतु पशुधन अधिकारियों को अतिरिक्त सुविधा—

|       |    |       |      |
|-------|----|-------|------|
| 34    | .. | 52    |      |
| 23    | .. | 32    |      |
| 13    | .. | 15    |      |
| 8     | .. | 8     |      |
| 26    | .. | 30    |      |
| 2     | .. | 2     |      |
| <hr/> |    | <hr/> |      |
| 1,06  | .. | 1,39  | 1,39 |

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. |
| 11—किराया, उपभुक्त और कर                         | .. | .. | .. | .. |
| योग, 33  |    |    |    | .. |

34—गोवर्णीय पशुओं के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के मासिक उन्नयन की योजनान्तर्गत पर्यवेक्षीय सेल की स्थापना—

|       |    |       |      |
|-------|----|-------|------|
| 5     | .. | 15    | ..   |
| 4     | .. | 12    | ..   |
| ..    | .. | 5     | ..   |
| ..    | .. | 5     | ..   |
| 1     | .. | 5     | ..   |
| ..    | .. | ..    | ..   |
| ..    | .. | ..    | ..   |
| <hr/> |    | <hr/> |      |
| 10    | .. | 42    | 1,62 |

|                   |    |    |    |      |
|-------------------|----|----|----|------|
| 01—वेतन           | .. | .. | 58 | ..   |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | 46 | ..   |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | 7  | ..   |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | 16 | ..   |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | 5  | ..   |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 12 | ..   |
| 33—अन्य व्यय      | .. | .. | 6  | ..   |
| योग, 34           |    |    |    | 1,50 |

अनुदान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | श्रीर्वक   | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|--|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |  | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
| 85                         | ..       | 75                         | ..       |                              |          | 2403—पशुपालन—  |                            |          |
| 57                         | ..       | 53                         | ..       |                              |          | 102—पशु और मत्स्य विकास (क्रमशः)—                    |                            |          |
| 17                         | ..       | 30                         | ..       |                              |          | 35—गोवंशीय पशुओं के विकास द्वारा पशुपालकों के आर्थिक |                            |          |
| 7                          | ..       | 12                         | ..       |                              |          | उन्नयन की योजना (जिला योजना) —                       |                            |          |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       |                              |          | 01—वेतन .. .. .                                      | 1,32                       | ..       |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       |                              |          | 03—महंगाई भत्ता .. .. .                              | 1,06                       | ..       |
| 5,54                       | ..       | 50                         | ..       |                              |          | 04—यात्रा व्यय .. .. .                               | 36                         | ..       |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       |                              |          | 05—अन्य भत्ते .. .. .                                | 13                         | ..       |
| 29,03                      | ..       | 245,0                      | ..       |                              |          | 07—टेलीफोन पर व्यय .. .. .                           | 4                          | ..       |
| 36,23                      | ..       | 26,70                      | ..       | 36,41                        | ..       | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद     | 10                         | ..       |
|                            |          |                            |          |                              |          | 20—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..           | 55                         | ..       |
|                            |          |                            |          |                              |          | 32—अन्तरिम सहायता .. .. .                            | 26                         | ..       |
|                            |          |                            |          |                              |          | 33—अन्य व्यय .. .. .                                 | 34,00                      | ..       |
|                            |          |                            |          |                              |          | योग 35 .. .. .                                       | 37,82                      | ..       |
| 3,46                       | ..       | 2,95                       | ..       | 2,95                         | ..       | 36—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान— |                            |          |
|                            |          |                            |          |                              |          | गोवंशीय पशुओं के विकास द्वारा पशुपालकों के आर्थिक    |                            |          |
|                            |          |                            |          |                              |          | उन्नयन की योजना, —                                   | 4,86                       | ..       |
|                            |          |                            |          |                              |          | 33—अन्य व्यय   |                            |          |
| 34,26                      | ..       | 32,18                      | ..       |                              |          | 37—लघु/सीमान्त कृषकों एवं कृषक/ मजदूरों के लामार्थ   |                            |          |
| 14,83                      | ..       | 22,53                      | ..       |                              |          | कुक्कुट, भेड़ और शकर उत्पादन की योजना—(जिला          |                            |          |
| 2,60                       | ..       | 1,40                       | ..       |                              |          | योजना) —   |                            |          |
| 1,17                       | ..       | 2,40                       | ..       |                              |          | 01—वेतन .. .. .                                      | 22,54                      | ..       |
|                            |          |                            |          |                              |          | 03—महंगाई भत्ता .. .. .                              | 18,03                      | ..       |
|                            |          |                            |          |                              |          | 04—यात्रा व्यय .. .. .                               | 1,45                       | ..       |
|                            |          |                            |          |                              |          | 05—अन्य भत्ते .. .. .                                | 1,32                       | ..       |

|           |    |       |    |       |
|-----------|----|-------|----|-------|
| 40        | .. | 40    | .. |       |
| 78        | .. | 1,70  | .. |       |
| 1,03      | .. | 80    | .. |       |
| 59,97     | .. | 25,85 | .. |       |
| ..        | .. | ..    | .. |       |
| (-) 41,65 | .. | 1,80  | .. |       |
| 67,75     | .. | 88,86 | .. | 86,51 |

|       |    |       |    |       |
|-------|----|-------|----|-------|
| 11,20 | .. | 11,84 | .. | 11,84 |
|-------|----|-------|----|-------|

|      |    |      |    |      |
|------|----|------|----|------|
| 1,14 | .. | 86   | .. |      |
| 55   | .. | 60   | .. |      |
| 11   | .. | 24   | .. |      |
| 7    | .. | 24   | .. |      |
| 16   | .. | 26   | .. |      |
| ..   | .. | ..   | .. |      |
| ..   | .. | ..   | .. |      |
| 2,03 | .. | 2,20 | .. | 1,96 |

|    |    |    |    |      |
|----|----|----|----|------|
| .. | .. | 8  | .. |      |
| .. | .. | 6  | .. |      |
| .. | .. | .. | .. |      |
| .. | .. | 1  | .. |      |
| 11 | .. | 1  | .. |      |
| .. | .. | .. | .. |      |
| .. | .. | .. | .. |      |
| .. | .. | .. | .. |      |
| 83 | .. | .. | .. |      |
| 94 | .. | 16 | .. | 1,58 |

|                                    |    |    |    |       |    |
|------------------------------------|----|----|----|-------|----|
| 06—कार्यालय व्यय                   | .. | .. | .. | 60    | .. |
| 09—अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद    | .. | .. | .. | 2,00  | .. |
| 11—किराया, उपभुक्त और कर स्वामिस्व | .. | .. | .. | 92    | .. |
| 14—सहायक/अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | .. | .. | .. | 34,65 | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                  | .. | .. | .. | 4,51  | .. |
| 33—अन्य व्यय                       | .. | .. | .. | 1,75  | .. |
| योग, 37                            |    |    |    | 87,77 | .. |

38—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—

लघु सीमान्त कृषकों एवं कृषक मजदूरों के कामार्थ कुक्कट, भेड़ और शूकर उत्पादन की योजना—

|                                   |    |    |    |      |    |
|-----------------------------------|----|----|----|------|----|
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | .. | .. | .. | 6,40 | .. |
|-----------------------------------|----|----|----|------|----|

39—लघु कृषक विकास योजना के अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय पर प्रयोजना कोष्ठ की स्थापना—

|                    |    |    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|----|----|
| 01—वेतन            | .. | .. | .. | 81 | .. |
| 03—महंगाई भत्ता    | .. | .. | .. | 66 | .. |
| 04—यात्रा व्यय     | .. | .. | .. | 5  | .. |
| 05—अन्य भत्ते      | .. | .. | .. | 20 | .. |
| 06—कार्यालय व्यय   | .. | .. | .. | 10 | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय | .. | .. | .. | 3  | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता  | .. | .. | .. | 15 | .. |

|         |  |  |  |      |    |
|---------|--|--|--|------|----|
| योग, 39 |  |  |  | 2,00 | .. |
|---------|--|--|--|------|----|

40—तरलवीथे द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रसार—

|                                    |    |    |    |      |    |
|------------------------------------|----|----|----|------|----|
| 01—वेतन                            | .. | .. | .. | 1,74 | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                    | .. | .. | .. | 1,39 | .. |
| 04—यात्रा व्यय                     | .. | .. | .. | 6    | .. |
| 05—अन्य भत्ते                      | .. | .. | .. | 5    | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                   | .. | .. | .. | 3    | .. |
| 11—किराया, उपभुक्त और कर स्वामिस्व | .. | .. | .. | 17   | .. |
| 20—नशील और सज्जा/उपकरण और संयंत्र  | .. | .. | .. | ..   | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता                  | .. | .. | .. | 35   | .. |
| 33—अन्य व्यय                       | .. | .. | .. | 56   | .. |

|         |  |  |  |      |    |
|---------|--|--|--|------|----|
| योग, 40 |  |  |  | 4,24 | .. |
|---------|--|--|--|------|----|

घनुमान अध्या 15, 1987-88  
कृषि तथा ग्रन्थ सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक प्राधिक<br>1985-86 |          | प्राथम्यिक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक  | प्राथम्यिक अनुमान<br>1987-88 |          |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------------------|----------|---|------------------------------|----------|
| आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |   | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |
| ..                         | ..       | ..                           | ..       | 28                         | ..       | 2403 पशु पालन--   |                              |          |
|                            |          |                              |          |                            |          | 120--पशु और पक्षी विकास (कमला)--                        |                              |          |
|                            |          |                              |          |                            |          | 41--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान--  |                              |          |
|                            |          |                              |          |                            |          | तरल बीजों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रसार-- |                              |          |
|                            |          |                              |          |                            |          | (जिला योजना)--  |                              |          |
|                            |          |                              |          |                            |          | 33--अन्य व्यय   | ..                           | ..       |
|                            |          |                              |          |                            |          |   | 28                           | ..       |
|                            |          |                              |          |                            |          | 42--पशु प्रदर्शन और प्रचार (राज्य योजना)--              |                              |          |
|                            | 93       | ..                           | 94       |                            |          | 01--भेदन  | ..                           | ..       |
| ..                         | 64       | ..                           | 59       |                            |          | 03--महंगाई भत्ता  | ..                           | ..       |
| ..                         | 9        | ..                           | 7        |                            |          | 04--यात्रा व्यय   | ..                           | ..       |
| ..                         | 72       | ..                           | 13       |                            |          | 05--अन्य भत्ते  | ..                           | ..       |
| ..                         | ..       | ..                           | ..       |                            |          | 32--अन्तरिम सहायता                                      | ..                           | ..       |
| 2,17                       | 4,37     | 25                           | 45       |                            |          | 33--अन्य व्यय   | ..                           | ..       |
|                            |          |                              |          |                            |          |   | 1,06                         | 1,00     |
| 2,17                       | 6,75     | 25                           | 2,18     | 61                         | 2,18     | योग, 43   | ..                           | ..       |
|                            |          |                              |          |                            |          |   | 1,46                         | 3,10     |
|                            |          |                              |          |                            |          | 43--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान--  |                              |          |
|                            |          |                              |          |                            |          | पशु प्रदर्शन और प्रचार (राज्य योजना)--                  |                              |          |
|                            |          |                              |          |                            |          | 33--अन्य व्यय   | ..                           | ..       |
|                            |          |                              |          |                            |          |   | 20                           | ..       |
|                            |          |                              |          |                            |          | 44--पशु प्रदर्शन और प्रचार (जिला योजना)--               |                              |          |
|                            |          |                              |          |                            |          | 33--अन्य व्यय   | ..                           | ..       |
|                            |          |                              |          |                            |          |   | 2,06                         | ..       |
|                            |          |                              |          |                            |          | 45--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान--  |                              |          |
|                            |          |                              |          |                            |          | पशु प्रदर्शन और प्रचार (जिला योजना)--                   |                              |          |
|                            |          |                              |          |                            |          | 33--अन्य व्यय   | ..                           | ..       |
|                            |          |                              |          |                            |          |   | 40                           | ..       |

|       |       |    |       |
|-------|-------|----|-------|
| ..    | 43,16 | .. | 45,87 |
| ..    | 31,27 | .. | 31,57 |
| ..    | 1,31  | .. | 1,40  |
| ..    | 2,28  | .. | 2,50  |
| ..    | 25    | .. | 30    |
| ..    | 11    | .. | 12    |
| ..    | 30    | .. | 50    |
| ..    | 50    | .. | 50    |
| ..    | ..    | .. | ..    |
| ..    | 4,70  | .. | 4,00  |
| <hr/> |       |    |       |
| ..    | 83,88 | .. | 86,76 |
| ..    | ..    | .. | 90,6  |

|       |      |    |      |
|-------|------|----|------|
| ..    | 45   | .. | 77   |
| ..    | 24   | .. | 56   |
| ..    | 11   | .. | 10   |
| ..    | 3    | .. | 6    |
| ..    | 6    | .. | 7    |
| ..    | ..   | .. | ..   |
| ..    | 1,55 | .. | 1,50 |
| <hr/> |      |    |      |
| ..    | 2,44 | .. | 3,06 |
| ..    | ..   | .. | 3,06 |

|       |    |       |       |
|-------|----|-------|-------|
| 1     | .. | 8     | ..    |
| 1     | .. | 6     | ..    |
| 1     | .. | 1     | ..    |
| ..    | .. | 1     | ..    |
| 10,89 | .. | 10,00 | ..    |
| ..    | .. | ..    | ..    |
| ..    | .. | ..    | ..    |
| <hr/> |    |       |       |
| 10,92 | .. | 10,16 | ..    |
| ..    | .. | ..    | 10,59 |

46—सम्बन्ध, कामपुर, मुरादाबाद, हल्द्वानी और

दिल्ली की दुग्धशाला प्रयोजनाओं के आसपास मधन पशु

विकास खण्डों की स्थापना--

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 01--वेतन  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07--टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | .. |
| 11--किराया, सप्लायर और कर स्वामित्व               | .. | .. | .. | .. | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | .. | .. |
| <hr/>   |    |    |    |    |    |
| योग, 46   | .. | .. | .. | .. | .. |

47—प्रदेश में प्रत्याभिजनन के विस्तार हेतु विशेष गोधन

विकास योजना—

|                    |    |    |    |    |      |
|--------------------|----|----|----|----|------|
| 01--वेतन           | .. | .. | .. | .. | 56   |
| 03--महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | .. | 45   |
| 04--यात्रा व्यय    | .. | .. | .. | .. | 10   |
| 05--अन्य भत्ते     | .. | .. | .. | .. | 7    |
| 06--कार्यालय व्यय  | .. | .. | .. | .. | 8    |
| 32--अन्तरिम सहायता | .. | .. | .. | .. | 12   |
| 33--अन्य व्यय      | .. | .. | .. | .. | 2,40 |
| <hr/>              |    |    |    |    |      |
| योग, 47            | .. | .. | .. | .. | 3,78 |

48—गोधन प्रखण्डों पर प्रजनन कार्य हेतु सांडों की संख्या में वृद्धि

(जिला योजना)--

|  |    |    |    |      |    |
|--|----|----|----|------|----|
| 01 वेतन                                | .. | .. | .. | 99   | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                       | .. | .. | .. | 79   | .. |
| 04--यात्रा व्यय                        | .. | .. | .. | 10   | .. |
| 05--अन्य भत्ते                         | .. | .. | .. | 11   | .. |
| 20 मशीनें, और सज्जा/सुपरक्षण और मयंत्र | .. | .. | .. | 1,95 | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता                     | .. | .. | .. | 20   | .. |
| 33--अन्य व्यय                          | .. | .. | .. | 50   | .. |
| <hr/>                                  |    |    |    |      |    |
| योग, 48                                | .. | .. | .. | 4,64 | .. |

अनुदान संख्या 15, 1987-88

कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपये में)

| ब. एस. डि. न. प्रांकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          |
|------------------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|
| आयोजनागत                           | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |
| 3,85                               | ..       | 3,50                       | ..       | 3,50                         | ..       |
| ..                                 | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       |
| 3,85                               | ..       | 3,50                       | ..       | 3,50                         | ..       |
| 3,00                               | ..       | 3,00                       | ..       | 300                          | ..       |
| 13,07                              | ..       | 9,55                       | ..       | 9,55                         | ..       |
| 4,42                               | ..       | 5,00                       | ..       | 5,00                         | ..       |
| ..                                 | ..       | 5,00                       | ..       | 5,00                         | ..       |
| 3,27,84                            | 7,24,99  | 2,77,46                    | 7,66,81  | 2,96,84                      | 8,46,91  |

|    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| 15 | 22,73 | 22 | 25,62 |
| 10 | 15,94 | 16 | 17,50 |
| 3  | 94    | 5  | 90    |
| 2  | 1,21  | 5  | 1,50  |

2403—पशुपालन—

102—पशु और मत्स्य विकास (समाप्त)---

49—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान---

पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु साइको की सहायता में बृद्धि—  
(जिला योजना)---

|                                    |    |      |    |
|------------------------------------|----|------|----|
| 20—मशीनें और मज्जा/उपकरण और सयंत्र | .. | 28   | .. |
| 33—अन्य व्यय                       | .. | 2,18 | .. |
| योग, 49                            | .. | 2,46 | .. |

50—डाइबल सब-प्लान

पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु साइको का उत्पादन---

|                                     |    |    |    |
|-------------------------------------|----|----|----|
| 20—मशीनें, और मज्जा/उपकरण और सयंत्र | .. | .. | .. |
|-------------------------------------|----|----|----|

51—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिष्ठानित योजना—

5101—चयनित गोरालाओं को वर्णशंकर बछियों के उत्पादन हेतु सहायता— (जिला योजना) (50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिष्ठानित)

|              |    |    |      |    |
|--------------|----|----|------|----|
| 33—अन्य व्यय | .. | .. | 5,44 | .. |
|--------------|----|----|------|----|

5102—लघु सीमान्त कृषकों एवं कृषक मजदूरों के लाभार्थ वर्णशंकर बछियों के भरण पोषण हेतु अनुदान—

|                                    |    |       |    |
|------------------------------------|----|-------|----|
| 14—सहायक अनुदान/प्रशदान/राज सहायता | .. | 14,45 | .. |
|------------------------------------|----|-------|----|

5103—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान---

लघु सीमांत कृषकों एवं कृषक मजदूरों के लाभार्थ वर्णशंकर बछियों के भरण पोषण हेतु अनुदान—

|                                    |    |         |         |
|------------------------------------|----|---------|---------|
| 14—सहायक अनुदान/प्रशदान/राज सहायता | .. | 7,50    | ..      |
| योग, 102                           | .. | 3,82,83 | 8,76,05 |

103—कुक्कुट विकास—

01—कुक्कुट विकास और उनके उत्पादन-विक्रय की योजना---

|                 |    |    |       |
|-----------------|----|----|-------|
| 01—बेतन         | .. | 56 | 30,00 |
| 03—बहुगाई भत्ता | .. | 45 | 24,00 |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | 6  | 1,50  |
| 05—अन्य भत्ते   | .. | 5  | 2,10  |

|      |       |      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|------|-------|
|      | 24    | ..   | 30    |      |       |
|      | 6     | ..   | 6     |      |       |
|      | 61    | .    | 30    |      |       |
| 91   | ..    | 91   | ..    |      |       |
| ..   | ..    | ..   | ..    |      |       |
| 2.04 | 20,18 | 1,80 | 20,18 |      |       |
| 3,25 | 61,91 | 3,19 | 76,08 | 2,95 | 96,08 |

54 .. 60 .. 50 ..

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| ..   | 1,09 | ..   | 1,20 |      |      |
| ..   | 72   | ..   | 75   |      |      |
| ..   | 10   | ..   | 10   |      |      |
| ..   | 11   | ..   | 14   |      |      |
|      | ..   |      | 4,75 |      |      |
| 1,08 | 26   | 40   | 25   |      |      |
| ..   | ..   | ..   | ..   |      |      |
| 52   | 42   | 1,20 | 40   |      |      |
| 1,60 | 2,70 | 1,60 | 7,59 | 1,60 | 7,59 |

1,60 .. .. 1,60 ..

|      |    |      |    |      |  |
|------|----|------|----|------|--|
| ..   | 19 | ..   | 18 |      |  |
| ..   | 12 | ..   | 12 |      |  |
| ..   | 4  | ..   | 2  |      |  |
| ..   | 50 | ..   | 50 |      |  |
| ..   | 52 | ..   | 50 |      |  |
| 1,37 | .. | 1,32 | .. | 1,82 |  |

|  |            |      |         |
|--|------------|------|---------|
| 06—कार्यालय व्यय ..                                | ..         | 4    | 1,15    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय ..                              | ..         | ..   | 10      |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुसंधान और पेट्रोल की खरीद .. | ..         | ..   | 80      |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..             | ..         | ..   | 75      |
| 32—अन्तरिम सहायता .. ..                            | ..         | 11   | 6,00    |
| 33—अन्य व्यय ..                                    | ..         | 1,53 | 55,00   |
|  | योग, 01 .. | 2,80 | 1 21,40 |

02—अनुसूचितजातियों का स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—कुककुट विकास परियोजनाओं की स्थापना; सुवृद्धीकरण तथा क्रय विक्रय की सुविधा (जिला योजना)—

33—अन्य व्यय .. .. 50 ..

03—संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल प्रापात निधि के सहयोग से व्यावहारिक पुष्टाहार कुककुट उत्पादन कार्यक्रम— (जिला योजना)—

|  |            |      |
|--|------------|------|
| 01—बैतन .. ..  | ..         | ..   |
| 03—महंगाई भत्ता .. ..                                  | ..         | ..   |
| 04—यात्रा व्यय .. ..                                   | ..         | ..   |
| 05—अन्य भत्ते .. ..                                    | ..         | ..   |
| 08—मोटर गाड़ियों का क्रय .. ..                         | ..         | ..   |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुसंधान एवं पेट्रोल की खरीद .. .. | ..         | ..   |
| 32—अन्तरिम सहायता .. ..                                | ..         | ..   |
| 33—अन्य व्यय .. ..                                     | ..         | 1,60 |
|  | योग; 03 .. | 1,60 |

04—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल प्रापात निधि के सहयोग से व्यावहारिक पुष्टाहार कुककुट उत्पादन कार्यक्रम— (जिला योजना)—

33—अन्य व्यय .. .. 1,52 ..

05—जनपद नारायकी के जूना उत्पादन केन्द्र, मसौली को 500 लघुसे के कुककुट प्रकल्प में परिवर्तित करने की योजना

|   |            |    |
|---|------------|----|
| 01—बैतन .. ..                             | ..         | .. |
| 03—महंगाई भत्ता .. ..                     | ..         | .. |
| 04—यात्रा भत्ता .. ..                     | ..         | .. |
| 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. .. | ..         | .. |
| 33—अन्य व्यय .. ..                        | ..         | .. |
|   | योग, 05 .. | .. |



अनुदान संख्या 15; 1987-88  
कृषि तथा ग्रामीण मन्त्रालय विभाग (पशुधन)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक   | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |          |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|----------|--|---------------------------|----------|
| आयोजनागत                   | आयोजनैतर | आयोजनागत                  | आयोजनैतर | आयोजनागत                     | आयोजनैतर |  | आयोजनागत                  | आयोजनैतर |
|                            |          |                           |          |                              |          | <b>2403—पशुपालन—</b>   |                           |          |
|                            |          |                           |          |                              |          | <b>103—कुक्कुट विकास (क्रमशः)—</b>   |                           |          |
|                            |          |                           |          |                              |          | 06—पूर्वी संभाग में दो सघन कुक्कुट विकास खण्डों की स्थापना—                            |                           |          |
| ..                         | 1,52     | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 01—वेतन  | ..                        | ..       |
| ..                         | 99       | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 03—महंगाई भत्ता  | ..                        | ..       |
| ..                         | 10       | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 04—यात्रा व्यय   | ..                        | ..       |
| ..                         | 18       | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 05—अन्य भत्ते  | ..                        | ..       |
| ..                         | 20       | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 33—अन्य व्यय   | ..                        | ..       |
| 2,99                       |          | ..                        | ..       | ..                           | ..       | योग, 06  | ..                        | ..       |
|                            |          |                           |          |                              |          | 07—मलीगढ़ जिले में सघन/कुक्कुट विकास योजना (ब्रायलर) की स्थापना—                       |                           |          |
| ..                         | 61       | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 01—वेतन  | ..                        | ..       |
| ..                         | 39       | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 02—महंगाई भत्ता  | ..                        | ..       |
| ..                         | 7        | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 03—यात्रा व्यय   | ..                        | ..       |
| ..                         | 3        | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 04—अन्य भत्ते  | ..                        | ..       |
| ..                         | 10       | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 06—अन्य व्यय   | ..                        | ..       |
| 1,20                       |          | ..                        | ..       | ..                           | ..       | योग, 07  | ..                        | ..       |
|                            |          |                           |          |                              |          | 08—ग्रामपंचायतों में श्रम संगठन कुक्कुट पालन परियोजना, फूलपुर (इलाहाबाद) (जिला योजना)— |                           |          |
| ..                         | 66       | ..                        | 72       | ..                           | ..       | 01—वेतन  | ..                        | ..       |
| ..                         | 43       | ..                        | 50       | ..                           | ..       | 03—महंगाई भत्ता  | ..                        | ..       |
| ..                         | 5        | ..                        | 5        | ..                           | ..       | 04—यात्रा व्यय   | ..                        | ..       |
| ..                         | 4        | ..                        | 5        | ..                           | ..       | 05—अन्य भत्ते  | ..                        | ..       |
| ..                         | 70       | ..                        | 7        | ..                           | ..       | 06—कार्यालय व्यय   | ..                        | ..       |
| ..                         | 17       | ..                        | 10       | ..                           | ..       | 09—गाड़ियों का अनु रक्षण एवं पेट्रोल की खरीद   | ..                        | ..       |
| ..                         | ..       | ..                        | ..       | ..                           | ..       | 19—लघु निर्माण कार्य   | ..                        | ..       |
| ..                         | 4        | ..                        | 5        | ..                           | ..       | 20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र  | ..                        | ..       |
| ..                         | 81       | ..                        | 1,25     | ..                           | ..       | 33—अन्य व्यय   | ..                        | ..       |
| 2,90                       |          | ..                        | 2,79     | ..                           | 2,79     | योग, 08  | ..                        | ..       |

|       |      |       |      |       |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|
| 1,97  | 26   | 1,50  | 1,15 |       |      |
| 92    | 17   | 1,05  | 77   |       |      |
| 19    | 2    | 15    | 4    |       |      |
| 18    | 2    | 15    | 11   |       |      |
| 10    | 15   | 10    | 40   |       |      |
| ..    | 5    | ..    | 5    |       |      |
| ..    | 11   | ..    | 5    |       |      |
| 3,82  | ..   | 5,60  | 10   |       |      |
| 5,99  | 2,37 | 2,00  | 2,50 |       |      |
| 13,17 | 3,15 | 10,55 | 5,17 | 15,10 | 5,17 |

|      |    |      |    |      |    |
|------|----|------|----|------|----|
| 1,75 | .. | 5    | .. |      |    |
|      |    | 1,35 | .  |      |    |
| 1,75 | .. | 1,40 | .. | 3,47 | .. |

09—नये कुक्कुट प्रखंडों की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट प्रखंडों पर अतिरिक्त सुविधायें--

|  |    |    |       |    |
|--|----|----|-------|----|
| 01--वेतन                                     | .. | .. | 3,74  | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                             | .. | .. | 3,00  | .. |
| 04--यात्रा व्यय                              | .. | .. | 20    | .. |
| 05--घन्य भत्ते                               | .. | .. | 28    | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                            | .. | .. | 2     | .. |
| 07--टेलीफोन पर व्यय                          | .. | .. | ..    | .. |
| 09--गाड़ियों का धनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | ..    | .. |
| 20--मशीनें तथा सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र       | .. | .. | 92    | .. |
| 32--अतिरिक्त सहायता                          | .. | .. | 75    | .. |
| 33--अन्य व्यय                                | .. | .. | 2,79  | .. |
| योग, 09                                      | .. | .. | 11,70 | .. |

10—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—  
नये कुक्कुट प्रखंडों की स्थापना तथा वर्तमान प्रखंडों के सुदृढ़ीकरण की योजना—

|                |    |    |      |    |
|----------------|----|----|------|----|
| 05--घन्य भत्ते | .. | .. | ..   | .. |
| 33--अन्य व्यय  | .. | .. | 4,81 | .. |
| योग, 10        | .. | .. | 4,81 | .. |

11—वर्तमान क्षेत्रों में वर्तमान कुक्कुट प्रखंडों का प्रशासन एवं नये कुक्कुट प्रखंडों की स्थापना--

|                                       |    |    |    |    |
|---------------------------------------|----|----|----|----|
| 01--वेतन                              | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                      | .. | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय                       | .. | .. | .. | .. |
| 05--घन्य भत्ते                        | .. | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                     | .. | .. | .. | .. |
| 20--मशीनें, और सज्जा/संयंत्र और उपकरण | .. | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय                         | .. | .. | .. | .. |
| योग, 11                               | .. | .. | .. | .. |

5.30 .. .. .

अनुसूची संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(इंटर क्वॉटों में)

| सामाजिक श्रेणियाँ<br>1985-86 | आय व्ययक अनुमान<br>1986-87 | तुलनीय अनुमान<br>1986-87 | श्रीलंका |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------|
| पार्योजनागत                  | आयोजनेतर                   | आयोजनागत                 | आयोजनेतर | आयोजनागत | आयोजनेतर                   |

2403—पशुपालन—

103—कुक्कुट विकास (क्रमशः)—

12—सबसे कुक्कुट विकास खंडों की स्थापना एवं नये तथा पुराने खंडों में आय-व्यय की योजना--

|      |    |    |      |    |      |
|------|----|----|------|----|------|
| ..   | 79 | .. | 3,83 |    |      |
| ..   | 52 | .. | 2,68 |    |      |
| ..   | 8  | .. | 30   |    |      |
| ..   | 10 | .. | 40   |    |      |
| ..   | 30 | .. | 45   |    |      |
| ..   | 5  | .. | 5    |    |      |
| ..   | 30 | .. | 20   |    |      |
| ..   | 5  | .. | 5    |    |      |
| ..   | 10 | .. | 10   |    |      |
| ..   | 5  | .. | 45   |    |      |
| 2,34 |    | .. | 8,51 | .. | 8,51 |

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| 01--बैतन                                 | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                         | .. | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय                          | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते                           | .. | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                        | .. | .. | .. | .. |
| 09--गाइडों का अनुकरण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. |
| 11--किराया, उप भुक्त और कर स्वामित्व     | .. | .. | .. | .. |
| 13--बिज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय    | .. | .. | .. | .. |
| 15--छात्र वृत्तियाँ और छात्र भेदन        | .. | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय                            | .. | .. | .. | .. |
| योग, 12                                  |    | .. | .. | .. |

186

13—उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ तथा चमोली जिले के वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का प्रसार एवं नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना--

|      |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|
| ..   | 47 | .. | .. |    |    |
| ..   | 31 | .. | .. |    |    |
| ..   | 2  | .. | .. |    |    |
| ..   | 2  | .. | .. |    |    |
| ..   | 10 | .. | .. |    |    |
| ..   | 12 | .. | .. |    |    |
| 1,04 |    | .. | .. | .. | .. |

|                   |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|
| 01--बैतन          | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता  | .. | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय   | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते    | .. | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय | .. | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय     | .. | .. | .. | .. |
| योग, 13           |    | .. | .. | .. |

14-सघन कुक्कुट विकास योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी में एक सघन कुक्कुट विकास प्रायोजना की स्थापना--

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| .. | 51 | .. | .. |
| .. | 35 | .. | .. |
| .. | 3  | .. | .. |
| .. | 7  | .. | .. |
| .. | 11 | .. | .. |
| .. | 9  | .. | .. |

.. 1,16 .. .. ..

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 2    | .. | 20   | .. |
| 2    | .. | 14   | .. |
| ..   | .. | 1    | .. |
| ..   | .. | 2    | .. |
| ..   | .. | 22   | .. |
| 1,22 | .. | 1,89 | .. |
| ..   | .. | ..   | .. |
| 1,50 | .. | 50   | .. |

2,76 .. 2,89 .. 3,21 ..

53 .. 50 .. 50 ..  
 25,20 86,96 20,73 1,01,46 28,93 1,21,96

|                   |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|
| 01--वेतन          | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता  | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय   | .. | .. | .. |
| 05--ग्रन्थ भत्ते  | .. | .. | .. |
| 06--कार्बन्ड व्यय | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय     | .. | .. | .. |

योग, 14

.. ..

15-कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना, बिस्तार तथा पुनर्गठन की योजना--

|                                      |    |    |      |    |
|--------------------------------------|----|----|------|----|
| 01--वेतन                             | .. | .. | 87   | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                     | .. | .. | 79   | .. |
| 04--यात्रा व्यय                      | .. | .. | 5    | .. |
| 05--ग्रन्थ भत्ते                     | .. | .. | 7    | .. |
| 06--कार्बन्ड व्यय                    | .. | .. | ..   | .. |
| 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | .. | .. | 87   | .. |
| 32--प्रशस्ति सहायता                  | .. | .. | 17   | .. |
| 33--अन्य व्यय                        | .. | .. | 3,07 | .. |

योग, 15

5,89 ..

16-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्प्लेन्ट प्लान-कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना, बिस्तार तथा पुनर्गठन की योजना--

|               |    |      |    |
|---------------|----|------|----|
| 33--अन्य व्यय | .. | 1,60 | .. |
|---------------|----|------|----|

योग, 103

.. 30,42 1,21,40



|       |      |    |      |
|-------|------|----|------|
| ..    | 10   | .. | 10   |
| ..    | 10   | .. | 12   |
| ..    | 2    | .. | 2    |
| ..    | 8    | .. | 8    |
| ..    | ..   | .. | ..   |
| ..    | 1,32 | .. | 1,30 |
| <hr/> |      |    |      |
| ..    | 3,19 | .. | 3,97 |
| ..    | ..   | .. | 3,97 |

|       |       |    |       |
|-------|-------|----|-------|
| ..    | 14,85 | .. | 18,72 |
| ..    | 9,65  | .. | 11,38 |
| ..    | 35    | .. | 35    |
| ..    | 1,04  | .. | 93    |
| ..    | 10    | .. | 10    |
| ..    | 2,51  | .. | 4,00  |
| <hr/> |       |    |       |
| ..    | 28,50 | .. | 33,48 |
| ..    | ..    | .. | 33,48 |

|       |       |    |       |
|-------|-------|----|-------|
| ..    | 3,20  | .. | 3,50  |
| ..    | 2,08  | .. | 2,35  |
| ..    | 40    | .. | 40    |
| ..    | 3,66  | .. | 20    |
| ..    | 60    | .. | 30    |
| ..    | ..    | .. | ..    |
| ..    | 8,00  | .. | 14,00 |
| <hr/> |       |    |       |
| ..    | 17,94 | .. | 20,75 |
| ..    | ..    | .. | 20,75 |

|   |    |    |    |    |      |
|---|----|----|----|----|------|
| 04—यात्रा व्यय                                  | .. | .. | .. | .. | 8    |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                                 | .. | .. | .. | .. | 10   |
| 07—टैलीफोन पर व्यय                              | .. | .. | .. | .. | 2    |
| 09—मोटर गाड़ियों का प्रचालन तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | 10   |
| 32—अन्तरिम सहायता                               | .. | .. | .. | .. | 24   |
| 33—ग्रन्थ व्यय                                  | .. | .. | .. | .. | 1,50 |
| <hr/>   |    |    |    |    |      |
| योग, 03 .. ..                                   |    |    |    |    |      |
| 4,20  |    |    |    |    |      |

04—इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों में सचन भेड़ विकास योजना की स्थापना—

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 01—वेतन   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                                | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का प्रचालन एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33—ग्रन्थ व्यय                                  | .. | .. | .. | .. | .. |
| <hr/>   |    |    |    |    |    |
| योग, 04 .. ..                                   |    |    |    |    |    |
| ..  |    |    |    |    |    |

05—मैसोरा नोगड़ ब्लॉक, जिला वाराणसी में एक वृहत् भेड़ प्रखण्ड स्थापित करने की योजना—

|   |    |    |    |    |       |
|---|----|----|----|----|-------|
| 01—वेतन                                     | .. | .. | .. | .. | 3,54  |
| 03—महंगाई भत्ता                             | .. | .. | .. | .. | 2,83  |
| 04—यात्रा व्यय                              | .. | .. | .. | .. | 40    |
| 06—कार्यालय व्यय                            | .. | .. | .. | .. | 25    |
| 09—मोटर गाड़ी का प्रचालन और पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | 35    |
| 32—अन्तरिम सहायता                           | .. | .. | .. | .. | 71    |
| 33—ग्रन्थ व्यय                              | .. | .. | .. | .. | 15,00 |
| <hr/>                                       |    |    |    |    |       |
| योग, 05 .. ..                               |    |    |    |    |       |
| 23,08                                       |    |    |    |    |       |

188

5-2-48

घनुमान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा ग्रन्थ सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(इमारत रुपये में)

| वार्षिक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक घनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीकृत घनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक  | आय-व्ययक घनुमान<br>1987-88 |          |
|---------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|---|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                  | आयोजनागत | आयोजनागत                   | आयोजनागत | आयोजनागत                   | आयोजनागत |   | आयोजनागत                   | आयोजनागत |
| ..                        | 15       | ..                         | 16       | ..                         | ..       | 2403—पशुपालन—   | ..                         | ..       |
| ..                        | 10       | ..                         | 10       | ..                         | ..       | 104—भेड़ और ऊन विकास (ककवाः)—   | ..                         | ..       |
| ..                        | 2        | ..                         | 2        | ..                         | ..       | 06—मिर्जापुर जनपद के लछवा न्वाक में एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत स्थापित भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र—                        | ..                         | ..       |
| ..                        | 1        | ..                         | 1        | ..                         | ..       | 01—बेतन   | ..                         | ..       |
| ..                        | ..       | ..                         | 10       | ..                         | ..       | 03—महंगाई भत्ता   | ..                         | ..       |
| ..                        | ..       | ..                         | 1        | ..                         | ..       | 04—यात्रा व्यय  | ..                         | ..       |
| ..                        | ..       | ..                         | 1        | ..                         | ..       | 05—ग्रन्थ भत्ता   | ..                         | ..       |
| ..                        | ..       | ..                         | 1        | ..                         | ..       | 08—कार्यालय व्यय  | ..                         | ..       |
| ..                        | ..       | ..                         | 1        | ..                         | ..       | 33—अन्य व्यय  | ..                         | ..       |
| ..                        | 28       | ..                         | 40       | ..                         | ..       | योग, 06   | ..                         | ..       |
| ..                        | 70       | ..                         | 80       | ..                         | ..       | 07—सूचन भेड़ विकास योजना, इलाहाबाद के अन्तर्गत स्थापित केन्द्र तथा ऊन प्रसार केन्द्र पर बकरा, साड़ों को रखने की योजना (जिला योजना)— | ..                         | ..       |
| ..                        | 1,66     | ..                         | 1,85     | ..                         | ..       | 33—अन्य व्यय  | ..                         | ..       |
| ..                        | 1,01     | ..                         | 1,22     | ..                         | ..       | 08—वर्तमान भेड़ प्रलेखों, भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्रों का सुधार—  | ..                         | ..       |
| ..                        | 9        | ..                         | 10       | ..                         | ..       | 01—बेतन   | ..                         | 11,13    |
| ..                        | 2        | ..                         | 2        | ..                         | ..       | 03—महंगाई भत्ता   | ..                         | 8,90     |
| ..                        | 2        | ..                         | 3        | ..                         | ..       | 04—यात्रा व्यय  | ..                         | 80       |
| ..                        | ..       | ..                         | ..       | ..                         | ..       | 05—ग्रन्थ भत्ता   | ..                         | 70       |
| ..                        | 30       | ..                         | 35       | ..                         | ..       | 06—कार्यालय व्यय  | ..                         | 60       |
| ..                        | 8        | ..                         | 7        | ..                         | ..       | 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व  | ..                         | 20       |
| ..                        | 3,18     | ..                         | 3,64     | ..                         | ..       | 19—लघु निर्माण-कार्य  | ..                         | ..       |
| ..                        | ..       | ..                         | ..       | ..                         | ..       | 32—अन्तरिम सहायता   | ..                         | 2,20     |
| ..                        | ..       | ..                         | ..       | ..                         | ..       | 33—अन्य व्यय  | ..                         | 3,50     |
| ..                        | ..       | ..                         | ..       | ..                         | ..       | योग, 08   | ..                         | 28,03    |

09—राज्य के पहाड़ी जिलों में स्थित भेड़ पालन संस्थाओं का सुधार—

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 2,40 | .. | 2,65 |    |      |
| .. | 1,56 | .. | 1,80 |    |      |
| .. | 9    | .. | 10   |    |      |
| .. | 10   | .. | 10   |    |      |
| .. | 5    | .. | 5    |    |      |
| .. | 30   | .. | 30   |    |      |
| .. | 11   | .. | 10   |    |      |
| .. | 4,61 | .. | 5,10 | .. | 5,10 |

|                      |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|
| 01—वेतन              | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता      | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय       | .. | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते      | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय     | .. | .. | .. | .. |
| 19—लघु निर्माण-कार्य | .. | .. | .. | .. |
| 39—ग्रन्थ व्यय       | .. | .. | .. | .. |

योग, 09

10 - भारत-जर्मन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 पांडू जिले में भेड़ तथा ऊन विकास—

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 53   | .. | 70   |    |      |
| .. | 40   | .. | 49   |    |      |
| .. | 5    | .. | 5    |    |      |
| .. | 7    | .. | 7    |    |      |
| .. | ..   | .. | 1    |    |      |
| .. | 5    | .. | 7    |    |      |
| .. | 2    | .. | 2    |    |      |
| .. | 1,12 | .. | 1,40 | .. | 1,40 |

|                                    |    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|----|
| 01—वेतन                            | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                    | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                     | .. | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                    | .. | .. | .. | .. |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व | .. | .. | .. | .. |
| 19—लघु निर्माण-कार्य               | .. | .. | .. | .. |
| 33—ग्रन्थ व्यय                     | .. | .. | .. | .. |

योग, 10

11—बुंदेलखण्ड के शांसी एवं ललितपुर जनपदों में 8 नवें भेड़ तथा ऊन प्रसार केंद्रों की स्थापना—

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 1,10 | .. | 1,22 |    |      |
| .. | 72   | .. | 80   |    |      |
| .. | 9    | .. | 10   |    |      |
| .. | 5    | .. | 5    |    |      |
| .. | 30   | .. | 30   |    |      |
| .. | 93   | .. | 1,00 |    |      |
| .. | ..   | .. | ..   |    |      |
| .. | 3,19 | .. | 3,47 | .. | 3,47 |

|                  |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|
| 01—वेतन          | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता  | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय   | .. | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते  | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय | .. | .. | .. | .. |
| 33—ग्रन्थ व्यय   | .. | .. | .. | .. |

योग, 11



प्रनुदान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपयों में)

| वित्तवर्ष 1985-86 | प्राय-व्ययक अनुमान 1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान 1986-87 | शोधक | प्राय-व्ययक अनुमान 1987-8 |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|------|---------------------------|
| प्रायोजनागत       | प्रायोजनागत                | प्रायोजनागत               |      | प्रायोजनागत               |
| प्रायोजनेतर       | प्रायोजनेतर                | प्रायोजनेतर               |      | प्रायोजनेतर               |

2403—पशुपालन—

104—भेड़ और ऊन विकास (कमरा):—

12—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत देहरी  
जनपद में स्थापित दो भेड़ ऊन प्रसार केन्द्र--

|      |      |    |      |
|------|------|----|------|
| 33   | 36   |    |      |
| 21   | 24   |    |      |
| 10   | 10   |    |      |
| 6    | 6    |    |      |
| 42   | 45   |    |      |
| ..   | ..   |    |      |
| 1,12 | 1,21 | .. | 1,21 |

|                    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|
| 01--बेतन           | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय    | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते     | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय  | .. | .. | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता | .. | .. | .. |

योग 12 ..

199

13—भेड़ एवं ऊन विकास की योजना--

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 6,89  | .. | .. |    |
| 4,48  | .. | .. |    |
| 70    | .. | .. |    |
| 70    | .. | .. |    |
| 69    | .. | .. |    |
| 36    | .. | .. |    |
| 10    | .. | .. |    |
| 30    | .. | .. |    |
| 3,00  | .. | .. |    |
| 17,22 | .. | .. | .. |

|                                   |    |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|
| 01--बेतन                          | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                  | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय                   | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते                    | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                 | .. | .. | .. |
| 11--किराया, उपसक्त और कर स्वमिस्व | .. | .. | .. |
| 20--साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र   | .. | .. | .. |
| 25--सामग्री और सम्पत्ति           | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय                     | .. | .. | .. |

योग, 13 ..

14—पर्वतीय क्षेत्र में सघन भेड़ विकास प्रायोजना के अन्तर्गत  
नवोदय भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना--

|      |    |      |  |
|------|----|------|--|
| 2,50 | .. | 5,00 |  |
| 1,63 | .. | 3,20 |  |

|                  |    |    |    |
|------------------|----|----|----|
| 01--बेतन         | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता | .. | .. | .. |



घनमान संख्या 18, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक धोके  |             | धाय-व्ययक अनुमान |             | पुनरीक्षित अनुमान |             | शीर्षक   | धाय-व्ययक अनुमान |             |
|--|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|--|------------------|-------------|
| 1985-86  |             | 1986-87          |             | 1986-87           |             |  | 1987-88          |             |
| प्रायोजनागत  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत      | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत       | प्रायोजनेतर |  | प्रायोजनागत      | प्रायोजनेतर |
| <b>2403—पशुपालन—</b>   |             |                  |             |                   |             |  |                  |             |
| <b>184—शेड और ऊन विकास (समाप्त)—</b>   |             |                  |             |                   |             |  |                  |             |
| <b>18—राज्य में शेड एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना</b>                                      |             |                  |             |                   |             |  |                  |             |
| <b>सुदृढीकरण एवं विस्तार की योजना—</b>   |             |                  |             |                   |             |  |                  |             |
| 36   | ..          | 88               | ..          |                   |             | 01—बेतन  | ..               | 98          |
| 22   | ..          | 64               | ..          |                   |             | 03—महंगाई भत्ता                                  | ..               | 78          |
| ..   | ..          | 5                | ..          |                   |             | 04—यात्रा व्यय                                   | ..               | 5           |
| ..   | ..          | 14               | ..          |                   |             | 05—अन्य भत्ते                                    | ..               | 13          |
| ..   | ..          | 1,55             | ..          |                   |             | 23—अनुरक्षण                                      | ..               | ..          |
| ..   | ..          | ..               | ..          |                   |             | 32—अन्तरिम सहायता                                | ..               | 20          |
| 91   | ..          | ..               | ..          |                   |             | 33—अन्य व्यय                                     | ..               | 1,55        |
| 149  | ..          | 3,26             | ..          | 3,60              | ..          | योग, 18  | ..               | 3,69        |
| <b>19—शेड प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाय उपलब्ध कराना (जिला योजना)—</b> |             |                  |             |                   |             |  |                  |             |
| 82   | ..          | 1,76             | ..          |                   |             | 01—बेतन  | ..               | 2,47        |
| 63   | ..          | 1,23             | ..          |                   |             | 03—महंगाई भत्ता                                  | ..               | 1,98        |
| ..   | ..          | 11               | ..          |                   |             | 04—यात्रा व्यय                                   | ..               | 18          |
| 15   | ..          | 16               | ..          |                   |             | 05—अन्य भत्ते                                    | ..               | 14          |
| 6  | ..          | 10               | ..          |                   |             | 06—कार्यालय व्यय                                 | ..               | 12          |
| ..   | ..          | ..               | ..          |                   |             | 09—मॉटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं वेट्रीस की खरीद | ..               | 5           |
| 4  | ..          | 24               | ..          |                   |             | 11—किराया, उपभुक्त और कर स्वामित्व               | ..               | 27          |
| ..   | ..          | ..               | ..          |                   |             | 32—अन्तरिम सहायता                                | ..               | 55          |
| 75   | ..          | 15,38            | ..          |                   |             | 33—अन्य व्यय                                     | ..               | 13,73       |
| 245  | ..          | 18,98            | ..          | 23,39             | ..          | योग, 19  | ..               | 19,49       |

|       |         |       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 14,47 | ..      | ..    | ..      | 1,95  | ..      |
| 26,78 | 1,12,53 | 30,47 | 1,31,63 | 41,14 | 1,35,22 |

|    |    |    |      |    |       |
|----|----|----|------|----|-------|
| .. | 25 | .. | 36   |    |       |
| .. | 18 | .. | 23   |    |       |
| .. | 4  | .. | 3    |    |       |
| .. | 3  | .. | 8    |    |       |
| .. | 32 | .. | 47   |    |       |
| .. | 82 | .. | 1,16 | .. | 1,16, |

|      |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|
| ..   | .. | .. | 7  |    |    |
| ..   | .. | .. | 5  |    |    |
| ..   | .. | .. | .. |    |    |
| ..   | .. | .. | .. |    |    |
| 7,14 | 19 | .. | 46 |    |    |
| 2,14 | 19 | .. | 58 | .. | 58 |

|    |     |    |    |    |    |
|----|-----|----|----|----|----|
| .. | 17  | .. | 20 |    |    |
| .. | 16  | .. | 14 |    |    |
| .. | 4   | .. | 1  |    |    |
| .. | ..  | .. | .. |    |    |
| .. | ..  | .. | .. |    |    |
| .. | 264 | .. | 6  |    |    |
| .. | 301 | .. | 41 | .. | 41 |

26—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—  
 ग्रेड प्रजनन सुविधाओं का प्रचार एवं सुदृढीकरण तथा  
 स्वास्थ्य सेवाय उपलब्ध कराना (जिला योजना)—

|              |    |    |          |                  |
|--------------|----|----|----------|------------------|
| 33—अन्य व्यय | .. | .. | 2,79     | ..               |
|              |    |    | योग, 104 | .. 39,53 2,16,86 |

105—सुपर विकास—

01—सूकर अभिजनन केन्द्र, आराजी लाइन्स (वाराणसी)—

|  |    |    |         |    |    |
|--|----|----|---------|----|----|
| 01—वेतन  | .. | .. | ..      | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | ..      | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | ..      | .. | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | ..      | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | ..      | .. | .. |
|  |    |    | योग, 01 | .. | .. |

02—उत्तर प्रदेश में बुने हुए ली पशु चिकित्सालयों में  
 अभिजनन कार्य हेतु सूकर सांड़ रखने की योजना—

|  |    |    |         |    |      |
|--|----|----|---------|----|------|
| 01—वेतन  | .. | .. | ..      | .. | 40   |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | ..      | .. | 32   |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | ..      | .. | 3    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | ..      | .. | 10   |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | ..      | .. | 8    |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | ..      | .. | 1,00 |
|  |    |    | योग, 02 | .. | 1,93 |

03—केन्द्रीय बुधजाला प्रोजेक्ट, धनीगढ़ के सूकर मास  
 कारखाना के पास-मड़ोस के क्षेत्र में सूकर विकास & डॉ  
 की स्थापना—

|                   |    |    |         |    |      |
|-------------------|----|----|---------|----|------|
| 01—वेतन           | .. | .. | ..      | .. | 1,07 |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | ..      | .. | 82   |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | ..      | .. | 6    |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | ..      | .. | 4    |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | ..      | .. | 21   |
| 33—अन्य व्यय      | .. | .. | ..      | .. | 5,50 |
|                   |    |    | योग, 03 | .. | 7,70 |

जनसंख्या संख्या 15; 1987-88  
 कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक व्यय<br>1985-86 |             | वार्षिक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |             | कीर्षक  | वार्षिक अनुमान<br>1987-88 |             |
|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---|---------------------------|-------------|
| प्राचोदनायक             | प्राचोदनेतर | प्राचोदनायक               | प्राचोदनेतर | प्राचोदनायक                | प्राचोदनेतर |   | प्राचोदनायक               | प्राचोदनेतर |
|                         |             |                           |             |                            |             | <b>2403—पशु पालन—</b>   |                           |             |
|                         |             |                           |             |                            |             | <b>105—सुधर विकास— (समाप्त)—</b>  |                           |             |
|                         |             |                           |             |                            |             | <b>04—केंद्रीय इन्सलाता परिषद् में एक विधातीय सूकर प्रजनन केंद्र में बंकम सेवट्री की स्थापना—</b> |                           |             |
| ..                      | 69          | ..                        | 79          | ..                         | ..          | 01—वेतन .. .. .   | ..                        | ..          |
| ..                      | 48          | ..                        | 50          | ..                         | ..          | 03—महंगाई भत्ता .. .. .   | ..                        | ..          |
| ..                      | 3           | ..                        | 4           | ..                         | ..          | 04—यात्रा व्यय .. .. .  | ..                        | ..          |
| ..                      | 5           | ..                        | 4           | ..                         | ..          | 05—अन्य भत्ते .. .. .   | ..                        | ..          |
| ..                      | 8,99        | ..                        | 2           | ..                         | ..          | 06—कार्यालय व्यय .. .. .  | ..                        | ..          |
| ..                      | 1           | ..                        | 1,00        | ..                         | ..          | 32—अन्तरिम सहायता .. .. .   | ..                        | ..          |
| ..                      | 10,25       | ..                        | 2,39        | ..                         | 6,39        | 33—अन्य व्यय .. .. .  | ..                        | ..          |
|                         |             |                           |             |                            |             | योग; 04 .. .. .   | ..                        | ..          |
| 27                      | 2,57        | 1,30                      | 2,60        | 1,48                       | 2,60        | <b>05—अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—</b>  |                           |             |
|                         |             |                           |             |                            |             | पशु चिकित्सालय पर अभिजनन कार्य हेतु सूकर सांड रखने की योजना (जिला योजना) —                        |                           |             |
|                         |             |                           |             |                            |             | 33—अन्य व्यय .. .. .  | 1,22                      | ..          |
| 98                      | 1,00        | ..                        | 1,09        | ..                         | ..          | <b>06—अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—</b>  |                           |             |
|                         |             |                           |             |                            |             | उन्नतशील नस्ल के सुकरों का क्रय एवं वितरण—  |                           |             |
|                         |             |                           |             |                            |             | 33—अन्य व्यय .. .. .  | 1,00                      | ..          |
| 6                       | ..          | ..                        | ..          | ..                         | ..          | <b>07—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—</b>                                       |                           |             |
| 7                       | ..          | ..                        | ..          | ..                         | ..          | सूकरपालन विकास जनपद मुरादाबाद में एक सूकर प्रजनन प्रकल्प की स्थापना (जिला योजना) —                |                           |             |
| ..                      | ..          | ..                        | ..          | ..                         | ..          | 01—वेतन .. .. .   | 15                        | ..          |
| 1                       | ..          | ..                        | ..          | ..                         | ..          | 03—महंगाई भत्ता .. .. .   | 12                        | ..          |
| ..                      | ..          | ..                        | ..          | ..                         | ..          | 04—यात्रा व्यय .. .. .  | 1                         | ..          |
| ..                      | ..          | ..                        | ..          | ..                         | ..          | 05—अन्य भत्ते .. .. .   | 1                         | ..          |
| 73                      | ..          | ..                        | ..          | ..                         | ..          | 32—अन्तरिम सहायता .. .. .   | 3                         | ..          |
| 87                      | ..          | ..                        | 1,07        | ..                         | ..          | 33—अन्य व्यय .. .. .  | 1,47                      | ..          |
|                         |             |                           |             |                            |             | योग, 07 .. .. .   | 1,79                      | ..          |

1961

|      |       |      |      |      |       |
|------|-------|------|------|------|-------|
| ..   | ..    | ..   | ..   | 1,75 | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | 87   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| 15   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| 15   | ..    | 24   | ..   | 2,59 | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| ..   | ..    | ..   | ..   | ..   | ..    |
| 4,41 | 16,84 | 2,54 | 7,14 | 8,85 | 11,14 |

08--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान--  
सम्भागीय सूकर प्रजनन केन्द्र, झरखीगढ़ का सुदृढीकरण--

33--अन्य व्यय .. .. 2,25 ..

09--सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र शंभुपुर, ललितपुर की स्थापना--

01--वेतन .. .. 13 ..  
03--महंगाई भत्ता .. .. 10 ..  
04--यात्रा व्यय .. .. 1 ..  
05--अन्य भत्ते .. .. 1 ..  
32--अन्तरिम सहायता .. .. 3 ..  
33--अन्य व्यय .. .. 24 ..

योग, 09 .. 52 ..

10--सूकर प्रजनन क्षेत्र माराजी लाइन्स, धारणसी का सुदृढीकरण एवं प्रसार

01--वेतन .. .. 8 ..  
03--महंगाई भत्ता .. .. 6 ..  
04--यात्रा व्यय .. .. 1 ..  
05--अन्य भत्ते .. .. 1 ..  
32--अन्तरिम सहायता .. .. 2 ..  
33--अन्य व्यय .. .. 1,50 ..

योग, 10 .. 1,68 ..

11--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान--

सूकर प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)--

01--वेतन .. .. 40 ..  
02--महंगाई भत्ता .. .. 38 ..  
04--यात्रा व्यय .. .. 3 ..  
05--अन्य भत्ते .. .. 5 ..  
32--अन्तरिम सहायता .. .. 6 ..  
33--अन्य व्यय .. .. 2,26 ..

योग, 11 .. 3,18 ..

कुल योग, 105 .. 11,64 9,63

अनुदान संख्या 15; 1987-88  
 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

| वास्तविक सांके | प्राय-व्ययक अनुमान | पुनरीक्षित अनुमान | शेषिक       | प्राय-व्ययक अनुमान |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1985-86        | 1986-86            | 1986-87           |             | 1987-88            |
| प्रायोजनागत    | प्रायोजनेतर        | प्रायोजनागत       | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत        |
| प्रायोजनागत    | प्रायोजनेतर        | प्रायोजनागत       | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत        |
| ..             | 30,83              | ..                | 36,70       | ..                 |
| ..             | 20,87              | ..                | 23,60       | ..                 |
| ..             | 1,81               | ..                | 1,00        | ..                 |
| ..             | 60                 | ..                | 90          | ..                 |
| ..             | 76                 | ..                | 70          | ..                 |
| ..             | 16                 | ..                | 15          | ..                 |
| ..             | ..                 | ..                | 23,40       | ..                 |
| ..             | 1,36               | ..                | 1,30        | ..                 |
| ..             | 42                 | ..                | 50          | ..                 |
| ..             | ..                 | ..                | ..          | ..                 |
| ..             | 48,60              | ..                | 38,00       | ..                 |
| ..             | 1,05,41            | ..                | 1,26,15     | ..                 |
| ..             | 23,66              | ..                | 27,62       | ..                 |
| ..             | ..                 | ..                | 60          | ..                 |
| ..             | 6,47               | ..                | 17,72       | ..                 |
| ..             | 13,34              | ..                | 50          | ..                 |
| ..             | (-) 1,09           | ..                | 1,80        | ..                 |
| ..             | (-) 1,20           | ..                | 20          | ..                 |
| ..             | 15                 | ..                | 3           | ..                 |
| ..             | 40                 | ..                | 50          | ..                 |
| ..             | 2                  | ..                | 4,00        | ..                 |
| ..             | 1,24               | ..                | ..          | ..                 |
| ..             | 2,96               | ..                | 2,50        | ..                 |
| ..             | 45,95              | ..                | 55,47       | ..                 |
| ..             | ..                 | ..                | 56,47       | ..                 |

  

| 2403—पशु पालन—  |         |
|---|---------|
| 106—अन्य पशु विकास—   |         |
| 01—राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र—                                |         |
| 01—वेतन   | 51,00   |
| 03—महंगाई भत्ता   | 40,80   |
| 04—गात्रा व्यय  | 1,30    |
| 05—ग्रन्थ भत्ते   | 1,45    |
| 06—कार्यालय व्यय  | 90      |
| 07—टेलीफोन पर व्यय  | 20      |
| 08—मोटर गाड़ियों का व्यय  | ..      |
| 09—मोटर गाड़ियों का मरुदहन तथा पेट्रोल की खपत                               | 2,00    |
| 19—लघु निर्माण-कार्य  | 50      |
| 32—अन्तरिम सहायता   | 10,20   |
| 33—अन्य व्यय  | 90,00   |
| योग: 01   | 1,98,35 |
| 02—उत्तर प्रदेश में भेड़ तथा ऊन गोर अन्य पशुपालन के नियोजित विकास की योजना— |         |
| 01—वेतन   | ..      |
| 02—मजदूरी   | ..      |
| 03—महंगाई भत्ता   | ..      |
| 04—गात्रा व्यय  | ..      |
| 05—ग्रन्थ व्यय  | ..      |
| 06—कार्यालय व्यय  | ..      |
| 07—टेलीफोन पर व्यय  | ..      |
| 09—मोटर गाड़ियों का मरुदहन तथा पेट्रोल की खपत                               | ..      |
| 25—गामभी गोर सम्पत्ति   | ..      |
| 32—अन्तरिम सहायता   | ..      |
| 33—अन्य व्यय  | ..      |
| योग: 02   | ..      |

|      |     |      |      |      |      |
|------|-----|------|------|------|------|
| 8,05 | 139 | 4,00 | 1,60 | 3,84 | 1,60 |
| 274  | ..  | 3,00 | ..   | 3,00 | ..   |
| 11   | ..  | ..   | 30   |      |      |
| 7    | ..  | ..   | 21   |      |      |
| 1    | ..  | ..   | 3    |      |      |
| 1    | ..  | ..   | 1    |      |      |
| ..   | ..  | ..   | ..   |      |      |
| 72   | ..  | ..   | 70   |      |      |
| 92   | ..  | ..   | 1,25 | ..   | 1,25 |
| 2,87 | ..  | 2,60 | ..   | 2,60 | ..   |
| 78   | ..  | 70   | ..   | 70   | ..   |
| 89   | ..  | 1,00 | ..   | 71   | ..   |
| ..   | 16  | ..   | ..   |      |      |
| ..   | 11  | ..   | ..   |      |      |
| ..   | 1   | ..   | ..   |      |      |
| ..   | 2   | ..   | ..   |      |      |
| ..   | 67  | ..   | ..   |      |      |
| ..   | 98  | ..   | ..   | ..   | ..   |

|   |    |    |    |         |    |
|---|----|----|----|---------|----|
| 03—राज्य में बकरा प्रजनन सुविधाओं का विस्तार<br>(जिला योजना) —  |    |    |    |         |    |
| 33—ग्रन्थ खय  | .. | .. | .. | 3,50    | .. |
| 04—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान—<br>बकरे तथा बकरियों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने की<br>योजना— |    |    |    |         |    |
| 33—ग्रन्थ खय  | .. | .. | .. | 3,50    | .. |
| 05—उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बकरी प्रजनन प्रकल्प<br>की स्थापना—  |    |    |    |         |    |
| 01—बैठक   | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 02—महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 04—भाड़ा खय   | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ता   | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 32—अभ्युक्ति सहायता   | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 33—ग्रन्थ खय  | .. | .. | .. | ..      | .. |
|   |    |    |    | योग: 05 | .. |
| 06—बाकों के कच एवं वितरण की योजना—<br>(जिला योजना)  |    |    |    |         |    |
| 33—ग्रन्थ खय  | .. | .. | .. | 2,64    | .. |
| 07—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान—<br>बाकों के कच एवं वितरण की योजना—                             |    |    |    |         |    |
| 33—ग्रन्थ खय  | .. | .. | .. | 42      | .. |
| 08—छूटा बंदनी पशुओं के उत्पाद को रोकने की<br>योजना—   |    |    |    |         |    |
| 14—उद्भावक अनुदान / संतदाव / राज सहायता   |    |    |    | 68      | .. |
| 09—राजकीय बकरी प्रजनन प्रकल्प, मझौपुर<br>(शिवरिया) का सुधार तथा विस्तार (जिला योजना) —                              |    |    |    |         |    |
| 01—बैठक   | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 02—महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 04—भाड़ा खय   | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ता   | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 06—आवक खय   | .. | .. | .. | ..      | .. |
|   |    |    |    | योग: 09 | .. |



अनुदान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपयों में)

| वैश्विक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |          | लोक | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|---------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|-----|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                  | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |     | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
| ..                        | 20       | ..                         | 22       | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 15       | ..                         | 14       | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 2        | ..                         | 2        | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 3        | ..                         | 4        | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 2        | ..                         | 3        | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 42       | ..                         | 45       | ..                         | 45       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 35       | ..                         | 40       | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 23       | ..                         | 28       | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 2        | ..                         | 2        | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | ..       | ..                         | 1        | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 1        | ..                         | 1        | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 10       | ..                         | 12       | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 1        | ..                         | 2        | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 72       | ..                         | 86       | ..                         | 86       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 4,85     | ..                         | 5,50     | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | ..       | ..                         | ..       | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 3,48     | ..                         | 3,50     | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 16       | ..                         | 20       | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 45       | ..                         | 50       | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 10       | ..                         | 12       | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |
| ..                        | 8        | ..                         | 10       | ..                         | ..       |     | ..                         | ..       |

2403—पशुपालन—

106—अन्य पशु विकास (कमला:)—

10—पशुपालन वाले जस्त्रिवासियों की वार्षिक दत्ता

सुधारने की योजना—

|                 |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|
| 01—वेतन         | .. | .. | .. | .. |
| 03—सहपाई भत्ता  | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय    | .. | .. | .. | .. |

योग: 10

11—शंभोरा जाति के बकरे और बकरियों के

प्रतिजनन की योजना—

|                      |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|
| 01—वेतन              | .. | .. | .. | .. |
| 03—सहपाई भत्ता       | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय       | .. | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते      | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय     | .. | .. | .. | .. |
| 19—अधु विर्वाच-कार्य | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय         | .. | .. | .. | .. |

योग: 11

12—दूरस्थ परंपरीय सम्भागों में पशुधन के विकास

की योजना—

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| 01—वेतन                                      | .. | .. | .. | .. |
| 02—सहपाई                                     | .. | .. | .. | .. |
| 03—सहपाई भत्ता                               | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                               | .. | .. | .. | .. |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                              | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                             | .. | .. | .. | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का मरुत तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. |

|    |      |    |       |       |
|----|------|----|-------|-------|
| .. | 6    | .. | 7     |       |
| .. | 26   | .. | 25    |       |
| .. | 19   | .. | 15    |       |
| .. | 9,63 | .. | 10,39 | 10,39 |

|    |      |    |      |      |
|----|------|----|------|------|
| .. | 89   | .. | 1,06 |      |
| .. | 68   | .. | 70   |      |
| .. | 5    | .. | 6    |      |
| .. | 13   | .. | 12   |      |
| .. | 3    | .. | 3    |      |
| .. | ..   | .. | 95   |      |
| .. | 6    | .. | 8    |      |
| .. | 1    | .. | 1    |      |
| .. | 5    | .. | 7    |      |
| .. | 1,90 | .. | 3,08 | 3,08 |

|    |      |    |      |      |
|----|------|----|------|------|
| .. | 3,45 | .. | 3,60 |      |
| .. | 2,24 | .. | 2,45 |      |
| .. | 10   | .. | 15   |      |
| .. | 11   | .. | 10   |      |
| .. | 5    | .. | 6    |      |
| .. | 93   | .. | 1,40 |      |
| .. | 10   | .. | 12   |      |
| .. | 6,98 | .. | 7,88 | 7,88 |

|    |      |    |      |      |
|----|------|----|------|------|
| .. | 76   | .. | 74   |      |
| .. | 51   | .. | 52   |      |
| .. | 3    | .. | 3    |      |
| .. | 60   | .. | 80   |      |
| .. | 1,90 | .. | 2,09 | 2,09 |

|    |      |    |      |  |
|----|------|----|------|--|
| .. | 7,35 | .. | 8,50 |  |
| .. | 4,94 | .. | 5,60 |  |
| .. | 40   | .. | 40   |  |
| .. | 41   | .. | 35   |  |
| .. | 3    | .. | 10   |  |

|                                     |    |    |    |
|-------------------------------------|----|----|----|
| 11—किराया, उपभूक्त तथा कर स्वामिस्य | .. | .. | .. |
| 19—सड़ु निर्माण-कार्य               | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय                        | .. | .. | .. |

योग, 12

13—भारत-जर्मन प्रायोजना के अन्तर्गत प्रल्मोड़ा जिले में

कृषि मर्चाखान केन्द्र / उप केन्द्र—

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| 01—वेतन                                    | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                            | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                             | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते                              | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय                           | .. | .. | .. |
| 08—गाड़ियों का क्रय                        | .. | .. | .. |
| 09—गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. |
| 11—किराया, उपभूक्त और कर स्वामिस्य         | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय                               | .. | .. | .. |

योग, 13

14—प्रवाहपशु विकास केन्द्र की स्थापना—

|                       |    |    |    |
|-----------------------|----|----|----|
| 01—वेतन               | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता       | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय        | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते         | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय      | .. | .. | .. |
| 19—सड़ु निर्माण-कार्य | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय          | .. | .. | .. |

योग, 14

15—राज्य में नैसर्गिक केन्द्रों की स्थापना—

|                 |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|
| 01—वेतन         | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते   | .. | .. | .. |

योग, 15

16—मुख्यमुख क्षेत्रीय कार्यक्रम—

|                  |    |    |      |
|------------------|----|----|------|
| 01—वेतन          | .. | .. | 8,20 |
| 03—महंगाई भत्ता  | .. | .. | 6,60 |
| 04—यात्रा व्यय   | .. | .. | 42   |
| 05—अन्य भत्ते    | .. | .. | 43   |
| 06—कार्यालय व्यय | .. | .. | ..   |



|       |         |       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 3.61  | ..      | ..    | ..      | 1.06  | ..      |
| 14,92 | 1,90,12 | 11,30 | 2,24,86 | 14,91 | 2,68,66 |

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 57   | .. | 84   |    |      |
| .. | 38   | .. | 12   |    |      |
| .. | 3    | .. | 2    |    |      |
| .. | 3    | .. | 3    |    |      |
| .. | 10   | .. | 10   |    |      |
| .. | 1,11 | .. | 1,21 | .. | 1,21 |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | 33 | .. | 36 |    |    |
| .. | 22 | .. | 24 |    |    |
| .. | 2  | .. | 2  |    |    |
| .. | 4  | .. | 5  |    |    |
| .. | 1  | .. | 1  |    |    |
| .. | 2  | .. | 2  |    |    |
| .. | 64 | .. | 70 | .. | 70 |

|    |       |    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|----|-------|
| .. | 78    | .. | 91    | .. | 91    |
| .. | 2,33  | .. | 2,50  |    |       |
| .. | 1,54  | .. | 1,60  |    |       |
| .. | 12    | .. | 13    |    |       |
| .. | 19    | .. | 20    |    |       |
| .. | 19    | .. | 20    |    |       |
| .. | 6,94  | .. | 20    |    |       |
| .. | ..    | .. | ..    |    |       |
| .. | 8,77  | .. | 20,00 |    |       |
| .. | 20,08 | .. | 24,73 | .. | 24,73 |

20—मनुपासन विभाग में लेक्चररिक्स डेटा प्रोत्साहन की स्थापना—

|              |    |    |       |         |
|--------------|----|----|-------|---------|
| 33—अन्य व्यय | .. | .. | 60    | ..      |
| योग: 106     | .. | .. | 11,24 | 2,16,74 |

107—बारा और दाना विकास—

01—उत्तर प्रदेश में कुक्कुटों के लिये सस्ते कुक्कुट बाजार और पके हुए मांस के उत्पादन पर अनुसंधान—

|                 |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| 01—बेतन         | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03—बहुगाई मत्ता | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य मत्त    | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय    | .. | .. | .. | .. | .. |
| योग, 01         | .. | .. | .. | .. | .. |

02—भारत जर्मन सहायता प्रायोजन मन्त्रालय के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में केन्द्रीय चारा अनुसंधान केन्द्र—

|                  |    |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|----|
| 01—बेतन          | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03—बहुगाई मत्ता  | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय   | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य मत्त     | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06—कार्यालय व्यय | .. | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय     | .. | .. | .. | .. | .. |
| योग, 02          | .. | .. | .. | .. | .. |

03—लघु सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन श्रमिकों की वर्णशंकर बलियों के भरण-पोषण हेतु संतुलित पशु बाजार पर अनुदान देने की योजना (जिष्ठा योजना)—

|                                   |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 14—सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता | .. | .. | .. | .. | .. |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|

04—विश्व व्याप कार्यक्रम की सहायता से संतुलित कुक्कुट बाजार के वितरण की योजना—

|  |    |    |    |    |       |
|--|----|----|----|----|-------|
| 01—बेतन  | .. | .. | .. | .. | 4,95  |
| 03—बहुगाई मत्ता                                  | .. | .. | .. | .. | 4,00  |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. | 30    |
| 05—अन्य मत्त                                     | .. | .. | .. | .. | 43    |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | .. | 25    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | 50    |
| 32—अन्तरिक्ष सहायता                              | .. | .. | .. | .. | 1,00  |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | .. | 25,00 |

|         |    |    |    |    |       |
|---------|----|----|----|----|-------|
| योग, 04 | .. | .. | .. | .. | 36,43 |
|---------|----|----|----|----|-------|

अनुदान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपयों में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीकित अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक  | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|---|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |   | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
|                            |          |                            |          |                            |          | <b>2403-पशुपालन--</b>                                   |                            |          |
|                            |          |                            |          |                            |          | <b>107-बारा और बाना विकास (समाप्त)--</b>                |                            |          |
|                            |          |                            |          |                            |          | <b>05--राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, चक गंजरिया (लखनऊ)</b> |                            |          |
|                            |          |                            |          |                            |          | पर सस्ते कुक्कुट आहार योजना से सम्बद्ध कुक्कुट आहार     |                            |          |
|                            |          |                            |          |                            |          | परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढीकरण--                       |                            |          |
| ..                         | 33       | ..                         | 34       | ..                         | 34       | 01--वेतन .. .. .  | ..                         | ..       |
| ..                         | 20       | ..                         | 21       | ..                         | 21       | 03--महंगाई भत्ता .. .. .                                | ..                         | ..       |
| ..                         | 2        | ..                         | 2        | ..                         | 2        | 04--यात्रा व्यय .. .. .                                 | ..                         | ..       |
| ..                         | 3        | ..                         | 3        | ..                         | 3        | 05--अन्य व्यय .. .. .                                   | ..                         | ..       |
| ..                         | 11       | ..                         | 10       | ..                         | 10       | 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र                    | ..                         | ..       |
| ..                         | 12       | ..                         | 10       | ..                         | 10       | 33--अन्य व्यय .. .. .                                   | ..                         | ..       |
| ..                         | 81       | ..                         | 80       | ..                         | 80       | योग; 05 .. .. .   | ..                         | ..       |
|                            |          |                            |          |                            |          | <b>06-कुक्कुट आहार कक्षा की स्थापना, विस्तार तथा</b>    |                            |          |
|                            |          |                            |          |                            |          | गुणों पर नियंत्रण--                                     |                            |          |
| 4                          | ..       | 22                         | ..       | ..                         | ..       | 01--वेतन ' .. .. .                                      | 73                         | ..       |
| 3                          | ..       | 15                         | ..       | ..                         | ..       | 03--महंगाई भत्ता .. .. .                                | 58                         | ..       |
| 2                          | ..       | 6                          | ..       | ..                         | ..       | 04--यात्रा व्यय .. .. .                                 | 6                          | ..       |
| 1                          | ..       | 3                          | ..       | ..                         | ..       | 05--अन्य भत्ते .. .. .                                  | 3                          | ..       |
| ..                         | ..       | 11                         | ..       | ..                         | ..       | 06--कार्यालय व्यय .. .. .                               | 3                          | ..       |
| 67                         | ..       | 65                         | ..       | ..                         | ..       | 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..                 | 5                          | ..       |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       | ..                         | ..       | 32 - अन्तरिम सहायता .. .. .                             | 15                         | ..       |
| 80                         | ..       | 35                         | ..       | ..                         | ..       | 33--अन्य व्यय .. .. .                                   | 3                          | ..       |
| 157                        | ..       | 1,57                       | ..       | 1,98                       | ..       | योग, 06 .. .. .   | 1,66                       | ..       |

17- प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम का सघनोकरण एवं मधन विकास (जिला योजना) —

40,04 .. 8,50 .. 9,62 ..

33--अन्य व्यय .. .. 7,62

18-- अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान --  
प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम का सघनोकरण एवं मधन विकास --

90 .. 95 .. 1,07

35--अन्य व्यय .. .. 96

09-- चारा एवं पोषण विकास --

.. 212 .. 2,45  
.. 140 .. 1,60  
.. 14 .. 15  
.. 14 .. 15  
.. .. ..  
.. 16 .. 15

01--खेतन .. .. 2,12  
03--महंगाई भत्ता .. .. 2,09  
04--यात्रा व्यय .. .. 19  
05--अन्य भत्ते .. .. 18  
32--अन्तरिम सहायता .. .. 50  
33--अन्य व्यय .. .. 20

.. 3,96 .. 4,50 .. 4,50

योग, 09 .. 5,28

10-- अनुपद मत्त निरुद्ध बैंक की चारा एवं डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत भूमि के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था --

474 .. .. 26,48 ..

18-- तृ निर्माण का .. ..

47,25 27,38 11,02 32,85 39,15 32,85

योग, 107 10,24 41,71

109-- विस्तार और प्रशिक्षण --

01-- पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक तथा पशुपालन पाठ्यक्रम के लिये पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में पशुधन पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति--

.. .. 4 .. 4

33--अन्य व्यय .. .. ..

अनुदान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपये में)

| सांख्यिक आरूढ़<br>(1985-86) |          | आय-व्यय रु अनुदान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान,<br>1986-87 |          | शीर्षक   | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                    | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर | आयोजनागत                      | आयोजनेतर |  | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
| <b>2403—पशुपालन—</b>        |          |                              |          |                               |          |  |                            |          |
|                             |          |                              |          |                               |          | <b>109—विस्तार और प्रशिक्षण—(समाप्त)—</b>  |                            |          |
|                             |          |                              |          |                               |          | <b>02—पशुपालनों का प्रशिक्षण—</b>  |                            |          |
| ..                          | 119      | ..                           | 1,63     | ..                            | 4,46     | 01—वेतन .. .. .  | ..                         | 1,85     |
| ..                          | 96       | ..                           | 1,05     | ..                            | 3        | 03—महंगाई भत्ता .. .. .  | ..                         | 1,44     |
| ..                          | 11       | ..                           | 17       | ..                            | ..       | 04—यात्रा व्यय .. .. .   | ..                         | 18       |
| ..                          | 3        | ..                           | 4        | ..                            | ..       | 05—अन्य भत्ते .. .. .  | ..                         | 11       |
| ..                          | 6        | ..                           | 7        | ..                            | ..       | 06—कार्यालय व्यय .. .. .   | ..                         | 8        |
| ..                          | 111      | ..                           | 1,00     | ..                            | ..       | 15—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन .. .. .  | ..                         | 1,98     |
| ..                          | ..       | ..                           | ..       | ..                            | ..       | 32—अन्तरिम सहायता .. .. .  | ..                         | 40       |
| ..                          | 11       | ..                           | 10       | ..                            | ..       | 33—अन्य व्यय .. .. .   | ..                         | 15       |
| ..                          | 387      | ..                           | 4,08     | ..                            | 4,46     | योग, 02  | ..                         | 6,19     |
|                             |          |                              |          |                               |          | <b>03—महायक पशुचिकित्सको के प्रशिक्षण के संबंध में भुगतान—</b>   |                            |          |
| ..                          | ..       | ..                           | 3        | ..                            | 3        | 33—अन्य व्यय .. .. .   | ..                         | 6        |
|                             |          |                              |          |                               |          | <b>04—सेवारत पशु चिकित्सा स्नातको तथा इच्छुक भेड़ पालकों को भेड़ पालन में प्रशिक्षण देने की योजना—</b> |                            |          |
| ..                          | 33       | ..                           | 35       | ..                            | 1,02     | 01—वेतन .. .. .  | ..                         | 39       |
| ..                          | 22       | ..                           | 22       | ..                            | ..       | 03—महंगाई भत्ता .. .. .  | ..                         | 30       |
| ..                          | 4        | ..                           | 4        | ..                            | ..       | 04—यात्रा व्यय .. .. .   | ..                         | 5        |
| ..                          | 29       | ..                           | 29       | ..                            | ..       | 05—अन्य भत्ते .. .. .  | ..                         | 20       |
| ..                          | 12       | ..                           | 12       | ..                            | ..       | 06—कार्यालय व्यय .. .. .   | ..                         | 15       |
| ..                          | ..       | ..                           | ..       | ..                            | ..       | 32—अन्तरिम सहायता .. .. .  | ..                         | 8        |
| ..                          | 1,00     | ..                           | 1,02     | ..                            | 1,02     | योग, 04  | ..                         | 1,16     |
| 13                          | 35       | ..                           | 38       | ..                            | ..       | <b>05—मृगीपालन में त्रैमासिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम—</b>  | ..                         | ..       |
| ..                          | 22       | ..                           | 24       | ..                            | ..       | 01—वेतन .. .. .  | ..                         | ..       |
| ..                          | ..       | ..                           | ..       | ..                            | ..       | 03—महंगाई भत्ता .. .. .  | ..                         | ..       |

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| ..  | 3  | .. | 3  |
| ..  | 3  | .. | 3  |
| 91  | 6  | .. | 6  |
| 104 | 69 | .. | 74 |
| ..  | .. | .. | 74 |

|     |     |      |      |
|-----|-----|------|------|
| ..  | ..  | 15   | ..   |
| ..  | ..  | 9    | ..   |
| ..  | ..  | 2    | ..   |
| ..  | ..  | 2    | ..   |
| ..  | ..  | 5    | ..   |
| ..  | ..  | 90   | ..   |
| ..  | ..  | ..   | ..   |
| ..  | ..  | 17   | ..   |
| ..  | ..  | 1,40 | ..   |
| ..  | ..  | ..   | 1,90 |
| 104 | 556 | 1,40 | 5,89 |
| ..  | ..  | ..   | 1,90 |
| ..  | ..  | ..   | 6,29 |

|    |     |    |      |
|----|-----|----|------|
| .. | 140 | .. | 1,60 |
| .. | 114 | .. | 1,10 |
| .. | 5   | .. | 5    |
| .. | 5   | .. | 25   |
| .. | ..  | .. | ..   |
| .. | 30  | .. | 5,67 |
| .. | ..  | .. | ..   |
| .. | 294 | .. | 8,67 |
| .. | ..  | .. | 8,67 |

|    |      |    |      |
|----|------|----|------|
| .. | 3,80 | .. | 4,18 |
| .. | 2,47 | .. | 2,90 |

|                 |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|
| 04--यात्रा व्यय | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते  | .. | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय   | .. | .. | .. | .. |
| योग, 05         | .. | .. | .. | .. |

06--सेवाकालीन त्रैमासिक कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र, चकणजरिया, लखनऊ का सुवृद्धीकरण-

|                                  |    |    |      |    |
|----------------------------------|----|----|------|----|
| 01--वेतन                         | .. | .. | 21   | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                 | .. | .. | 17   | .. |
| 04--यात्रा व्यय                  | .. | .. | 2    | .. |
| 05--अन्य भत्ते                   | .. | .. | 2    | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                | .. | .. | 10   | .. |
| 15--छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन | .. | .. | 1,08 | .. |
| 32--अन्तरिम सहायता               | .. | .. | 4    | .. |
| 33--अन्य व्यय                    | .. | .. | 42   | .. |

|          |      |      |
|----------|------|------|
| योग, 06  | 2,06 | ..   |
| योग, 109 | 2,06 | 7,40 |

113--प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यिकी--

01--बागहवाँ पशुधन की गणना--

|                    |    |    |    |      |
|--------------------|----|----|----|------|
| 01--वेतन           | .. | .. | .. | 1,80 |
| 03--महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | 1,44 |
| 04--यात्रा व्यय    | .. | .. | .. | 5    |
| 05--अन्य भत्ते     | .. | .. | .. | 26   |
| 32--अन्तरिम सहायता | .. | .. | .. | 36   |
| 33--अन्य व्यय      | .. | .. | .. | 60   |

|         |    |      |
|---------|----|------|
| योग, 01 | .. | 4,51 |
|---------|----|------|

02--केंद्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्घानित योजना--

0201--पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य--

|                  |    |    |    |      |
|------------------|----|----|----|------|
| 01--वेतन         | .. | .. | .. | 4,54 |
| 03--महंगाई भत्ता | .. | .. | .. | 3,63 |



अनुदान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपयों में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |          | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986 87 |          | शीर्षक  | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|---|----------------------------|----------|
| आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                   | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |   | आयोजनागत                   | आयोजनेतर |
|                            |          |                            |          |                              |          | <b>2403-पशुपालन</b>   |                            |          |
|                            |          |                            |          |                              |          | <b>113- प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यिकी-- (समाप्त) --</b>  |                            |          |
| ..                         | 60       | ..                         | 60       | ..                           | ..       | 04--यात्रा व्यय   | ..                         | 74       |
| ..                         | 47       | ..                         | 47       | ..                           | ..       | 05--अन्य भत्ते  | ..                         | 48       |
| ..                         | 50       | ..                         | 50       | ..                           | ..       | 06--कार्यालय व्यय   | ..                         | 60       |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       | 32--घनंतरिम सहायता  | ..                         | 90       |
| ..                         | 7.84     | ..                         | 8.65     | ..                           | 8.75     | योग, 0201   | ..                         | 10.89    |
|                            |          |                            |          |                              |          | <b>0202--पशुधन उत्थान तथा बन्ध सांख्यिकीय अध्ययन करना और पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान में शोध कार्य--</b> |                            |          |
| 91                         | ..       | 6,00                       | ..       | ..                           | ..       | 01--वेतन  | 7,42                       | ..       |
| 69                         | ..       | 4,20                       | ..       | ..                           | ..       | 03--महंगाई भत्ता  | 4,58                       | ..       |
| 26                         | ..       | 1,60                       | ..       | ..                           | ..       | 04--यात्रा व्यय   | 2.14                       | ..       |
| 10                         | ..       | 52                         | ..       | ..                           | ..       | 05--अन्य भत्ते  | 60                         | ..       |
| 50                         | ..       | 1,25                       | ..       | ..                           | ..       | 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र  | 40                         | ..       |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       | 32--घनंतरिम सहायता  | 1,48                       | ..       |
| 51                         | ..       | 1,23                       | ..       | ..                           | ..       | 33--अन्य व्यय   | 69                         | ..       |
| 2,97                       | ..       | 14,80                      | ..       | 17,98                        | ..       | योग, 0202   | 17,31                      | ..       |
| 2,97                       | 10,78    | 14,80                      | 17,32    | 17,98                        | 17,42    | योग, 113  | 17,31                      | 15,40    |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       | ( मत्तदेय<br>भारित  | ..                         | ..       |
|                            |          |                            |          |                              |          | <b>796- प्रादिम जाति क्षेत्र उप योजना --</b>  |                            |          |
| 24                         | ..       | 24                         | ..       | 24                           | ..       | 01--साड़ों के क्रय और वितरण की योजना (जिला योजना) --  |                            |          |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       | 33--अन्य व्यय   | 4                          | ..       |
| 2,39                       | ..       | 2,40                       | ..       | 2,40                         | ..       | 02--पशुधन प्रक्षेत्रों की स्थापना और प्रसार-  |                            |          |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       | 33--अन्य व्यय   | 75                         | ..       |
| 2                          | ..       | 2                          | ..       | 2                            | ..       | 03--मूकर प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण--  |                            |          |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       | 33--अन्य व्यय   | 2                          | ..       |
| 4                          | ..       | 2                          | ..       | 2                            | ..       | 04--बकरे तथा बकरियों के अभिजनन को प्रोत्साहित करने की योजना --  |                            |          |
| ..                         | ..       | ..                         | ..       | ..                           | ..       | 33--अन्य व्यय   | 6                          | ..       |

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| ..   | .. | ..   | .. |
| ..   | .. | ..   | .. |
| 2,89 | .. | 2,68 | .. |
| 2,88 | .. | 2,88 | .. |

|    |   |    |    |    |    |
|----|---|----|----|----|----|
| .. | 9 | .. | 15 | .. | 15 |
|----|---|----|----|----|----|

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 3,31 | .. | 3,60 |    |      |
| .. | 2,15 | .. | 2,20 |    |      |
| .. | 10   | .. | 10   |    |      |
| .. | 16   | .. | 15   |    |      |
| .. | 6    | .. | 5    |    |      |
| .. | 2    | .. | 2    |    |      |
| .. | 97   | .. | 1,00 |    |      |
| .. | 10   | .. | 10   |    |      |
| .. | 22   | .. | 20   |    |      |
| .. | 7,09 | .. | 7,42 | .. | 7,42 |

|    |       |    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|----|-------|
| .. | 3,01  | .. | 2,95  |    |       |
| .. | 1,88  | .. | 2,00  |    |       |
| .. | 17    | .. | 18    |    |       |
| .. | 11    | .. | 12    |    |       |
| .. | ..    | .. | ..    |    |       |
| .. | ..    | .. | 12,00 |    |       |
| .. | 53    | .. | 90    |    |       |
| .. | ..    | .. | ..    |    |       |
| .. | 57    | .. | 50    |    |       |
| .. | 16,27 | .. | 18,65 | .. | 18,65 |

85-पशु प्रजनों पर प्रजनन कार्य हेतु

बाड़ों की संख्या में वृद्धि--

|                                 |      |    |
|---------------------------------|------|----|
| 20--मशीनों और साध/उपकरण और खर्च | 1,30 | .. |
| 33--अन्य व्यय                   | 1,04 | .. |
| योग, 05                         | 2,34 | .. |
| योग, 796                        | 3,21 | .. |

800--अन्य व्यय--

|   |    |      |
|---|----|------|
| 01--खाल उतारने, साफ करने तथा लोथ प्रयोग एवं उत्पादन केन्द्र, बकरी का तालाब, लखनऊ का प्रसार- |    |      |
| 33--अन्य व्यय   | .. | 1,92 |

02--खाल उतारने की योजना--

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| 01--वेतन                                     | .. | .. | .. | .. |
| 03--महंगाई भत्ता                             | .. | .. | .. | .. |
| 04--यात्रा व्यय                              | .. | .. | .. | .. |
| 05--अन्य भत्ते                               | .. | .. | .. | .. |
| 06--कार्यालय व्यय                            | .. | .. | .. | .. |
| 07--टेलीफोन पर व्यय                          | .. | .. | .. | .. |
| 08--गाड़ियों का क्रय                         | .. | .. | .. | .. |
| 09--गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. |
| 33--अन्य व्यय                                | .. | .. | .. | .. |
| योग, 02                                      | .. | .. | .. | .. |

03--खाल उतारने, साफ करने और लोथ उपयोग करने एवं गोसदन स्थापित करने की योजना--

|                                  |    |    |    |       |
|----------------------------------|----|----|----|-------|
| 01--वेतन                         | .. | .. | .. | 10,42 |
| 03--महंगाई भत्ता                 | .. | .. | .. | 8,34  |
| 04--यात्रा व्यय                  | .. | .. | .. | 40    |
| 05--अन्य भत्ते                   | .. | .. | .. | 60    |
| 07--टेलीफोन पर व्यय              | .. | .. | .. | 5     |
| 08--गाड़ियों का क्रय             | .. | .. | .. | ..    |
| 09--अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | 1,35  |
| 32--अन्तर्भ्रम सह्यिता           | .. | .. | .. | 2,09  |
| 33--अन्य व्यय                    | .. | .. | .. | 2,00  |
| योग, 03                          | .. | .. | .. | 25,25 |

अनुदान संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक प्राकड़े<br>1985-86                            | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | शेषक | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88                               |
|---|----------------------------|------------------------------|------|--|
| आयोजनागत  | आयोजनागत                   | आयोजनागत                     |      | आयोजनागत   |
| <b>2403—पशु पालन—</b>                                   |                            |                              |      |  |
| <b>800—अन्य व्यय— (क्रमशः)—</b>                         |                            |                              |      |  |
| <b>04—खाल उतारने, साफ करने तथा लोथ के उपयोग एवं</b>     |                            |                              |      |  |
| <b>उत्पादन कन्द्र, बस्ती-कान्तालाब, लखनऊ का प्रसार—</b> |                            |                              |      |  |
| ..  | 3,69                       | ..                           | 3,88 | 01—वेतन .. .. .  |
| ..  | 2,44                       | ..                           | 2,65 | 03—बहुगार्ड भत्ता .. .. .                                |
| ..  | 10                         | ..                           | 10   | 04—यात्रा व्यय .. .. .                                   |
| ..  | 12                         | ..                           | 30   | 05—अन्य भत्ते .. .. .                                    |
| ..  | 3                          | ..                           | 3    | 06—कार्यालय व्यय .. .. .                                 |
| ..  | 2                          | ..                           | 3    | 07—टेलीफोन पर व्यय .. .. .                               |
| ..  | 21                         | ..                           | 22   | 09—गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद .. .. .      |
| ..  | 1,12                       | ..                           | 1,10 | 33—अन्य व्यय .. .. .                                     |
| ..  | 7,73                       | ..                           | 8,31 | योग, 04 .. .. .  |
| <b>05—एटा जिले में प्रमुख कार्यक्रम का सघनीकरण—</b>     |                            |                              |      |  |
| ..  | 1,73                       | ..                           | 1,85 | 01—वेतन .. .. .  |
| ..  | 1,20                       | ..                           | 1,32 | 03—बहुगार्ड भत्ता .. .. .                                |
| ..  | 6                          | ..                           | 7    | 04—यात्रा व्यय .. .. .                                   |
| ..  | 12                         | ..                           | 11   | 05—अन्य भत्ते .. .. .                                    |
| ..  | 5                          | ..                           | 6    | 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद .. .. . |
| ..  | 32                         | ..                           | 30   | 33—अन्य व्यय .. .. .                                     |
| ..  | 3,48                       | ..                           | 3,71 | योग, 05 .. .. .  |

|          |    |       |          |
|----------|----|-------|----------|
| 23,75    | .. | 26,29 |          |
| .. 15,91 | .. | 18,41 |          |
| .. 86    | .. | 90    |          |
| .. 80    | .. | 1,22  |          |
| .. 3     | .. | 4     |          |
| .. 60    | .. | 60    |          |
| .. 4,35  | .. | 4,50  |          |
| .. 46,30 | .. | 51,96 | .. 56,96 |

|       |    |    |       |
|-------|----|----|-------|
| .. 40 | .. | 44 |       |
| .. 26 | .. | 32 |       |
| .. 3  | .. | 3  |       |
| .. 8  | .. | 8  |       |
| .. 77 | .. | 87 | .. 87 |

|        |    |      |         |
|--------|----|------|---------|
| .. 275 | .. | 3,43 |         |
| .. 215 | .. | 2,30 |         |
| .. 15  | .. | 15   |         |
| .. 19  | .. | 20   |         |
| .. ..  | .. | ..   |         |
| .. 121 | .. | 15   |         |
| .. 645 | .. | 6,23 | .. 6,23 |

06—परिधान कार्यक्रम का सुधार एवं विस्तार—

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | .. |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | .. |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | .. |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | .. | .. |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल को खरीद | .. | .. | .. | .. |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | .. |
| योग, 06  | .. | .. | .. | .. |

07—शौचालाओं में सुधार के लिये योजना—

|                   |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|
| 01—वेतन           | .. | .. | .. | 43 |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | 34 |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | .. | 3  |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | .. | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | .. | 9  |
| योग, 07           | .. | .. | .. | 89 |

08—निरीष केन्द्रों की स्थापना—

|                   |    |    |    |      |
|-------------------|----|----|----|------|
| 01—वेतन           | .. | .. | .. | 3,10 |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | .. | 2,48 |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | .. | 16   |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | .. | 23   |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | .. | 62   |
| 33—अन्य व्यय      | .. | .. | .. | 16   |
| योग, 08           | .. | .. | .. | 6,75 |

**अनुदान सख्या 15, 1987-88**  
**कृषि तथा अन्य उत्पन्न विभाग (पशुधन)**

(हजार रुपयों में)

| व्यय-वर्ष 1985-86   |           | व्यय-वर्ष 1986-87 |           | व्यय-वर्ष 1986-87 |           | की संख्या                           | व्यय-वर्ष 1987-88 |             |
|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| प्रयोजनगत   | प्रयोजनगत | प्रयोजनगत         | प्रयोजनगत | प्रयोजनगत         | प्रयोजनगत |                                     | प्रयोजनगत         | प्रयोजनगत   |
| <b>2403—पशुपालन—</b>  |           |                   |           |                   |           |                                     |                   |             |
| <b>800—अन्य व्यय (समाप्त)---</b>  |           |                   |           |                   |           |                                     |                   |             |
| <b>09--महत्वपूर्ण अभिजनन प्रकृतियों में पूर्य निवृत्तन का प्रसार और अभिजनन समितियों का बनाया जाना--</b> |           |                   |           |                   |           |                                     |                   |             |
| ..  | 1,32      | ..                | 1,42      | ..                | ..        | 01—बेतन                             | ..                | ..          |
| ..  | 81        | ..                | 1,00      | ..                | ..        | 02—महंगाई भत्ता                     | ..                | ..          |
| ..  | 9         | ..                | 10        | ..                | ..        | 03—यात्रा व्यय                      | ..                | ..          |
| ..  | 4         | ..                | 4         | ..                | ..        | 04—अन्य भत्ते                       | ..                | ..          |
| ..  | ..        | ..                | ..        | ..                | ..        | 32—अन्तरिम सहायता                   | ..                | ..          |
| ..  | 4         | ..                | 4         | ..                | ..        | 33—अन्य व्यय                        | ..                | ..          |
| ..  | 2,30      | ..                | 2,60      | ..                | 2,60      | योग, 09 ..                          |                   | ..          |
| <b>10--राज्य पशुधन और कृषि प्रकृतियों के प्रतिरिक्त आवश्यकता तथा प्रसार की योजना--</b>                  |           |                   |           |                   |           |                                     |                   |             |
| <b>(जिला योजना)---</b>  |           |                   |           |                   |           |                                     |                   |             |
| ..  | 22        | ..                | ..        | ..                | ..        | 01—बेतन                             | ..                | ..          |
| ..  | 14        | ..                | ..        | ..                | ..        | 03—महंगाई भत्ता                     | ..                | ..          |
| ..  | 3         | ..                | ..        | ..                | ..        | 04—यात्रा व्यय                      | ..                | ..          |
| 3,00  | ..        | ..                | ..        | ..                | ..        | 08--गाइयों का क्रय                  | ..                | ..          |
| 20  | ..        | 25                | ..        | ..                | ..        | 09--अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद    | ..                | 3,60        |
| 12,32   | ..        | 8,60              | ..        | ..                | ..        | 20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संपन्न | ..                | ..          |
| 10,05   | 1,78      | 4,00              | ..        | ..                | ..        | 33--अन्य व्यय                       | ..                | 12 90       |
| 25,57   | 2,17      | 12,85             | ..        | 16,97             | ..        | योग, 10 ..                          |                   | 16,50       |
| <b>11--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान--</b>  |           |                   |           |                   |           |                                     |                   |             |
| <b>पशुधन प्रकृतियों की स्थापना एवं प्रसार--</b>   |           |                   |           |                   |           |                                     |                   |             |
| 1,12  | ..        | 1,00              | ..        | 1,00              | ..        | 33--अन्य व्यय                       | ..                | 1,75        |
| 26,69   | 82,65     | 13,85             | 99,90     | 17,97             | 1,04,90   | योग, 800                            |                   | 18,25 34,81 |

4403—पशुपालन पर पूँजी परिकल्पना—

101—पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य—

01—पशु चिकित्सालयों का निर्माण (जिला योजना) —

19—लघु निर्माण कार्य .. .. 60,00 ..

02—जैविक शोध उत्पादन शाखा, लखनऊ का प्रसार-

19— लघु निर्माण-कार्य .. .. 5,00 ..

03-- राज्य के स्थानीय निकायों द्वारा संचालित पशु चिकित्सा का प्रांतीयकरण—

19--लघु निर्माण कार्य— .. ..

04--वर्तमान पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केंद्रों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण—

18--वृहत निर्माण कार्य .. ..

05--पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन विकास महायुक्त के प्रशिक्षण की व्यवस्था के अन्तर्गत भवन निर्माण—

18 --वृहत निर्माण कार्य .. .. 6,00 ..

06--जनपद गोरखपुर में जैविक शोध उत्पादन संस्थान की स्थापना—

18--वृहत निर्माण कार्य .. ..

07--केन्द्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाएँ—

0701 --जैविक उत्पादन शाखा में सेल कल्चर प्रयोगशाला का निर्माण—

18—वृहत निर्माण कार्य .. .. 2,80 ..

योग, 101 .. .. 73,80 ..

102—पशु और भैंस विकास—

01-- कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार एवं अतिरिक्त सुविधाओं का प्राविधान—भवनों का निर्माण— (जिला योजना) —

18-- वृहत निर्माण कार्य .. .. 17,40 ..

213

5-2-5-54

|       |    |    |    |         |    |
|-------|----|----|----|---------|----|
| 9,11  | .. | .. | .. | 22,35   | .. |
| ..    | .. | .. | .. | 10,17   | .. |
| 47,47 | .. | .. | .. | 81      | .. |
| ..    | .. | .. | .. | 8,00    | .. |
| ..    | .. | .. | .. | 5,60    | .. |
| ..    | .. | .. | .. | 94,00   | .. |
| ..    | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 58,58 | .. | .. | .. | 1,40 93 | .. |
| 10,97 | .. | .. | .. | 21,46   | .. |

अनुसूची संख्या 15, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(हजार रुपयों में)

| शास्त्रीयक माकड़े<br>1986-86 |            | भाय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |            | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |            | शीर्षक   | भाय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |            |
|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|
| आयोजनागत                     | आयोजनानैतर | आयोजनागत                    | आयोजनानैतर | आयोजनागत                   | आयोजनानैतर |  | आयोजनागत                    | आयोजनानैतर |
|                              |            |                             |            |                            |            | 4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय--   |                             |            |
|                              |            |                             |            |                            |            | 102--पशु और भैंस विकास (समाप्त)--  |                             |            |
|                              |            |                             |            |                            |            | 02-- अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--<br>कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार एवं अतिरिक्त सुबि<br>धाओं का प्राविधान--<br>भवनों का निर्माण (जिला योजना)-- |                             |            |
| ..                           | ..         | ..                          | ..         | 4,27                       | ..         | 19-- लघु निर्माण-कार्य   | ..                          | ..         |
|                              |            |                             |            |                            |            | 03-- प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में प्राकृतिक घमिजनन केन्द्र पर<br>सांघ गृह का निर्माण (जिला योजना)--  |                             |            |
| 2,00                         | ..         | ..                          | ..         | 5,70                       | ..         | 18-- वृहत निर्माण कार्य  | ..                          | ..         |
|                              |            |                             |            |                            |            | 04-- वीर्य संग्रह केन्द्र भवन निर्माण--  |                             |            |
| ..                           | ..         | ..                          | ..         | 13,67                      | ..         | 18-- वृहत निर्माण-कार्य  | 22,54                       | ..         |
|                              |            |                             |            |                            |            | 05-- इटावा जनपद में भदावरी भैंस एवं यमुना पारी<br>बकरियों के प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना--<br>भवन निर्माण--   |                             |            |
| 7,85                         | ..         | ..                          | ..         | 6,70                       | ..         | 18-- वृहत निर्माण कार्य  | 1,27                        | ..         |
|                              |            |                             |            |                            |            | 06-- भारत सरकार की सहायता से आपरेशन प्लड के बाहर<br>गायों में संकर प्रजनन तथा भैंसों से प्रति हिमीकृत वीर्य से<br>पशु प्रत्याभिजनन की योजना--भवन निर्माण--                 |                             |            |
| ..                           | ..         | ..                          | ..         | 29,23                      | ..         | 18-- वृहत निर्माण कार्य  | 20,00                       | ..         |
|                              |            |                             |            |                            |            | 07-- तरल वीर्य द्वारा कृतिम गर्भाधान का प्रसार--<br>भवन निर्माण--  |                             |            |
| ..                           | ..         | ..                          | ..         | 71                         | ..         | 18-- वृहत निर्माण कार्य  | ..                          | ..         |
|                              |            |                             |            |                            |            | 08-- प्रतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम का<br>विस्तार की योजना--   |                             |            |
| ..                           | ..         | ..                          | ..         | 21,79                      | ..         | 18-- वृहत निर्माण कार्य  | 71,70                       | ..         |
|                              |            |                             |            |                            |            | 09-- राज्य पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु सांघों की संख्या<br>में वृद्धि (जिला योजना)--   |                             |            |
| 20                           | ..         | ..                          | ..         | ..                         | ..         | 19-- लघु निर्माण-कार्य   | 1,19                        | ..         |
| 21,02                        | ..         | ..                          | ..         | 1,03,53                    | ..         | योग, 102   | 1,34,10                     | ..         |

|       |    |    |    |       |    |
|-------|----|----|----|-------|----|
| 1,50  | .. | .. | .. | 2,00  | .. |
| 11,96 | .. | .. | .. | 19,55 | .. |
| ..    | .. | .. | .. | ..    | .. |
| 13,46 | .. | .. | .. | 21,55 | .. |

### 103--कुक्कुट पालन--

|   |                           |    |    |          |    |
|---|---------------------------|----|----|----------|----|
| 01--उद्देश में बतख प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा विस्तार की योजना--<br>बूडर/घोवर शेड का निर्माण-- | 19--लघु निर्माण कार्य     | .. | .. | 2,64     | .. |
| 02--जनपद, लखनऊ व गाजियाबाद में कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर भवन निर्माण--                            | 18--वृहत् निर्माण-कार्य   | .. | .. | 1,186    | .. |
| 03--जनपद, लखनऊ व गाजियाबाद में कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर भवन निर्माण--                            | 18--वृहत् निर्माण-कार्य-- | .. | .. | 16,70    | .. |
|   |                           |    |    | योग, 103 | .. |
|   |                           |    |    | 34,20    | .. |

### 104--भेड़ और ऊन विकास--

|   |                         |    |    |          |    |
|---|-------------------------|----|----|----------|----|
| 01--ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना (जिला योजना)--भवन निर्माण--                                    | 19--लघु निर्माण-कार्य   | .. | .. | 1,00     | .. |
| 02--राज्य में भेड़ और बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना, सुदृढीकरण और विस्तार की योजना--भवन निर्माण--             | 18--वृहत् निर्माण कार्य | .. | .. | ..       | .. |
| 03--भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराया (जिला योजना)--निर्माण कार्य-- | 18--वृहत् निर्माण कार्य | .. | .. | 2,33     | .. |
| 04--भेड़ विकास प्रायोजना एवं प्रक्षेत्र की स्थापना, सुदृढीकरण की योजना --   | 18--वृहत् निर्माण कार्य | .. | .. | 8,00     | .. |
|   |                         |    |    | योग, 104 | .. |
|   |                         |    |    | 11,33    | .. |

|    |    |    |    |       |    |
|----|----|----|----|-------|----|
| .. | .. | .. | .. | 28    | .. |
| .. | .. | .. | .. | 2,07  | .. |
| .. | .. | .. | .. | 9,27  | .. |
| .. | .. | .. | .. | 9,80  | .. |
| .. | .. | .. | .. | 21,40 | .. |



अनुदान संख्या 15-1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पशुधन)

(रुपयों में)

| वित्तीय वर्ष<br>1985-86 |        | वित्तीय वर्ष<br>1986-87 |        | वित्तीय वर्ष<br>1986-87 |        | सहायकीय<br>कोड | वर्षिक   | वित्तीय वर्ष<br>1987-88 |        |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------|--|-------------------------|--------|
| अनुदान                  | अनुदान | अनुदान                  | अनुदान | अनुदान                  | अनुदान |                |  | अनुदान                  | अनुदान |
| 6,44                    | ..     | ..                      | ..     | 3,46                    | ..     |                | 105—सुदूर विकास—   |                         |        |
| 6,44                    | ..     | ..                      | ..     | 3,46                    | ..     |                | 01—सूकर प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदुदोकरण --                                     |                         |        |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | 18—बृहत् निर्माण-कार्य   | 2,42                    | ..     |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | योग, 105   | 2,42                    | ..     |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | 190—सरकारी क्षेत्र के उपकरणों तथा अन्य उपकरणों में निवेश—                              |                         |        |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | 01—पशुधन उद्योग नियम के अंशकों में पूंजी विनियोजन—                                     |                         |        |
|                         |        |                         |        | 20,35                   | ..     |                | 24—निवेश/ऋण  | ..                      | ..     |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | 800—अन्य व्यय—   |                         |        |
| 2,05                    | ..     | ..                      | ..     | 4,63                    | ..     |                | 01—राज्य पशुधन और कृषि प्रदर्शनों की प्रतिरक्ति-<br>प्रारम्भिकताओं हेतु खर्च-निर्माण — |                         |        |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | 18—बृहत् निर्माण-कार्य   | 6,00                    | ..     |
| 3,00                    | ..     | ..                      | ..     | 3,00                    | ..     |                | 02—पशु उपयोग केन्द्रों की स्थापना एवं विस्तार-भवन<br>निर्माण—                          |                         |        |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | 18—बृहत् निर्माण कार्य   | 6,28                    | ..     |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | 03—गाजियाबाद के गहपुर में बम्हैटा चारा-बीज प्रक्षेप की<br>स्थापना— (जिला योजना)—       |                         |        |
|                         |        |                         |        | 1,79                    | ..     |                | 18—बृहत् निर्माण कार्य   | ..                      | ..     |
| 5,05                    | ..     | ..                      | ..     | 9,42                    | ..     |                | योग, 800   | 12,28                   | ..     |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | भाग-4—उन बस्तियों के ध्योरे जिन्हें लेखों में व्यय से छटा<br>दिया गया है—              |                         |        |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | 2245—देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत—  |                         |        |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | 02—बाढ़, चक्रवात आदि—  |                         |        |
|                         |        |                         |        |                         |        |                | 105—व्यापक सेवा—   |                         |        |
|                         |        |                         |        | 25,00                   | ..     |                | 01—माजिन भनी से पूरी की गई बनपाठि  | ..                      | 25,00  |

# अनुदान संख्या 16

## कृषि तथा शान्य सम्बन्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

1—उस घनराशि का अनुमान जिसका वित्तिय वर्ष 1987-88 में व्यय के विवेक आवश्यकता है—

| राजस्व                  | पंजी              | योग               |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| मतदेय 3,33,61 000 रुपये | 2,56,36,000 रुपये | 5 89,97,000 रुपये |
| भारित 3,61 000 रुपये    | 6,00,000 रुपये    | 9,61,000 रुपये    |

2—अनुदान का मुख्य शीर्षकों के अनुसार विभाजन :—

(हजार रूपयों में)

|                                 |         | वास्तविक प्राप्ति<br>1985-86 |          | पार-व्यय अनुदान<br>1986-87 |          | पुनरोक्षित अनुदान<br>1986-87 |          | आय-व्यय अनुदान<br>1987-88 |          |
|---------------------------------|---------|------------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------------------|----------|
|                                 |         | आयोजनागत                     | आयोजनागत | आयोजनागत                   | आयोजनागत | आयोजनागत                     | आयोजनागत | आयोजनागत                  | आयोजनागत |
| <b>राजस्व लेखा—</b>             |         |                              |          |                            |          |                              |          |                           |          |
| 2049—ग्राम संवाय                | भारित   | ..                           | ..       | ..                         | 4,20     | ..                           | 4,20     | ..                        | 3,60     |
| 2404—डेरी विकास                 | [ मतदेय | 1,32,27                      | 1,05,58  | 2,08,63                    | 1,19,26  | 1,60,14                      | 1,15,21  | 1,93,64                   | 1,39,97  |
|                                 | [ भारित | ..                           | ..       | ..                         | 1        | ..                           | 1        | ..                        | 1        |
| योग, राजस्व लेखा                |         | 1,32,27                      | 1,05,58  | 2,08,63                    | 1,19,26  | 1,60,14                      | 1,15,21  | 1,93,64                   | 1,39,97  |
|                                 | [ भारित | ..                           | ..       | ..                         | 4,21     | ..                           | 4,21     | ..                        | 3,61     |
| <b>पंजी लेखा—</b>               |         |                              |          |                            |          |                              |          |                           |          |
| 4404—डेरी विकास पर पंजी परिव्यय | ..      | ..                           | ..       | 3,46,09                    | ..       | 2,41,15                      | ..       | 2,89,18                   | ..       |
| 6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण  | (भारित) | ..                           | ..       | ..                         | ..       | 6,00                         | ..       | 6,00                      | ..       |
| योग, पंजी लेखा                  |         | [ मतदेय                      |          | 3,46,09                    | ..       | 2,41,15                      | ..       | 2,89,18                   | ..       |
|                                 | [ भारित | ..                           | ..       | ..                         | ..       | 6,00                         | ..       | 6,00                      | ..       |
| कुल योग                         |         | [ मतदेय                      |          | 4,78,36                    | 1,05,58  | 4,49,78                      | 1,19,26  | 4,49,32                   | 1,15,21  |
|                                 | [ भारित | ..                           | ..       | ..                         | ..       | 10,21                        | ..       | 10,21                     | ..       |

प्रनुमान संख्या 16, 1987-88  
 कृषि तथा ग्राम्य समृद्धि विभाग (ग्रामसहायता विकास)

3--सिंचनयोजन लेखों के लिये मूल्य, उपमुख्य, बंधु तथा उप शीर्षकः--

(द्वार रूपों में)

| वार्षिक प्रांश |              | प्रायः-व्ययक प्रनुमान |              | पुनरीक्षित प्रनुमान |              | शीर्षक | प्रायः-व्ययक प्रनुमान |              |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|
| 1985-86        |              | 1986-87               |              | 1986-87             |              |        | 1987-88               |              |
| प्रायोजनगत     | प्रायोजननेतर | प्रायोजनगत            | प्रायोजननेतर | प्रायोजनगत          | प्रायोजननेतर |        | प्रायोजनगत            | प्रायोजननेतर |
| ..             | ..           | ..                    | 4.20         | ..                  | 4.20         |        |                       |              |
| 1,81           | 1,00,96      | 7,09                  | 1,12,96      | 1,21                | 1,13,73      |        |                       |              |
| ..             | ..           | ..                    | ..           | ..                  | ..           |        |                       |              |
| 49,42          | ..           | 1,05,89               | ..           | 66,98               | ..           |        |                       |              |
| 4,00           | ..           | 4,00                  | ..           | 4,00                | ..           |        |                       |              |
| 75             | 4,62         | ..                    | 6,27         | ..                  | 1,48         |        |                       |              |
| 79,57          | ..           | 91,65                 | ..           | 76,63               | ..           |        |                       |              |
| 5,72           | ..           | ..                    | ..           | 11,32               | ..           |        |                       |              |
| 1,32,27        | 1,05,58      | 2,08,63               | 1,19,26      | 1,60,14             | 1,15,21      |        |                       |              |
| ..             | ..           | ..                    | 1            | ..                  | 1            |        |                       |              |
| 1,32,27        | 1,05,58      | 2,08,63               | 1,19,26      | 1,60,14             | 1,15,21      |        |                       |              |
| ..             | ..           | ..                    | 4,21         | ..                  | 4,21         |        |                       |              |
| 3,46,09        | ..           | 2,41,15               | ..           | 2,89,18             | ..           |        |                       |              |
| 3,46,09        | ..           | 2,41,15               | ..           | 2,89,18             | ..           |        |                       |              |

  

| राजस्व लेखा--  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| 2049--व्याज संदाय--  |         |         |         |
| 01--आन्तरिक ऋणों पर व्याज--                                |         |         |         |
| 200--अन्य आन्तरिक ऋणों पर व्याज (भारत)                     | ..      | ..      | 3,60    |
| 2404--डेरी विकास--   |         |         |         |
| 001--निवेशन और प्रशासन                                     | { मतदेय | 7,24    | 1,39,87 |
|  | { भारत  | ..      | 1       |
| 102--पशु और डेरी विकास परियोजना                            | ..      | 1,31,96 | ..      |
| 109--विस्तार और प्रशिक्षण                                  | ..      | 4,00    | ..      |
| 110--आगरा ग्राम्य संपूर्ण योजना                            | ..      | ..      | 10      |
| 191--सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता             | ..      | 50,44   | ..      |
| 800--अन्य व्यय   | ..      | ..      | ..      |
| योग, 2404  | { मतदेय | 1,93,64 | 1,39,97 |
|  | { भारत  | ..      | 1       |
| योग, राजस्व लेखा   | { मतदेय | 1,93,64 | 1,39,97 |
|  | { भारत  | ..      | 3,61    |
| पूँजी लेखा--   |         |         |         |
| 4404--डेरी विकास पर पूँजी परिव्यय--                        |         |         |         |
| 190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश | ..      | 2,56,36 | ..      |
| योग, 4404  | ..      | 2,56,36 | ..      |

6003—राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण—

|         |    |         |      |         |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|
| ..      | .. | ..      | 6,00 | ..      | 6,00 |
| 3,46,09 | .. | 2,41,15 | ..   | 2,89,18 | ..   |
| ..      | .. | ..      | 6,00 | ..      | 6,00 |

|   |    |         |
|---|----|---------|
| 108—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार (भारित) | .. | 6,00    |
| योग, पूंजी लेखा { भतदेय                         | .. | 2,56,36 |
| { भारित   | .. | ..      |
|   |    | 6,00    |

भाग -- -- -- उन वस्तुलियों के व्योरे जिन्हें लेखे में व्यय में से प्रटा दिया दिया गया है:--

4404—डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय—

|                              |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|
| 102—पशु, डेरी विकास परियोजना | .. | 28 | .. |
|------------------------------|----|----|----|

3—उपरोक्त का परिवर्द्धन विवरण पृष्ठ 201 से 208 पर देखिये ।

यन्त्रण संख्या 10, 1997-88  
 कृषि तथा श्रम संपन्न विभाग (कृषिशाखा विकास)

(हजार रुपये में)

| वैश्विक प्रकृति | साप्ताहिक अनुमान |           | द्विमासिक अनुमान |           | घोषणा | साप्ताहिक अनुमान |           |
|-----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------|------------------|-----------|
| 1985-86         | 1986-87          |           | 1986-87          |           |       | 1987-88          |           |
| साप्ताहिक       | साप्ताहिक        | साप्ताहिक | साप्ताहिक        | साप्ताहिक |       | साप्ताहिक        | साप्ताहिक |
| 1985-86         | 1986-87          | 1986-87   | 1986-87          | 1986-87   |       | 1987-88          | 1987-88   |
| ..              | ..               | 4,20      | ..               | 4,20      |       | ..               | ..        |
| ..              | 43,87            | ..        | 48,40            |           |       | ..               | ..        |
| ..              | ..               | ..        | 1                |           |       | ..               | ..        |
| ..              | 31,55            | ..        | 33,88            |           |       | ..               | ..        |
| ..              | 6,03             | ..        | 6,50             |           |       | ..               | ..        |
| ..              | 4,51             | ..        | 5,00             |           |       | ..               | ..        |
| ..              | 78               | ..        | 90               |           |       | ..               | ..        |
| ..              | 10               | ..        | 30               |           |       | ..               | ..        |
| ..              | 43               | ..        | 65               |           |       | ..               | ..        |
| ..              | 45               | ..        | 60               |           |       | ..               | ..        |
| ..              | ..               | ..        | ..               |           |       | ..               | ..        |
| ..              | ..               | ..        | 1                |           |       | ..               | ..        |
| ..              | ..               | ..        | 95,24            | ..        | 97,80 | ..               | ..        |
| ..              | 87,72            | ..        | 1                | ..        | 1     | ..               | ..        |

  

| राजस्व सजा—   |        | 2049—व्याज सदाय—  |         |
|---|--------|---|---------|
| 10—प्रान्तरिक ऋणों पर व्याज—                                      |        | 10—प्रान्तरिक ऋणों पर व्याज—                                      |         |
| 200—अन्य प्रान्तरिक ऋणों पर व्याज—                                |        | 200—अन्य प्रान्तरिक ऋणों पर व्याज—                                |         |
| 01—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर व्याज (भारित) — |        | 01—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर व्याज (भारित) — |         |
| 26—व्याज/लाभान्त  |        | 26—व्याज/लाभान्त  |         |
| ..  | ..     | ..  | 3,60    |
| 2404—डेरी विकास—  |        | 2404—डेरी विकास—  |         |
| 001—निवेशन और प्रशासन—  |        | 001—निवेशन और प्रशासन—  |         |
| 01—सहकारी दुग्ध सप्लाय योजनारे—                                   |        | 01—सहकारी दुग्ध सप्लाय योजनारे—                                   |         |
| 01—वेतन   | ..     | ..  | 53,24   |
| 02—मकदूरी   | ..     | ..  | 1       |
| 03—मदुबार्क भत्ता   | ..     | ..  | 42,59   |
| 04—बात्रा व्यय  | ..     | ..  | 5,10    |
| 05—अन्य भत्ता   | ..     | ..  | 5,00    |
| 06—कार्यालय व्यय  | ..     | ..  | 90      |
| 07—टेलीफोन पर व्यय  | ..     | ..  | 30      |
| 09—मोटर गाड़ियों का धनुरतग एवं पेट्रोल का खरीद                    | ..     | ..  | 65      |
| 11—किराया, उपगुल्क एवं कर स्वामित्व                               | ..     | ..  | 75      |
| 32—अन्तरिम सहायता   | ..     | ..  | 10,85   |
| 33—अन्य व्यय  | ..     | ..  | ..      |
|   | [भारित | ..  | 1       |
|   | [भारित | ..  | ..      |
| घोष, 01   | ..     | ..  | 1;19;19 |
|   | [भारित | ..  | 1       |

|    |     |    |      |    |      |
|----|-----|----|------|----|------|
| .. |     | .. |      | .. |      |
| .. | 96  | .. | 1,13 | .. |      |
| .. | 67  | .. | 77   | .. |      |
| .. | 32  | .. | 50   | .. |      |
| .. | 17  | .. | 20   | .. |      |
| .. | 23  | .. | 25   | .. |      |
| .. | ..  | .. | ..   | .. |      |
| .. | 235 | .. | 2,85 | .. | 2,91 |

|    |     |    |      |    |      |
|----|-----|----|------|----|------|
| .. | 44  | .. | 29   | .. |      |
| .. | ..  | .. | 1    | .. |      |
| .. | 28  | .. | 21   | .. |      |
| .. | 5   | .. | 7    | .. |      |
| .. | 4   | .. | 5    | .. |      |
| .. | 25  | .. | 30   | .. |      |
| .. | 1   | .. | 15   | .. |      |
| .. | —   | .. | ..   | .. |      |
| .. | 107 | .. | 1,08 | .. | 1,10 |

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | 43   | .. | 80   | .. |      |
| .. | 84   | .. | 56   | .. |      |
| .. | 16   | .. | 30   | .. |      |
| .. | 5    | .. | 7    | .. |      |
| .. | 6    | .. | 12   | .. |      |
| .. | ..   | .. | ..   | .. |      |
| .. | ..   | .. | ..   | .. |      |
| .. | 1,08 | .. | 1,85 | .. | 1,90 |

02—डेरी डवलपन योजना—

|                   |    |    |      |
|-------------------|----|----|------|
| 01—बेतन           | .. | .. | 1,27 |
| 03—महुंवाई भत्ता  | .. | .. | 1,02 |
| 04—बाळा व्यय      | .. | .. | 50   |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | 20   |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | 25   |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 25   |
| योग, 02           | .. | .. | 3,49 |

03—डेरी विकास क्रमेवारिषणं योजना (मुष्कायन) —

|                    |    |    |     |
|--------------------|----|----|-----|
| 01—वेतन            | .. | .. | 30  |
| 02—मजदुरी          | .. | .. | 1   |
| 03—महुंवाई भत्ता   | .. | .. | 31  |
| 04—बाळा व्यय       | .. | .. | 7   |
| 05—अन्य भत्ते      | .. | .. | 5   |
| 06—कार्यालय व्यय   | .. | .. | 30  |
| 07—डेरीशोम पर व्यय | .. | .. | 15  |
| 32—अन्तरिम सहायता  | .. | .. | 8   |
| 33—अन्य व्यय       | .. | .. | 86  |
| योग, 03            | .. | .. | 186 |

04—कामीन डेरी प्रसार योजना—

|                   |    |    |      |
|-------------------|----|----|------|
| 01—वेतन           | .. | .. | 88   |
| 03—महुंवाई भत्ता  | .. | .. | 70   |
| 04—बाळा व्यय      | .. | .. | 30   |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | 7    |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | 15   |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 18   |
| 33—अन्य व्यय      | .. | .. | ..   |
| योग, 04           | .. | .. | 2,28 |

सन् १९८७-८८ का १६वां संख्या  
कृषि तथा ग्राम विकास विभाग (सुधवाता विकास)

(हजार रुपये में)

| सांख्यिक वर्ष<br>१९३५-३६ | माप-व्यय अनुपात<br>१९३६-३७ | दुरलभित अनुपात<br>१९३७-३८ | शेष       |           | माप-व्यय के अनुपात<br>१९८७-८८ |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| सुधवातागत                | सुधवातागत                  | सुधवातागत                 | सुधवातागत | सुधवातागत | सुधवातागत                     |

२४०४—डेरी विकास—

००१—निवेशन तथा प्रशासन (कमरा) —

००५—डेरी विकास कर्मचारियों के योजना  
(जनसहयोग कार्यक्रम) —

|    |      |      |      |   |      |
|----|------|------|------|---|------|
| .. | १,९१ | १,९३ | ३,१० |   |      |
| .. | ..   | ..   | १    |   |      |
| .. | ..   | १,२८ | २,१७ |   |      |
| .. | १,३८ | १५   | ६०   |   |      |
| .. | ४२   | ३०   | ४०   |   |      |
| .. | १३   | ५    | ९०   |   |      |
| .. | ७५   | ..   | ..   |   |      |
| .. | ..   | ..   | १,०० |   |      |
| .. | ७४   | ..   | ..   |   |      |
| ३० | ..   | ..   | ..   |   |      |
| ३० | ५,३३ | ३,६१ | ९,१८ | ५ | ६,५४ |

|                                    |         |      |      |
|------------------------------------|---------|------|------|
| ०१—वेतन                            | ..      | १,१२ | ३,१० |
| ०२—नकदुरी                          | ..      | ..   | १    |
| ०३—सहायक भत्ता                     | ..      | ९७   | २,४८ |
| ०४—वाकान्त व्यय                    | ..      | ३३   | ७५   |
| ०५—ग्राम सचिव                      | ..      | ६    | २०   |
| ०६—कार्यालय व्यय                   | ..      | ..   | ९५   |
| ०७—टेलीफोन पर व्यय                 | ..      | ..   | ..   |
| ११—किराया/उपशुल्क एवं कर स्वामित्व | ..      | ..   | १,१५ |
| ३२—अन्तरिम सहायता                  | ..      | १९   | ६२   |
| ३३—अन्य व्यय                       | ..      | ..   | ..   |
|                                    | रु०, ०५ | २,८७ | ९,२६ |

२२२

००६—डेरी विकास कर्मचारियों (सुधवातागत) —

|    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|
| .. | १,५१ | .. | १,३९ |    |      |
| .. | ..   | .. | १    |    |      |
| .. | १,०२ | .. | ९७   |    |      |
| .. | १०   | .. | ४५   |    |      |
| .. | १९   | .. | २२   |    |      |
| .. | ५६   | .. | ३५   |    |      |
| .. | ३    | .. | १०   |    |      |
| .. | ५    | .. | ५    |    |      |
| .. | ..   | .. | २५   |    |      |
| .. | ..   | .. | ..   |    |      |
| ९२ | ..   | .. | ..   |    |      |
| ९२ | ३,४६ | .. | ३,७९ | .. | ३,६२ |

|  |         |    |      |
|--|---------|----|------|
| ०१—वेतन                                  | ..      | .. | १,५३ |
| ०२—नकदुरी                                | ..      | .. | १    |
| ०३—सहायक भत्ता                           | ..      | .. | १,१२ |
| ०४—वाकान्त व्यय                          | ..      | .. | ५०   |
| ०५—ग्राम सचिव                            | ..      | .. | २५   |
| ०६—कार्यालय व्यय                         | ..      | .. | ४०   |
| ०७—टेलीफोन                               | ..      | .. | १०   |
| ०९—साहित्य का अमूल्य तथा पैट्रोल की खरीद | ..      | .. | ७    |
| ११—किराया, उपशुल्क, कर स्वामित्व         | ..      | .. | ..   |
| ३२—अन्तरिम सहायता                        | ..      | .. | ३१   |
| ३३—अन्य व्यय                             | ..      | .. | ..   |
|  | रु०, ०६ | .. | ४,२६ |

|      |         |      |         |      |         |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| ..   | ..      | 1,63 | ..      |      |         |
| ..   | ..      | 1,09 | ..      |      |         |
| ..   | ..      | 30   | ..      |      |         |
| ..   | ..      | 26   | ..      |      |         |
| ..   | ..      | 23   | ..      |      |         |
| 59   | ..      | ..   | ..      |      |         |
| 89   | ..      | 3,48 | ..      | 1,16 | ..      |
| 1,81 | 1,00,96 | 7,09 | 1,12,99 | 1,21 | 1,13,73 |
| ..   | ..      | ..   | 1       | ..   | 1       |

07—डेरी विकास कर्मचारिधर्म योजना (मण्डलीय कार्यालय) —

|                   |         |       |      |         |
|-------------------|---------|-------|------|---------|
| 01—बेतन           | ..      | ..    | 1,63 | ..      |
| 03—बहुगाई मत्ता   | ..      | ..    | 1,09 | ..      |
| 04—प्राथम्य व्यय  | ..      | ..    | 30   | ..      |
| 05—अन्य व्यय      | ..      | ..    | 26   | ..      |
| 07—डेकोकोव पराम्भ | ..      | ..    | 20   | ..      |
| 32—अन्तरिम सहायता | ..      | ..    | 24   | ..      |
| योग, 07           | ..      | ..    | 3,72 | ..      |
| योग, 001          | मन्वदेव | भारित | 7,24 | 1,39,87 |
|                   |         |       | ..   | 1       |

102—दूध और डेरी विकास परियोजना—

|       |    |         |    |       |    |
|-------|----|---------|----|-------|----|
| 36,50 | .. | 12,89   | .. | 12,89 | .. |
| 3,92  | .. | 85,00   | .. | 46,09 | .. |
| ..    | .. | 8,00    | .. | 8,00  | .. |
| ..    | .. | ..      | .. | ..    | .. |
| 40,42 | .. | 1,05,89 | .. | 60,98 | .. |

|  |       |         |    |    |
|--|-------|---------|----|----|
| 01—आपरेशन फलड—द्वितीय चरण—<br>प्रीआपरेटिव व्यय हेतु पी0 सी0 डी0 एफ0 को अनुदान—                                       |       |         |    |    |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | ..    | ..      | .. | .. |
| 02—आपरेशन फलड योजना—द्वितीय चरण<br>के अन्तर्गत डेरियों तथा चिलिंग प्लांटों की स्थापना<br>हेतु दुग्ध संघों को अनुदान— |       |         |    |    |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | 81,95 | ..      | .. | .. |
| 03—आपरेशन फलड योजना—द्वितीय चरण के अन्तर्गत<br>सहकारी दुग्ध समितियों की नकद हानियों<br>की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान—   |       |         |    |    |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | 1     | ..      | .. | .. |
| 04—आपरेशन फलड योजना अन्तर्गत तकनीकी निवेश सेवाओं<br>के लिये वित्तीय सहायता—  |       |         |    |    |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | 50,00 | ..      | .. | .. |
| योग, 102   | ..    | 1,31,96 | .. | .. |

100—विस्तार और प्रशिक्षण—

|      |    |      |    |      |    |
|------|----|------|----|------|----|
| 4,00 | .. | 4,00 | .. | 4,00 | .. |
|------|----|------|----|------|----|

|  |    |    |      |    |
|--|----|----|------|----|
| 01—विभागीय तथा दुग्ध सहकारी संस्थाओं के<br>अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दुग्ध उत्पादक<br>सदस्यों को प्रशिक्षण— |    |    |      |    |
| 33—अन्य व्यय   | .. | .. | 4,00 | .. |



अनुदान संख्या 16 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

(हजार रुपये में)

| व। वार्षिक आकड़े<br>1985-86                           | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | शेषक  | आय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|---|----------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| आयोजनागत आयोजनेतर                                     | आयोजनागत आयोजनेतर          | आयोजनागत आयोजनेतर            |   | आयोजनागत आयोजनेतर          |
| ..  | 2,30                       | ..                           | 3,00  |                            |
| ..  | ..                         | ..                           | 1   |                            |
| ..  | 1,62                       | ..                           | 210   |                            |
| ..  | 15                         | ..                           | 15  |                            |
| ..  | 34                         | ..                           | 70  |                            |
| ..  | 5                          | ..                           | 6   |                            |
| ..  | ..                         | ..                           | 5   |                            |
| ..  | 3                          | ..                           | 5   |                            |
| ..  | 13                         | ..                           | 5   |                            |
| ..  | ..                         | ..                           | ..  |                            |
| 75  | ..                         | ..                           | 10  |                            |
| 75  | 4,62                       | ..                           | 6,27  | ..                         |
| 2,00  | ..                         | 2,00                         | ..  | 2,00                       |
| 16,60   | ..                         | 18,16                        | ..  | 15,07                      |
| 14,95   | ..                         | 20,00                        | ..  | 10,00                      |
| 46,02   | ..                         | 51,49                        | ..  | 49,56                      |
| 79,57   | ..                         | 91,65                        | ..  | 76,63                      |
| <b>2404—डेरी विकास—</b>                               |                            |                              |   |                            |
| <b>110—आगरा दुग्ध सम्पूति योजना—</b>                  |                            |                              |   |                            |
| <b>01—प्रशासन—</b>                                    |                            |                              |   |                            |
|   |                            |                              | 01—वेतन   | .. 1                       |
|   |                            |                              | 02—मजदूरी   | .. 1                       |
|   |                            |                              | 03—बहुभाई भत्ता   | .. 1                       |
|   |                            |                              | 04—वाला व्यय  | .. 1                       |
|   |                            |                              | 05—ग्रन्थ भत्ता   | .. 1                       |
|   |                            |                              | 06—कार्यालय व्यय  | .. 1                       |
|   |                            |                              | 07—टेलीफोन पर व्यय  | .. 1                       |
|   |                            |                              | 09—गाइडों का अनुरक्षण एवं ट्रेडिंग को खरीद  | .. 1                       |
|   |                            |                              | 11—किरावा, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व   | .. 1                       |
|   |                            |                              | 32—अन्तरिम सहायता   | .. ..                      |
|   |                            |                              | 33—अन्य व्यय  | .. .. 1                    |
|   |                            |                              | योग, 110  | .. 10                      |
| <b>191—सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता—</b> |                            |                              |   |                            |
|   |                            |                              | 01—कृषि संस्थान, इलाहाबाद को डेरी टेक्नालोजी तथा डेरी हुसबेन्डरी आदि प्रशिक्षण हेतु अनुदान—         |                            |
|   |                            |                              | 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | 2,00 ..                    |
|   |                            |                              | 02—दुग्ध सहकारी समितियों को अनुदान—   |                            |
|   |                            |                              | 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | 22,06 ..                   |
|   |                            |                              | 03—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—  |                            |
|   |                            |                              | दुग्ध सहकारी संस्थाओं को अनुदान—  |                            |
|   |                            |                              | 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | 1,83 ..                    |
|   |                            |                              | 04—वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान— |                            |
|   |                            |                              | 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता   | 24,55 ..                   |
|   |                            |                              | योग, 191  | .. 50,44 ..                |

|      |    |    |    |       |    |
|------|----|----|----|-------|----|
| 1,52 | .. | .. | .. | 10,00 | .. |
| 2 20 | .. | .. | .. | 1,32  | .. |
| 2,00 | .. | .. | .. | ..    | .. |
| 5,72 | .. | .. | .. | 11,32 | .. |

800—अन्य व्यय—

|   |    |    |    |              |    |
|---|----|----|----|--------------|----|
| 01—मिस्टोन प्रोजेक्ट निःशुल्क मिस्टोन वितरण हेतु राज<br>सहायता— |    |    |    |              |    |
| 14—सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता                               | .. | .. | .. | ..           | .. |
| 02—मिस्टोन प्रोजेक्ट कानपुर-निःशुल्क-वितरण हेतु राज<br>सहायता - |    |    |    |              |    |
| 14—सहाय अनुदान/अनुदान/राज सहायता                                | .. | .. | .. | ..           | .. |
| 03—साइस और टेक्नालॉजी सोलर प्लान की स्थापना --                  |    |    |    |              |    |
| 33- अन्य व्यय   | .. | .. | .. | ..           | .. |
|   |    |    |    | कुल योग, 800 | .. |

पूँजी लेखा—

4404—डेरी विकास पर पूँजी परिव्यय—

140—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश—

|  |    |    |    |         |    |
|--|----|----|----|---------|----|
| 01—आपरेशन फ्लड योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत<br>प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन एवं दुग्ध संघों<br>में अंशपूँजी विनियोजन— |    |    |    |         |    |
| 24—निवेश/ऋण  | .. | .. | .. | 1,50,00 | .. |
| 02—आपरेशन फ्लड योजना—II के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं<br>के सुदुकीकरण हेतु अंश पूँजी विनियोजन—                              |    |    |    |         |    |
| 24—निवेश/ऋण  | .. | .. | .. | ..      | .. |
| 03—वर्तमान दुग्ध संघों को सुदुक् एवं पुनर्जीवित करने की<br>योजना के अन्तर्गत अंशपूँजी विनियोजन—                            |    |    |    |         |    |
| 24—निवेश/ऋण  | .. | .. | .. | 16,35   | .. |
| 04—प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन के अंशकों में अंश<br>पूँजी विनियोजन—   |    |    |    |         |    |
| 24—निवेश/ऋण  | .. | .. | .. | 90,00   | .. |
| योग, 190   | .. | .. | .. | 2,56,26 | .. |

|         |    |         |    |         |    |
|---------|----|---------|----|---------|----|
| 1,62,07 | .. | 87,00   | .. | 2,40,20 | .. |
| 1,30,24 | .. | 1,07,00 | .. | 3,96    | .. |
| ..      | .. | 2,15    | .. | 2,15    | .. |
| 53,78   | .. | 45,00   | .. | 42,87   | .. |
| 3,46,09 | .. | 2,41,15 | .. | 2,89,18 | .. |

अनुदान संख्या 16; 1987-88  
कृषि तथा ग्राम्य सभ्दक विभाग (दुग्धमाला विकास)

(हजार रुपयों में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1986-86  | आय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|---|----------------------------|----------|----------------------------|----------|--------|-------------------------------|----------|
| आयोजनागत  | आयोजनेतर                   | आयोजनागत | आयोजनेतर                   | आयोजनागत |        | आयोजनागत                      | आयोजनेतर |
| ..  | ..                         | ..       | 6,00                       | ..       | 6,00   | ..                            | 6,00     |
| 6003—राज्य सरकार के आंतरिक ऋण—  |                            |          |                            |          |        |                               |          |
| 108—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार—                                      |                            |          |                            |          |        |                               |          |
| 01—ऋणों का प्रतिदान— (भारित)—   |                            |          |                            |          |        |                               |          |
| 33—ग्राम्य व्यय   |                            |          |                            |          |        |                               |          |
| भाग-4—उन वसूलियों के व्योरे जिन्हें लेखे में व्यय में से बटा<br>दिया गया है:— |                            |          |                            |          |        |                               |          |
| 4404—डैरी विकास पर पूंजी परिव्यय—   |                            |          |                            |          |        |                               |          |
| ..  | ..                         | ..       | ..                         | 18       | ..     | ..                            | 20       |
| 102—पशु व डैरी विकास परियोजना   |                            |          |                            |          |        |                               |          |

## अनुदान संख्या 17

### कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

1--सम ७ नवम्बर ७१ मनुष्यन विषयकी वित्तीय वर्ष 1986-87 में व्यय के लिये प्रावधानता है:--

|                             | राजस्व |  | पूंजी |     | योग              |
|-----------------------------|--------|--|-------|-----|------------------|
| मनुष्यन 4,51,41,000 .. बाये |        |  | ..    | ५२५ | 4,51,41,000 बाये |
| भारित 2,000 बाये            |        |  | ..    | ४२५ | 2,000 बाये       |

2--अनुदानों का मुख्य शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(रुपयों में)

| वास्तविक प्राकड़े<br>1985-86 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |

राजस्व लेखा --

2245--देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत

5,00

2405--मीन उद्योग

{ मन्देय  
[ भारित

|    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| .. | 2,19,85 | 1,72,75 | 2,68,40 | 1,62,00 | 3,69,69 | 1,62,15 | 2,46,89 | 2,04,52 |
| .. | ..      | 26      | ..      | 2       | ..      | 2       | ..      | 2       |

योग, राजस्व लेखा

{ मन्देय  
[ भारित

|    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| .. | 2,19,85 | 1,77,75 | 2,68,40 | 1,62,00 | 3,69,69 | 1,62,15 | 2,46,89 | 2,04,52 |
| .. | ..      | 26      | ..      | 2       | ..      | 2       | ..      | 2       |

पूंजी लेखा --

4405-- मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय

..

..

..

1

..

1

..

..

..

कुल योग ..

{ मन्देय  
[ भारित

|    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| .. | 2,19,85 | 1,77,75 | 2,68,41 | 1,62,00 | 3,69,70 | 1,62,15 | 2,46,89 | 2,04,52 |
| .. | ..      | 26      | ..      | 2       | ..      | 2       | ..      | 2       |

प्रनुमान संख्या 17, 1986-87  
कृषि तथा अन्य समूहाट विभाग (मत्स्य)

3--विनिर्माण के हेतु निर्णय, लघु तथा उप शीर्षक--

(हजार रुपयों में)

| सालाधिक प्रो. 1985-86 |             | प्राय-व्ययक प्रनुमान 1986-87 |             | दुनरोक्षित प्रनुमान 1986-87 |             | प्राय-व्ययक प्रनुमान 1987-68 |             |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| प्रायोवनागत           | प्रायोवनेतर | प्रायोवनागत                  | प्रायोवनेतर | प्रायोवनागत                 | प्रायोवनेतर | प्रायोवनागत                  | प्रायोवनेतर |
| ..                    | 5,00        | ..                           | ..          | ..                          | ..          | ..                           | ..          |
| 5,33                  | 14,12       | 5,33                         | 13,41       | 5,33                        | 13,58       |                              |             |
| ..                    | 26          | ..                           | 2           | ..                          | 2           |                              |             |
| 29                    | ..          | 40                           | ..          | 40                          | ..          |                              |             |
| 53                    | ..          | 4,27                         | ..          | 5,06                        | ..          |                              |             |
| 1,92,55               | ..          | 2,18,90                      | ..          | 2,18,90                     | ..          |                              |             |
| 21,15                 | 1,58,63     | 39,50                        | 1,48,59     | 1,40,00                     | 1,48,59     |                              |             |
| 2,19,85               | 1,72,75     | 2,68,40                      | 1,62,00     | 3,69,69                     | 1,62,15     |                              |             |
| ..                    | 26          | ..                           | 2           | ..                          | 2           |                              |             |
| 2,19,85               | 1,77,75     | 2,68,40                      | 1,62,00     | 3,69,69                     | 1,62,15     |                              |             |
| ..                    | 26          | ..                           | 2           | ..                          | 2           |                              |             |
| ..                    | ..          | 1                            | ..          | 1                           | ..          |                              |             |

राजस्व लेखा--

2245--बैवी विपतियों के सम्बन्धमें राहत--

02--बाढ़ चक्रवात आदि--

800--अन्य व्यय .. .. .

2405--मीन उद्योग--

001--निवेशक और प्रशासन (भारत) 12,35 17,44

109--विस्तार और प्रशिक्षण (भारत) .. 2

120--सहकारी मीन समितियां .. 40

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता 7,47

800--अन्य व्यय .. 1,87,68

योग, 2045 (भारत) 38,99 1,87,08

योग, 2045 (भारत) 2,46,89 2,04,52

योग राजस्व लेखा (भारत) 2,46,89 2,04,52

योग राजस्व लेखा (भारत) .. 2

पूंजी लेखा--

4405-- मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश .. .. .

अवशेष का सविस्तर विवरण पृष्ठ 209 से 213 तक देखिए।

228



अनुदान संख्या 17; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक प्राप्ति<br>1986-86 |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 |             | श्रीर्षक  | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर |   | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
| 2,10                         | ..          | 2,39                          | ..          |                            |             | 2405—मीन उद्योग—  |                               |             |
| 1,36                         | ..          | 1,62                          | ..          |                            |             | 001—निवेशन और प्रशासन (सम्पत्त) —                       |                               |             |
| 21                           | ..          | 24                            | ..          |                            |             | 02—मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन तथा सुदृढीकरण —          |                               |             |
| 26                           | ..          | 40                            | ..          |                            |             | 01--बेतन .. .. .  | 4,42                          | ..          |
| 29                           | ..          | 29                            | ..          |                            |             | 03--महंगाई भत्ता .. .. .                                | 3,70                          | ..          |
| 4                            | ..          | 7                             | ..          |                            |             | 04--यात्रा व्यय .. .. .                                 | 38                            | ..          |
| 8                            | ..          | 8                             | ..          |                            |             | 05--अन्य भत्ते .. .. .                                  | 50                            | ..          |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          |                            |             | 06--कार्यालय व्यय .. .. .                               | 1,10                          | ..          |
| 97                           | ..          | 24                            | ..          |                            |             | 07--टेलीफोन पर व्यय .. .. .                             | 7                             | ..          |
|                              |             |                               |             |                            |             | 20--मशीन और सज्जा/उपकरण और सर्वस ..                     | 1,08                          | ..          |
|                              |             |                               |             |                            |             | 32--अन्तरिम सहायता                                      | 84                            | ..          |
|                              |             |                               |             |                            |             | 33--अन्य व्यय .. .. .                                   | 26                            | ..          |
| 6,33                         | ..          | 5,33                          | ..          | 5,33                       | ..          | योग, 02 .. .. .   | 12,35                         | ..          |
| 5,33                         | 14,12       | 5,33                          | 13,41       | 5,33                       | 13,56       | योग, 001 (मत्स्येय (भारित                               | 12,35                         | 17,44       |
| ..                           | 26          | ..                            | 2           | ..                         | 2           |   | ..                            | 2           |
|                              |             |                               |             |                            |             | 109—विस्तार और प्रशिक्षण —                              |                               |             |
|                              |             |                               |             |                            |             | 01—मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना— |                               |             |
|                              |             |                               |             |                            |             | 33--अन्य व्यय .. .. .                                   | 40                            | ..          |
| 29                           | ..          | 40                            | ..          | 40                         | ..          | योग, 109 .. .. .  | 40                            | ..          |
| 29                           | ..          | 40                            | ..          | 40                         | ..          |   |                               |             |

|       |    |      |    |         |
|-------|----|------|----|---------|
| 24    | .. | 145  | .. |         |
| 17    | .. | 100  | .. |         |
| 1     | .. | 25   | .. |         |
| 1     | .. | 20   | .. |         |
| 10    | .. | 30   | .. |         |
| ..    | .. | ..   | .. |         |
| ..    | .. | 1,00 | .. |         |
| ..    | .. | ..   | .. |         |
| ..    | .. | 7    | .. |         |
| <hr/> |    |      |    |         |
| 53    | .. | 427  | .. | 5,06 .. |

|         |    |         |    |            |
|---------|----|---------|----|------------|
| 1,92,55 | .. | 2,18,90 | .. | 2,18,90 .. |
| <hr/>   |    |         |    |            |
| 1,92,55 | .. | 2,18,90 | .. | 2,18,90 .. |

|       |       |    |       |          |
|-------|-------|----|-------|----------|
| ..    | 8,06  | .. | 8,58  |          |
| ..    | 5,63  | .. | 6,06  |          |
| ..    | 50    | .. | 50    |          |
| ..    | ..    | .. | 90    |          |
| ..    | 78    | .. | 40    |          |
| ..    | 40    | .. | 7     |          |
| ..    | 16    | .. | 23    |          |
| ..    | 7     | .. | 6     |          |
| ..    | ..    | .. | ..    |          |
| ..    | 93    | .. | 2,00  |          |
| <hr/> |       |    |       |          |
| ..    | 16,53 | .. | 18,74 | .. 18,74 |

120—सहाकारी मीन समितियाँ—

01—मत्स्य सहाकारी समितियों की स्थापना--

|  |    |    |      |    |
|--|----|----|------|----|
| 01-- वेतन  | .. | .. | 3,00 | .. |
| 03-- महुंगाई भत्ता                                 | .. | .. | 2,40 | .. |
| 04-- यात्रा व्यय                                   | .. | .. | 30   | .. |
| 05-- अन्य भत्ते                                    | .. | .. | 35   | .. |
| 06-- कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | 45   | .. |
| 07-- टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | 10   | .. |
| 09-- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 20   | .. |
| 32-- अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | 60   | .. |
| 33-- अन्य व्यय                                     | .. | .. | 7    | .. |
| <hr/>  |    |    |      |    |
| योग, 120   |    |    | 7,47 | .. |

190—सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों की सहायता—

01—केंद्रीय प्रायोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाएँ--

0101-- मत्स्य पालक विकास अधिकरण को सहायता-- (जिला योजना)--

|                                     |         |    |
|-------------------------------------|---------|----|
| 14-- महायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 1,87,68 | .. |
| <hr/>                               |         |    |
| योग, 190                            | 1,87,68 | .. |

800—अन्य व्यय

01—अनुसंधान-- सामान्य--

|  |    |    |      |  |
|--|----|----|------|--|
| 01-- वेतन  | .. | .. | 9,44 |  |
| 02-- महुंगाई भत्ता                                 | .. | .. | 7,55 |  |
| 04-- यात्रा व्यय                                   | .. | .. | 60   |  |
| 05-- अन्य भत्ते                                    | .. | .. | 95   |  |
| 06-- कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | 45   |  |
| 07-- टेलीफोन पर व्यय                               | .. | .. | 8    |  |
| 09-- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 30   |  |
| 15-- छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन                  | .. | .. | 10   |  |
| 32-- अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | 1,89 |  |
| 33-- अन्य व्यय                                     | .. | .. | 2,10 |  |

योग, 01 .. 23,46



घनुदान संख्या 17, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

(हजार रुपयों में)

| प्राथमिक अंकड़े<br>1985-86 |             | प्राथमिक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |             | श्री पैक | प्राथमिक अनुमान<br>1987-88 |             |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------|----------------------------|-------------|
| प्रयोजनागत                 | अप्रयोजनेतर | प्रयोजनागत                 | अप्रयोजनेतर | प्रयोजनागत                   | अप्रयोजनेतर |          | प्रयोजनागत                 | अप्रयोजनेतर |
| ..                         | 72,14       | ..                         | 66,00       | ..                           | 66,00       |          | ..                         | 72,60       |
| ..                         | 50,70       | ..                         | 46,20       | ..                           | 46,20       |          | ..                         | 58,08       |
| ..                         | 4,10        | ..                         | 3,40        | ..                           | 3,40        |          | ..                         | 3,50        |
| ..                         | 3,35        | ..                         | 2,75        | ..                           | 2,75        |          | ..                         | 2,90        |
| ..                         | 2,00        | ..                         | 1,50        | ..                           | 1,50        |          | ..                         | 1,62        |
| ..                         | 36          | ..                         | 30          | ..                           | 30          |          | ..                         | 30          |
| ..                         | 3,70        | ..                         | 4,00        | ..                           | 4,00        |          | ..                         | 4,40        |
| ..                         | 50          | ..                         | 20          | ..                           | 20          |          | ..                         | 20          |
| ..                         | ..          | ..                         | ..          | ..                           | ..          |          | ..                         | 14,52       |
| ..                         | 5,26        | ..                         | 5,50        | ..                           | 5,50        |          | ..                         | 5,50        |
| ..                         | 1,42,10     | ..                         | 1,29,85     | ..                           | 1,29,85     |          | योग, 02                    | 1,63,62     |

2405—मीन उद्योग—

00—अन्य व्यय—(कमाजः)

02—विकास तथा संयोजन—

|   |    |    |       |
|---|----|----|-------|
| 01—वेतन                                     | .. | .. | 72,60 |
| 03—मर्हगाई भत्ता                            | .. | .. | 58,08 |
| 04—यात्रा व्यय                              | .. | .. | 3,50  |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                             | .. | .. | 2,90  |
| 06—कार्यालय व्यय                            | .. | .. | 1,62  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                          | .. | .. | 30    |
| 09—गाड़ियों का अनुसंधान एवं पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 4,40  |
| 19—लघु निर्माण कार्य                        | .. | .. | 20    |
| 32—अन्तरिम सहायता                           | .. | .. | 14,52 |
| 33—ग्रन्थ व्यय                              | .. | .. | 5,50  |

05—प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना—

|   |    |    |       |
|---|----|----|-------|
| 01—वेतन   | .. | .. | 10,05 |
| 03—मर्हगाई भत्ता                                | .. | .. | 8,04  |
| 04—यात्रा व्यय                                  | .. | .. | 1,00  |
| 05—ग्रन्थ भत्ते                                 | .. | .. | 1,00  |
| 06—कार्यालय व्यय                                | .. | .. | 1,00  |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                              | .. | .. | 20    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुसंधान और पेट्रोल की खरीद | .. | .. | 1,40  |
| 11—किरावा, संप गुल्फ कर स्थापित                 | .. | .. | 100   |
| 14—सहायक अनुदान/प्रसादान/राज सहायता             | .. | .. | ..    |
| 20—मशीन और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र           | .. | .. | 10    |
| 32—अन्तरिम सहायता                               | .. | .. | 2,01  |
| 33—ग्रन्थ व्यय                                  | .. | .. | 1,00  |

योग, 03

26,86

|       |    |       |       |
|-------|----|-------|-------|
| 6,63  | .. | 9,14  | ..    |
| 4,50  | .. | 6,40  | ..    |
| 2,05  | .. | 1,00  | ..    |
| 61    | .. | 1,00  | ..    |
| 2,52  | .. | 1,00  | ..    |
| 9     | .. | 20    | ..    |
| 1,25  | .. | ..    | ..    |
| ..    | .. | 1,00  | ..    |
| 10    | .. | 6,00  | ..    |
| ..    | .. | 10    | ..    |
| ..    | .. | ..    | ..    |
| 1,94  | .. | 1,66  | ..    |
| 19,66 | .. | 27,50 | ..    |
| ..    | .. | ..    | 27,50 |

04—केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ—

0401—अन्तर्बैस्वली मत्स्य सांख्यिकी विकास योजना—

|                   |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|
| 01—वेतन           | .. | .. | 63 | .. |
| 03—महंगाई भत्ता   | .. | .. | 42 | .. |
| 04—यात्रा व्यय    | .. | .. | 55 | .. |
| 05—अन्य भत्ते     | .. | .. | 10 | .. |
| 06—कार्यालय व्यय  | .. | .. | 30 | .. |
| 32—अन्तरिम सहायता | .. | .. | 13 | .. |

योग, 0401 .. 2,13 ..

0402—मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना—

14—सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता 2,00 ..

0403—नेशनल फिशरीज बैरुकेवर की योजना—

14—सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता .. 2,00 ..

0404—जलीय संसाधनों के सर्वेक्षण की योजना—

14—सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता .. 2,00 ..

0405—श्रीबेच फिशरीज के विकास की योजना—

14—सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता .. 2,00 ..

0406—जलाशयों के विकास की योजना—

14—सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता .. 200 ..

0407—प्रदेश के मेरठ तथा बरेली मण्डलों में बड़ आकार की हैब्रिदों की स्थापना—

14—सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता .. 1,00,00 ..

योग, 800 38,99 1,87,08

पूजा सखा—

4405—मीन उद्योग पर पूजा परिव्यय—

190—सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों के निवेश—

01—पूजासाधन में मत्स्य विकास कार्यक्रम हेतु मत्स्य निगम की स्थापना में बंधकृषी वित्तियोजन

24—निवेश/रूप .. ..

योग, 4405 .. ..

|       |         |       |         |         |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 15    | ..      | 63    | ..      |         |         |
| 10    | ..      | 42    | ..      |         |         |
| 19    | ..      | 55    | ..      |         |         |
| 1     | ..      | 10    | ..      |         |         |
| 30    | ..      | 30    | ..      |         |         |
| ..    | ..      | ..    | ..      |         |         |
| 75    | ..      | 2,00  | ..      | 2,00    | ..      |
| 75    | ..      | 2,00  | ..      | 2,00    | ..      |
| ..    | ..      | 2,00  | ..      | 2,50    | ..      |
| ..    | ..      | 2,00  | ..      | 2,00    | ..      |
| ..    | ..      | 2,00  | ..      | 2,00    | ..      |
| ..    | ..      | 2,00  | ..      | 2,00    | ..      |
| ..    | ..      | ..    | ..      | 1,00,00 | ..      |
| 21,15 | 1,58,63 | 39,50 | 1,48,59 | 1,40,00 | 1,48,59 |



# अनुदान संख्या 18

कृषि तथा ग्रन्थ सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

1—उस घनराशि का अनुमान त्रिमासिक वित्तिय वर्ष 1987-88 में व्यय के लिए आवश्यकता है:—

| राजस्व |              | पूंजी |              | योग   |
|--------|--------------|-------|--------------|-------|
| मतदेय  | 11,91,98,000 | रूपये | 41,78,54,000 | रुपये |
| भारित  | 5,37,65,000  | रुपये | 6,09,32,000  | रुपये |

2—अनुदान का मुख्य शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

| राजस्व लेखा              | (हजार रुपयों में)          |          |                              |          |                              |          |                              |          |          |          |         |
|--------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|---------|
|                          | वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |          | प्राथम्यिक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | प्राथम्यिक अनुमान<br>1987-88 |          |          |          |         |
|                          | आयोजनागत                   | आयोजनातर | आयोजनागत                     | आयोजनातर | आयोजनागत                     | आयोजनातर | आयोजनागत                     | आयोजनातर | आयोजनागत | आयोजनातर |         |
| 2013—मंत्रि परिषद्       | ..                         | ..       | ..                           | ..       | ..                           | 10       | ..                           | 10       | ..       | 10       |         |
| 2049—व्याज संदाय (भारित) | ..                         | ..       | ..                           | 4,17,38  | ..                           | 5,37,38  | ..                           | 5,23,71  | ..       | 5,37,63  |         |
| 2230—श्रम और रोजगार      | ..                         | ..       | ..                           | 13       | ..                           | 16       | ..                           | 17       | ..       | 23       |         |
| 2401—कृषि कार्य          | ..                         | ..       | ..                           | 1,20     | 40,02                        | 10,00    | 36,45                        | ..       | 37,38    | ..       | 46,69   |
| 2425—सहकारिता            | ..                         | [ मतदेय  | ..                           | 2,90,77  | 4,37,46                      | 5,49,29  | 4,64,57                      | 9,85,23  | 5,35,25  | 5,21,40  | 6,23,56 |
|                          |                            |          | [ भारित                      | ..       | ..                           | ..       | ..                           | 2        | ..       | 2        | ..      |
| योग, राजस्व लेखा         | ..                         | [ मतदेय  | ..                           | 2,91,97  | 4,77,61                      | 5,59,29  | 5,01,28                      | 9,85,23  | 5,72,90  | 5,21,40  | 6,70,58 |
|                          |                            |          | [ भारित                      | ..       | ..                           | 4,17,38  | ..                           | 5,37,40  | ..       | 5,23,73  | ..      |

संज्ञान संख्या सि. 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

(हजार रुपयों में)

| वास्तविक आंकड़े<br>1985-86 |             | प्राप्य-अपयक्त अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरोन्मिश्रित अनुमान<br>1986-87 |             | प्राप्य-अपयक्त अनुमान<br>1987-88 |             |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत                | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                      | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                      | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                      | प्रायोजनेतर |

पंजी लेखा—

|  |    |          |          |         |          |          |          |          |          |
|--|----|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1425--सहकारिता पर पूंजी परिव्यय        | .. | 24,80,12 | ..       | 9,90,77 | ..       | 8,00,24  | ..       | 6,70,08  | ..       |
| 5003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारत) | .. | ..       | 7,05,19  | ..      | 4,51,25  | ..       | 5,31,65  | ..       | 6,09,32  |
| 6401--कृषि कार्य के लिये उधार          | .. | 1,16,80  | 22,00,00 | 70      | 21,50,00 | 70       | 25,00,00 | 60       | 23,00,00 |
| 6425--सहकारिता के लिये उधार            | .. | 12,21,04 | ..       | 7,83,27 | ..       | 11,11,27 | ..       | 12,07,86 | ..       |
| 6861--उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार   | .. | ..       | 5,00,00  | ..      | ..       | ..       | 11,00,00 | ..       | ..       |

|                 |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| योग, पूंजी लेखा | भारत | 38,17,96 | 27,00,00 | 17,74,74 | 21,50,00 | 19,12,21 | 36,00,00 | 18,78,54 | 23,00,00 |
|                 | भारत | ..       | 7,05,19  | ..       | 4,51,25  | ..       | 5,31,65  | ..       | 6,09,32  |

|     |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| योग | भारत | 41,09,93 | 31,77,61 | 23,34,03 | 26,51,28 | 28,97,44 | 41,72,90 | 23,99,94 | 29,70,58 |
|     | भारत | ..       | 11,22,57 | ..       | 9,88,65  | ..       | 10,55,38 | ..       | 11,46,97 |

अनुदान संख्या 18, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

3--विनियोग लेख के विषये मुख्य, उपमुख्य, तथा उप शीर्षक:--

(हजार रुपयों में)

| वार्षिक प्राप्ति<br>1985-86 | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 | शीर्षक                                 | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| प्रायोजनागत बायोडिजनेटर     | प्रायोजनागत बायोडिजनेटर       | प्रायोजनागत बायोडिजनेटर    |  | प्रायोजनागत बायोडिजनेटर       |
| ..                          | 10                            | ..                         | 105--संत्रियों द्वारा विकलाधीन अनुदान  | .. 10                         |
| ..                          | 10                            | ..                         | योग, 2013                              | .. 10                         |
| ..                          | 4,17,38                       | ..                         | 249--व्याज संदाय--                     |                               |
| ..                          | 5,37,38                       | ..                         | 01--आन्तरिक ऋणों पर व्याज--            |                               |
| ..                          | 5,23,71                       | ..                         | 200--अन्य आन्तरिक ऋणों पर व्याज (भारत) | .. 5,37,63                    |
| ..                          | 4,17,38                       | ..                         | योग, 2049                              | .. 5,37,63                    |
| ..                          | 13                            | ..                         | 2230--श्रम और रोजगार--                 |                               |
| ..                          | 16                            | ..                         | 01--श्रम--                             |                               |
| ..                          | 17                            | ..                         | 195--सहकारी श्रम समितियों को सहायता    | .. 23                         |
| 1,20                        | 40,02                         | 10,00                      | 2401--कृषि कार्य--                     |                               |
| 36,45                       | 37,38                         | ..                         | 195--सहकारी कृषि समितियों को सहायता    | .. 46,68                      |

2317

5-1-21-60

सन् 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (सहकारिता)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक प्राकड़े<br>1985-86 |          | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | शीर्षक | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |          |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|--------|-------------------------------|----------|
| आयोजनागत                    | आयोजनेतर | आयोजनागत                      | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर |        | आयोजनागत                      | आयोजनेतर |
| 17,57                       | 3,86,41  | 28,20                         | 3,78,30  | 36,35                        | 4,46,90  |        |                               |          |
| ..                          | ..       | ..                            | 2        | ..                           | 2        |        |                               |          |
| 46,27                       | 10       | 47,08                         | 2,36     | 1,13,97                      | 2,41     |        |                               |          |
| 98,29                       | 9,76     | 94,19                         | 25,47    | 3,83,42                      | 26,10    |        |                               |          |
| 37,50                       | 39,41    | 23,95                         | 54,97    | 72,62                        | 56,32    |        |                               |          |
| 18,97                       | ..       | 75,00                         | ..       | 75,00                        | ..       |        |                               |          |
| 72,17                       | 1,78     | 2,80,87                       | 3,47     | 3,03,87                      | 3,52     |        |                               |          |
| 2,00,77                     | 4,37,46  | 5,49,29                       | 4,64,57  | 9,85,23                      | 5,35,25  |        |                               |          |
| ..                          | ..       | ..                            | 2        | ..                           | 2        |        |                               |          |
| 2,91,97                     | 4,77,61  | 5,59,29                       | 5,01,28  | 9,85,23                      | 5,72,90  |        |                               |          |
| ..                          | 4,17,38  | ..                            | 5,37,40  | ..                           | 5,23,73  |        |                               |          |
| 1,82,45                     | ..       | 1                             | ..       | 65,60                        | ..       |        |                               |          |
| 2,00,77                     | ..       | 1,18,30                       | ..       | 1,67,47                      | ..       |        |                               |          |
| 2,09,69                     | ..       | 8,72,46                       | ..       | 5,57,17                      | ..       |        |                               |          |
| 24,80,12                    | ..       | 9,90,77                       | ..       | 8,00,24                      | ..       |        |                               |          |

  

| 2425—सहकारिता—                     |                  |         |         |
|------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 001—निवेशन और प्रशासन              | { मतवेय<br>भारित | 45,22   | 5,14,84 |
| 003—प्रशिक्षण                      | ..               | 1,05,00 | 2,94    |
| 107—सहकारी ऋण समितियों को सहायता   | ..               | 2,68,68 | 31,38   |
| 108—अन्य सहकारी समितियों को सहायता | ..               | 27,60   | 70,51   |
| 109—कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि         | ..               | 56,25   | ..      |
| 800—अन्य व्यय                      | ..               | 18,65   | 4,00    |
| योग; 2425                          | { मतवेय<br>भारित | 5,21,40 | 6,21,56 |
|                                    |                  | ..      | 2       |
| योग, राजस्व लेखा                   | { मतवेय<br>भारित | 5,21,40 | 6,70,58 |
|                                    |                  | ..      | 5,37,65 |

  

| पूंजी लेखा--                       |    |         |    |
|------------------------------------|----|---------|----|
| 2425—सहकारिता पर पूंजी परिव्यय—    |    |         |    |
| 107—सहकारी ऋण समितियों में निवेश   | .. | 1       | .. |
| 108—अन्य सहकारी समितियों में निवेश | .. | 1,62,35 | .. |
| 200—अन्य निवेश                     | .. | 5,07,72 | .. |
| योग, 4425                          | .. | 6,70,08 | .. |

|    |         |    |         |    |         |
|----|---------|----|---------|----|---------|
| .. | 1,91;29 | .. | 1,98;75 | .. | 1,98,76 |
| .. | 5,11;40 | .. | 2,50,00 | .. | 3,30;39 |
| .. | 2;50    | .. | 2;50    | .. | 2;50    |
| .. | 7,05;19 | .. | 4,51;25 | .. | 5,31,65 |

|         |          |    |          |    |          |
|---------|----------|----|----------|----|----------|
| 1,16;80 | 22,00;00 | 70 | 21,50,00 | 70 | 25,00;00 |
|---------|----------|----|----------|----|----------|

|          |    |         |    |          |    |
|----------|----|---------|----|----------|----|
| 8748;10  | .  | 2,39,00 | .. | 2,40;95  | .. |
| 2,42;07  | .. | 4,68;00 | .. | 4,67;71  | .. |
| 1,30;87  | .. | 76;27   | .. | 4,02;61  | .. |
| 12;21;04 | .. | 7,83;27 | .. | 11,11;27 | .. |

|          |         |          |          |          |          |
|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| ..       | 5,00;00 | ..       | ..       | ..       | 11,00;00 |
| 38,17,96 | 2,00,00 | 17,74;74 | 21,50,00 | 19,12,21 | 36,00;00 |
| ..       | 7,05;19 | ..       | 4,51;25  | ..       | 5,31,65  |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | .. | .. | 70 | .. | 70 |
|----|----|----|----|----|----|

6003—राज्य सरकार के धारित ऋण—

|  |    |    |         |
|--|----|----|---------|
| 105—भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से उधार (भारित) | .. | .. | 2,00,82 |
| 108—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार                          | .. | .. | 4,00;00 |
| 109—अन्य संस्थाओं से उधार (भारित)                                | .. | .. | 2;50    |
| योग; (भारित) 6003  | .. | .. | 6,09;32 |

6401—कृषि कार्य के लिए उधार—

|                                  |    |          |
|----------------------------------|----|----------|
| 195—सहकारी कृषि समितियों को उधार | 60 | 23,00;00 |
|----------------------------------|----|----------|

6425—सहकारिता के लिए उधार—

|                                  |    |          |    |
|----------------------------------|----|----------|----|
| 107—सहकारी ऋण समितियों को उधार   | .. | 2134;65  | .. |
| 108—अन्य सहकारी समितियों को उधार | .. | 4,26;00  | .. |
| 800—अन्य उधार                    | .. | 5,47;21  | .. |
| योग; 6425                        | .. | 12,07;86 | .. |

6860—उपभोक्ता उद्योगों के लिए उधार—

|                 |           |               |
|-----------------|-----------|---------------|
| 04—चीनी-        |           |               |
| 800—अन्य उधार   | ..        | ..            |
| योग; पूंजी लेखा | [ मत्तदेय | .. 18,78,54   |
|                 | [ भारत    | .. .. 6,09;32 |

4—उपरोक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें लेख में व्यय में से घटा दिया गया है —

2425—सहकारिता—

|               |    |    |    |
|---------------|----|----|----|
| 800—अन्य व्यय | .. | .. | 70 |
|---------------|----|----|----|



प्रनुदान संख्या 18, 1987-88  
कृषि तथा ग्राम्य सञ्चाल विभाग (सहकारिता)

(द्विवार वर्षों में)

| वास्तविक आकड़े<br>1985-86   |             | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरोचित अनुमान<br>1986-87                        |             | शेष     | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|---|-------------|---------|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                                       | प्रायोजनेतर |         | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
| <b>2425--सहकारिता--</b>   |             |                               |             |   |             |         |                               |             |
| 001--निवेशन और प्रशासन--(समाप्त)--                                |             |                               |             |   |             |         |                               |             |
| 02--उत्तर प्रदेश सहकारी बर्धनयम के अन्तर्गत<br>स्वामित्व का गठन-- |             |                               |             |   |             |         |                               |             |
| ..  | 75          | ..                            | 99          | 01--वेतन  | ..          | ..      | 1,10                          |             |
| ..  | 54          | ..                            | 69          | 03--पहुँचाई भत्ता                                 | ..          | ..      | 88                            |             |
| ..  | 3           | ..                            | 7           | 04--यात्रा व्यय                                   | ..          | ..      | 7                             |             |
| ..  | 15          | ..                            | 13          | 05--अन्य भत्ते                                    | ..          | ..      | 16                            |             |
| ..  | 32          | ..                            | 12          | 06--कार्यालय व्यय                                 | ..          | ..      | 20                            |             |
| ..  | ..          | ..                            | 4           | 07--टेलीफोन पर व्यय                               | ..          | ..      | 4                             |             |
| ..  | ..          | ..                            | 12          | 11--किराया, उपभूक्त और कर स्वामित्व               | ..          | ..      | 12                            |             |
|   |             |                               |             | 32--अन्तरिम सहायता                                |             |         | 22                            |             |
| ..  | 1,79        | ..                            | 2,16        |   |             | योग; 02 | ..                            | 2,79        |
|   |             |                               |             |   |             |         |                               |             |
| ..  | 24,69       | ..                            | 24,90       | 03--विशेष अनुसंधान शाखा का गठन--                  |             |         |                               |             |
| ..  | 17,46       | ..                            | 20,43       | 01--वेतन  | ..          | ..      | 33,60                         |             |
| ..  | 3,73        | ..                            | 4,00        | 03--पहुँचाई भत्ता                                 | ..          | ..      | 26,88                         |             |
| ..  | 6,01        | ..                            | 4,90        | 04--यात्रा व्यय                                   | ..          | ..      | 4,25                          |             |
| ..  | 4,68        | ..                            | 1,10        | 05--अन्य भत्ते                                    | ..          | ..      | 5,90                          |             |
| ..  | ..          | ..                            | 30          | 06--कार्यालय व्यय                                 | ..          | ..      | 1,40                          |             |
| ..  | ..          | ..                            | 60          | 07--टेलीफोन पर व्यय                               | ..          | ..      | 30                            |             |
| ..  | ..          | ..                            | 65          | 09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद | ..          | ..      | 1,00                          |             |
| ..  | ..          | ..                            | 12          | 11--किराया, उपभूक्त एवं कर स्वामित्व              | ..          | ..      | 1,06                          |             |
| ..  | 1,16        | ..                            | 10          | 17--गृह सेवा व्यय                                 | ..          | ..      | 12                            |             |
|   |             |                               |             | 23--अन्तरिम सहायता                                | ..          | ..      | 6,72                          |             |
| ..  | 57,73       | ..                            | 57,10       | 33--अन्य व्यय                                     | ..          | ..      | 10                            |             |
|   |             |                               |             |   |             | योग 03  | ..                            | 81,33       |
|   |             |                               |             |   |             |         |                               |             |
| ..  | 68,08       | ..                            | 68,08       |   |             |         |                               |             |

|    |      |    |      |    |        |
|----|------|----|------|----|--------|
| .. | 2,76 | .. | 2,80 |    |        |
| .. | 1,61 | .. | 1,96 |    |        |
| .. | 31   | .. | 33   |    |        |
| .. | 36   | .. | 40   |    |        |
| .. | 214  | .. | 75   |    |        |
| .. | ..   | .. | 12   |    |        |
| .. | ..   | .. | 62   |    |        |
| .. | ..   | .. | ..   |    |        |
| .. | ..   | .. | ..   |    |        |
| .. | 7 18 | .. | 6,98 | .. | 22; 21 |

|       |     |       |      |        |       |
|-------|-----|-------|------|--------|-------|
| ..    | 54  | ..    | 1,10 |        |       |
| ..    | 36  | ..    | 50   |        |       |
| ..    | 13  | ..    | 20   |        |       |
| ..    | 7   | ..    | 15   |        |       |
| ..    | 9   | ..    | 15   |        |       |
| 12,10 | ..  | 11;34 | ..   |        |       |
| ..    | ..  | ..    | ..   |        |       |
| ..    | ..  | ..    | 4    |        |       |
| 1210  | 119 | 11;34 | 2,14 | 19; 19 | 2; 18 |

|    |       |    |      |    |       |
|----|-------|----|------|----|-------|
| .. | 4, 05 | .. | 4;50 |    |       |
| .. | 3,44  | .. | 3;15 |    |       |
| .. | 56    | .. | 40   |    |       |
| .. | 30    | .. | 15   |    |       |
| .. | 27    | .. | 30   |    |       |
| .. | ..    | .. | 10   |    |       |
| .. | ..    | .. | 4    |    |       |
| .. | 11    | .. | 10   |    |       |
| .. | 8,73  | .. | 8;74 | .. | 10;62 |

04—नगर प्रदेश सहकारी मरुस्थान सेवा मण्डल—

|                                    |    |    |    |    |      |
|------------------------------------|----|----|----|----|------|
| 01—वेतन                            | .. | .. | .. | .. | 3,08 |
| 03—महंगाई भत्ता                    | .. | .. | .. | .. | 2,46 |
| 04—यात्रा व्यय                     | .. | .. | .. | .. | 35   |
| 05—अन्य भत्ते                      | .. | .. | .. | .. | 40   |
| 06—कार्यालय व्यय                   | .. | .. | .. | .. | 80   |
| 07—टैजी होन पर व्यय                | .. | .. | .. | .. | 12   |
| 11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व | .. | .. | .. | .. | 62   |
| 32—अन्तरिम सहायता                  | .. | .. | .. | .. | 62   |
| 33—अन्य व्यय                       | .. | .. | .. | .. | ..   |
| योग; 04                            | .. | .. | .. | .. | 8;45 |

05—सहकारी विधायन क्षेत्र संयोजन योजना—

|                                   |    |       |    |    |      |
|-----------------------------------|----|-------|----|----|------|
| 01—वेतन                           | .. | ..    | .. | .. | 1;21 |
| 03—महंगाई भत्ता                   | .. | ..    | .. | .. | 97   |
| 04—यात्रा व्यय                    | .. | ..    | .. | .. | 25   |
| 05—अन्य भत्ते                     | .. | ..    | .. | .. | 15   |
| 06—कार्यालय व्यय                  | .. | ..    | .. | .. | 20   |
| 11—सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता | .. | 18,81 | .. | .. | ..   |
| 32—अन्तरिम सहायता                 | .. | ..    | .. | .. | 21   |
| 33—अन्य व्यय                      | .. | ..    | .. | .. | ..   |
| योग; 05                           | .. | 18,81 | .. | .. | 3,02 |

--सहकारी जड़ी बूटी योजना--

|  |    |    |    |    |       |
|--|----|----|----|----|-------|
| 01—वेतन  | .. | .. | .. | .. | 4;95  |
| 03—महंगाई भत्ता                                  | .. | .. | .. | .. | 3,96  |
| 04—यात्रा व्यय                                   | .. | .. | .. | .. | 85    |
| 05—अन्य भत्ते                                    | .. | .. | .. | .. | 15    |
| 06—कार्यालय व्यय                                 | .. | .. | .. | .. | 35    |
| 09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद | .. | .. | .. | .. | 15    |
| 11—किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व              | .. | .. | .. | .. | 4     |
| 32—अन्तरिम सहायता                                | .. | .. | .. | .. | 99    |
| 33—अन्य व्यय                                     | .. | .. | .. | .. | ..    |
| योग; 06  | .. | .. | .. | .. | 11 44 |

प्रनुदान संख्या 18, 1987-88  
 कृषि तथा ग्राम्य सम्वद्ध विभाग (सहकारिता)

(हजार रुपयों में)

| वित्तवर्ष की को         | प्रायः-व्ययक प्रनुदान      | दुन्दरविश्व. प्रनुदान        | कोषके   |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 1985-86                 | 1986-87                    | 1987-88                      |         |
| योजनागत प्रायोजनकेन्द्र | प्रायोजनगत प्रायोजनकेन्द्र | दुन्दरविश्व. प्रायोजनकेन्द्र |         |
| ..                      | 83                         | ..                           | 1,19    |
| ..                      | 62                         | ..                           | 1,35    |
| ..                      | 5                          | ..                           | 15      |
| ..                      | 31                         | ..                           | 17      |
| ..                      | 12                         | ..                           | 20      |
| ..                      | ..                         | ..                           | 1       |
| ..                      | ..                         | ..                           | 3       |
| ..                      | ..                         | ..                           | 4       |
| ..                      | 1,93                       | ..                           | 3,14    |
| 17,57                   | 3,86,41                    | 28,20                        | 3,78,30 |
| ..                      | ..                         | ..                           | 2       |
| ..                      | ..                         | ..                           | 2       |

2425—सहकारिता—

001—निवेशन और प्रशासन—(उत्तरांचल)—

07—संषज विकास योजना—

|                                   |    |    |      |
|-----------------------------------|----|----|------|
| 01—वेतन                           | .. | .. | 1,31 |
| 03—महंगाई भत्ता                   | .. | .. | 1,05 |
| 04—यात्रा व्यय                    | .. | .. | 20   |
| 05—अन्य भत्ते                     | .. | .. | 17   |
| 06—कार्यालय व्यय                  | .. | .. | 20   |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                | .. | .. | 2    |
| 11—किराया, उपसाल्क और कर हवामिस्व | .. | .. | 3    |
| 32—अन्तरिम सहायता                 | .. | .. | 26   |
| 33—अन्य व्यय                      | .. | .. | 4    |

योग, 07

योग, 001 {  
 मतदेय  
 भारित

|       |         |
|-------|---------|
| ..    | 3,28    |
| 45,22 | 5,14,84 |
| ..    | 2       |

003—प्रशिक्षण—

01—सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा योजनाओं का प्रसार—

|                  |    |    |      |
|------------------|----|----|------|
| 01—वेतन          | .. | .. | 1,10 |
| 03—महंगाई भत्ता  | .. | .. | 88   |
| 04—यात्रा व्यय   | .. | .. | 10   |
| 05—अन्य भत्ते    | .. | .. | 20   |
| 06—कार्यालय व्यय | .. | .. | 15   |

|    |    |    |      |    |      |
|----|----|----|------|----|------|
| .. | .  | .. | ..   |    |      |
|    | .. | .. | 25   |    |      |
| .. | .. | .. | ..   |    |      |
| .. | .  | .. | 4    |    |      |
| .. | 10 | .. | 2,36 | .. | 2;41 |

|       |    |       |      |         |      |
|-------|----|-------|------|---------|------|
| 46,27 | .. | 47,08 | ..   | 60,97   | ..   |
| ..    | .. | ..    | ..   | 53,00   | ..   |
| 46,27 | 10 | 47,08 | 2,36 | 1;13;97 | 2,41 |

|       |      |       |       |         |       |
|-------|------|-------|-------|---------|-------|
| ..    | 5;21 | 42    | 12,52 |         |       |
| ..    | 2,05 | 26    | 8,76  |         |       |
| ..    | 1,32 | 4     | 2,00  |         |       |
| ..    | 45   | 7     | 90    |         |       |
| ..    | 73   | 6     | 84    |         |       |
| ..    | ..   | ..    | 25    |         |       |
| 89,69 | ..   | 57,00 | ..    |         |       |
| ..    | ..   | ..    | ..    |         |       |
| ..    | ..   | ..    | 40    |         |       |
| 19,89 | 9;00 | 57,85 | 25,47 | 3,03,04 | 26,10 |

|   |    |      |
|---|----|------|
| 11—किराया, छप-शुल्क और कर स्वामित्व     | .. | ..   |
| 20—मशीनें और साज-सज्जा/छपकरण और संयंत्र | .. | 25   |
| 32—प्रत्तरिम सहायता                     | .. | 22   |
| 33—अन्य व्यय                            | .. | 4    |
| योग; 01                                 | .. | 2,94 |

|  |    |         |
|--|----|---------|
| 02—गैर सरकारी सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा योजना के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को अनुदान— |    |         |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता  | .. | 90,00   |
| 03—सहकारी शोध और प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान—  |    |         |
| 14—सहायक अनुदान अंशदान राज सहायता  | .. | 15,00   |
| योग, 003   |    | 1,05,00 |
|  |    | 2,94    |

|  |    |       |
|--|----|-------|
| 107--सहकारी ऋण समितियों को सहायता—             |    |       |
| 01—सहकारी ऋण योजना—                            |    |       |
| 01—वेतन  | .. | 66    |
| 03—महंगाई भत्ता                                | .. | 52    |
| 04—बाका व्यय                                   | .. | 10    |
| 05—अन्य भत्ते                                  | .. | 15    |
| 06—कार्वाण्य व्यय                              | .. | 15    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                             | .. | 20    |
| 09—मोटर गाड़ियों का प्रभार तथा बेट्रोल की बरीद | .. | ..    |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता              | .. | 30    |
| 32—प्रत्तरिम सहायता                            | .. | ..    |
| 33—अन्य व्यय                                   | .. | 10    |
| योग, 01  |    | 1,88  |
|  |    | 31,38 |

247

अनुदान संख्या 18; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (सहकारिता)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक प्रांकडे<br>1985-86 |            | अप्य-अप्यक अनुमान<br>1986-87 |            | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |            | शीर्षक | अप्य-अप्यक अनुमान<br>1987-88 |            |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| अप्योजनागत                   | अप्योजनेतर | अप्योजनागत                   | अप्योजनेतर | अप्योजनागत                   | अप्योजनेतर |        | अप्योजनागत                   | अप्योजनेतर |
| 1,00,00                      | ..         | ..                           | ..         | ..                           | ..         |        |                              |            |
| 1,16,80                      | 22,00,00   | 70                           | 21,50,00   | 70                           | 25,00,00   |        |                              |            |

6401—कृषि कायं के लिये उधार—

195—सहकारी कृषि समितियों को उधार (समाप्त) —

05—उ० प्र० सहकारी संघ को मालू क्रय हेतु कर्जे --  
24—निवेश/ऋण

योग; 195

60 23,00,00

6425—सहकारिता के लिये उधार—

107—सहकारी ऋण समितियों को उधार—

01—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान—  
प्रारम्भिक सहकारी उधार समितियों की अंशपूजी में  
में धन लगाने हेतु ऋण—

(जिला योजना) —

24—निवेश/ऋण

11,04 ..

02—सामान्य आपदाओं के कारण उत्तर प्रदेश सहकारी  
एग्रीकल्चरल (क्रेडिट) स्टेबिलाइजेशन फण्ड को सुदृढ़  
बताने के लिये जिला सहकारी बैंकों को ऋण --

24—निवेश/ऋण

.. ..

03—वर्ष 1985-86 में दैवी आपदाओं के कारण  
उ० प्र० सहकारी एग्रीकल्चरल (केन्द्रीय)  
स्टेबिलाइजेशन फण्ड को सुदृढ़ बताने लिये ऋण —

24—निवेश/ऋण

.. ..

04—सहकारी नगरीय बैंकों की योजना के अन्तर्गत सह-  
कारी नगरीय बैंकों को साज सज्जा हेतु ऋण

24—निवेश/ऋण

2,00 ..

8,35 .. 5,00 .. 8,55 ..

30,00 .. .. .. ..

8,06,00 .. .. .. ..

1,00 .. 4,00 .. 2,80 ..

|         |    |         |    |         |    |
|---------|----|---------|----|---------|----|
| 2;15    | .. | 5;00    | .. | 4,60    | .. |
| 2;00;00 | .. | 1;50;00 | .. | 1 50;00 | .. |
| ..      | .. | 75,00   | .. | 75,00   | .. |
| ६;४८;१० | .. | २,३९,०० | .. | २,४०,६५ | .. |

|   |         |    |
|---|---------|----|
| 06—सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना से अन्तर्गत<br>सहकारी बैंकों की शाखाओं के नवीनीकरण हेतु ऋण<br>(जिला योजना)—<br>24—निवेश/ऋण   | 2,85    | .. |
| 06—केन्द्रीय प्रायो वनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें—<br>0601—उद्यार सहकारी समितियों के नान भोवर डपुज<br>कवर त्नाम की कमी को पूरा करने के लिये ऋण<br>24—निवेश/ऋण | 2,00,00 | .. |
| 0602—उत्तर प्रदेश सहकारी एग्रीकल्चरल (क्रेडिट) स्टे-<br>जिला ईजेशन फण्ड को सुदृढ़ बनाने के लिये ऋण—<br>24—निवेश ऋण .. ..  | 18;76   | .. |
| योग; 107  | 2,34,65 | .. |

108--अन्य सहकारी समितियों को उद्यार--

|  |       |       |    |       |    |
|--|-------|-------|----|-------|----|
| 01—सहकारी उपभोक्ता मंडार की विशेष योजना के<br>अन्तर्गत ऋण—<br>24—निवेश/ऋण  | 40,00 | ..    |    |       |    |
| 02—सहकारी उपभोक्ता मंडारों की विशेष योजना के<br>अन्तर्गत उद्यार (केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित)<br>24—निवेश/ऋण  | 52,00 | ..    |    |       |    |
| 03—उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु सहकारी समितियों<br>को माजिन मनी ऋण (जिला योजना)—<br>24—निवेश/ऋण  | 73,50 | ..    |    |       |    |
| 04—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—<br>उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु सहकारी समितियों<br>को माजिन मनी ऋण (जिला योजना) --<br>24—निवेश/ऋण | 10,50 | ..    |    |       |    |
| 05—उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु ऋण<br>(राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिर्धारित)—<br>24—निवेश/ऋण   | ..    | ..    |    |       |    |
| 06—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उपभोक्ता<br>योजना के अन्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु ऋण— ..<br>24—निवेश/ऋण   | ..    | ..    |    |       |    |
| 25,00  | ..    | 30,00 | .. | 30,00 | .. |
| 3,54   | ..    | 5,00  | .. | 6,62  | .. |
| 28;73  | ..    | 99,00 | .. | 80,10 | .. |
| 4;42   | ..    | ..    | .. | 10,05 | .. |
| 6,04   | ..    | ..    | .. | 6,69  | .. |
| ..   | ..    | 4,50  | .. | 4,50  | .. |

प्रनुदान संख्या 18, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (सहकारिता)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक व्यय<br>1985-86 |             | प्रायःव्ययक प्रनुमान<br>1986-87 |             | पुनरांकित प्रनुमान<br>1986-87 |             | शेषक  | प्रायःव्ययक प्रनुमान<br>1987-88 |             |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---|---------------------------------|-------------|
| प्रायःव्ययगत            | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                     | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |   | प्रायोजनागत                     | प्रायोजनेतर |
| 1,41,94                 | ..          | 2,50,00                         | ..          | 2,50,00                       | ..          | 6425—सहकारिता के लिये उधार—<br>108—ग्रन्थ सहकारी समितियों को उधार (समाप्त)—<br>07—उत्तर प्रदेश, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों (डिबेन्चर्स) में विनियोजन—<br>24—निवेश/ऋण | 2,50,00                         | ..          |
| 32,40                   | ..          | 79,50                           | ..          | 79,50                         | ..          | 08—अनाधिक सहकारी प्रति मण्डारों को सीमान्त धनराशि के ऋण—<br>24—निवेश/ऋण   | ..                              | ..          |
| ..                      | ..          | ..                              | ..          | 25                            | ..          | 09—उपभोक्ता खाद्य पदार्थों के व्यवसाय हेतु इंडियन काफी बकर्स को प्रापरेटिव समित लि० लखनऊ को माजिन मनी ऋण—<br>24—निवेश/ऋण  | ..                              | ..          |
| 2,42,07                 | ..          | 4,68,00                         | ..          | 4,67,71                       | ..          | योग; 108  | 4,26,00                         | ..          |
| 58,56                   | ..          | 1,92                            | ..          | 17,10                         | ..          | 800—अन्य उधार—<br>01—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिर्धारित योजना—<br>24—निवेश/ऋण   | ..                              | ..          |
| 1,10                    | ..          | 1,00                            | ..          | 1,00                          | ..          | 02—सहकारी क्रय-विक्रय समितियों को खाद्यान्न का व्यवसाय करने के लिये सीमान्त धनराशि ऋण (जिला योजना)<br>24—निवेश/ऋण   | 1,50                            | ..          |
| ..                      | ..          | 18,00                           | ..          | 15,00                         | ..          | 03—जिला सहकारी संघों को सर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धनराशि ऋण (जिला योजना)<br>24—निवेश/ऋण   | 1,00                            | ..          |
| ..                      | ..          | ..                              | ..          | 5,76                          | ..          | 04—सहकारी कृषक सेवा समितियों को खाद्यान्न का व्यवसाय करने हेतु सीमान्त धनराशि ऋण (जिला योजना)—<br>24—निवेश/ऋण   | 4,04                            | ..          |

|       |    |       |    |         |    |   |         |    |
|-------|----|-------|----|---------|----|---|---------|----|
| 60,10 | .. | ..    | .. | 1,65;75 | .. | 06—प्रारम्भिक सहकारी कृषि कर्ज समितियों के उर्वरक व्यवसाय हेतु भाजिन मनी ऋण (जिला योजना)—<br>24—निवेश/ऋण  | 1;69,65 | .. |
| ..    | .. | ..    | .. | ..      | .. | 06—स 0 प्र 0 राज्य माण्डार निगम को ऋण—<br>24—निवेश/ऋण   | ..      | .. |
| 4,65  | .. | ..    | .. | 15,00   | .. | 07—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोजेंट प्लान—<br>प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु भाजिन मनी ऋण (जिला योजना)<br>24—निवेश/ऋण | 21,00   | .. |
| 1;70  | .. | 4;00  | .. | 4;00    | .. | 08—सहकारी विधायन इकाइयों के पुनर्गठन हेतु ऋण<br>(जिला योजना)—<br>24—निवेश/ऋण  | ..      | .. |
| ..    | .. | ..    | .. | ..      | .. | 09—पुरानी धान मिलों तथा दाल मिलों के पुनर्गठन हेतु ऋण (जिला योजना)—<br>24—निवेश/ऋण  | ..      | .. |
| ..    | .. | 51;35 | .. | 51;35   | .. | 10—हरदोई सहकारी वनस्पति मिल को ऋण—<br>24—निवेश/ऋण   | ..      | .. |
| 4,78  | .. | ..    | .. | ..      | .. | 11—गन्ना प्रक्रियात्मक इकाई, डोमी, जोगपुर हेतु ऋण<br>(जिला योजना)—<br>24—निवेश/ऋण   | ..      | .. |
| ..    | .. | ..    | .. | 2,00    | .. | 12—एकीकृत जनजाति सहकारी संघों को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त घनराशि ऋण (जिला योजना)—<br>24—निवेश/ऋण   | ..      | .. |
| ..    | .. | ..    | .. | 55,25   | .. | 13—स 0 प्र 0 सहकारी संघ के वनस्पति प्लांट हेतु ऋण<br>(राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित)—<br>24—निवेश/ऋण                                     | ..      | .. |
| ..    | .. | ..    | .. | 65,10   | .. | 14—उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को सोयाबीन प्लान्ट लगाने हेतु ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित योजना)—<br>24—निवेश/ऋण                        | ..      | .. |
| ..    | .. | ..    | .. | 5,30    | .. | 15—सहकारी चालू मिलों को जनरेटिंग सेट्स क्रय करने हेतु ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित—निगम क्षेत्र)—<br>24—निवेश/ऋण                    | ..      | .. |



अनुदान संख्या 18, 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

(हजार रुपये में)

| वास्तविक प्राकड़े<br>1985-86 |             | प्रायःव्ययक अनुमान<br>1986-87 |             | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |             | शीर्षक  | प्रायःव्ययक अनुमान<br>1987-88 |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------|
| प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर |   | प्रायोजनागत                   | प्रायोजनेतर |
|                              |             |                               |             |                              |             | 6425—सहकारिता के लिए उधार—  |                               |             |
|                              |             |                               |             |                              |             | 400—अन्य उधार—  |                               |             |
|                              |             |                               |             |                              |             | 16—सहकारी विधायन एवं संग्रहण योजना के अन्तर्गत वेजीटेबुल इण्डस्ट्रीज काम्प्लेक्स वितरोई, नदायू हेतु उधार (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित योजना)--         |                               |             |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 24--निवेश/ऋण  | 1,00,02                       | ..          |
|                              |             |                               |             |                              |             | 17—सहकारी विधायन एवं संग्रहण योजना के अन्तर्गत जलपद फरुखाबाद में झालू पर प्राधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कर्ज (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित योजना)-- |                               |             |
| ..                           | ..          | ..                            | ..          | ..                           | ..          | 24--निवेश/ऋण  | 2,50,00                       | ..          |
| 1,30,87                      | ..          | 76,27                         | ..          | 4,02 61                      | ..          | योग, 800  | 5 47,21                       | ..          |
|                              |             |                               |             |                              |             | 6860—उपभोक्ता उद्योगों के लिए उधार—   |                               |             |
|                              |             |                               |             |                              |             | 04—चीनी—  |                               |             |
|                              |             |                               |             |                              |             | 800—अन्य उधार—  |                               |             |
|                              |             |                               |             |                              |             | 01—उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को लेवी चीनी के वितरण हेतु उधार—   |                               |             |
| ..                           | 57 00,00    | ..                            | ..          | ..                           | 11,00 00    | 24—निवेश/ऋण   | ..                            | ..          |
|                              |             |                               |             |                              |             | 4—उन वस्तुओं के व्योरे जिन्हें लेखे में व्यय में से घटा दिया गया है—  |                               |             |
|                              |             |                               |             |                              |             | 2425—सहकारिता—  |                               |             |
|                              |             |                               |             |                              |             | 800—अन्य व्यय—  |                               |             |
|                              |             |                               |             |                              |             | 04—सहकारी संस्थाओं के पुनर्संगठन आदि पर व्यय-राष्ट्रीय सहकारी विकास निधि से पुरी की गई धनराशि (लेखा शीर्षक 8229)  | ..                            | 50          |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | .. | .. | 20 | .. | 20 |
| .. | .. | .. | 70 | .. | 70 |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6  | .. | .. | .. | 80 | .. |

|    |    |    |    |       |    |
|----|----|----|----|-------|----|
| .. | .. | .. | .. | 56,68 | .. |
| .. | .. | .. | .. | 2,90  | .. |
| .. | .. | .. | .. | 21,57 | .. |
| .. | .. | .. | .. | 81,15 | .. |

05—सहकारी संस्थाओं पर व्यय—राज्य कृषि उधार सहायता तथा प्रत्याभूति निधि से पूरा की गई धनराशि (लेखा शीर्षक 8229)

|                      |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|
| योग, बसूलियां, 24 25 | .. | .. | .. | 70 |
|----------------------|----|----|----|----|

4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय—

201—श्रम—

|   |    |    |
|---|----|----|
| 01—सहकारी श्रम योजना के अन्तर्गत श्रमपूँजी की वापसी | 85 | .. |
|---|----|----|

4401—कृषि कार्य के लिये उधार—

195—सहकारी कृषि समितियों को उधार—

|                      |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|
| 01—सहकारी कृषि योजना | .. | .. | 80 | .. |
|----------------------|----|----|----|----|

4425—सहकारिता पर पूंजी परिव्यय—

107—सहकारी ऋण समितियों में निवेश—

|                                |    |    |       |    |
|--------------------------------|----|----|-------|----|
| 01—सहकारी ऋण एवं बैंकिंग योजना | .. | .. | 59,51 | .. |
|--------------------------------|----|----|-------|----|

108—अन्य सहकारी समितियों की सहायता—

|  |    |    |      |    |
|--|----|----|------|----|
| 01—उपरोक्त सहकारी समितियों में विनियोजित श्रम पूंजी की वापसी | .. | .. | 3,19 | .. |
|--|----|----|------|----|

200—अन्य निवेश—

|  |    |    |       |    |
|--|----|----|-------|----|
| 01—सहकारी विपणन योजनाओं के अन्तर्गत श्रमपूँजी की वापसी | .. | .. | 23,73 | .. |
|--|----|----|-------|----|

|                    |    |    |       |    |
|--------------------|----|----|-------|----|
| योग बसूलियां, 4425 | .. | .. | 86,43 | .. |
|--------------------|----|----|-------|----|



# अनुदान संख्या 19

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

1--क्षेत्रीय वित्त का अनुमान जिसकी वित्तीय वर्ष 1987-88 में व्यय के लिए आवश्यकता है:--

|   | राजस्व       |       | पूंजी       |       | योग          |       |
|---|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
|   | महानेव       | रुपये | रुपये       | रुपये | रुपये        | रुपये |
| 2--अनुदान का मुख्य शीर्षकों के अनुसार विभाजन:-- | 42,50,04,000 | ..    | 9,97,00,000 | ..    | 52,47,04,000 | ..    |
|   | भारत         | ..    | भारत        | ..    | भारत         | ..    |

(हजार रुपये में)

| राजस्व लेखा                               | वास्तविक आकड़े<br>1985-86       |          | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 |          | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 |          | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |          |
|---|---------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------------------|----------|
|   | आयोजनागत                        | आयोजनेतर | आयोजनागत                  | आयोजनेतर | आयोजनागत                     | आयोजनेतर | आयोजनागत                  | आयोजनेतर |
|   | 2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | ..       | 21                        | ..       | 4                            | ..       | 4                         | ..       |
| 2245--दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत | ..                              | 1,33,00  | ..                        | ..       | ..                           | ..       | ..                        | ..       |
| 2501--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम    | ..                              | 9,56,25  | ..                        | 8,55,00  | ..                           | 8,55,00  | ..                        | 8,55,00  |
| 2705--कमान क्षेत्र विकास                  | ..                              | 21,84,53 | ..                        | 22,24,01 | ..                           | 31,22,35 | ..                        | 33,95,00 |
| योग, राजस्व लेखा                          | 31,40,78                        | 1,33,21  | 30,79,01                  | 4        | 39,77,35                     | 4        | 42,50,00                  | 4        |
| पूंजी लेखा--                              |                                 |          |                           |          |                              |          |                           |          |
| 4705--कमान क्षेत्र विकास पर पूंजी परिव्यय | ..                              | ..       | 30,00                     | ..       | 30,00                        | ..       | 30,00                     | ..       |
| 6705--कमान क्षेत्र विकास के लिये उधार     | 3,95,13                         | 50,09    | 3,96,00                   | 50,00    | 9,56,00                      | 5,96,00  | 9,67,00                   | ..       |
| योग, पूंजी लेखा                           | 3,95,13                         | 50,09    | 4,26,00                   | 50,00    | 9,86,00                      | 5,96,00  | 9,97,00                   | ..       |
| कुल योग                                   | 35,35,91                        | 1,83,30  | 35,05,01                  | 50,04    | 49,63,35                     | 5,96,04  | 52,47,00                  | 4        |

अनुदान संख्या 19; 1987-88  
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

8-निर्वाचन क्षेत्रों के लिये पुरुष, उम्र मूल्य लक्ष तथा उप शीर्षक--

(हजार रुपये में)

| साप्ताहिक प्रकड़े<br>1985-86                       | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 | पुनरीकृत अनुमान<br>1986-87 | श्रीर्षक | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |         |
|--|---------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|---------|
| प्रायोजनागत  | प्रायोजनागत               | प्रायोजनागत                |          | प्रायोजनागत               |         |
| प्रायोजनागत  | प्रायोजनागत               | प्रायोजनागत                |          | प्रायोजनागत               |         |
| ..   | 21                        | ..                         | 4        | ..                        | 4       |
| ..   | 1,33,00                   | ..                         | ..       | ..                        | ..      |
| 9,56,25  | ..                        | 8,55,00                    | ..       | 8,55,00                   | ..      |
| 9,56,25  | 8,55,00                   | ..                         | 8,55,00  | ..                        | ..      |
| 21,84,53   | ..                        | 22,24,01                   | ..       | 31,22,35                  | ..      |
| 21,84,53   | ..                        | 22,24,01                   | ..       | 31,22,35                  | ..      |
| 02,20,10   | 133,0141                  | 00,79,01                   | 4        | 39,77,35                  | 4       |
| <u>राजस्व लेखा--</u>                               |                           |                            |          |                           |         |
| <u>2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--</u>           |                           |                            |          |                           |         |
| 60--ग्राम्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--  |                           |                            |          |                           |         |
| 104--जमा से सम्बद्ध बीमा योजना--                   |                           |                            |          |                           |         |
| सरकारी भविष्य निधि                                 |                           |                            |          | ..                        | 4       |
| <u>2245--देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत--</u> |                           |                            |          |                           |         |
| 02--बाढ़, चक्रवात आदि--                            |                           |                            |          |                           |         |
| 800--अन्य व्यय                                     |                           |                            |          | ..                        | ..      |
| <u>2501--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम--</u>    |                           |                            |          |                           |         |
| 02--सूखाप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम--            |                           |                            |          |                           |         |
| 800--अन्य व्यय                                     |                           |                            |          | ..                        | 8,55,00 |
| योग, 2501  |                           |                            |          | 8,55,00                   | ..      |
| <u>2705--कमान क्षेत्र विकास--</u>                  |                           |                            |          |                           |         |
| 800--अन्य व्यय                                     |                           |                            |          | 33,95,00                  | ..      |
| योग, 2705  |                           |                            |          | 33,95,00                  | ..      |
| योग, राजस्व लेखा                                   |                           |                            |          | 42,50,00                  | 4       |

|         |       |         |       |         |         |
|---------|-------|---------|-------|---------|---------|
| ..      | ..    | 30,00   | ..    | 30,00   | ..      |
| ..      | ..    | 30,00   | ..    | 30,00   | ..      |
| 3,95,13 | 50,09 | 3,96,00 | 50,00 | 9,56,00 | 5,96,00 |
| 3,95,13 | 50,09 | 3,96,00 | 50,00 | 9,56,00 | 5,96,00 |
| 3,95,13 | 50,09 | 4,26,00 | 50,00 | 9,86,00 | 5,96,00 |

**पूजी लेखा—**

**4705—कमान क्षेत्र विकास पर**

**पूंजीगत परिव्यय—**

190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 30,00

योग, 4705 30,00

**6705—कमान क्षेत्र विकास के लिए उधार—**

190—सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार 9,67,00 ..

योग, 6705 9,67,00 ..

योग, पूंजी लेखा 9,97,00 ..

उपरोक्त का सविस्तर विवरण पृष्ठ 240 से 241 तक देखें।

| वित्तिक संकेत<br>1985-86 | आय-व्यय अनुमान<br>1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | आय-व्यय अनुमान<br>1987-88 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| आयोजनागत आयोजनेतर        | आयोजनागत आयोजनेतर         | आयोजनागत आयोजनेतर            | आयोजनागत आयोजनेतर         |

**राजस्व लेखा—**

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—

60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और

कल्याण कार्यक्रम—

104—जमा से सम्बद्ध बीमा योजना—

सरकारी मबिध्य निधि—

01—केंद्रीय विकास विभाग—

33—अन्य व्यय

.. 21 .. 4 .. 4

2245—द्वेषी बिपत्तियों के संबन्ध में राहत—

02—बाढ़, चक्रवात आदि—

880—अन्य व्यय .. ..

01—समन्वित बाल विकास परियोजनाओं

पर बाढ़ राहत हेतु पूरक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. ..

1,33,00 .. ..

2501—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम—

02—सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम—

800—अन्य व्यय—

01—केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा  
पुरोनिघानित योजनाएं—

1001—सूखा प्रणत क्षेत्र—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/  
राज सहायता .. 8,55,00 ..

9,56,25 .. 8,55,00 .. 8,55,00 ..

9,56,25 .. 8,55,00 .. 8,55,00 ..

योग, 800

8,55,00 ..

2705—कमान क्षेत्र विकास—

800—अन्य व्यय—

01—केन्द्रीय आयोजन/केंद्र द्वारा  
पूरोनिधानित योजनाएं—

0101—गंडक, रामगंगा तथा शारदा सहायक की  
क्षेत्रीय विकास प्रायोजनाएँ—

|          |    |          |          |
|----------|----|----------|----------|
| 7,25,95  | .. | 7,67,00  | ..       |
| 5,18,93  | .. | 4,88,00  | ..       |
| 97,54    | .. | 95,00    | ..       |
| 19,00    | .. | 35,00    | ..       |
| 10,41    | .. | 70,00    | ..       |
| ..       | .. | 8,00     | ..       |
| ..       | .. | ..       | ..       |
| 1,57     | .. | 35,00    | ..       |
| 1,13     | .. | 28,00    | ..       |
| 34,22    | .. | ..       | ..       |
| 6,51,37  | .. | 6,13,00  | ..       |
| 30,01    | .. | 1        | ..       |
| ..       | .. | ..       | ..       |
| 12,40    | .. | 15,00    | ..       |
| 21,22,53 | .. | 21,54,01 | ..       |
|          |    |          | 29,67,35 |

|  |          |
|--|----------|
| 01—वेतन ..   | 7,33,70  |
| 03—नईगार्ड अल्प                                      | 5,87,00  |
| 04—याता व्यय   | 95,00    |
| 05—अन्य भत्ते  | 40,00    |
| 06—कार्यालय व्यय                                     | 75,00    |
| 07—टेलीफोन पर व्यय                                   | 8,00     |
| 08—गाड़ियों का क्रय                                  | 2,50     |
| 09—मोटरगाड़ियों का प्रनुरक्षण तथा पेट्रोल<br>की खरीद | 40,00    |
| 11—किराया उपभूतक तथा कर स्वामित्व                    | 28,00    |
| 13—विज्ञापन, बिक्री तथा विख्यापन व्यय                | ..       |
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता                    | 14,04,00 |
| 19—लघु निर्माण कार्य                                 | ..       |
| 32—अ तरिम सहायता                                     | 1,46,75  |
| 33—अन्य व्यय   | 85,00    |
| योग, 0101  | 32,45,00 |

0102—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—  
क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिये अनुदान—

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 1,00,00  |
| योग, 800                          | 33,95,00 |

पूंजी लेखा—

4705—कमान क्षेत्र विकास

पर पूंजी परिव्यय—

19—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश—

01—उत्तर प्रदेश पण्डलीय विकास निगमों के  
अंशकों का क्रय

|                |       |
|----------------|-------|
| 24—निवेश/क्रय— | 30,00 |
|----------------|-------|

|    |    |       |    |
|----|----|-------|----|
| .. | .. | 30,00 | .. |
|----|----|-------|----|

265

5-2-67



प्रनुदान संख्या 19, 1986-87  
धर्म विभाग (रोजगार और प्रशिक्षण)

(हजार रुपये में)

| वार्षिक पाकड़े<br>1985-86 | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1986-87 | पुनरीक्षित अनुमान<br>1986-87 | सांख्यिकीय<br>कोड | शोषक        | प्राय-व्ययक अनुमान<br>1987-88 |         |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| प्रायोजनागत               | प्रायोजनेतर                   | प्रायोजनागत                  | प्रायोजनेतर       | प्रायोजनागत | प्रायोजनेतर                   |         |
| 2,91.05                   | 3,56.00                       | ..                           | 8,56 00           | ..          | ..                            |         |
| 4.08                      | ..                            | 40.00                        | ..                | 1,00.00     | ..                            |         |
| ..                        | 50.09                         | ..                           | 50.00             | ..          | 5,96.00                       |         |
| 3,95.13                   | 50.09                         | 3,96.00                      | 50.00             | 9,56.00     | 5,96 00                       |         |
|                           |                               |                              |                   |             | योग, 190                      | 9,67,00 |

6705—कमान क्षेत्र विकास के लिए उधार—

190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार—

01—गण्डक, रामगंगा तथा शारदा सहायक क्षेत्र विकास  
प्राधिकरणों को उधार—

24—निवेश/ऋण .. 8,80,00 ..

02—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—  
गण्डक, राम गंगा तथा शारदा सहायक क्षेत्र विकास  
क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिये उधार—

24—निवेश/ऋण .. 87,00 ..

03—मंडलीय विकास निगमों को उधार—

24—निवेश/ऋण .. ..

योग, 190

9,67,00